ईकाई -1 शैक्षिक नियोजन –अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता एवं सार्थकता
Unit 1. Educational planning-meaning, objectives, need and significance

1.1प्रस्तावना
1.2उद्देश्य
1.3शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएँ
1.3.1 शैक्षिक नियोजन की विशेषताएँ
1.3.2 शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया
1.4 शैक्षिक नियोजन की प्रकृति
1.5 शैक्षिक नियोजन के उदेश्य
1.6 शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता
1.7 शैक्षिक नियोजन की सार्थकता
1.8 सारांश
1.9 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर
1.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
1.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु शिक्षा का गुणवत्ता परक होना अनिवार्य है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। जिससे राष्ट्र उन्नति करता है अतः हमारा ये दायित्व है, कि हम शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक एक योजना बद्ध तरीके से पहुंचाएं।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है, कि शिक्षा को भावी पीढ़ी तक उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पहुँचाने हेतु हमें शैक्षिक योजना प्रभावशाली बनानी होगी।शैक्षिक योजना इस प्रकार बनानी होगी की शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का विकास हो। शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक नियोजन के उचित तालमेल से शैक्षिक प्रगति संभव है। जिससे की व्यक्ति और देश दोनों उन्नति कर सकें। वर्तमान परिवेश में अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ही शीघ्रता से परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए इन परिवर्तनों के अनुरूप संस्थाओं के कुशल संगठन, संचालन एवं नियंत्रण हेतु नियोजन अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नियोजन भविष्य में

किये जाने वाले कार्यों के लिए पहले से तैयार की जाने वाली रूपरेखा है, ताकि अधिकतम संभावित साधनों के द्वारा कुछ विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

1.2 उद्देश्य

- शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता को समझ सकेंगे।
- शैक्षिक नियोजन के अर्थ से परिचित हो सकेंगे।
- शैक्षिक नियोजन के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
- शैक्षिक नियोजन की सार्थकता को जान पाएंगे ।

1.3 शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

शैक्षिक नियोजन का अर्थ शैक्षिक कार्यों को ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामान का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके, शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग इस प्रकार करना है कि एक निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। शैक्षिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक प्रशासक एक नेता, निर्णयकर्ता, परिवर्तनकर्ता आदि की भूमिका निभाते हुए करता है। यह एक बुनियादी प्रबंधन कार्य है। यह प्रभावशीलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने का एक साधन है। इसकी विशिष्टता इसके भविष्य-उन्मुखीकरण या पूर्वानुमान के स्वरूप में निहित है।

आज शैक्षिक नियोजन एक परम आवश्यकता है। समाज में आधुनिक तकनीक की जटिलताओं ने शिक्षा में नियोजन की आवश्यकता को जन्म दिया है। बढ़ती जनसंख्या, मानव-शक्ति की आवश्यकता, पारिस्थितिकी, घटते प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक विकास के अव्यवस्थित अनुप्रयोगों के लिए शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। इन समस्याओं के समाधान हेतु, शैक्षिक नियोजन एक आवश्यकता बन जाता है और नियोजन क्षमता अनिवार्य हो जाती है। संगठनात्मक स्वास्थ्य, उसकी प्रभावशीलता और कार्यात्मक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संगठनों में वांछनीय परिवर्तन लाना अपरिहार्य है।

शिक्षा द्वारा व्यक्ति का न केवल सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होता है, वरन् वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी भी बनता है तथा राष्ट्रीय उत्पादन एवं समृद्धि के विकास में सहायक भी सिद्ध होता है। शैक्षिक नियोजन के द्वारा, वस्तुतः व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मध्य सामन्जस्य स्थापित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, देश की परम्परा एवं संस्कृति की रक्षा करते हुये सामाजिक तथा प्राविधिक नेतृत्व तथा अपेक्षित जनशक्ति उत्पन्न करना शैक्षिक नियोजन का मुख्य दायित्व है। शैक्षिक नियोजन एक संयोजन शक्ति के रूप में शिक्षा-प्रणाली के विभिन्न अंगों के विकास को समायोजित करता है तथा राष्ट्रीय विकास योजना की पृष्ठभूमि में दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति निश्चित करता है।

शैक्षिक नियोजन वर्तमान समय में भविष्य में प्राप्त किये जाने वाले शैक्षिक लक्ष्यों की तैयारी है। इसके माध्यम से शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उनके समाधान हेतु आवश्यक तैयारियों की जाती हैं। शिक्षा परिवर्तन का एक प्रमुख साधन है अतः इसके नियोजन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सम्भाव्य उपयोग करके विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सकता है, सामाजिक बुराइयों में कमी लाकर समाज के पुनर्निर्माण एवं सांस्कृतिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंचाकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। भारत में शैक्षिक नियोजन का प्रांरभ 1854 के कुछ घोषणापत्र से माना जाता है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय नियोजन समिति (National Planning Committee) द्वारा भी नियोजन की अवधारणा दी गई।

परिभाषाएँ –

शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन अत्यंत आवश्यक है, जिसे "शैक्षिक नियोजन" कहा जाता है, जो समकालीन समाज की एक प्रमुख आवश्यकता है। वर्तमान वैज्ञानिक रूप से विकसित और तकनीकी रूप से उन्नत समाज की जटिलताओं ने शिक्षा में नियोजन की आवश्यकता को विशेष स्थान प्रदान किया है।

“योजना बनाना पहले से किए जाने वाले किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना है।”

—ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी

"योजना विकल्पों में से चयन करती है, यात्रा शुरू होने से पहले मार्गों की खोज करती है और कार्यकारी और उसके संगठन द्वारा किसी भी प्रतिबद्धता से पहले संभावित या संभावित परिणामों या कार्रवाई की पहचान करती है।"

—हगमैन और श्वार्ट्ज़

"योजना को साधनों और उद्देश्यों की यथासंभव निकटतम अभिव्यक्ति द्वारा समग्र राष्ट्रीय नीतियों को लाने के लिए कार्रवाई के एक पैटर्न को पहले से निर्धारित करने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है।"

अतः शैक्षिक नियोजन को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक विकास हेतु शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य की एक व्यवस्थित रूपरेखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक नियोजन को एक प्रशासक द्वारा नेता, निर्णयकर्ता, परिवर्तनकर्ता आदि की भूमिका निभाते हुए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

—फिलिप्स

उपरोक्त परिभाषाओं के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नियोजन भविष्य में कार्रवाई के लिए निर्णयों का एक समूह तैयार करने और सर्वोत्तम संभव साधनों द्वारा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने की

दिशा में निर्देशित करने की प्रक्रिया है। इसलिए नियोजन का सार यथासंभव अधिक से अधिक परिचालन विकल्पों का आकलन करना और फिर कार्रवाई शुरू करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है।

1.3.1 शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं

1. शैक्षिक योजनाओं द्वारा व्यक्ति एवं दोनों के संतुलित विकास पर बल दिया जाता है।
2. देश में सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन किया जाता है।
3. भारत में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता तथा अज्ञानता को शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही दूर का प्रयास किया जाता है। शैक्षिक नियोजन के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन लाने प्रयास किया जाता है।
4. भारत में शैक्षिक नियोजन आर्थिक नियोजन के एक अंग के रूप में कार्य करता है ।
5. शैक्षिक नियोजन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसके द्वारा आनि प्रगति भी हो। मानवीय संसाधनों को उपयोगी बनाने का लक्ष्य भी शैक्षिक नियोजन निहित होता है।
6. शैक्षिक नियोजन में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी समान रूप से रुचि लेतीं किसी क्षेत्र विशेष को महत्व न देकर सम्पूर्ण राष्ट्र को ध्यान में रख कर नियोजन किया जा है।
7. भारतीय शैक्षिक नियोजन में यदि राष्ट्रीय स्तर की बातों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता तो दूसरी ओर स्थानीय आवश्यकताओं की भी उपेक्षा नहीं कि जाती है
8. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत अनेक शैक्षिक अल्पकालिक योजनाएँ का करती हैं जिनके माध्यम से देश में शैक्षिक प्रगति की अपेक्षा की जाती है।
9. भारतीय शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत अल्पकालिक योजनाओं के साथ ही दीर्घकालिन योजनाएँ भी बनायीं जाती हैं। दीर्घ एवं अल्पकालिक योजनाओं का एक साथ समावेन होना भारतीय शैक्षिक नियोजन की प्रमुख विशेषता है।

1.3.2 शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया

भारत में योजनाओं के निर्माण हेतु योजना आयोग का गठन 1950 ई. में किया गया है। जिसमें आठ सदस्य (मंत्रिमंडल के सदस्य, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, प्रशासक आदि) सम्मिलित रहते हैं।इस आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष योजना मंत्री हुआ करता है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करना, विकास हेतु नवीन कार्यक्रम तैयार करना, धन की व्यवस्था कराना एवं उसे प्रत्येक मद पर व्यय करने हेतु सुझाव देना आदि है। इसकी योजना निर्माण की कार्य प्रणाली में निम्नलिखित चरण सम्मिलित किए जाते हैं।

(1) उद्देश्य निर्धारण- नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, संगठन के लक्ष्य की पहचान करना। उद्देश्य निर्धारण से पूर्व संगठन को प्रभावित करने वाली आन्तरिक एवं बाह्य गतिविधियों एवं परिस्थितियों का सूक्ष्मता से परीक्षण करना आवश्यक होता है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से ये निर्देशित करने वाले होने चाहिए कि क्या प्राप्त करना है, किन क्रियाओं के माध्मय से प्राप्त करना है, किसके द्वारा प्रदर्शन करना है, कैसे और

कब उनकी प्राप्ति सम्भव है? दूसरे शब्दों में, प्रबंधक द्वारा संगठन में किये जाने वाले प्रयासों के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि सभी क्रियाएँ सही दिशा में सम्पन्न हो सकें।

(2) रूपरेखा निर्धारण- उद्देश्य निर्धारण के बाद नियोजन की रूपरेखा का निर्धारण आवश्यक होता है। रूपरेखा वातावरण के सन्दर्भ में पूर्वमान्यताएँ होती हैं जिनमें योजनाएँ निर्मित एवं क्रियान्वित की जाती हैं। इसके साथ ही उपलब्ध आवश्यक संसाधनों की जानकारी, उनकी उपयोगिता की जाँच एवं उनकी कार्य प्रणाली का विश्लेषण एवं मूल्यांकन भी आवश्यक होता है।

(3) विकल्पों का चयन एवं मूल्यांकन- उद्देश्य निर्धारण एवं नियोजन की रूपरेखा निर्धारण के पश्चात् वैकल्पिक क्रियाओं की पहचान की आवश्यकता होती है। नियोजन में चयन एक महत्वपूर्ण अवस्था होती हैं जिसमें उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाले क्रियाओं हेतु उपलब्ध संभावित विकल्पों की जाँच कर उपयोगी विकल्पों का चयन किया जाता है। जिनके संचालन के उपरान्त अभीष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है।

(4) चयनित विकल्पों का क्रियान्वयन- विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के मूल्यांकन एवं उपयोगी विकल्प के चयन के पश्चात् उनके क्रियान्वयन की अवस्था आती है। उपयोगी विकल्पों में से भी कुछ का क्रियान्वयन योजना की प्रारम्भिक अवस्था में किया जाता है और कुछ को भविष्य हेतु सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका क्रियान्वयन किया जा सके। यही चयनित विकल्प उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं और योजना की दिशा निर्धारित करते हैं।

(5) सहयोगी योजनाओं का निर्माण- नियोजन प्रक्रिया में मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ सहायक उद्देश्यों की भी प्राप्ति आवश्यक होती है. बिना इनके मख्य उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। अतः योजना निर्माण के समय कुछ छोटी-छोटी सहायक योजनाओं का भी निर्माण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी उद्यम में एक आधारभूत उत्पादन योजना के संचालन में बहुत सी अन्य चीज़ों जैसे मशीनों और प्लान्ट की उपस्थिति, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, वित्त सम्बन्धी प्रावधान आदि की आवश्यकता होती है। मौलिक योजना की सफलता के लिए इन सहयोगी योजनाओं का सही क्रम में एवं सही समय पर पूरा होना आवश्यक होता है।

(6) महयोग एवं महभागिता - किसी भी योजना की सफलता कर्मचारियों की पूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। इस सन्दर्भ में प्रबंधक को अपने कर्मचारियों को योजना निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए। सलाह, शिकायत, आलोचना आदि के माध्यम से प्रबन्धक को योजना को उसके प्रारम्भिक स्तर पर ही सुधारने का मौका मिल जाता है और चूंकि योजना निर्माण में उनकी सहभागिता रहती है तो योजना के क्रियान्वयन में उनमें आपसी सहयोग बना रहता है और फलस्वरूप योजना सफलतापूर्वक संचालित हो सकती है।

(7) योजना का मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण - नियोजन का अन्तिम चरण क्रियान्वित योजना का मूल्यांकन करना होता है। योजना के क्या लाभ रहे है एवं उसमें नया कमियां पायी गयीं, इसकी जाँच की जाती है। इस प्रक्रिया में कर्मचारियों, निवेशकों एवं क्षेत्र विशेषज्ञों से पृष्ठपोषण लिया जाता है। योजना की

प्रभावशीलता के लिए उसकी निरन्तर जाँच होनी आवश्यक है। इस प्रकार के मूल्यांकन से, प्रबंधन को क्रियान्वित योजना की कमियाँ पता चल जाती है और उसके लिए सुधारात्मक उपाय अपनाने में देर नहीं होती है।

1.4 शैक्षिक नियोजन की प्रकृति

लचीलापन- एक अच्छी शैक्षिक योजना को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।

गुणवत्ता-केंद्रित- इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, जो छात्र की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है।

मार्गदर्शन- यह शिक्षकों और संस्थानों को मार्गदर्शन प्रदान करता है कि वे अपने शिक्षण और सीखने के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

पूर्वानुमान- शैक्षिक नियोजन किसी भविष्य के समय में होने वाली घटनाओं, परिस्थितियों और आवश्यकताओं का वर्णन, परिभाषा या निर्धारण करता है शिक्षा के महत्वपूर्ण कारकों, जैसे छात्रों की संख्या और प्रकार तथा उनके लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार, का पूर्वानुमान या प्रक्षेपण करना है

व्याख्या -शैक्षिक योजना में भविष्य के आंकड़ों की व्याख्या और प्रत्याशित स्थितियों के तहत प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक दक्षताओं या परिचालन क्षमताओं में इसके अनुवाद की भी आवश्यकता होनी चाहिए।

लक्ष्य और उद्देश्य - शैक्षिक योजना संगठन के लिए प्रासंगिक वर्तमान और भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों को उत्पन्न करने का एक साधन है।

निर्णय लेना- शैक्षिक नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया की तैयारी या पूर्व-प्रक्रिया है।इसका उद्देश्य सर्वोत्तम निर्णय या विकल्प निर्धारित करने में सहायता करना है। जहाँ शैक्षिक प्रशासन मुख्यतः निर्णय लेने का कार्य करता है, वहीं शिक्षा में नियोजन इसका दूसरा पहलू मात्र है।

समस्या निवारण- शैक्षिक नियोजन एक प्रकार की आकस्मिकता की आशंका या समस्या निवारण है। इसे भविष्य में किसी समय आने वाली शैक्षिक समस्या की गंभीरता को न्यूनतम करना चाहिए आकस्मिकता उत्पन्न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

प्रबंधन परिवर्तन- शैक्षिक नियोजन संगठन नवीनीकरण का एक हिस्सा है। ये किसी संगठन के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र, एक मॉडल या एक उपकरण प्रदान करती हैं।

जटिलता समाधान- शैक्षिक नियोजन जटिलता समाधान है, समन्वय और नियंत्रण की एक प्रक्रिया। इसकी व्याख्या ऐसी परियोजनाओं के पहलुओं की जटिलता या समन्वय से निपटने के साधन के रूप में की जाती है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो –

1. नियोजन का अन्तिम चरण -------------का मूल्यांकन करना होता है।
2. भारत में योजनाओं के निर्माण हेतु योजना आयोग का गठन ------------में किया गया है।
3. "योजना बनाना पहले से किए जाने वाले किसी कार्य की रूपरेखा तैयार करना है।" परिभाषा किसने दी है।
4. भारत में शैक्षिक नियोजन -----------के एक अंग के रूप में कार्य करता है ।

1.5 शैक्षिक नियोजन के उदेश्य

शैक्षिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध साधनों का शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च उपयोग है। शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- शिक्षा का विकास करने हेतु एक निश्चित दिशा निर्धारित करना तथा साधनों को जुटाना ।
- आने वाले वर्षों में शिक्षा की मात्रात्मक तथा गुणात्मक माँग का पूर्वानुमान करना तथा उन मांगों को पूरा करने की पहले से ही तैयारी करना ।
- गंभीरतापूर्वक शैक्षिक विकास के उद्देश्यों को परिभाषित करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम बनाना ।
- देश की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना ।
- देश की आर्थिक प्रगति होने तथा आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से शिक्षा का योगदान निश्चित करना।
- देश की सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व साहित्यिक प्रगति में शिक्षा की भूमिका निर्धारित करना व इसकी प्राप्ति हेतु दिशा को निर्धारित करना।
- शिक्षा में अवसरों की समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा सुलभ कराकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ।
- देश की शैक्षणिक आवश्यकताओं के आधार पर संसाधनों को उपलब्ध कराना तथा इसके प्रचार प्रसार हेतु निश्चित योजना तैयार करना तथा उत्पन्न विरोधाभास को दूर करना ।
- देश के मानव संसाधनों का व्यवस्थित रूप से विकास करना ताकि वे राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।
- शैक्षिक विकास हेतु देश के वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण कर मल्यांकन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार उनमें सुधार करना

- क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करके सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भारत में एक प्रमुख लक्ष्य रहा है।

1.6 शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता

- शिक्षा के विकास में मानवीय साधनों अथवा कर्मचारियों का उपयुक्त प्रयोग कर सकना जिससे शिक्षा विकास की ओर उन्मुख हो सके।
- शिक्षा विकास हेतु मानव की सृजनात्मक शक्ति, आलोचनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक अभिरुचियों का प्रयोग करके कला, साहित्य, विज्ञान एवं संस्कृति का विकास करना जिससे व्यक्ति और समाज दोनों ही एक साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें।
- शिक्षा में संख्यात्मक विकास के साथ ही गुणात्मक विकास करना, जिससे सही व्यक्ति को सही शिक्षा मिल सके।
- उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक साधनों तथा सामग्री का शिक्षा विकास हेतु प्रयोग कर सकना जिससे उनका अपव्यय न हो।
- शिक्षा के प्रत्येक स्तर में विकास की दृष्टि से संतुलन बनाए रखना जिससे सभी स्तरों पर शिक्षा अवसरों की समानता के आधार पर दी जा सके।
- राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए शैक्षिक नियोजन पर गंभीर रूप से विचार करना जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास किया जा सके।
- समाज की आकांक्षाओं, परम्पराओं तथा आदर्शों को संरक्षण मिलना जिससे भारतीय विकास की कल्पना को साकार रूप दिया जा सके।
- आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व प्रदान कर सकना जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास किया जा सके।
- देश में व्याप्त समूची शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान जिससे उसमें क्रमबद्धता, व्यवस्था तथा तारतम्यता लाई जा सके।
- यह शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन में सुधार शामिल है। इस प्रकार शैक्षिक नियोजन राष्ट्र के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

1.7 शैक्षिक नियोजन की सार्थकता

शैक्षिक नियोजन, शिक्षा प्रणाली की दिशा, क्षमता और प्रभाविकता को बनाने में बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक नियोजन को ज़रूरी क्यों माना जाता है? इसके कुछ खास कारण यहां दिए गए हैं। नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पहले से तय किया जाता है कि क्या करना है? कैसे करना है? कब करना है? और किसके द्वारा करना है? इसकी अहमियत दिशा देने, रिस्क कम करने और संसाधन का सही इस्तेमाल करने में है। यह लोगों और संगठन को साफ़ लक्ष्य तय करने, बर्बादी से बचने के लिए कोशिशों को कोऑर्डिनेट करने और विकल्पों का मूल्यांकन करके और आपके प्रदर्शन नियंत्रण के लिए मानक तय करके बेहतर फ़ैसले लेने में मदद करता है । शैक्षिक नियोजन की उपयोगिता बहुआयामी है और यह शिक्षा प्रणाली को दिशा देने, संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शैक्षिक नियोजन समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। शैक्षिक नियोजन से प्राप्त होने वाले लाभ प्रत्यक्ष नहीं होते, अपितु भविष्य में प्राप्त होते हैं। शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया मात्र शैक्षिक प्रसार तक ही सीमित नहीं होती अपितु उसमें शिक्षित वर्ग का उत्पादक व्यवसायों में सही ढंग से प्रयोग करने का प्रावधान भी होता है।

शैक्षणिक नियोजन का उद्देश्य एक कुशल, न्यायसंगत और प्रासंगिक शैक्षिक प्रणाली का निर्माण करना है जो व्यक्तियों और समाज दोनों की जरूरतों को पूरा करती है। शैक्षिक नियोजन की सार्थकता निम्नलिखित हैं-

- **संसाधनों का समुचित उपयोग**- यह उपलब्ध मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधनों (जैसे- स्कूल भवन, शिक्षक, बजट) का अधिकतम और क्रमबद्ध उपयोग सुनिश्चित करता है, जिससे बर्बादी रुकती है।
- **लक्ष्य प्राप्ति**: यह स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है और उन्हें एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना बनाता है।
- **आर्थिक विकास में सहायक**- शैक्षिक नियोजन देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के अनुसार शिक्षा नीति तैयार करने में मदद करता है, जिससे कुशल मानव संसाधन विकसित होते हैं और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।
- **भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान**- यह भविष्य में होने वाले तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों का अनुमान लगाकर शिक्षा प्रणाली को उनके अनुसार ढालने में सहायता करता है, ताकि समाज की बदलती जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- **गुणात्मक सुधार**- नियोजन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार शामिल है।
- **समान अवसर**- यह समाज में सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों, तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने और जातिगत असमानताओं को कम करने में मदद करता है, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।
- **समस्या-समाधान**- यह शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली समस्याओं (जैसे- ड्रॉपआउट दर, शिक्षकों की कमी) की पहचान करने और उनके प्रभावी समाधान खोजने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- **समानता और पहुंच:** शैक्षिक नियोजन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षा के अवसर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों तक समान रूप से पहुँचें।
- **आर्थिक विकास से जुड़ाव:** यह शिक्षा को देश की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं से जोड़ता है। नियोजन के द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है जो राष्ट्रीय विकास और तकनीकी प्रगति में सहायक होती है।
- **भविष्य की चुनौतियों का समाधान:** यह भविष्य में होने वाले परिवर्तनों, जैसे जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी विकास, और बदलती बाजार की जरूरतों का अनुमान लगाने और उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली को ढालने में सक्षम बनाता है.
- **व्यवस्थित निर्णय-प्रक्रिया:** शैक्षिक नियोजन महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित आधार प्रदान करता है।
- **बाल-केंद्रित शिक्षा:** यह व्यक्तिगत भिन्नताओं और छात्रों की जरूरतों के आधार पर शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनती है।
- **छात्रों और समाज के अनुरूप विकास:** यह छात्रों के व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करे।
- **संसाधनों का अनुकूलन:** यह योजना बनाने में मदद करता है कि उपलब्ध संसाधनों (जैसे पैसा, समय और मानव शक्ति) का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए।
- **लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण:** यह शिक्षण और सीखने के लिए स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है, जिससे छात्रों के लिए एक दिशा मिलती है।
- **लचीलापन और अनुकूलन:** यह अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए लचीलापन प्रदान करता है और मूल्यांकन के माध्यम से रणनीतियों में सुधार की अनुमति देता है।
- **व्यावसायिक विकास:** यह शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को भी सक्षम बनाता है, जिससे वे अपनी शिक्षण विधियों को बेहतर बना सकें।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न –

5. **शैक्षिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखिए।**
6. **शैक्षिक नियोजन ------निर्णय-प्रक्रिया है**
7. शिक्षा में संख्यात्मक विकास के साथ ही ---------- विकास करना।

1.8 सारांश

प्रस्तुत ईकाई में आपने शैक्षिक नियोजन का अर्थ उसकी विशेषताएं के विषय में जाना तथा उसके महत्व को समझा की उचित शैक्षिक नियोजन के द्वारा हम छात्रों की अकादमिक उपलब्धि को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, आदर्श और मूल्यों की प्राप्ति और विकास होता है। यह एक व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रगति को सहायक बनाने की प्रक्रिया होती है जो उन्हें उनके जीवन में एक सकारात्मक योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। अतः शिक्षा को प्रभावी बनाने

हेतु शैक्षणिक कार्यों को अथवा गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने में उचित शैक्षिक नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इसी क्रम में हमने शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता एवं सार्थकता के विषय में अध्ययन किया तथा यह जाना की शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण क्या होते हैं ? उनका क्रम क्या होता है ? किस प्रकार से शैक्षिक नियोजन किया जाए। जिससे यह निष्कर्ष निकला कि शैक्षिक नियोजन का अर्थ शैक्षिक कार्यो को ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामान का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके, शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग इस प्रकार करना है कि एक निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

1.9 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर

1. क्रियान्वित योजना
2. 1950 ई.
3. ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी
4. आर्थिक नियोजन
5. शिक्षा का विकास करने हेतु एक निश्चित दिशा निर्धारित करना तथा साधनों को जुटाना।

   आने वाले वर्षों में शिक्षा की मात्रात्मक तथा गुणात्मक माँग का पूर्वानुमान करना तथा उन मांगों को पूरा करने की पहले से ही तैयारी करना।
6. व्यवस्थित
7. गुणात्मक

1.10 **सन्दर्भ ग्रंथ सूची**

1. ओड़, एल.के. (संपादक) (2008), शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
2. 3. भटनागर, आर० पी० एवं अग्रवाल, विद्या (1998), शैक्षिक प्रशासन, लायल बुक डिपो, मेरठ।
3. वर्मा, जे० पी० (2007), शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
4. सिंह, आर. पी. (2010), शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
5. शर्मा, प्रतिष्ठा (2009), शैक्षिक प्रबंध एवं विद्यालय संगठन, साहित्य प्रकाशन, आगरा
6. शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन,BAED 302,उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय

7. Mukherji, S.N. (1970). Administration of Education, Planning and Finance. Baroda: Acharya Book Depot.
8. https://www.niepa.ac.in/
9. https://sarkariguider.com/shaikshik-niyojan-kya-hai/
10. https://inee.org/collections/education-planning

1.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. शैक्षिक नियोजन से क्या तात्पर्य है? किसी विद्यालय के समुचित विकास में शैक्षिक नियोजन की क्या भूमिका होती है स्पष्ट कीजिये?
2. शैक्षिक नियोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए? शैक्षिक नियोजन, शैक्षणिक कार्यक्रम के किस-किस भाग में नियोजन का कार्य करती है?
3. शैक्षिक नियोजन की क्या-2 आवश्यकता है? एक विद्यालय के संदर्भ में शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता की विवेचना कीजिये?
4. शैक्षिक नियोजन की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए।

ईकाई -2 शैक्षिक नियोजन : सूक्ष्म स्तर एवं वृहद स्तर (व्यापक), सूक्ष्म एवं वृहद स्तर के नियोजन के गुण एवं दोष ।

Unit 2. Educational Planning: Micro Level and Macro level, advantages and disadvantages of Micro and Macro Level planning

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व

2.4 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं

2.5 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन का प्रभावी क्रियान्वयन

2.6 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन के लाभ

2.7 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन की सीमाएँ

2.8 वृहद (व्यापक) स्तर के शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व

2.9 वृहद स्तर के शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया

2.10 वृहद स्तर के शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं

2.11 वृहद स्तर के शैक्षिक नियोजन का लाभ

2.12 वृहद स्तर के शैक्षिक नियोजन की सीमाएँ

2.13 सारांश

2.14 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर

2.15 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

2.16 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1प्रस्तावना

किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं सुनियोजित रूप से करने के लिए हम उसकी योजना बनाते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित क्रम का निर्धारण करते हैं । ताकि कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादित किया जा सके । इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी पाठ्यक्रम, शिक्षण की विधियों, मूल्यांकन आदि के लिए भी नियोजित तरीके से कार्य करना आवश्यक है, शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षण विधि क्या होगी ? शिक्षण कार्य कौन करेगा ? पाठ्यक्रम में क्या-क्या समाहित किया जाए आदि इन सभी बिंदुओं को नियोजित तरीके से करना अनिवार्य है। यदि शिक्षा

की गुणवत्ता उन्नत होगी तो राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा अतः शिक्षा का उचित नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं, कि नियोजन को छोटे स्तर से शुरु करके बड़े स्तर तक किया जाता है। प्रस्तुत ईकाई में हम सूक्ष्म एवं वृहद स्तर पर शैक्षिक नियोजन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के उपरांत आप-

- सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन का अर्थ समझ पाएंगे।
- सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन के लाभ समझ सकेंगे ।
- वृहद स्तर के शैक्षिक नियोजन का अर्थ समझ सकेंगे।
- वृहद स्तर के शैक्षिक नियोजन के लाभ समझ सकेंगे।

2.3 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व

'सूक्ष्म' शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, छोटा अर्थात सूक्ष्म स्तर के नियोजन का अर्थ हुआ छोटे स्तर पर अतः अगर हम सूक्ष्म शैक्षिक नियोजन की बात करें तो इसका अर्थ हुआ की शिक्षा में छोटे स्तर पर किया जाने वाला नियोजन इस प्रकार के नियोजन में जो भी बातें आएंगी वो सूक्ष्म स्तर की होंगी। इस प्रकार का शैक्षिक नियोजन शिक्षा की निम्नतम ईकाई से शुरू होता है। अतः सूक्ष्म शैक्षिक नियोजन का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में छोटे और विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना। इसमें शिक्षा के समस्त पहलुओं जैसे कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति ,मूल्यांकन ,और संसाधनों का उपयोग करके छात्रों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है।

शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन क्या है? शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें छात्रों की सहभागिता और सीखने को अधिकतम करने के लिए विषय-वस्तु को छोटे, केंद्रित चरणों में प्रस्तुत किया जाता है। यह पारंपरिक पाठों को छोटी, इकाइयों में संक्षिप्त और अनुकूलित करने की एक विधि है। जिन्हें शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। सूचना के छोटे-छोटे अंशों की समीक्षा और पुनरावृत्ति करने की क्षमता, जिससे ज्ञान की बेहतर अवधारणा को प्रस्तुत किया जा सके। यह शैक्षिक योजना की एक प्रक्रिया है जो किसी स्थानीय क्षेत्र की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है।

शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन, छात्रों की सहभागिता को अधिकतम करने और सीखने की प्रक्रिया को अनुकूलित करने का एक सशक्त तरीका प्रदान करता है, जिससे शिक्षकों को शैक्षिक सफलता प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान साधन प्राप्त होता है। विषय-वस्तु को छोटे-छोटे चरणों में प्रस्तुत करके, सूक्ष्म नियोजन छात्रों की सहभागिता को बढ़ाता है और विभिन्न संदर्भों में सीखने के स्थानांतरण को बेहतर बनाता है। यह प्रभावी शिक्षण और सीखने के तरीकों को बढ़ावा देता है। व्यापक अर्थ में, सूक्ष्म-नियोजन उप-राष्ट्रीय स्तर पर सभी नियोजन गतिविधियों को समाहित करता है। अर्थात् क्षेत्रीय, स्थानीय और

संस्थागत। नियोजन भविष्य से जुड़ा होता है और इसका संबंध संसाधनों के संगठन और प्रबंधन से होता है, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति संभव हो सके। यह क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर किए गए नियोजन कार्य को सुदृढ़ करके शिक्षा प्रणाली के संचालन में सुधार की प्रक्रिया है। यह एक नियोजन प्रक्रिया है, जो स्थानीय विशेषताओं और आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है और स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करती है। सूक्ष्म-नियोजन शैक्षिक सेवाओं के वितरण में अधिक समानता, इन सेवाओं और स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल, और उपलब्ध संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित उद्देश्यों तक पहुँचने का प्रयास करता है। सूक्ष्म-नियोजन के लिए नियोजन प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है और यह भागीदारी स्थानीय स्तर पर नियोजित सुधारों की सफलता की कुंजी हो सकती है। शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन में छात्रों की सहभागिता और सीखने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए छोटी, केंद्रित अवधि में विषय-वस्तु प्रदान करना शामिल है। उदाहरण के लिए, शैक्षिक नियोजक यह तय कर सकते हैं कि किसी खास स्कूल को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। इस मामले में, शैक्षिक नियोजक स्कूल के साथ मिलकर यह तय करेगा कि किन अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है और उन संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसे- योजना किसी गाँव या शहर के एक छोटे क्षेत्र जिसमें चार या पाँच मुहल्ले शामिल होंगे, के लिए होगी। विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। योजना में शामिल समुदाय के सदस्यों की संख्या कम होगी तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सदस्यों की संख्या भी कम होगी। इस प्रकार सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि शिक्षा प्रणाली की एक छोटी इकाई के स्तर पर किया जानेवाला वो नियोजन जिसमें नियोजन के सारे तत्व अपेक्षाकृत छोटे या संख्या में कम हो जाते हैं, सूक्ष्म स्तर का नियोजन कहलाता है।

2.4 सूक्ष्म शैक्षिक स्तर के नियोजन की विशेषताएं

1. सूक्ष्म स्तरीय शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता ज्यादा होती है। अतः इसका क्रियान्वयन ज़्यादा सुचारु रुप से होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म स्तर पर बना शैक्षिक नियोजन क्रियान्वयन के लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है।
2. सूक्ष्म स्तर पर बना शैक्षिक नियोजन ज़्यादा संवेदनशील होता है परिणामस्वरुप स्थानीय आवश्यकताओं एवं समस्याओं के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होता है।
3. सूक्ष्म स्तर का शैक्षिक नियोजन स्थानीय प्रबंधन, एवं क्रियान्वयन तंत्र को, समुदाय के छोटे भाग के विशिष्ट एवं परिवर्तनशील आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सक्रिय करता है।
4. सूक्ष्मस्तरीय शैक्षिक नियोजन, योजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन के मध्य के समय अंतराल को निम्नतम करने का प्रयास करता है ताकि उद्देश्यों जिनके लिए योजना बनाई गई है, को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जा सके।
5. चूंकि सूक्ष्मस्तरीय शैक्षिक नियोजन में स्थानीय लोग योजना के क्रियान्वयन के प्रति दृढ़ संकल्प लिए रहते हैं। परिणामस्वरुप उपलब्ध संसाधनों की गतिशीलता को स्वतः बल मिलता है तथा

नए संसाधनों का स्वतः निर्माण भी होता है। इसके फलस्वरुप सरकार के ऊपर से बोझ कम होता है।

2.5 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन का प्रभावी क्रियान्वयन

शिक्षा में सूक्ष्म नियोजन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोसता और संवादात्मक शिक्षण विधियों के उपयोग पर जानबूझकर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सूक्ष्म पाठों को प्रभावशाली बनाने और सर्वोत्तम शिक्षण परिणामों को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। विषयवस्तु को इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह आसानी से समझ में आ जाए और उनके दैनिक अनुभवों से संबंधित हो। ठोस उदाहरणों, वास्तविक जीवन के परिदृश्यों और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का उपयोग करके, छात्र पढ़ाई जा रही जानकारी से बेहतर ढंग से जुड़ सकते हैं। यह ठोसता गहरी समझ और सीखने की प्रक्रिया में अधिक सहभागिता को बढ़ावा देती है। युनेस्को के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक "हैण्डबुक ऑन माइक्रो लेवल एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड मैनेजमेण्ट" में सूक्ष्म स्तर के नियोजन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है (युनेस्को, 1981)। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण सोपान हैं लेकिन ये सोपान एक-दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सोपान है-

1. नियोजन पूर्व क्रियाएँ
2. प्राथमिकता निर्धारण या योजना बनाना
3. कार्यक्रम निर्माण
4. परियोजना तैयार करना
5. योजना में प्रयुक्त संसाधनों की सहज उपलब्धता की जाँच
6. अनुप्रयोग
6. निरीक्षण एवं मूल्यांकन
7. सुधार एवं पुनर्समायोजन

1. नियोजन पूर्व क्रियाएँ

नियोजन पूर्व क्रियाओं से आशय योजना बनाने से पूर्व संपादित की जानेवाले क्रियाओं से होता है। शैक्षिक नियोजन करने से पूर्व भी कई महत्वपूर्ण क्रियाएँ संपादित करनी पड़ती हैं। इसमें स्थान विशेष, जिसके लिए योजना बनानी है, के लोगों की प्रत्याशा एवं शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करते हैं तथा वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति प्रचलन में है, उसका परीक्षण करते हैं। उस स्थान विशेष जिसके लिए योजना बनानी है में मौजूद प्रशासनिक संगठनों की उपयुक्तता, उनकी अंतर्क्रिया एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के साथ उनके संबंध की जाँच की जाती है। ये सारी क्रियाएँ योजना बनाने अर्थात् नियोजन से पूर्व की जाती हैं। अतः ये नियोजन के पूर्व की क्रियाएँ हैं।

2. **प्राथमिकता निर्धारण एवं योजना बनाना-** इस सोपान में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें शिक्षा की नीति को शिक्षा के प्रकार एवं स्तर के आधार पर अलग-अलग किया जाता है। सूक्ष्म नियोजन के प्रभावी कार्यान्वयन में इंटरैक्टिव शिक्षण विधियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इंटरैक्टिव विधियों में छात्रों की सक्रीय भागीदारी और संलग्नता शामिल होती है, जो उन्हें आलोचनात्मक रूप से सोचने, समस्याओं का समाधान करने और अपने ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। समूह चर्चा, व्यावहारिक प्रयोग, भूमिका-निर्वाह और मल्टीमीडिया प्रस्तुतियाँ जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियाँ छात्रों की समझ और विषयवस्तु की धारणा को बेहतर बना सकती हैं। ये विधियाँ एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देती हैं, आपस में ज्ञान को साझा करना और सहकर्मी-से-सहकर्मी संपर्क को बढ़ावा देती हैं।
3. **कार्यक्रम निर्माण-** इस सोपान पर नियोजन को छोटे-छोटे कार्य इकाइयों में विभाजित कर उनके लिए कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक इकाई को कार्य-इकाई या प्रोग्राम एरिया कहा जाता है। प्रत्येक कार्य इकाई के लिए योजना को लागू करने की नीति भी इसी स्तर पर बनाई जाती है। इसी स्तर पर प्रत्येक इकाई के लिए संसाधनों का विस्तृत ब्यौरा भी तैयार किया जाता है।
4. **परियोजना निर्माण-** कार्यक्रम निर्माण के बाद परियोजना बनाई जाती है अर्थात् छोटी-छोटी शैक्षिक कार्य-योजनाएँ बनाई जाती हैं और इन शैक्षिक कार्य योजनाओं के लिए, जो भी कार्य-कलाप तय होने हैं उसको निश्चित किया जाता है। इस स्तर पर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समुचित संस्थाओं की पहचान की जाती है। ये संस्थाएँ परियोजना को वास्तविक रुप से लागू या संपादित करने के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे- समय, वित्त तथा अन्य प्रकार के संसाधनों को भी इसी स्तर पर निर्धारित किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को भी इसी स्तर पर पहचाना जाता है और उन्हें दूर करने के उपायों की चर्चा भी की जाती है।
5. **योजना में प्रयुक्त संसाधनों की सहज उपलब्धता की जाँच-** परियोजनाओं के निर्माण के बाद सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन की अगली क्रिया योजना के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संसाधनों की सहज उपलब्धता की जाँच करनी होती है ताकि योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई न हो। इस स्तर पर प्रत्येक कार्यक्रम एवं परियोजना का अलग-अलग एवं एक साथ परीक्षण भी किया जाता है ताकि उनके बीच के अंतर्संबंधों तथा एक-दूसरे पर उनके प्रभाव की जाँच की जा सके। समय और संसाधनों के संदर्भ में जो संभावित विवाद हो सकते हैं, उनका अनुमान लगाया जा सके और उनके समाधान के विषय में सोचा जा सके। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद नियोजन कर यह सुनिश्चित करता है, कि योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है या नहीं।
6. **अनुप्रयोग या क्रियान्वयन-** संसाधनों की सहज उपलब्धता की जाँच तथा संसाधनों के आवंटन के बाद योजना का कार्यान्वयन शुरु हो जाता है। इस स्तर पर परियोजना के अलग-अलग कार्यों को संपादित करने के लिए संगठनात्मक संरचना तैयार की जाती है तथा विभिन्न संगठनों के बीच में संवाद स्थापित करने का कार्य भी इसी स्तर पर किया जाता है। सारे कार्य मूलतः प्रबंधन के द्वारा संपादित होते हैं। नियोजन कर्ता को सिर्फ ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रबंधन सारे कार्यों का उत्तरदायित्व बोध एवं दक्षता के साथ संपादित कर रहा है या नहीं।
7. **निरीक्षण एवं मूल्यांकन-** सूक्ष्म नियोजन में निरिक्षण एवं मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो छात्रों की प्रगति को मापने और मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जाँच

बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में, मूल्यांकन संक्षिप्त और लगातार होने चाहिए, जिससे शिक्षकों को अपने छात्रों की संक्षिप्त सामग्री की समझ का नियमित रूप से आकलन करने में मदद मिल सके। ये मूल्यांकन सीखने को सुदृढ़ करने और ज्ञान में किसी भी कमी की पहचान करने का एक तरीका हैं, जिसे आगे बढ़ने से पहले दूर करने की आवश्यकता हो सकती है

8. **सुधार एवं पुनर्समायोजन-** निरीक्षण एवं मूल्यांकन से प्राप्त पृष्ठपोषण के आधार पर योजना में आवश्यक सुधार किए जाते हैं।

2.6 सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन के लाभ

यह छात्रों की संलग्नता बढ़ाने, ज्ञान को बेहतर ढंग से धारण करने और प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूक्ष्म नियोजन, छात्रों के अधिगम को अधिकतम करने के लिए पारंपरिक पाठों को छोटी, केंद्रित इकाइयों में विभाजित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। विषयवस्तु को छोटे-छोटे खंडों में प्रस्तुत करके, शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और उसे बनाए रख सकते हैं, जिससे अधिगम अधिक संवादात्मक और आनंददायक बन जाता है।

- सूक्ष्म नियोजन का एक प्रमुख लाभ यह है, कि यह छात्रों की सहभागिता को बढ़ाता है। जानकारी को छोटे-छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करने से, छात्रों के ध्यान केंद्रित करने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रीय रूप से भाग लेने की संभावना बढ़ जाती है। सूक्ष्म पाठ संक्षिप्त और लक्षित होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र पढ़ाई जा रही प्रमुख अवधारणाओं को आसानी से समझ और आत्मसात कर सकें।
- इसके अलावा, सूक्ष्म नियोजन ज्ञान धारण क्षमता को बढ़ाता है। विषय-वस्तु को छोटे-छोटे चरणों में प्रस्तुत करने से छात्रों को अपनी सीखी हुई बातों की समीक्षा करने और उसे सुदृढ़ करने के अधिक अवसर मिलते हैं। यह पुनरावृत्ति उनकी समझ को मज़बूत करती है और जानकारी को उनकी दीर्घकालिक स्मृति में समाहित करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म नियोजन नियमित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे छात्रों को तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है और शिक्षकों को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है जहाँ और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।
- एक अच्छी तरह से नियोजित की गई शिक्षा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है, कि सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले और वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच सकें। शैक्षिक नियोजन से उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलती है जहाँ छात्रों को सबसे अच्छी शिक्षा देने के लिए सुधार करने की ज़रूरत है।
- सूक्ष्म नियोजन प्रभावी शिक्षण और अधिगम विधियों को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। यह शिक्षकों को अपने छात्रों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अपने पाठों को ढालने में सक्षम बनाता है। पाठों को छोटी इकाइयों में संक्षिप्त करके, शिक्षक पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो और खेल

जैसे- विविध स्वरूपों में सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। यह बहु-विधात्मक दृष्टिकोण विभिन्न शिक्षण शैलियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र सामग्री से प्रभावी ढंग से जुड़ सकें।

2.7 सूक्ष्म शैक्षिक स्तर के नियोजन की सीमाएँ -

1. चूंकि विकासशील राष्ट्रों में साक्षरता दर बहुत कम होती है परिणामस्वरुप लोगों को सूक्ष्मस्तरीय शैक्षिक नियोजन के विषय में जानकारी नहीं होती है। अतः उनकी सहभागिता इस प्रकार के नियोजनों में शून्य या नगण्य हो जाती है।
2. इस बात की भी संभावना होती है कि सूक्ष्मस्तरीय शैक्षिक नियोजन वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य एवं शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों की ओर से अपना ध्यान हटा ले।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त स्थानीय राजनीति सूक्ष्म स्तरीय शैक्षिक नियोजन को कुप्रभावित करती है।
4. सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की मात्रा एवं क्रियान्वयन योजना में शामिल स्थानीय लोगों की दक्षता एवं कुशलता पर निर्भर करती है। अतः योजना के प्रगति की दर स्थान-स्थान पर अलग-अलग होती है जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है।
5. सूक्ष्मस्तरीय शैक्षिक नियोजन के लिए नियोजनकर्ता को बहुत दक्ष होना चाहिए लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता है, जिसके फलस्वरुप योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

1. "हैण्डबुक ऑन माइक्रो लेवल एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड मैनेजमेण्ट" का प्रकाशन युनेस्को द्वारा..... वर्ष में किया गया।
2. सूक्ष्म स्तरीय शैक्षिक नियोजन में.. .... आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
3. योजना से पूर्व संपादित की जानेवाली क्रियाएँ------ पूर्व क्रियाएं कहलाती हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त राजनीति का सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन के क्रियान्वयन पर....... प्रभाव पड़ता है।
5. सूक्ष्म स्तर के शैक्षिक नियोजन के अंतिम सोपान पर........... एवं पुनर्समायोजन किया जाता है।

2.8 वृहद (व्यापक) स्तरीय शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं महत्व

व्यापक शब्द से आशय बड़े या विस्तृत से है। नियोजन के संदर्भ में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ योजना निर्माण की उस प्रक्रिया से होता है, जिसमें योजना में शामिल सारे तत्व परिमाण में विस्तृत हो जाते हैं। अर्थात् इस स्तर का नियोजन बड़े क्षेत्र के लिए व्यापक उद्देश्यों के साथ किया जाता है। व्यापक स्तर पर शैक्षिक नियोजन का जन्म बहुत पुरानी घटना नहीं है। यह शिक्षा के अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक नया संप्रत्यय है, जिसका जन्म द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद हुआ। वर्तमान में कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी देशों ने इसे अपना लिया है और सभी के पास शिक्षा के क्षेत्र में कोई न कोई योजना है। भारत के संदर्भ में व्यापक स्तरीय शैक्षिक नियोजन की शुरुआत सन् 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरुआत के साथ मानी जाती है। वृहद या व्यापक स्तरीय शैक्षिक नियोजन व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की बात करता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, व्यापक या वृहद स्तरीय शैक्षिक नियोजन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।

व्यापक स्तर पर शैक्षिक नियोजन एक तर्कसंगत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो शिक्षा को समाज और छात्रों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए की जाती है, जिसमें स्कूलों का स्थान तय करना, पाठ्यक्रम विकसित करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना शामिल है, ताकि सभी छात्रों को समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके. यह नीति निर्माण, बजटीय आवंटन और स्कूल-आधारित सुधारों को एकीकृत करता है, ताकि शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक विकास हो सके और नागरिकता व सामाजिक लाभ बढ़े।

वृहद या व्यापक स्तरीय शैक्षिक नियोजन एक दीर्घकालीन नियोजन है जिसके अंतर्गत योजना में शामिल सभी तत्व परिमाण में विस्तृत हो जाते हैं तथा पूरा शिक्षा तंत्र इसमे शामिल होता है। उदाहरणार्थ सर्व शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा का निजीकरण, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, आदि।

व्यापक नियोजन , शिक्षा में विषय के सम्पूर्ण लक्ष्यों, पाठ्यवस्तु और उदेश्य को आकार देती है।

यह नियोजन के बड़े स्तर पर फोकस करती है, और सीखने की गतिविधियों को शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ जोड़ती है । व्यापक नियोजन से एक बड़ा नज़रिया मिलता है और समय का ज़्यादा असरदार तरीके से इस्तेमाल होता है, शिक्षा में व्यापक और सूक्ष्म नियोजन दोनों ज़रूरी हैं, जिसमें व्यापक नियोजन दिशा और लक्ष्य तय करती है। सूक्ष्म नियोजन उन खास चरणों और गतिविधियों की रूपरेखा बताती है जो व्यापक नियोजन में तय किए गए बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए ज़रूरी हैं।

2.9 वृहद (व्यापक) स्तरीय शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया

व्यापक या वृहद स्तरीय शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया के सोपान हैं-

1. वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य का परीक्षण
2. अतीत के शैक्षिक योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों का सर्वेक्षण
3. मुख्य शैक्षिक प्रवृतियों का प्रक्षेपण
4. योजना निर्माण
5. योजना का अनुप्रयोग

1. वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य का परीक्षण

शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया का यह प्रथम सोपान है। इस सोपान पर नियोजनकर्ता वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य का परीक्षण करता है ताकि योजना निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़ों की प्राप्ति हो जाए। इसके अंतर्गत नियोजनकर्ता जनसंख्या एवं शिक्षा संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करता है। उपलब्ध शैक्षिक संस्थानों की संख्या सुनिधित करता है। पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, विद्यालय भवनों की संख्या एवं उनके क्षेत्र, आवश्यक उपकरण, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। ये सारी जानकारी योजना निर्माण के लिए बुनियादी तत्व है।

2. अतीत के शैक्षिक योजनाओं ,कार्यक्रमों एवं नीतियों का सर्वेक्षण

एक अच्छी योजना इस बात पर निर्भर करती है कि उसके निर्माण से पहले अतीत में बने शैक्षिक योजनाओं, कार्यक्रमों, एवं नीतियों का कितना सर्वेक्षण किया गया है। अतः इस सोपान पर शैक्षिक नियोजनकर्ता योजना से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करता है ताकि पूर्व में अनुप्रयुक्त योजना की सफलता एवं असफलता के विषय में जानकारी मिल जाए। यदि योजना असफल थी तो असफलता के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति से बचा जा सके। योजना के अनुप्रयोग में आई समस्याओं से परिचित हुआ जा सके।

3. **मुख्य शैक्षिक प्रवृत्तियों का प्रक्षेपण-** इस सोपान पर नियोजनकर्ता विभिन्न शैक्षिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। वर्तमान शैक्षिक प्रवृत्तियों के आधार पर वह भविष्य की शैक्षिक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाता है। अर्थात वह इस बात का पूर्वानुमान करता है कि भविष्य में मानव शक्ति की कितनी आवश्यकता होगी और उसकी दिशा क्या होगी? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्यादा मानव शक्ति की आवश्यकता होगी या चिकित्सा के क्षेत्र में, आदि बातों का पूर्वानुमान लगाया जाता है ताकि योजना के निर्माण में इस तथ्य का ध्यान रखा जा सके।
4. **योजना निर्माण-** विभिन्न शैक्षिक प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान करने के बाद योजना का निर्माण किया जाता है। इस सोपान में योजना में शामिल होने वाले सारे तत्वों को वरीयता क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठनों की सूची बनाई जाती है तथा प्रत्येक संगठन के कार्यों की भी सूची बनाई जाती है। योजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों का आवंटन भी इसी सोपान पर किया जाता है। सबसे अंत में सारे संगठनों जो कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजना से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी प्रदान की जाती है।
5. **योजना का क्रियान्वयन -** योजना के निर्माण के बाद उसका क्रियान्वयन योजना निर्माण की प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। क्रियान्वयन प्रबंधन के स्तर पर होता है। नियोजनकर्ता को सिर्फ निरीक्षण करना होता है, कि क्रियान्वयन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं। इस प्रकार वृहद शैक्षिक योजना को क्रियान्वित किया जाता है।

2.10 व्यापक (वृहद) स्तरीय शैक्षिक नियोजन की विशेषताएँ

- इस प्रकार के नियोजन में वैधिक शैक्षिक परिदृश्य को भी ध्यान में रखा जाता है फलस्वरुप योजना की प्रभावपूर्णता ज्यादा सुनिश्चित हो जाती है।
- स्थानीय लोगों की सहभागिता बहुत ही कम होती है, फलस्वरुप योजना के सफलता की मात्रा में असंतुलन, जिसका कारण स्थानीय लोगों की कुशलता एवं दक्षता की स्थान-स्थान पर बदलती मात्रा है, की संभावना कम हो जाती है।
- स्थानीय राजनीति के प्रभाव से मुक्त होती है।
- योजना निर्माण से पहले अतीत की योजनाओं का सर्वेक्षण किया जाता है। इससे पूर्व में हुई गलतियों के पुनरावृत्ति होने की संभावना कम हो जाती है और योजना के सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

2.11 शिक्षा में वृहद (व्यापक) नियोजन के लाभ -

- **राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल**: शिक्षा में व्यापक नियोजन यह पक्का करती है, कि पाठ्यक्रम विकास बड़े शैक्षिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। यह तालमेल किसी देश की शिक्षा प्रणाली की कुल प्रगति और उन्नति में मदद करता है।
- **संसाधनों का बेहतर बंटवारा:** शिक्षा की कुल ज़रूरतों और लक्ष्यों पर विचार करके, व्यापक नियोजन पाठ्य सामग्री , शिक्षण सहायक सामग्री और तकनीकी जैसे संसाधनों के बंटवारे के बारे में सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करती है। यह पक्का करता है कि संसाधन सही और असरदार तरीके से बांटे जाएं।
- **सहयोग और तालमेल को बढ़ावा:** व्यापक नियोजन में कई हितधारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक, पॉलिसी बनाने वाले और प्रशासक शामिल हैं, जो उनके बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देते हैं। यह टीम वर्क व्यापक शैक्षिक नियोजन को असरदार तरीके से लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है।

इस प्रकार , शिक्षा में व्यापक नियोजन पाठ्यक्रम विकास के लिए ज़रूरी है और इसका छात्रों के सीखने के नतीजों और पढ़ाने की प्रभाविकता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। साफ लक्ष्य तय करके, संसाधनों के बंटवारे को बेहतर बनाकर, और सहयोग को बढ़ावा देकर, व्यापक नियोजन एक उद्देश्य पूर्ण और कुशल शिक्षा प्रणाली को पक्का करती है जो राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो । व्यापक नियोजन की रणनीतियों को अपनाने से छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक वातावरण बन जाता है।

2.12 व्यापक (वृहद) स्तरीय शैक्षिक नियोजन की सीमाएँ

- चूंकि योजना दीर्घकालीन होती है अतः इसका समय-समय पर निरीक्षण होना आवश्यक है ताकि इसके प्रभाव को देखा जा सके और यदि इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे किया जा सके। लेकिन व्यवहार में ऐसा बहुत कम होता है। अतः योजना की सफलता प्रभावित होती है।
- संसाधनों की कमी के कारण भी योजना की सफलता प्रभावित होती है। योजना व्यापक उद्देश्यों को समाहित किए हुए होती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये संसाधन विशेषतः आर्थिक संसाधन सुमचित स्थान पर या समुचित विभाग के पास नहीं पहुँच पाता है जिसके फलस्वरुप योजना प्रभावित होती है।
- योजना के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों के मध्य समुचित समन्वय का अभाव होता है। यह भी योजना की सफलता को प्रभावित करता है।

2.13 सारांश

प्रस्तुत ईकाई में आपने शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन का अर्थ ,विशेषताओं और उसके महत्व को जाना। शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । शिक्षा प्रणाली में सूक्ष्म नियोजन रोज़ाना की गतिविधि कक्षा-कक्ष निर्देश, टीचर ट्रेनिंग, छात्रों का आंकलन और शिक्षा के अन्य पहलुओं पर ध्यान देती है। वृहद शैक्षिक नियोजन अर्थात् इस स्तर का नियोजन बड़े क्षेत्र के लिए व्यापक उद्देश्यों के साथ किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभावी शिक्षा व्यवस्था हेतु शैक्षिक सूक्ष्म नियोजन तथा वृहद शैक्षिक नियोजन दोनों अत्यंत आवश्यक हैं ।

2.14 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर

1. युनेस्को, 1981
2. स्थानीय
3. नियोजन पूर्व क्रियाओं
4. नकारात्मक
5. सुधार

2.15 सन्दर्भ ग्रंथ सूची

11. ओड़, एल.के. (संपादक) (2008), शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
12. भटनागर, आर० पी० एवं अग्रवाल, विद्या (1998), शैक्षिक प्रशासन, लायल बुक डिपो, मेरठ।

13. वर्मा, जे० पी० (2007), शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
14. सिंह, आर. पी. (2010), शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
15. शर्मा, प्रतिष्ठा (2009), शैक्षिक प्रबंध एवं विद्यालय संगठन, साहित्य प्रकाशन, आगरा
16. शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन,BAED 302,उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय
17. https://exquisitiveeducation.com/what-is-micro-planning-in-education/
18. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/30697/1/Unit-12.pdf
19. https://pria.org/knowledge_resource/Suksham_Striye_Niyojan_Micro_Plainning.pdf

2.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सूक्ष्म शैक्षिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए।
2. सूक्ष्म शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता एव महत्व को स्पष्ट कीजिए।
3. सूक्ष्म शैक्षिक नियोजन के लाभ लिखिए।
4. वृहद शैक्षिक नियोजन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं एवं सीमाएँ लिखिए।
5. सूक्ष्म शैक्षिक नियोजन एवं वृहद शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए।

Unit 3. Educational planning: Short & long term planning-advantages and disadvantages of short term and long term planning.

इकाई 3. शैक्षिक योजना: लघु एवं दीर्घकालिक योजना-अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजना के लाभ एवं हानियाँ।

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 शैक्षिक योजना
3.4 अल्पकालिक योजना
3.5 दीर्घकालिक योजना
3.6 अल्पकालीन योजना के लाभ एवं हानियाँ
3.7 दीर्घ कालीन योजना के लाभ एवं हानियाँ
3.8 सारांश
3.9 संदर्भ ग्रन्थ
3.10 अभ्यास हेतु प्रश्न

3.1 प्रस्तावना-

मनुष्य अपने जीवन में बहुत से कार्यों को योजनाबद्द तरीके से करता आया है और इसके परिणामस्वरूप इन सभी कार्यों में सामान्यतया उसे सफलता प्राप्त होती रही है। यदि हम अपने जीवन के कार्यों को योजनाबद्द तरीके से करते हैं तो उन कार्यों की सफलता पूर्वक संपन्न होने के अवसर बढ़ जाते हैं चाहे ये कार्य साधारण हों या विशेष। शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा प्राप्त करने में लग जाता है, इसलिए शैक्षिक योजना का होना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। शैक्षिक योजना, शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है या हम यूँ कह सकते हैं कि शैक्षिक योजना शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की रूप रेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी हम एक दीर्घकालीन शैक्षिक योजना कह सकते हैं जिसके क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति में लम्बी अवधि की आवश्यकता हो सकती है। शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत शैक्षिक अवसरों का विकास, पाठ्यचर्या का विकास शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का नियोजन अथवा नियुक्ति करना तथा शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता की योजना आदि पर ध्यान देने की ओर इसारा करती है। शैक्षिक योजना दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों प्रकार के हो सकती हैं ये सब योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने की समयावधि पर निर्भर करता है कि लक्ष्य अल्पकाल के लिए बनाये जांय अथवा दीर्घ काल के लिए। वर्तमान परिदृश्य को देखें तो

समृद्धशाली देशों में शिक्षा की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर देशों की तुलना में बहुत आगे है इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए आर्थिक योजना बनाना आवश्यक है इसी कारण आज लगभग सभी राष्ट्र अपने वार्षिक बजट में शिक्षा के लिए अलग से धन आवंटित करते हैं जिससे की शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। योजना बनाना समस्याओं का तार्किक हल ढूँढना है और साथ ही लक्ष्यों और साधनों में समन्वय प्राप्त करने का भी है । योजना बनाना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है । उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाये जाते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति योजनाओं की उचित प्रकार से क्रियान्वयन से ही हो सकती है।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- शैक्षिक योजना को परिभाषित कर सकेंगे।
- शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत अल्पकालिक योजना को समझ पायेंगे।
- अल्पकालीन योजनाओं एवं दीर्घकालीन योजनाओं में अंतर स्पष्ट कर पायेंगे।
- शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत दीर्घकालिक योजनाओं की व्याख्या कर पायेंगे।
- अल्पकालीन योजना के लाभ बता पायेंगे।
- दीर्घकालीन योजनाओं के महत्व को समझ पायेंगे।

3.3 शैक्षिक योजना

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को भविष्य के लिए तैयार कराती है इसलिए शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का होना चहिये जो भावी समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं समस्याओं के समाधान की क्षमताओं को विकसित कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में बनायीं गयी योजनायें शैक्षिक योजना कहलाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र एक वृहद क्षेत्र है और किसी देश के विकास की नींव शिक्षा पर निर्भर करती है। जिस देश में शिक्षा का स्तर जितना अधिक होगा वहां विकास की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होती हैं। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक मजबूत योजना बनाने की आवश्यकता होती है। हमारे देश में शिक्षा को वर्तमान में 5+3+3+4 के पैटर्न में रखा गया है। और इसी योजना के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की योजनायें बनायीं गयी हैं। इन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित करने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि योजनाओं की सफलता उसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है । योजनाओं के आभाव में देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है। शैक्षिक योजनाके अर्थ को हम उन सब क्रियाओं के सन्दर्भ में समझ सकते हैं जो शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहन देनें के लिए सुनियोजित की जाती है । शैक्षिक योजनाओं के परिणामों की जानकारी काफी समय बाद लगती है ज्यादातर शैक्षिक योजनायें दीर्घकालीन होती हैं वहीं दूसरी और आर्थिक योजनाओं के परिणाम सामान्यतया शैक्षिक योजनाओं की तुलना में कम समय में दिखाई देते हैं । या हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक योजनायें शैक्षिक योजनाओं की तुलना में अल्पकालिक होती हैं । आर्थिक स्थिति

का अंदाजा प्रतिव्यक्ति आय से प्रत्येक वर्ष लगाया जा सकता है जबकि शिक्षा ग्रहण करने में किसी व्यक्ति को अधिक समय लगता है। शैक्षिक योजनाओं की सफलता के परिणाम के लिए हमें उस समय तक इन्जार करना पडता है जब तक की शिक्षार्थी विद्यालयों से निकलकर अपने अपने कार्य क्षेत्र से नहीं जुड़ जाता। शैक्षिक योजना औपचरिक अथवा अनौपचारिक हो सकती है ।

3.4 अल्पकालिक योजना

अल्पकालिक योजनायें वे योजनायें होती हैं जिनको क्रियान्वित करने की समयावधि लगभग एक वर्ष अथवा एक वर्ष से कम हो। इस प्रकार की योजना में ऐसे लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं अथवा रणनीतियां बनायीं जाती हैं जिनको अल्पकाल में प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार की योजना दैनिक कार्यों अथवा तत्काल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनायीं जाती है। इस प्रकार की योजनाओं में विशिष्ट कार्यों का समावेश किया जाता है विद्यालयों में शिक्षण कार्यों को पूर्ण करने के लिए और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक योजना बनायीं जाती हैं उदाहरण के लिए विद्यालयों में समय-सारणी, मासिक कार्य, त्रैमासिक कार्य, अर्दवार्षिक कार्य एवं वार्षिक कार्य आदि। विद्यालय प्रबंधन के साथ-साथ शिक्षकों को भी अल्पकालीन योजनाओं पर कार्य करना होता है जैसे उन्हें आने वाले सप्ताह में जिस-जिस कक्षा में शिक्षण करना है उस कक्षा में शिक्षण हेतु पाठ योजना तैयार करना, विद्यार्थियों की दैनिक प्रगति को जानने के लिए योजना बनाना, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कहाँ और कब करना है आदि।

अल्पकालिक योजना के लक्ष्य सीमित होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह लक्ष्य समय की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं यह केवल अल्प समय के लिए अर्थात् उसी वर्ष के लिए होता है, इसलिए जब हम अल्पकालिक योजना कहते हैं तो हमारा तातपर्य बहुधा एकवर्षीय योजना का ही होता है, जो पंचवर्षीय योजना के अथवा अल्पदीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत ही होता है, परन्तु इसके लक्ष्य और प्राथमिकतायें विभिन्न हो सकती हैं। भारत वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में अल्पकालिक योजना वार्षिक योजना के रूप में ही प्रचलित हैं। प्रत्येक संस्था, प्रत्येक विभाग ऐसा योजना बनता है ।

हमारी सरकार द्वारा भी शिक्षा एवं कौशल विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अल्पकालिक योजनायें चलायी जा रही हैं उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

सीखो एवं कमाओ योजना –यह योजना केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के आय के संसाधनों को बढ़ाने ,कौशल विकास एवं उनको रोजगार के अवसरों को बढाने के उद्देश्य से बनायी गई है।

सामुदायिक पौलिटेक्निक – इस योजना के अंतर्गत चयनित पोलिटेक्निक तीन से लेकर छ: महीने के स्थानीय क्षेत्र में व्यवसायिक कार्यक्रम चलाते हैं जिससे कि स्थानीय लोगों के कौशल विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बनते हैं ।

समग्र शिक्षा अभियान – समग्र शिक्षा अभियान विद्यालयी शिक्षा पर लागू होती है समग्र शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा को निरंतरता के रूप में देखना है और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिलक्षित शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG-4) को प्राप्त करना है।

उन्नत भारत अभियान – उन्नत भारत अभियान भारत सरकार द्वारा ग्रमीण क्षेत्रों हेतु प्रौद्योगिकी की समझ और ज्ञान के प्रसार के लिए चलाया गया है जिसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूप रेखा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है यह कौशल विकास, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है।

3.5 दीर्घकालिक योजना-

दीर्घ कालीन योजना उन योजनाओं को कहते हैं जिनमें ऐसे लक्ष्य परिलक्षित होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में सामान्यतया अधिक समय लगता है। इस प्रकार की योजनाओं में सामान्यतया दो या दो से अधिक वर्षों का समय लगता है इस प्रकार की योजनाओं में अधिक समय लग्ने का कारण यह है कि इन योजाओं का उद्देश्य समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। और समय-समय पर सफलता प्राप्त कर उस बनाये रखना है। दीर्घ कालिक शैक्षिक योजनाएं शिक्षा में सुधार और शिक्षा के विकास के लिए बनायीं जाती हैं। इस प्रकार की योजनाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता में सुधार और बच्चों की शिक्षा और विकास का समर्थन करने के लिए प्रभावी तरीकों को पहचानना शामिल है।दीर्घकालीन योजना लम्बी अवधि के लिए बनायी जाती है जिसके परिणाम भी दीर्घकालिक होते हैं। इस प्रकार की योजनाये भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से बनायीं जाती हैं और चरणबद्द तरीके से क्रियान्वित की जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र सरकार की एक दीर्घकालिक शिक्षा योजना है जो 1986 के बाद 34 वर्षों के अंतराल में धरातल पर आई । इस योजना के अंतर्गत शिक्षा में समग्र एवं समावेशन के साथ-साथ नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक विस्तृत रूप से कार्य-योजना तैयार की गई है। इससे यह भी समझा जा सकता है की दीर्घ कालिक योजना को बनाना और धरातल पर सफल रूप से क्रियान्वित करना और वांछित परिणाम प्राप्त करना योजना बनाने पर किये गये परिश्रम पर निर्भर करता है।

दीर्घकालिक योजना एक दीर्घ समय के लिए होती है दीर्घकालिक योजना बनाते समय पहला कार्य योजना को बनाने में किया जाता है। अर्थात योजना के उद्देश्यों को बनाने के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत उद्देश्यों को प्रस्तुत किया जाता है। दीर्घ कालिक योजना होने के कारण इस प्रकार की योजनाओं में राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान रखा जाता है। दीर्घकालिक योजना उद्देश्यों के निर्माण के बाद उदेश्यों को प्राप्त करने में प्रयोग में लाये जाने वाले संसाधनों एवं वित्त सम्बन्धी योजनायें बनायीं जाती हैं। योजना के लिए आवंटित किये जाने वाले धन का अनुमान लगाया जाता है और इस ओर भी ध्यान दिया जाता है कि, यदि साधन सीमित हैं तो साधनों को कैसे बढाया जाय यदि किसी कारण से संसाधनों को बढाया नहीं जा सकता तो किस प्रकार लक्ष्यों को सीमित किया जा सकता है इस पर भी कार्य करना होता है अर्थात रूपरेखा तैयर करणी होती है । दीर्घकालिक योजना में शिक्षा को एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया मानकर ही योजना बनायी जाती है। शिक्षा में प्रगति थोड़े समय में प्राप्त नहीं की जा सकती इसके लिए शिक्षा का विस्तार एक लम्बे काल तक होते रहना चाहिए। दीर्घकालिक योजना में जो साधन उपलब्ध हैं, उनका उचित तथा सावधानीपूर्वक उपयोग करने तथा साधनों की कमी की पूर्ति करने के लिए समय मिल जाता है। इसके अतिरिक्त योजना का मूल्यांकन भी समय-समय पर किया जा सकता है। और मूल्यांकन के अनुरूप योजना में संसोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

दीर्घकालिक योजनायें लचीली होनी चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि यह विचार नहीं करना चाहिए कि यदि योजना एक बार बना ली गयी हो तो इसके उद्देश्यों और कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। यह भी याद रखना चाहिए कि शैक्षिक योजना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत योग्यता एवं कुशलता में वृद्धि लाना नहीं है, वरन् इसका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य वांछित सामाजिक परिवर्तन लाना भी है।

शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ प्रमुख दीर्घ कालीन योजनायें बनायीं गयी जो निम्नलिखित हैं जिनका विवरण संक्षेप में दिया जा रहा है-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1968

कोठारी आयोग के 29 जून, 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लगभग 9 माह बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति को तीन कार्य सौंपे- पहला कोठारी आयोग के सुझावों पर गम्भीरता से विचार करना, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना और तीसरा प्राथमिकताओं के आधार पर उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना। इस संसद समिति ने कोठारी आयोग के सुझावों का गम्भीरता से अध्ययन किया और उसके बाद उसके सुझावों के बारे में अपना अभिमत सरकार को प्रस्तुत किया। समिति ने सर्वप्रथम शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल दिया। इसके बाद सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए आयोग द्वारा प्रस्तावित सामान्य विद्यालय (Common School) को पड़ौस विद्यालय (Neighbourhood School) के रूप में स्वीकार किया। समिति ने भाषा नीति, कार्यानुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान शिक्षा एवं शोध और शैक्षिक अवसरों की समानता पर विस्तार से विचार प्रकट किए और शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक सुधार (Qualitative Improvement) पर बल दिया। उसने केन्द्र और राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्व निश्चित किए और अन्त में प्राथमिकताओं के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। समिति की यह रिपोर्ट 1968 में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। संसद में इस पर लम्बी चर्चा हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अन्तिम रूप दिया गया। 24 जौलाई, 1968 को सरकार ने इसकी विधिवत् घोषणा की।जो कि तत्कालीन भारत सरकार की दीर्घकालीन योजना थी। जिसमे केन्द्रीय बजट का 6 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिए रखा जाने का प्रावधान किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 24 जौलाई, 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की घोषणा की गई और उसके कुछ दिन बाद। प्रान्तीय सरकारों से उसके अनुसार अपनी शिक्षा योजनाएँ बनाने का अनुरोध किया गया। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने अगले सत्र से अपने प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू कर दी, यह बात दूसरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की मूल भावना के अनुकूल नहीं की जा सकी थी। प्राथमिक शिक्षा। सार्वभौमिकरण और माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी कदम बढ़ाए गए। कुछ विश्वविद्यालयों पत्राचार पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत की। कुछ प्रान्तों में कृषि, व्यावसायिक, तकनीकी और इंजीनियति शिक्षा में भी प्रसार किया गया। परन्तु इस सबकी गति बहुत मन्द थी। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमते इन्दिरा गाँधी ने इस शिक्षा नीति को ईमानदारी से लागू करने पर अनेक बार बल दिया, परन्तु संसाधनं की कमी के कारण प्रान्तीय सरकारें इसे पूर्ण रूप में लागू नहीं कर सकी। तभी केन्द्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गया,

मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने। सत्ता सम्भालने के कुछ ही दिन बाद मोरारजी देसाई ने 10+2+3 के स्थान पर 8+4+3 की बात कही और प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की बात कही। जनता दल के सांसदों के अनुरोध पर तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री प्रतापचन्द्र चन्दर ने कुछ शिक्षाविदों और संसद सदस्यों के सहयोग से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की और अप्रैल, 1979 में उसकी घोषणा कर दी। यह शिक्षा नीति भी दीर्घ कालीन शिक्षा नीति थी।

नई शिक्षा नीति -1986

श्रीमती इंदिरा गाँधी की मृत्यू के पश्चात राजीव गाँधी प्रधानमंत्री बने और शिक्षा के क्षेत्र में उनहोंने कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने से असमर्थ है। अत: शिक्षा का पुन निरिक्षण एवं पुनर्गठन होना चाहिए ।इस बार न तो किसी आयोग का गठन किया गया और ना ही किसी समिति का । सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे शिक्षा की चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenge of Education - A Policy Perspective) नाम से अगस्त, 1983 में प्रकाशित किया । केन्द्रीय सरकार ने देश भर से आये सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन, 1986 में प्रस्तुत किया एवं इसे 1986 में ही प्रकाशित किया गया । इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इनकी कार्य योजना (Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया । यह भारत की ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमे नीति के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की भी पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई और साथ ही उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गये। अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र, औपरेसन ब्लैक बोर्ड, 10+2+3 शिक्षा आदि इसी शिक्षा नीति की देन हैं।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (NCF) 2000, 2005 और 2012

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और उसमें आवश्यक संशोधन किए जाएँगे। दूसरी तरफ 1992 केन्द्रीय सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की घोषणा की । अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की घोषणा के अनुपालन और संशोधित राष्ट्र शिक्षा नीति 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यकां तैयार करने का प्रश्न था। उसने इस बार प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की संशोधित आधारभूत पाठ्यचर्या क कुछ नया रूप दिया और उसे नवम्बर, 2000 में प्रकाशित किया। जिसे NCF-2000 कहा गया इसी प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा NCF-2005 और NCF-2012 प्रकाशित किये गये ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

1986 के पश्चात सन 2020 में 34 वर्षों के पशचात केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की जो की दीर्घ कालीन शैक्षिक योजना एक उदहारण है यह योजना वृहद दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तथा इस शिक्षा निति ने 5+3+3 +4 की शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया है जो कि विद्यालयी शिक्षा को चार चरणों में पुनर्गठित करती है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को 21 वीं सदी के लिए तैयार

करना, प्रतिभा को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है । इसके अतिरिक्त शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र हेतु बनाये गये लक्ष्यों को भी चरण बद्द किया गया है।

3.6 अल्पकालीन योजना के लाभ-

जैसे कि हम जान चुके हैं कि अल्पकालीन योजना कम समय के लिए बनायीं जाती हैं जिससे इन योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति भी कम समय में हो जाती है। लचीली होने के कारण इन योजनाओं में सुधार आसानी से किया जा सकता है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिणाम के बीच अधिक समय न होने के कारण सफल योजनाओं को दीर्घकाल के लिए बनाया जा सकता है । अल्पकालिक योजनाओं के लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं –

i-**लक्ष्य प्राप्ति में कम समय-** अल्पकालिक योजनायें कम समय के लिए बनायीं जाती हैं जिस कारण इनके क्रियान्वयन एवं परिणाम में समय कम लगता है और इस कारण जिन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ये योजनायें बनायीं जाती हैं उन लक्ष्यों को कम समय में ही प्राप्त किया जा सकता है ।

ii-लचीलापन– अल्पकालिक योजनायें कम समय में ही परिणाम तक पहुँच जाती हैं जिससे लक्ष्य प्राप्ति जल्दी हो जाती है और सफल योजनाओं को पुन: लागू करके वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं और असफल योजनाओं में सुधार किया जा सकता है।

iii- दक्षता- अल्पकालिक योजनायें कार्य को छोटे-छोटे भागों में बांटने का अवसर प्रदान कराती हैं इस कारण कार्य की प्रगति शीघ्र पता लग जाती है और सुधार किया जा सकता है।

iv- त्वरित मूल्यांकन- अल्पकालिक योजनाओं का मूल्यांकन कम समयांतराल में होने के कारण नियमित प्रगति का पता चल जाता है। और आवश्यक मूल्यांकन कर सकते हैं।

v- त्वरित उपलब्धि- अल्पकालिक योजनाएं तुरंत उपलब्धियां प्राप्त करने, उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देने और आगे की प्रगति के लिए प्रेरित करने में मदद करती हैं।

vi- छोटे-छोटे लक्ष्य- अल्पकालिक योजनाओं में समय सीमा कम होने के कारण छोटे-छोटे लक्ष्य बना सकते हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति भी कम समय में होने के कारण इनके परिणामों के आधार पर सुधार किया जा सकता है।

vii- **आत्मविश्वास में वृद्धि:** अल्पकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने से योजना निर्माताओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अधिक प्रेरित महसूस करते हैं।

viii- समय प्रबंधन- अल्पकालिक योजनाओं के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति अल्प समय में प्राप्त हो जाता है जिससे आगे की योजनाओं के क्रियान्वयन में समय प्रबंधन किया जा सकता है।

ix-समस्या समाधान- अल्पकालिक योजनायें समस्याओं को हल करने और समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

x-सृजनात्मकता: अल्पकालिक योजनाएं छात्रों को नए तरीकों से सीखने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

अल्पकालिक योजनाओं से हानियाँ –

एक ओर जहाँ अल्पकालिक योजनाओं के कुछ लाभ हैं तो वहीँ दूसरी ओर कुछ हानियाँ भी है क्योंकि प्रत्येक सिक्के के दो पहलु होते हैं। अल्पकालिक योजनाओं से होने वाली हानियाँ निम्लिखित हो सकती हैं –

i.अधिक जोखिम – कम समय के लिए लागू होने वाली योजनाओं का सबसे बड़ा नुक्सान ये है कि जब तक उन योजनाओं का क्रियान्वन चल रहा होता है वे समाप्त हो जाती हैं और वांछित उद्देश्य कभी कभी प्राप्त नहीं हो पाते।

ii.निरंतरता की कमी- अल्पकालिक योजनाएं शिक्षा में निरंतरता की कमी करती हैं, जिससे छात्रों के सीखने का प्रवाह बाधित होता है।

iii.समय की कमी- अल्पकालिक योजनाएं शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए समय की कमी करती हैं, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं।

iv.संसाधनों का सदुपयोग कम- अल्पकालिक योजनाओं के कम समय में पूर्ण हो जाने के कारण इन योजनाओं में लगे संसाधनों का प्रयोग लगभाग बंद हो जाता है जिससे संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो पाता है।

v.वांछित परिणाम- अल्पकालिक योजनाओं के द्वारा वांछित परिणाम न मिलने पर योजना में लगा धन एवं समय दोनों ही व्यर्थ जाते हैं।

vi. संचयी आंकड़ों कमी – अल्प कालिक योजनाओं में परिणाम प्राप्त करने पर दूसरी योजनाओं का क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया जाता है जिससे संचयी आकड़े एकत्र नहीं हो पाते।

3.7 दीर्घ कालीन योजना के लाभ

दीर्घ कालिक शैक्षिक योजनाओं में अल्पकालिक योजनाओं की तुलना में समय अधिक लगता है फिर भी दीर्घ कालिक योजनाओं के कई लाभ होते हैं जिनमे मुख्यत: भावी जीवन की तैयारी करना, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार आदि। दीर्घकालिक योजनाओं के लाभों को हम निम्नलिखित बिन्दुओं से समझ सकते हैं -

i-भावी जीवन की तैयारी- दीर्घकालिक योजनाओं से शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण मिलता है और इसी के कारण भविष्य की बेहतर तैयारी की जाती सकती है दीर्घकालीन योजना होने के कारण हम शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मानचित्र अथवा रोडमैप बना सकते हैं जो आने वाले समय में योजनाओं के सफल क्रियानवयन में सहायक हो सकता है।

ii- संसाधनों का बेहतर उपयोग - दीर्घकालीन योजनाओं में हम उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत संस्थानों को उनकी योजना के अनुसार संसाधनों का आवंटनऔर उपयोग करने की अनुमति मिलती है इस कारण संसाधनों का अधिकतमलाभ उठाया जा सकता है।

iii- शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार- लम्बे समय के लिए बनायीं गई दीर्घकल्लिक योजनाओं के द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकता है क्योंकि इनके क्रियान्वन से हमें इन योजनाओं में सुधार की गुन्जैस का पता चल जाता है जिससे की शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार किया जा सकता है इस प्रकार की योजनायें शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रोडमैप प्रदान करती हैं इस कारण हम शैक्षिक कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से डिजाइन करके लागू कर सकते हैं।

iv- शिक्षण कार्यों में सुधार- दीर्घ कालिक योजनाओं के द्वारा शिक्षण कार्यों में सुधार किया जा सकता है इन योजनाओं के द्वारा शिक्षकों को बेहतर शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति देता है जिससे की शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के व्यव्हार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है।

vii – शैक्षिक संस्थानों के स्तर में सुधार – दीर्घकालीन योजनाओं को लम्बे समय तक प्रयोग में लाने के कारण शैक्षिक संस्थानों की कार्यप्रणाली बेहतर होती है और उनकी प्रतिष्ठा में भी सुधार होता है इस प्रकार की योजनाये शिक्षा में सुधार के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं।

v- विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार- दीर्घकालीन योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को मिलता है क्योंकि दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने से उन्हें लम्बे समय तक एक योजना से जुड़ने का मौका मिलता है ।इस प्रकार की योजनाओं के कारण विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

जहाँ एक ओर दीर्घ कालीन योजनाओं के लाभ हैं वहीँ हानियाँ भी हैं जिनमें से मुख्य क निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

हानियाँ-

i-वित्तीय हानि - दीर्घकालिक योजनाओं का वित्तीय बजट अधिक होता है योजना के असफल हो जाने पर वित्तीय एवं समय की हानि की सम्भावना रहती है ।

ii- योजना में बदलाव की सम्भावना कम- द्दीर्घकालीन योजना होने के कारण यदि बीच में कोई बदलाव किया जाना हो तो ऐसा करना कठिन हो जाता है क्योंकि दीर्घकालीन योजना राष्ट्रीय स्तर की होती हैं और इस प्रकार की योजनाओं में बदलाव केंद्र सरकार की सिफारिस पर ही हो सकता है।

iii- आर्थिक विकास में कमी- दीर्घकालीन योजनाओं के असफल होने की स्थिति में आर्थिक विकास में कमी आ सकती है क्योंकि इन योजनाओं में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में बजट आवंटित किया जाता है। योजना की असफलता की स्थिति में आवंटित बजट एवं योजना में लगे समय की हानि हो सकती है।

iv- अभिप्रेरणा की आवश्यकता- दीर्घकालीन योजना की शुरुवात तो बहुत जोर शोर से होती है परन्तु धीरे धीरे समय बीतने पर योजना के आरम्भ में दिखाया गया जोश धीरे धीरे कम होने के कारण योजना में सलंग्न सदस्यों को अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है जिसको बनाये रखना मुश्किल है।

3.8 सारांश

वैसे तो हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलु में योजना का महत्व है क्योंकि योजनायें किसी भी कार्य को करने हेतु प्राथमिकताओं का निर्धारण करती हैं। शैक्षिक योजना भी राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत ही आती हैं जिसमे शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकता को ध्यान में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों के विकास के लिए योजनाबद्द क्रिया कलापों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की योजना बनाने वालों को कार्यों की प्राथमिकतायें निर्धारित करनी होती हैं। और यह भी निश्चित करना होता है कि नियत समय में कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, आजादी के 75 वर्षों में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा को सतत विकास लक्ष्य-4 (एसडीजी -4) में रखा गया है जिसके अंतर्गत 2030 तक सभी बच्चों और किशोरों के लिए शिक्षा निशुल्क, समान और गुणवत्ता पूर्वक प्राथमिक और उच्च शिक्षा पूरी की जाय। सतत विकास के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गरीबी कम करने, स्वास्थ्य में सुधार करने लैंगिक समानता प्राप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। यह शैक्षिक योजनाओं के दीर्घकालिक योजना का एक उदहारण है। भारत में शैक्षिक योजनाएँ शैक्षिक विकास के उद्देश्य से बनायी जाती हैं ये योजनायें प्रत्येक स्तर एवं क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से यह भी आशा की जाती है कि आवश्यकताओं एवं साधनों में तालमेल आर्थिक, भौतिक, तथा मानवीय शक्ति सम्बन्धी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाय। अल्पकालीन योजनायें बनाने एवं उनके क्रियान्वयन का लक्ष्य, कम समय में परिणाम प्राप्त करना है। जबकि दीर्घ कालीन योजनाओं का लक्ष्य दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार योजनायें बनाना, एवं उनका क्रियान्वयन करना उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने पर निर्भर करता है। और लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर ही अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन योजनायें निर्धारित की जाती हैं।

3.9 संदर्भ ग्रन्थ

- ओड एल.के.(2010) शैक्षिक प्रशासन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर ।
- शर्मा आर. ए.(2013) शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व निर्देशन एवं प्रबंधन आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
- लाल रामंविहारी,शर्मा कृष्ण कान्त (2014) भारतीय शिक्षा का इतिहास,विकास एवं समस्याएं आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
- भटनागर मीनाक्षी.(2015) शैक्षि प्रशासन एवं प्रबंधन आर.लाल बुक डिपो मेरठ।
- https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MAED-202.pdf
- https://dietmathura.org/pdf/books/sem4/shaikshik_prabandhan.pdf

3.11 अभ्यास हेतु प्रश्न

1. शैक्षिक योजनाओं को स्पष्ट करते हुए इनकी आवश्यकता लिखिए।
2. अल्पकालीन शैक्षिक योजनाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

3. दीर्घकालीन शैक्षिक योजनाओं को समझाइए।दीर्घकालीन शैक्षिक योजनाओं के उदहारण लिखिए।
4. अल्पकालीन एवं दीर्घ कालीन शैक्षिक योजनाओं के लाभ लिखिए।
5. शैक्षिक योजनाओं के निर्माण में किन किन बिन्दुओं का ध्यान रखा जाता है विस्तार पूर्वक लिखिए।

इकाई 4. शैक्षिक प्रशासन: अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकताएं और महत्व
Unit 4. Educational administration: Meaning, objectives, needs, and significance

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 शैक्षिक प्रशासन का अर्थ

4.4 शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य

4.5 शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति

4.6 शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र

4.7 शैक्षिक प्रशासन के मुख्य सिद्दांत

4.8 शैक्षिक प्रशासन के कार्य

4.9 शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताएं और महत्त्व

4.10 सारांश

4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

4.12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

मानव जीवन प्रारम्भ में बहुत ही साधारण था आदि काल में मानव को केवल अपने भोजन की चिंता थी और वह अपना भोजन वनों में ही खोजता था। रहने के लिए प्राकृतिक आवाशों का प्रयोग करता था। धीरे-धीरे मानव विकास की सीढियाँ चढ़ते गया और वह एकल जीवन से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राज्य और राष्ट्र निर्माण की ओर कार्य करने लगा। इस यात्रा में उसने बहुत से समूह, संस्थान और संगठन बनाये जो कालान्तर में बढ़ते ही गये। और इसी कारण मानव को अब इन सबके प्रबंधन का ध्यान आने लगा और प्रबंधन और प्रशासन मंडल का गठन होने लगा ये संगठन अलग-अलग क्षेत्रों में बनने लगे। और उस क्षेत्र में प्रशासन करने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई कि किस प्रकार शैक्षिक संस्थाओं का प्रबंधन किया जाय, और इसी कारण शैक्षिक प्रशासन का जन्म हुआ। संगठन का कार्य संगठन से जुड़े सदस्यों से सगठन के हित में कार्य करना होता है। किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक कठिनाईयाँ संगठन के विस्तार के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे संगठन का आकार

बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रशासन में भी कठिनाइयां और अधिक बढती है । शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा के कार्य विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की व्यस्था करना एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करना होता है । शिक्षा प्रशासन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भविष्य निर्माण में सहायता करती है और राष्ट्र के भविष्य निर्माण में भूमिका निभाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है । यदि चरित्र निर्माण सही नहीं हुआ तो उसका दुष्प्रभाव समग्र राष्ट्र को भुगतना पड़ता है । हमारे विद्यालयों एवं कालेजो में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्दि भी हो रही है और साथ ही नए नए संसथान चाहे वे निजी हों या सरकारी दिन प्रतिदिन खुल रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक प्रशासन में चुनौतियाँ भी लगातार बढ़ते ही जा रही हैं शिक्षा के इतर भी बहुत से संगठन हैं, ये संगठन औपचारिक,अनौपचारिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यावसायिक आदि हो सकते हैं परन्तु इन सब संगठनों को उचित प्रशासन की आवश्यकता होती है।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को समझ पायेंगे।
- शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को समझ पाएंगे।
- शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को समझ पायेंगे।
- शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को समझ पाएंगे।
- शैक्षिक प्रशासन के मुख्य सिद्दांतों को स्पष्ट कर पायेंगे
- शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को स्पष्ट कर पायेंगे ।
- शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व समझ पायेंगे।

4.3 शैक्षिक प्रशासन का अर्थ

ग्राह्य बालफोर के अनुसार- "शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाम योग्य बनायेंगी, राज्य की पहुँच के अन्दर आने वाले खर्चे पर सही विद्यार्थियों को सही अध्याप से, सही शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है।"

हेनरी फेयॉर के अनुसार- "अन्य प्रशासन की भाँति शैक्षिक प्रशासन पाँच तत्वों-नियोजन, संगठन, निर्देश समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है।"

फॉक्स, विश तथा रफनर के अनुसार – "शैक्षिक प्रशासन एन्ह ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं।"

पी०एम० जोसेफ के अनुसार- "शिक्षा प्रशासन योजना का कार्यान्वयन है"।

लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन प्रक्रिया को एक सूत्र के रूप में परिभाषित किया है- जिसका संकेतक 'पोस्डकोर्ब' (POSDCORB) है अर्थात्, योजना, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट।

4.4 शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य-

i-विभिन्न शैक्षिक क्रियाओं तथा शिक्षा के आदर्श और व्यवहार में समन्वय स्थापित करना-समन्वित प्रशासन ही आदर्श प्रशासन है जिसमें सभी क्रियाओं में समायोजन एवं सामंजस्य स्थापित हो। आदर्श और व्यवहार में भी समन्वय की आवश्यकता है।

ii-योग्यतानुसार कार्य में लगना शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य शिक्षा में लगे हुए व्यक्तियों की क्षमता को पहचानना और उचित व्यक्ति को केवल योग्यता और रुचि के अनुरूप लगाना है। अतः भौतिक मानवीय साधनों का उचित उपयोग उपलब्धि की और परिलक्षित होगा।

iii- प्रयोग और अनुसन्धान के लिए अवसर प्रदान करना-शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य, शैक्षिक प्रयोग और अनुसंधान के लिए अवसर तथा सुविधा प्रदान करना है जिससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

iv-शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल बनाना- शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य कार्य की जटिलता को सरल बनाना भी है। कभी-कभी अनावश्यक रूप से प्रशासन और संगठन सुलझे कार्य को भी उलझा देते हैं जिसके फलस्वरूप उनके श्रम और समय का अपव्यय होता है। अतः उचित प्रशासन में जटिलता को सरलता से बदल देते हैं।

v- अध्ययन-अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना कोई भी व्यवस्था यदि अध्ययन और अध्यापन के लिए उचित सहायक वातावरण का निर्माण नहीं करती है, तो वह लाभ के स्थान पर हानि करेगी। अतः विद्यालय में अध्ययन-अध्यापन के लिए उचित वातावरण बनाया जाए।

vi-आत्म-विश्वास की भावना तथा निर्देशन एवं सहयोग प्रदान करना शैक्षिक प्रशासन में कर्मचारियों में परस्पर विश्वास और आत्म-विश्वास की भावना को विकसित होने का अवसर दिया जाता है तथा उन्हें उचित निर्देशन एवं सहयोग देकर प्रशासन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है।

vii -सामयिक मूल्यांकन को प्रभावपूर्ण बनाना-शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण से लेकर मूल्यांकन तक तथा प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिससे यह ज्ञात हो सके कि हम किस सीमा तक सफल हो रहे हैं और यदि नहीं तो उसका कारण क्या है? प्रशासन एवं संगठन की सफलता बहुत कुछ मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

viii-शैक्षिक उपलब्धियों हेतु शैक्षिक प्रशासन को साधन बनाना-शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना माना जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों को सुव्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में ही प्राप्त किया जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को इस प्रकार सुव्यस्थित किया जाता है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की शिक्षा नीतियों का परिपालन भी प्रशासन के ही माध्यम से होता है।

ix -उचित-अनुचित कार्यों के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण रखना-विद्यालयों को समाज में रहकर ही कार्य करना होता है। विद्यालय को समाज का लघुरूप कहा जाता है। विद्यालयों में शिक्षकों, छात्रों तथा संरक्षकों की

सभा का आयोजन करके समस्या का समाधानकरने से विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। प्रशासन की नीति सदैव उचित कार्यों को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण कार्यों को रोकना तथा उचित एवं उपयोगी कार्यों को बढ़ांवा देना, शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है।

x- शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना तथा कार्य करना-प्रशासन शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपना कार्य-क्षेत्र निर्धारित करता है। शिक्षा को भी समाज के अनुरूप चलना पड़ता है। संस्थाओं में शिक्षक की नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्धारण, पुस्तकालय व्यवस्था आदि कार्य प्रशासन को उसी रूप में करने होते हैं जिस प्रकार की आवश्यकता शिक्षा क्षेत्र में प्रतीत होती है। विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षकों की नियुक्ति का प्रबन्ध करना प्रशासन का ही कार्य समझा जाता है इसलिए शैक्षिक प्रशासन का शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने तथा कार्य करने का उद्देश्य उपयुक्त तथा परमोपयोगी है ।

4.5 शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति-

प्रशासन कला है अथवा विज्ञान इस पर चर्चा चलते रहती है प्रशासन को कला के रूप में मानने पर हमें यह मानना होगा की हमारे समाज में वैक्तिक भिन्नता पायी जाती है और प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है इस प्रकार प्रशासन हेतु भी व्यक्ति में कुछ न कुछ आवश्यक गुण अथवा कला होनी चाहिए तभी वे सफल प्रशासक बन पाते हैं। वैक्तिक गुणों पर आधारित ट्रेट सिद्दांत भी ये मानते हैं कि अच्छे प्रशासक जन्मजात होते हैं । वर्तमान युग तकनीकी का युग है और यह भी माना जाता है कि जन्मजात गुणों के साथ साथ व्यक्ति को तकनिकी मई भी पारंगत होना चाहिए तभी वह कुशल प्रशासक बन पायेगा ।

दूसरी ओर यदि प्रशासन को विज्ञान माना जाय तो यह मानना होगा कि विज्ञान तथ्यों एवं नियमों पर आधारित होता है। और प्रशासन के लिए नियमों को मानना आवश्यक है और विज्ञान के रूप में तकनीकी का सहयोग लिया जा सकता है । प्रशासन के निरंतर जटिल होते जाने के कारण आज तकनीकी का सहयोग लेना आवशयक हो गया है जिससे ये पता चलता है कि प्रशासन में तकनीकी अथवा विज्ञान की भूमिका बढ़ गई है।

इस कारण प्रशासन में विज्ञान एवं कला दोनों का समावेश दिखाई देता है । इसके अतिरक्त भी बहुत से बिंदु हैं जो प्रशासन की प्रकृति को निम्नलिखित तरीकों से स्पष्ट करते हैं-

i शैक्षिक प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया यह सभी शिक्षाविदों द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी मौलिक तत्व; जैसे-नियोजन, संगठन, संचालन, समन्वय, नियन्त्रण, मूल्यांकन आदि सभी समन्वित रूप ते एक-दूसरे पर आधारित रूप में कार्य करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि प्रशासन एक समन्वित प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

ii- शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया-शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आदि परिस्थितियों में प्रभावित होती है। यह तथ्य आज सभी विचारकों द्वारा सत्य माना जा रहा है कि शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप की रचना उसके मानवीय तत्वों द्वारा होती है जिसमें मौलिक तत्वों को उन्हीं के अनुरूप लिया जाता है।

iii-शैक्षिक प्रशासन कार्यशील तथा नियन्त्रित होता है, आज यह स्पष्ट हो चुका है कि शैक्षिक प्रशासन के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियन्त्रित होती है।

iv- शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप केन्द्रीयकरण व विकेन्द्रीयकरण-यह सर्वमान्य विदित है कि शैक्षिक प्रशासन केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरण दोनों में पायी जाती है।

4.6 शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र –

i- शैक्षिक प्रशासन का सम्बन्ध उत्पादन से है। उत्पादन का अर्थ किसी विशेष क्रिया अथवा कार्य से है जिसके लिए संगठन की स्थापना हुई है। शिक्षा में इसका तात्पर्य शिक्षा के उन उद्देश्यों की प्राप्ति है जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसलिए शैक्षिक प्रशासन का कार्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं के समक्ष शिक्षा के उद्देश्यों की व्यवस्था करना है जिससे शिक्षा के अन्तिम उत्पादन (विद्यार्थियों की उपलब्धि) को कोई रूप दिया जा सके।

ii- शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य जनप्रयोग के आश्वासन से है। इसका तात्पर्य है कि संगठन के प्रयास क्रियाएं, उत्पादन एवं सेवायें ऐसी होनी चाहिए कि वे जन-साधारण को मान्य हों तथा वे उनके लिए उपयोगी एवं लाभकारी हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगठन की स्थापना जनसाधारण के द्वारा ही अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु की गई है। शैक्षिक प्रशासन का यह उत्तरदायित्व है कि वह आवश्यक कार्यों को परिभाषित करें, उनके बारे में जानकारी प्रदान करें एवं उनकी उन्नति करें जिससे अन्तिम शैक्षिक उत्पादन जन उपयोग के लिए लाभकारी हो।

iii- शैक्षिक प्रशासन का एक क्षेत्र वित्त एवं लेखाकार्य है। इसका तात्पर्य संगठन की क्रियाओं में खर्च किए गए धन की प्राप्ति एवं वितरण से है। शैक्षिक प्रशासन का सम्बन्ध शैक्षिक तन्त्र की क्रियाओं एवं कार्यों के लिए आवश्यक धन को प्राप्त करने एवं उसके वितरण से भी है। शैक्षिक प्रशासन के लिए धन सम्बन्धी एवं अन्य संसाधन जो शैक्षिक उद्योग में व्यय किए गए हैं, उनका अभिलेख एवं मापन आवश्यक है।

iv- कार्मिक वर्ग भी शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख क्षेत्र है, इसमें कार्यकर्ताओं के चुनाव के लिए नीतियों एवं प्रविधियों को निश्चित करना, उनको क्रियान्वित करना तथा उनमें सद्भावना एवं आपसी सम्बन्धों को बनाए रखना आता है ताकि संगठन में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों में पूर्ण रुचि, सहयोग, मनोबल एवं निष्ठा को सुनिश्चित किया जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में यह विशेष रूप से आवश्यक है क्योंकि यहाँ समस्त कार्यों का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति है। इसमें एक प्रकार का व्यक्ति-समूह अध्यापक दूसरे प्रकार के व्यक्ति-समूह-विद्यार्थियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र कार्मिक वर्ग के प्रबन्ध तक फैला हुआ होता है।

v-यह शैक्षिक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया समन्वयन है। यह सुनिश्चित करती है कि संगठन के सभी कार्यों, जैसे कार्मिक वर्ग, वित्त एवं वांछित परिणामों के उत्पादन के मध्य आपसी घनिष्ठ सम्बन्ध एवं एकीकरण हो। इस प्रकार का समाकलन केवल संगठन की संरचना में नहीं अपितु कर्मचारियों की अभिवृत्तियों एवं प्रयासों में भी आवश्यक है जिससे कि उन सभी को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में लगाया जा सके।

vi- शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत कानूनी संरचना भी आती है इसका तात्पर्य उन कानूनों को पारित करने तथा उन विषयों एवं परिनियमों को बनाने से है जिनके द्वारा शिक्षा के अभिकरणों तथा उनके प्रकारों, शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए शक्तियों एवं स्तर को निश्चित किया जा सके, सत्ता एवं नियन्त्रण का निर्धारण किया जा सके, उत्तरदायित्वों को सौंपा जा सके, प्रबन्ध तन्त्र के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चय किया जा सके तथा संगठनात्मक एवं प्रशासनात्मक तन्त्र को स्थापित किया जा सके।

vii- विद्यार्थी शैक्षिक उद्योग के केन्द्र बिन्दु हैं। उन्हीं के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं पूर्ण प्रक्रिया का अस्तित्व है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों तथा प्रविधियों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं तथा समाज की माँग के अनुरूप निर्धारित किया जा सके। उनके प्रवेश, उभयन एवं अनुशासन सम्बन्धी नियमों को भी निर्धारित करना एवं कार्यान्वित करना आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थी वर्ग भी शैक्षिक प्रशासन के अहम् हिस्सा हैं।

viii-विद्यार्थीयों के साथ-साथ पाठ्यचर्या भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शैक्षिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है पाठ्यचर्या शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। शैक्षिक प्रशासन का कार्य पाठ्यचर्या निर्माण एवं उसके दिन-प्रतिदिन के विकास से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना भी है। इसके लिए उन शैक्षिक कार्यक्रमों का निरन्तर मूल्यांकन एवं निरन्तर सुधार भी आवश्यक है जो निरन्तर होते हुए वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए अत्यन्त आवश्यक हैं। प्रशासन का कार्य अध्यापन-अधिगम की प्रक्रिया तथा कार्यक्रमों की ओर पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य अनुदेशन सामग्री को तैयार करने की ओर ध्यान देना भी है।

4.7 शैक्षिक प्रशासन के मुख्य सिद्धांत –

हेनरी फेयोल ने एक कुशल प्रशासक के 14 सिद्धांत दिए, जो निम्नलिखित हैं-

i. कार्य वितरण – किसी भी प्रशासन की तरह ही शैक्षिक प्रशासन के लिए भी कार्य वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है

संगठन के सदस्यों को उनकी योग्यता एवं पद के अनुरूप कार्य दिया जाना चाहिए यदि कार्य वितरण योग्यतानुसार नहीं होगा तो सदस्यों के मध्य असंतोष फ़ैल सकता है।

ii.**अधिकृति -** सफल प्रशासन के लिए व्यक्ति को उसके पद के अनुसार अधिकार भी दिए जाने चाहिए अन्यथा अधिकारों की अनुपस्थिति में संगठन के सदस्य उच्च पद के सदस्यों की बातों की अनदेखी कर सकते हैं।

iii.अनुशासन -अनुशासन सफल प्रशासन का मुख्य अंग है, यदि किसी संगठन के सदस्यों में आत्मनुशासन है तो संगठन में प्रशासन करना आसन होता है और यदि अनुशासन की कमी है तो संगटन का प्रशासन कठिन हो जाता है ऐसे में संगठन के प्रशासन को कड़े नियम बनाने पड़ते हैं जिससे कि संगठन के कार्यों को सफलता तक अंजाम तक पहुँचाया जा सके।

iv.नियन्त्रण संबंधी एकता -सफल प्रशासन के लिए संगठन पर नियंत्रण होना आवश्यक होता है। और साथ ही संगठन के प्रशासकों के मध्य एकता होना भीआवश्यक है अन्यथा संगठन को एक दिशा में ले जाना संभव नहीं हो पायेगा।

v.निर्देशन संबंधी एकता-निर्देशन सबंधी एकता का अर्थ यह है कि संगठन के प्रशासन में दिए गये निर्देशों का पालन सभी के द्वारा किया जाना चाहिए साथ ही निर्देशन संबंधी एकता भी बे रखनी चाहिए।

vi.सार्वजनिक स्थिति में व्यक्तिगत हित का त्याग -जब भी संगठन के सदस्य अथवा प्रशासक संगठन के लिए कोई कार्य कर रहे हों तो उन्हें व्यक्तिगत हितों को दूर रखकर सर्वप्रथम संगठन को धयन में रखकर कार्य करना चाहिए। संगठन प्रथम व्यक्ति अंतिम की भावना से संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है।

vii.वेतन – संगठन में कार्य करने वाले सभी सदस्यों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए की समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाय अन्यथा असंतोष की स्थिति बन सकती है।

viii.केन्द्रीकरण (Centralization)- किसी भी संगठन के सफल प्रसासन के लिए संगठन में केंद्रीकरण की स्तिथि का होना आवश्यक है। केन्द्रीयकरण का अर्थ है की संगठन किसी केंद्र बिंदु पर आधारित होना चाहिए। अर्थात संगठन का कार्य किसी एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए।

ix.अधिकृत पद सोपान (Line of authority) अधिकृत पद सोपान का अर्थ यह है कि संगठन में किसी सदस्य की श्रेणी से ऊपर अथवा श्रेणी से नीचे के सदस्यों को उनके पद के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अपने से उच्च श्रेणी के सदस्यों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए।

x. आज्ञा/आदेश (Order)- संगठन में उच्च पद के सदस्य के द्वारा दिया गया आदेश सभी को मानना चाहिए जिससे कि संगठन में अनुशासन को बनाये रखने में सहायता मिल सके।

xi. समानता (Equality)- उचित प्रशासन के लिए संगठन के सभी सदस्यों को आपसी समानता को बनाये रखने के लिए कार्य करना चाहिए।

xii.सेवा का स्थायीपन (Stability of tenure of personal) संस्था अथवा संगठन के सदस्यों को उनको दी गयी जिम्मेदारी अथवा सेवा का स्थायीपन होना चाहिए जिससे कि सदस्यों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके।

xiii.पहल (Initiative)- सगठन को मजबूती देने के लिए किसी भी सदस्य को दूसरे सदस्य का इन्तजार न करते हुए संगठन को दिए गये कार्य में स्वयं पहल करना चाहिए।

xiv.बंधुता का भाव- उचित प्रशासन के लिए संगठन के सदस्यों का आपस में बंधुता का भव होना चाहिए जिससे कि संगठन के सदस्य एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर सके।

4.7 शैक्षिक प्रशासन के कार्य-

शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षा, शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, शिक्षण प्रक्रिया से सम्बन्धित व्यक्ति एवं शैक्षणिक संस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है।

शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना – शैक्षिक प्रशासन का प्रथम कार्य शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उद्देश्य निर्धारण में समय सीमा का ध्यान रखा जाना आवश्यक है जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति निर्धारित समय के अंदर हो सके।

शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनायें तैयार करना- शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनायें बनाना एवं उन योजनाओं के क्रियान्वयन की रूप रेखा तैयार करना भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। योजनायें जितनी प्रभावशाली होंगी उनके परिणाम भी उत्साह वर्धक होंगे इसलिए शैक्षिक प्रशासन का कार्य प्रभावी योजनाये तैयार करना भी है।

संगठन तैयार करना तथा संगठन का विकास करना – शैक्षिक प्रशासन का कार्य शैक्षिक क्रियाओं के सफल संपादन करने के लिए संगठन तैयार करना है संगठन में प्रत्येक सदस्य महत्व पूर्ण होता है इसलिए सभी सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान एवं अधिकार दिए जाने चाहिए। और समय समय पर संगठन के सदस्यों के कार्य क्षमता को बढाने एवं बनाये रखने के लिए कार्य योजना तैयार करनी होती हैं जिससे की संगठन का विकास किया जा सके।

शैक्षिक क्रिया कलापों हेतु वित्तीय व्यवस्था बनाना – शैक्षिक प्रशासन का कार्य शैक्षिक क्रिया कलापों के सफल सञ्चालन के लिए वित्तीय व्यवस्था बनाना भी है यदि कार्य योजना के अनुरूप वित्त की व्यवस्था नहीं की जायेगी तो योजना का क्रियान्वन मुश्किल हो जायेगा और ऐसे में उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जायेगा इसलिए शैक्षिक प्रशासन को वित्त की व्यवस्था भी करनी होती है।

नीतियों का निर्धारण करना- शैक्षिक प्रशासन का कार्य नीतियाँ बनाना, नीतियों का निर्धारण करना भी है। यदि नीतिगत कार्योजना बनायीं जाएगी तो उद्देश्यों की प्राप्ति हो पायेगी राज्यों की शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ सामान्य तौर पर शिक्षा सचिव करते हैं शिक्षा की व्यवस्था सम्पूर्ण राज्य में निरंतर गतिशील रहे इसका उत्तरदायित्व भी सचिवों एवं निदेशकों पर होता है।

परीक्षाओं की व्यवस्था एवं समय निर्धारित करना- शैक्षिक प्रशासन का कार्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए परीक्षाओं की व्यस्था करना साथ ही उपाधियों एवं अंक पत्रों की व्यवस्था करना होता है। साथ ही शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर परीक्षा सञ्चालन करना एवं शैक्षणिक क्रिया कलापों का रिकार्ड रखना भी शैक्षिक प्रशासन के कार्यों के अंतर्गत आता है ये शैक्षिक रिकार्ड भविष्य की आवश्यकताओं एवं सुरक्षा की दृष्टि से रखे जाते हैं इस कार्य को मेंटिनेंस आफ रिकार्ड कहते हैं।

संस्थाओं का प्रशासन करना- जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग किसी भी राज्य में सबसे बड़ा विभाग होता है और यहाँ संस्थाए भी बहुत अधिक होती हैं चाहे वे प्राथमिक स्तर की हों माध्यमिक स्तर की हों या फिर उच्च शिक्षा की संस्थाएं हों इन सब के प्रशासन की जिम्मेदारी शैक्षिक प्रशासन की होती है।

सहायक सेवाओं की व्यवस्था करना- सहायक सेवाओं का अर्थ उन सेवाओं से है जो सीधे तौर पर शिक्षण से नहीं जुडी हैं परन्तु जिनका शिक्षण संस्थाओं को चलाने में बड़ा योगदान होता है जैसे

पुस्तकालय सेवा, मध्यान भोजन सेवा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, स्वास्थ एवं चिकित्सा सेवा, छात्रवृत्ति सेवा आदि सेवाओं के सञ्चालन का कार्य शैक्षिक प्रशासन का ही होता होता है।

इसके अतिरिक्त लूथर गुलिक ने प्रशासन के साथ कार्यों का पोस्डकोर्ब (POSDCORB) के आधार पर वर्णन किया है –

(i) **P-Planning (योजना बनाना)** शैक्षिक प्रशासन का प्रथम कार्य शिक्षा प्रक्रिया सम्बन्धी योजना बनाना तथा इन योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

(ii) **O-Organizing (स्थापना करना)** - इस उद्देश्य के द्वारा योजना से सम्बन्धित लक्ष्यों की कार्यावली निश्चित करना और उपयुक्त सत्ता तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों की स्थापना करना है जिसके द्वारा शैक्षिक क्रियाओं को अग्रेसित किया जाता है।

(iii) **S-Staffing (स्टॉफ की नियुक्तियाँ करना)-** इस उद्देश्य के द्वारा सत्ता और नियन्त्रण सम्बन्धी सभी कार्यकलापों और अधिकारी वर्ग की नियुक्ति करना है।

(IV) **D-Direction (निर्देश देना)-** इस उद्देश्य के द्वारा शैक्षिक क्रियाओं, गतिविधियों से सम्बन्धित उपयुक्त तथा सार्थक निर्णय, परामर्श और निर्देश देना है।

(V) **Co-Co-ordination (समन्वय करना)-** इस उद्देश्य में शैक्षिक प्रशासन की विविध क्रियाओं, नियमों, तत्वों, सिद्धान्तों आदि में पारस्परिक सम्बन्ध की स्थापना करना है।

(vi) **R-Reporting (प्रतिवेदन करना)-** इस उद्देश्य में शिक्षा से सम्बन्धित सभी गतिविधियों के कार्यक्रम सम्बन्धी समय-समय पर सूचना प्रदान करना है। इसमें अभिलेख तैयार करना, निरीक्षण और अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं।

(Vii) **B-Budgeting (बजट बनाना)-** इस उद्देश्य में समस्त शैक्षिक क्रियाओं और गतिविधियों की व्यवस्था उपर्युक्त धन, अर्थव्यवस्था और अन्य लेखा-जोखा तैयार किया जाता है।

4.8 शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताएं और महत्त्व

i- शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख आवश्यकता शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है शैक्षिक प्रशासन के द्वारा शिक्षण- प्रक्रिया के अंतर्गत साधनों, सामग्री एवं तत्वों आदि में समन्वय स्थापित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार की जाती है।

ii- शैक्षिक प्रशासन द्वारा शैक्षिक विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं के कार्यों का विकास किया जाता है तथा उन्हें उपयोगीबनाने में सहयोग प्रदान किया जाता है।

iii- शिक्षा में नवीन तथ्यों एवं नवीन विचारों का समावेश एवं प्रयोग के लिए शैक्षिक प्रशासन अत्यन्त आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन के माष्यम से ही शिक्षा में नवीन विचारों का समवेश किया जा सकता है।

iv-शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता शिक्षा की नीति निर्धारण एवं शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का समुचित निर्धारण शैक्षिकप्रशासन के माध्यम से किया जाता है एवं उन्हें लागू करने सम्बन्धी रूपरेखा तैयार की जाती है।

v- प्रजातन्त्र में शिक्षा की उपादेयता एवं उपयोगिता शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही निर्धारित होती है। शैक्षिक प्रशासन के स्तर के आधार पर ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातन्त्र के नियमों को लागू किया जाता है। इसी कारण शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता होती है ।

vi- शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु शैक्षिक प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, विधियों एवं नीतियों के समुचित उपयोग के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न कार्यकर्त्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने कार्य को उचित ढंग से करने में समर्थ हो सकें।

vii. विद्यालय-गत योजना एवं व्यवस्था में आवश्यकता शैक्षिक प्रशासन विद्यालय की प्रगति का एक साधन होता है। प्रत्येक विद्यालय की उत्तम योजना एवं उसका संगठन उत्तम प्रशासन पर ही निर्भर करता है ।

viii. साधनों का उपयोग शैक्षिक प्रशासन क्रियान्वयन अभिकरण को समस्त साघन उपलब्ध कराता है। शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्य उपलब्ध साधनों का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए करता है ।

ix. शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन विद्यालय में कार्यक्रम बनाता है तथा प्रशासन आवश्यकतानुसार शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करता है।

x. शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन समाज की आवश्यकता और शैक्षिक उद्देश्यों या लक्ष्यों के सन्दर्भ में अभिभावकों तथा बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का नियोजन करने हेतु शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है।

xi समन्वय एवं नियन्त्रण- शैक्षिक प्रशासन समस्त उपलब्ध संसाधनों का समन्वय करता है तथा उनके उपयोग पर नियन्त्रण करता है।

xii समाज की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं व आदर्शों का ध्यान शैक्षिक प्रशासन समाज की आवश्यकताओं, दर्शन, आदर्शों, अपेक्षाओं, रीति-रिवाजों, आकांक्षाओं, प्रथाओं आदि को ध्यान में रखकर शैक्षिक कार्यक्रमों का निर्माण करता है।

xiii मूल्यांकन-शैक्षिक प्रशासन अपने क्रियाकलापों, गतिविधियों तथा परिणामों का मूल्यांकन करता है जिससे इस बात का पता लग सके कि शैक्षिक कार्यक्रम किस सीमा तक सफल रहे और भावी प्रगति के लिए उनमे क्या सुधार किये जाने आवश्यक हैं ।

शैक्षिक प्रशासन का महत्व

i. कुशल शिक्षक के बनाने में सहायक शैक्षिक प्रशासन के द्वारा शिक्षकों को उनके कार्य सम्बन्धी समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है एवं नवीनताओं से निरन्ना अवगत कराया जाता है। अतएव अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने में शैक्षिक प्रशासन का अत्यधिक महत्त्व है।

ii. विद्यालय कार्य-शैली में सुधार लाना-शैक्षिक प्रशासन के द्वारा विद्यातद कार्य-शैली में सुधार लाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को सम्पन्न कराए जाने में सहायक होता है।

iii. नेतृत्व प्रदान करने में सहायक- उत्तम शिक्षा नेतृत्व में निहित होती है एवं उत्तम नेतृत्व शैक्षिक प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है। अतएव नेतृत्व के निर्माण में शैक्षिक प्रशासन का अत्यधिक महत्त्व है।

iv. वैज्ञानिक एवं सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा का विकास करना- शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के स्वरूप में निरन्तर समयानुकूल परिवर्तन लाया जाता है। साथ ही, वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं।

v. शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि करना-शैक्षिक प्रशासन द्वारा शैक्षिक उपलब्धि के लिए भूमिका तैयार की जाती है। शिक्षा प्रक्रिया में अधिकतम उपलब्धि के लिए उत्तम एवं सार्थक शैक्षिक प्रशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

vi. शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था में सहायक शैक्षिक प्रशासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आय व व्यय सम्बन्धी कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है एवं शैक्षिक कार्यों के लिए समुचित धन की व्यवस्था करायी जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार उत्तम एवं सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए शैक्षिक प्रशासन का अत्यधिक महत्व है।

4.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई में हमने शैक्षिक प्रशासन को जनाने का प्रयास किया। शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही शिक्षा का सञ्चालन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की सहायता से ही हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं इसका प्रमुख कारण यह है कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के विभिन्न स्तरों चाहे वह प्राथमिक स्तर पर हो माध्यमिक स्तर पर हो या फिर उच्च शिक्षा स्तर पर हो प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य करता है। शैक्षिक प्रशासन के नेतृत्व में सभी शिक्षण संस्थाएं कार्य करती हैं तथा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। वास्तव में जहाँ एक ओर शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्यों के द्वारा विद्यार्थियों के जीवन में उनकी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा उर्जा का संचार करते हैं वहीँ दूसरी ओर शैक्षिक प्रशासन विद्यालयों की आवश्यकताएं एवं सेवाओं पर निरंतर दृष्टि बनाये रखता है और समस्याओं के निराकरण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर कार्य करता है। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के नियमों, सिद्दांतों विधियों आदि के योग से सम्बंधित है इसका उद्देश्य शैक्षिक वातावरण में सुधार लाना है ताकि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शैक्षिक कार्यकर्ता लाभान्वित हो सकें।

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

- ओड एल.के.(2010) शैक्षिक प्रशासन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर ।
- भटनागर मीनाक्षी.(2015) शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन आर.लाल बुक डिपो मेरठ।
- शर्मा आर. ए.(2013) शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व निर्देशन एवं प्रबंधन आर. लाल बुक डिपो मेरठ।
- https://uou.ac.in/sites/default/files/slm/MAED-202.pdf
- https://dietmathura.org/pdf/books/sem4/shaikshik_prabandhan.pdf

4.9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1-शैक्षिक प्रशासन का अर्थ बताइये इसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए।

2-शैक्षिक प्रशासन के सिद्दांतो को विस्तार पूर्वक समझाइए।

3- शैक्षिक प्रशासन एवं सामान्य प्रशासन में आप किस प्रकार अंतर करेंगे? स्पष्ट कीजए।

4- शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान में आवश्यकता एवं महत्व पर अपने विचार लिखिए।

5- शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र को समझाइए। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति को लिखिए।

इकाई 5-भारतीय शैक्षिक प्रशासन: मूल संरचना, गुण व दोष
Unit 5. Indian Educational Administration: Its basic structure and merits and demerits

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 शैक्षिक प्रशासन: अर्थ व परिभाषा

5.4 भारतीय शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति

5.4.1 भारतीय शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

5.5 भारतीय शैक्षिक प्रशासन की मूल संरचना:

5.5.1 केंद्रीय स्तर पर भारतीय शैक्षिक प्रशासन

5.5.2 राज्य स्तर पर भारतीय शैक्षिक प्रशासन

5.5.3 स्थानीय स्तर पर भारतीय शैक्षिक प्रशासन

5.6 भारतीय शैक्षिक प्रशासन के गुण

5.7 भारतीय शैक्षिक प्रशासन के दोष

5.8 सारांश

5.9 शब्दावली

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.11 संदर्भ सूची

5.12 निबंधात्मक प्रश्न

5.1:प्रस्तावना

भारतीय शैक्षिक प्रशासन वह संगठित प्रणाली है जिसके माध्यम से देश के सभी शिक्षा संबंधी नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम बनाए तथा लागू किए जाते है। इस संरचना को तीन प्रमुख स्तरों में विभक्त किया गया है- केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC),एन सी ई आर टी(NCERT) और अन्य राष्ट्रीय संस्थाएं नीति निर्माण और दिशा निर्देशन का निर्धारण करती है। राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग इन सभी नीतियों को स्थानीय

परिस्थितियों के अनुसार लागू करते है,तथा स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समितियाँ और पंचायती राज संस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली का मुख्य विशेषता है कि शिक्षा का लोकतांत्रिक स्वरूप, समान अवसर की भावना, विकेंद्रीयकरण, जनसहभागिता और नीतिगत विविधता। इन गुणों ने देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक शिक्षा पहुँचाने में मदद की।

5.2:उद्देश्य

1-भारतीय शैक्षिक प्रशासन की,अर्थ और परिभाषा को समझना।

2-भारत में शिक्षा प्रशासन की प्रकृतिको स्पष्ट करना।

3-शिक्षा प्रशासन की त्रिस्तरीय संरचना-केंद्रीय तथा राज्य और स्थानीय स्तर-के कार्यों और महत्व को समझाना।

4-केंद्रीय संस्थाओं की भूमिकाओं और योगदान का अध्ययन करना।

5-राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग, राज्य बोर्ड और SCERT के कार्यों, नीतियों और जिम्मेदारियों को समझना।

6-स्थानीय स्तर पर DEO, BEO, DIET, पंचायत, नगर निकाय, SMC और CRC की भूमिकाओं व वास्तविक क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को जानना।

7-भारतीय शैक्षिक प्रशासन के गुणों (Strengths) को पहचानना।

8-भारतीय शैक्षिक प्रशासन की कमियों (Weaknesses) को समझना।

5.3: शैक्षिक प्रशासन: अर्थ व परिभाषा

अर्थ:

शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य शिक्षाकीयोजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रण रखना और समन्वय स्थापित करना तथा सभी का कुशल प्रबंधन करना ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्तकिया जा सके। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की प्रक्रिया है। कनिंघम के अनुसार,"शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानव और भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है।" अतः शैक्षिक प्रशासन शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित और परिणामोन्मुख बनाने की एक संगठित प्रक्रिया है।

परिभाषाएँ :

1-मॉरिसन (Morrison): "शैक्षिक प्रशासन शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और संसाधनों का उचित समन्वय है।"

2-ट्रेवर (Trevor):"शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के सभी घटकों को इस प्रकार संगठित करना है कि शिक्षा के लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकें।"

माध्यम भी मानी जाती है । इसलिए भारतीय शैक्षिक प्रशासन का कार्य केवल विद्यालयों या विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शिक्षा की समग्र व्यवस्था को सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का प्रयास करता है।

5.4 शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति:

भारतीय शैक्षिक प्रशासन केवल नियंत्रण की प्रक्रिया नहीं है अपितु मार्गदर्शन, योजना, समन्वय और सुधार की एक सतत प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते है-

1-लोकतांत्रिक प्रकृति: भारतीय शैक्षिक प्रशासन मुख्य रुप से लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है।जिसमें प्रत्येक स्तर पर सहभागिता और सहयोग को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और समुदाय सभी शिक्षा की प्रक्रिया में सहभागिता करते है।

2-विकेंद्रित प्रकृति: भारत जैसे देश में शिक्षा का प्रभावी संचालन मुख्यतः विकेंद्रीकरण पर आधारित है ।जिसमें केंद्र सरकार नीतियाँ बनाती है, राज्य और स्थानीय संस्थाएँ उन नीतियों को लागू करती हैं।

3-गतिशील प्रकृति: शैक्षिक प्रशासन समय, समाज और प्रौद्योगिकी के साथ परिवर्तित होता रहता है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) इसका उदाहरण है, जिसने देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और व्यावहारिक बनाया है।

4-सहयोगात्मक प्रकृति: यह प्रशासन केंद्र, राज्य,तथा शिक्षण संस्थानों और समाज के मध्य सहयोग की भावना पर आधारित है। जिसमें विभिन्न स्तरों के प्रशासनिक अधिकारी आपस में मिलकर शिक्षाको सफल बनाने हेतु योजनाओं को बनाते हैं।

5-मानवतावादी प्रकृति: भारतीय शैक्षिक प्रशासन मुख्य रुप से मानव के विकास पर केन्द्रित है। यह विद्यार्थियों और शिक्षकों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और विकास को महत्व देता है।

5.4.1 भारतीय शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य

भारतीय शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्यपुरे देश की शिक्षा व्यवस्था को संगठित, प्रभावी, सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। यह केवल शिक्षा का प्रबंधन ही नहीं,बल्कि राष्ट्रीय के विकास तथा समाज में समानता और सभी नागरिकों के सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षा नीति के आधार पर देश के प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके।

1-शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य: भारतीय प्रशासनका उद्देश्यशिक्षा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना है। यह निश्चित करता है कि कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर, चाहे जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

2-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: प्रशासन शिक्षण की पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए कार्य करता है जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

3-समानता और सर्वसुलभता सुनिश्चित करना:भारतीय संविधान के आधार पर शिक्षा नागरिक का अधिकार है। इसलिए प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के अवसरों की समानता करना और ग्राम तथा शहर दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरियों को कम करना है।

4-राष्ट्रीय एकता और एकरूपता को बढ़ावा देना:भारतीय शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण माध्यम से राष्ट्रीय की एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है।

5-शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों का विकास: प्रशासन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रेरणा तथामार्गदर्शन और मूल्यांकन के आधार पर उनको निपुण, रचनात्मक और उत्तरदायी बनाने का प्रयास करता है।

6-संसाधनों का उचित उपयोग: शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य निश्चित मानव और भौतिक संसाधनों का महत्वपूर्ण उपयोग करना है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच दोनों का विकास हो सके।

7-नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन:केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित की गई शिक्षा की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना शैक्षिक प्रशासन की महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न:

1-शैक्षिक प्रशासन का अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

2-भारतीय शैक्षिक प्रशासन के कोई दो उद्देश्य बताइए।

5.5 भारतीय शैक्षिक प्रशासन की मूल संरचना

भारतीय शैक्षिक प्रशासन वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सम्पूर्ण देश में शिक्षा से संबंधित समस्तप्रक्रिया का संचालन, समन्वय, दिशा-निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधता लिए देश में शिक्षा का प्रशासन कोई साधारण कार्य नहीं है। देश में विभिन्न भाषाएँ, संस्कृतियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ और सामाजिक-आर्थिक अंतर शैक्षिक प्रशासन को और भी महत्वपूर्ण बनाने का कार्य करती है।जिसके परिणामस्वरूप ही भारत में शिक्षा प्रशासन की एक**बहु-स्तरीय (multi-level)**संरचना विकसित की गई है, जिससे निर्णय लेने में सुविधा रहे और शिक्षा को राष्ट्रीय तथा स्थानीय दोनों स्तरों को सही दिशा मिल सके। यह संरचना मुख्यतः तीन स्तरों पर आधारित है:

1-केन्द्रीय स्तर

2-राज्य स्तर

3-स्थानीय स्तर

इन तीनों स्तरों पर भिन्न संस्थाएँ और अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन करते है, जिनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियां का स्पष्टीकरण निम्नवत है-

5.5.1केंद्रीय स्तर पर भारतीय शैक्षिक प्रशासन

केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाना,गुणवत्ता नियंत्रण रखना,नीति निर्माण करना और शैक्षिक मानकोंको स्थापित करना है।

A-शिक्षा मंत्रालय: केंद्रीय स्तर परशिक्षा प्रशासन की सर्वोच्च संस्था शिक्षा मंत्रालय है। इस मंत्रालय की मुख्य भूमिकाएँ इस इसप्रकार है-

1-**राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण:** शिक्षा मंत्रालय संपूर्ण देश में लागू होने वाली शिक्षा से संबंधित नीतियों को बनाता है। इन नीतियों में तय किया जाता है कि विद्यालयों और कॉलेजों में किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाएगी, शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे विकसित किया जायऔर भविष्य कीआवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में क्या परिवर्तन लाए जाय।

2-**शिक्षा के बजट का निर्धारण:** यह मंत्रालय यह भीनिश्चित करता है कि शिक्षा पर कितनी धनराशि को व्यय किया जाएगा।विद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति तथा अन्य योजनाओं के लिए धन का उचित वितरण किया जाता है।

3-**राज्यों के साथ समन्वय**:देश में शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य दोनों की है।जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर काम करता है ताकि देश में शिक्षा व्यवस्था बेहतर और समान रूप से चलाई जा सके।

4-**शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन:**मंत्रालय पूरे देशमें चलने वाले शैक्षिक कार्यक्रम और योजनाओं को चलाता है।जिसमें मुख्य रूप से साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि आते है।

5-**आर्थिकरूप से कमजोर क्षेत्रों के लिए योजनाएँ बनाना:**शिक्षा मंत्रालय उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार की योजनाएँ बनाता है जहाँ पर शिक्षा की स्थिति अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कमजोर है या वहाँ के लोग आर्थिक रूप से पीछे हैं। प्रशासन काउद्देश्य होता है कि प्रत्येक बालक को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।

B-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC):भारत मेंउच्चशिक्षकों सुचारू और गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु बनाया गया महत्वपूर्ण संगठन है। जो यह निश्चित करता है कि संपूर्ण देश के विश्वविद्यालय और कॉलेज सही प्रकार से अपना काम करें और गुणवत्ता आधारित शिक्षा दे सकें। इनकी मुख्य भूमिकाएँ है-

1-**विश्वविद्यालयों को मान्यता देना:**यह तय करता है कि कौन-सा विश्वविद्यालय पढ़ाई कराने के लिए योग्य है। यदि कोई विश्वविद्यालय UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसकी डिग्री सही नहीं मानी जाती है।

2-**उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षण मानक निर्धारित करना:**उच्च शिक्षा में किस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ाने की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, तथा शिक्षक कितने योग्य होंगे, यह इन भी के लिए नियम और मानक तय करता है।

3-**अनुदान और धन उपलब्ध कराना:** विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बेहतर शिक्षा, शोध (Research) और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए UGC धन देता है। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सके है।

4-अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना:UGC शोध कार्यों को बढ़ावा तो देता ही हैसाथ ही नवाचारको भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, शोध परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता देना, नए विचारों को आगे बढ़ाना आदि।

C-राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद(NCERT):यहविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु काम करने वाली देश की प्रमुख संस्था है। स्कूलों में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, क्या विषय पढ़ाया जाए, और किस प्रकार से पढ़ाया जाएइन सभी पर काम करती है। इसकी मुख्य भूमिकाएँ इस प्रकार है-

1-पाठ्यक्रम निर्माण करना:एन सी आर टी संपूर्ण देश के विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माणकरता है। यह निर्धारित करता है कि कक्षा 1 से 12 तक बालकों को कौन-कौन से विषय, तथा कौन से अध्याय और कौशलों में निपुण बनाया जाए। साथ ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चे की उम्र, समाज की आवश्यकताओं और आधुनिक ज्ञान का भी ध्यान रखा जाता है।

2-**पाठ्यपुस्तकों का निर्माण:** NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित मानक के अनुसारकिताबें तैयार करता है। ये किताबें पूरे देश के विद्यालयों में उपयोग होती हैं और यह सरल भाषा, स्पष्ट चित्र और उपयुक्तव उपयोगी जानकारी के लिए प्रसिद्ध हैं।

3-शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना: NCERT शिक्षकों सम्पूर्ण देश में प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और सेमिनार भी चलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम, आधुनिक शिक्षण तकनीकों और कौशलों से परिचित कराता है, ताकि वे छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें।

4-शैक्षिक अनुसंधान और मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करना: NCERT शिक्षा से जुड़ी समस्त समस्याओं, सीखने के विभिन्न स्तरों और शिक्षण पद्धतियों पर भी शोध करता है।यह राष्ट्रीय स्तर पर**NAS (National Achievement Survey)का**भी आयोजन कराता है, जिससे छात्रों की सीखने की स्थिति का पता चलता है। और इन शोधों के आधार पर सरकार को शिक्षा सुधार हेतु सुझाव देता है।

D-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE): यह संस्थापुरे देश मे अध्यापक प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित करती है।इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे देश में जो भी शिक्षक बने, वे अच्छी ट्रेनिंग ले सकें, योग्य और सक्षम शिक्षक बन सकें।

1-शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता: देश में समस्त कॉलेज या संस्थान जो**B.Ed., D.El.Ed., M.Ed.**जैसी शिक्षण डिग्रियाँ देते हैं, उन्हें NCTE से अनुमति (मान्यता) लेनी आवश्यक होती है। यदि किसी संस्थान को NCTE की मान्यता नहीं प्राप्त है, तो उसकी डिग्री मान्य नहीं मानी जाती है।

2-शिक्षकों के लिए गुणवत्ता मानक: NCTE यह भी निश्चित करता है कि शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति में किन-किन योग्यताओं का होना आवश्यकहै जो यह तय करता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किन प्रकरणों को पढ़ाया जाए, तथा कितने घंटे का प्रशिक्षण हो, और शिक्षण कौशल कैसे विकसित किए जाए, इन सब का निर्धारण करता है।

3-B.Ed., D.El.Ed. जैसी डिग्रियों के नियम: NCTE B.Ed., D.El.Ed., M.Ed. जैसी सभी प्रकार की अध्यापक प्रशिक्षण डिग्रियों के लिए भी नियम बनाता है। जैसे-प्रवेश नियम संबंधी,कोर्स की अवधि संबंधी, पाठ्यक्रम,परीक्षाएँ संबंधी नियम आदि।

E-सी.बी.एस.ई (CBSE) और अन्य राष्ट्रीय बोर्ड:सी.बी.एस.ई एक राष्ट्रीय विद्यालय बोर्ड है जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता और परीक्षा प्रणाली को व्यवस्थित रूप से संचालित करता है। इसका उद्देश्य है कि देश के समस्त विद्यार्थियों कोसमान तथागुणवत्ता-युक्तशिक्षा मिल सके और परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होसके।

1-पाठ्यक्रम निर्माण: CBSE अपने स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 12 तक का पाठ्यक्रम को तैयार करता है। और यह भी तय करता है कि प्रत्येक कक्षा में कौन-से विषय और प्रकरणों को पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम आधुनिक ज्ञान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाता है।

2-परीक्षा संचालन: CBSE पूरे देश में कक्षा**10वीं और 12वीं**की बोर्ड परीक्षाएँ आयोजन करता है।यह परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक नियम भी बनाता है।पेपर सेटिंग, मूल्यांकन और अंकन प्रणाली का संचालन भी यही करता है।

3-परिणाम की घोषणा:बोर्ड परीक्षाओं के पश्चात CBSE ही छात्रों केपरिणाम को जारीकरता है।यह डिजिटलीकरण के माध्यम से परिणाम को तेज़ और सुविधाजनक उपलब्ध कराता है।परिणाम घोषित करने में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने मे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

4-केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालय को मान्यता :CBSE स्कूलों कोमान्यता भी देता है जैसे:केंद्रीय विद्यालय,नवोदय विद्यालय और अनेक निजी स्कूल को। मान्यता देने से पहले CBSE यह जाँच करता है कि क्याविद्यालयों मेंयोग्य शिक्षक,उचित भवन की सुविधाएँ, प्रयोगशालाएँ, सुरक्षा और अनुशासन की व्यवस्था, शिक्षण गुणवत्ता उपलब्ध हैं या नहीं।

F-तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE):यह परिषद इंजीनियरिंग,मैंनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर आदि तकनीकी क्षेत्रों के मानक निर्माण का कार्य करता है। साथ ही यह भारत की एक प्रमुख संस्था है, जो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फ़ार्मेसी, आर्किटेक्चर और अन्य सभी तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में होने वाली पढ़ाई की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का काम करती है।यह संस्था भी तय करती है कि कॉलेजों में कौन-से मानक और नियम अपनाए जाएजिससे छात्रों को आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा मिल सके।

5.5.2 राज्य स्तर पर भारतीय शैक्षिक प्रशासन:

भारत में शिक्षा का एक समवर्ती विषय है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों इसके लिए उत्तरदायी होते है। राज्य स्तर की शिक्षा कापूर्णउत्तरदायित्व राज्य सरकारों की होती है।

A-राज्य शिक्षा विभाग: यह राज्य का सर्वोच्च शैक्षिक प्रशासनिक विभाग है, जिसके निम्नलिखित कार्य है-

1-शिक्षा से संबंधित राज्य नीति बनाना:राज्य सरकार अपने राज्य में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न नीतियाँ और नियम बनाने का कार्य है। जैसे-स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों का नामांकन में कैसे सुधार हो, शिक्षा का अधिकार को कैसे लागू किया जायआदि। निर्मित नीतियाँ पूरे राज्य के विद्यालयोंमें लागू होती है।

2-राज्य के विद्यालयों, कालेजों और शिक्षकों का प्रबंधन:राज्य सरकार अपने अंदर आने वाले विद्यालयों और कॉलेजों का संचालन तथा नियंत्रण कार्य करती है। साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था,विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति,बच्चों के लिए नवीन योजनाएँ लागू करना, इन सभी कार्यों की उत्तरदायित्व राज्य के शिक्षा विभाग की होती है।

3-शिक्षकों की नियुक्ति:राज्य सरकार का कार्य है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की समय पर हो। इसके लिए,भर्ती प्रक्रिया बनाई जाती है,तथा पात्रता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता हैं,चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है।इस संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन का कार्य राज्य के शिक्षा विभाग का होता है।

4-राज्य स्तर के विद्यालयों को मान्यता देना:कोई भी नया स्कूल तभी संचालित किया जा सकता है जब उसे राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो सके।राज्य सरकार यह सुनिश्चित करती है कि स्कूल में उचित भवन और संसाधन की व्यवस्था है या नहीं,योग्य शिक्षकों की नियुक्त हैं या नहीं,पाठ्यक्रम और नियमों का पालन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं।जांच सही मिलने पर विद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी जाती है।

5-एस.सी.ई.आर.टी.के साथ मिलकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना: SCERT राज्य स्तर का संस्थान है जो शिक्षा से जुड़े अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का कार्य संपादित करता है।राज्य सरकार SCERT के साथ मिलकर,विद्यालयों का पाठ्यक्रम तैयार करती है,पुस्तकों और शिक्षण सामग्री तैयार करती

है,शिक्षण पद्धतियों में सुधार करती है।इस प्रकार SCERT और राज्य सरकार साथ मिलकर राज्य की शिक्षा को बेहतर और आधुनिक बनाने का कार्य करते हैं।

B-राज्य शिक्षा बोर्ड (State Board):प्रत्येक राज्य का अपना एक शिक्षा बोर्ड होता है उदाहरण के लिए जैसा- यूपी बोर्ड,एम पी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, आदि जो राज्य स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने का कार्य करती है। राज्य शिक्षा बोर्ड के निम्नलिखित कार्य है-

1-कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएँ आयोजित करना: राज्य शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है।इस कार्य मेंपरीक्षा का टाइम-टेबल बनाना,प्रश्नपत्र तैयार कराना,परीक्षा केंद्र को तय करना,परीक्षाओं का संचालन कराना,उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराना,परिणामघोषित करना आदिशामिल होता है। यह पूरी प्रक्रिया राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा नियंत्रित व संचालित की जाती है।

2-पाठ्यक्रम निर्माण:राज्य शिक्षा बोर्ड स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमको तैयार करने का कार्य करता है।इसके अंतर्गत किन-किन विषयों को सामिल किया जाए, प्रत्येक कक्षा में क्यापढ़ाया जाना है, किस विषय के कितने अध्याय होंगे, शिक्षण सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए,इस सब का निर्धारण किया जाता है। बोर्ड समय-समय पर पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन भी करता है ताकि शिक्षा समय के अनुसार अनुकूल और उपयोगी बनी रहे।

3-राज्य स्तर स्कूलों की मान्यता: राज्य शिक्षा बोर्ड राज्य में नवीनविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है।वहमान्यता देने से पूर्व बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय भवन, कक्षाएँ और सुविधाएँ पर्याप्त हैं कि नही,योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था हैं,स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करता है या नही,छात्रों के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध है।जब स्कूल सभी मानदंडों पर खरा उतरता है, तभी उसे बोर्ड के द्वारा से मान्यता दी जाती है। मान्यता मिलने के पश्चात ही स्कूल बोर्ड की परीक्षा और पाठ्यक्रम का संचालन कर सकता है।

C- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

राज्य स्तर पर शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जो राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का कार्य,शिक्षक प्रशिक्षण,पाठ्यचर्या का निर्माण और अनुसंधान कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निम्नलिखित कार्य है-

1-**पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक विकास:** राज्य स्तर के विद्यालयों में पढ़ाए जाने पाठ्यक्रम का निर्माण करना और संशोधन का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदके द्वारा ही किया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों का निर्धारण का कार्य, लेखन, समीक्षा और अद्यतन का कार्य भी इसी संस्था के द्वारा होता है।

2-**शिक्षक प्रशिक्षण**: यह शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। साथ ही नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीकी का उपयोग तथा शैक्षिक नवाचार की जानकारी भी शिक्षकों तक पहुँचाने का कार्य करता है।

3-**शैक्षिक अनुसंधान**: शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदराज्य में शिक्षा की सही स्थिति, तथा चुनौतियों, सीखने के परिणाम, शिक्षा की पहुँच आदि का अध्ययन का कार्य करता है,और अनुसंधान के आधार पर सरकार को सुझाव देने का कार्य करता है।

4-**शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन:**राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,राष्ट्रीय और राज्य स्तर की शिक्षा योजनाओं जैसे- समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न शैक्षणिक घटकों का संचालन का कार्य करता है। तथा शिक्षण सामग्री का निर्माण और वितरण का कार्य भी यही करता है।

5-**मूल्यांकन एवं परीक्षण:** शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों को विकसित करना भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदका ही कार्य है। साथ ही छात्रों के सीखने के स्तर से संबंधित परीक्षण और अध्ययन भी यही करता है।

6-**डाइट और अन्य शैक्षिक संस्थानों का मार्गदर्शन:**): राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

जिला स्तरपर कार्यरत डाइट को सही शैक्षणिक दिशा निर्देश देने का कार्य भी करता है। शिक्षक के प्रशिक्षण,अनुसंधान और शैक्षिक नवाचारों में भी अत्यधिक सहयोग प्रदान करता है।

5.5.3:स्थानीय स्तर पर भारतीय शैक्षिक प्रशासन

स्थानीय स्तर का प्रशासन शिक्षा कोजमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करनेमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाका निर्वहन करता है। यही वह स्तर है जहाँ योजनाएँ धरातलीय रूप से स्कूलों में लागू होती हैं, उनकी निगरानी व देख-रेख होती है, और आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया जाता है।

भारत में स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन मुख्य रूप से निम्न संस्थाओं द्वारा संचालित होता है:

1. जिला स्तर (District Level)

2. ब्लॉक / खंड स्तर (Block Level)

3. ग्राम पंचायत / नगर निकाय स्तर (Village & Urban Local Bodies)

4. विद्यालय स्तर (School Level)

A-जिला स्तर: जिला स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को उचित और प्रभावी रूप से चलाने का उत्तरदायित्व कुछ प्रमुख अधिकारियों के अधिकार में होती है। ये अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जिले के समस्तविद्यालयों में पढ़ाई, प्रशासन और योजनाओं का सही प्रकार से संचालन हो रहा है कि नहीं। जिला स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए दो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं:

1-जिला शिक्षा अधिकारी (DEO):ये जिले में शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों की समग्र निगरानी करते हैं।उनका काम यह देखना है किसभी विद्यालय सही तरह से संचालित हों सकें,शिक्षकों की नियुक्ति समय पर हो, प्रशिक्षण और उपस्थिति ठीक हो,सरकारी योजनाएँ सही तरह से संचालित हों आदि।

2. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS):DIOS मुख्यतः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख करते हैं। उनकी मुख्य भूमिका हैं कि- स्कूलों का निरीक्षण करना, शिक्षकों के कार्यों का सही मूल्यांकन करना, शैक्षणिक गुणवत्ता की जाँच सुनिश्चित करना आदि।

B-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (District Institute of Education & Training):जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हर एक जिले में स्थापित एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर और उपयोगी बनाना है । यह शिक्षा विभाग/SCERT के अंदर कार्य करता है। जिसका मुख्य कार्य है, प्राथमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण की व्यवस्था करना,पाठ्य सामग्री तैयार करना और नवाचार विकास,अनुसंधान, कार्यशालाएँ, आदि। यहशिक्षा प्रशासन का**संचालन, प्रशिक्षण और निरीक्षण**का मुख्य केंद्र है।

C-ब्लॉक / खंड स्तर का प्रशासन (Block-Level Administration):देश के शिक्षा प्रशासन मेंब्लॉक स्तरएक महत्वपूर्ण मध्य-स्तर है, जहाँजिला शिक्षा विभाग और विद्यालय स्तरके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।एक ब्लॉक में कई**ग्राम पंचायतें**और अनेक**प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय**आते हैं।

1-खंड शिक्षा अधिकारी (BEO): यहब्लॉक के सभी सरकारी विद्यालयों का प्रशासनिक प्रमुख होता है। इसके मुख्य कार्य-विद्यालयों मे निरीक्षण करना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाँच करना, छात्रवृत्ति, समग्र शिक्षा अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन करना, शिक्षकों की उपस्थिति व कार्य की निगरानी करना,स्कूलों की रिपोर्ट भेजना आदि होता है।

2-ब्लाँक संसाधन केंद्र(Block Resource Centre):यहब्लॉक स्तर का शैक्षणिक संसाधन केंद्र होता है। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यआतेब है-शिक्षकों का प्रशिक्षण की जाँच, शिक्षण सामग्री वितरण करवाना, शैक्षणिक प्रगति का सही मूल्यांकन करना आदि।ब्लॉक स्तर पर**प्रशासन और शैक्षणिक समर्थन** के संबंधित दोनों कार्य किए जाते हैं।

D-ग्राम पंचायत/नगर निकाय स्तर (Village & Urban Local Bodies): ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। इसका मुख्य कार्य गाँव के विकास से जुड़े कार्यों का निष्पादन है-जिनमें शिक्षा भी एक प्रमुख क्षेत्र है।

1-ग्राम पंचायत (सामान्य ग्रामीण क्षेत्र): ग्राम पंचायत का कार्य मुख्य रूप से गाँव के स्कूल के विकास और उनकी निगरानी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके कार्य मुख्य रूप से इस प्रकार है-विद्यालय भवन निर्माण और उनकी मरम्मत करना, स्वच्छता की जाँच, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था करना,नामांकन अभियान में सहयोग करना, बीच में शिक्षा छोड चूके बच्चों को पहचानना और स्कूल वापस लाना आदि।

2-नगर निकाय (नगर निगम, नगर पालिका): नगर निकाय का उत्तरदायित्व है कि वह शहरी शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहयोग प्रदान करें। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है-नगर के प्राथमिक विद्यालयों का प्रबंधन करना,बजट आवंटन की सही प्रकार से व्यवस्था

करना,भवन, बिजली, पानी आदि की सही सुविधाएँ व समय-समय पर स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों का आयोजन करना।स्थानीय निकाय शिक्षा को**स्थानीय जरूरतों के अनुसार**सुधारने का उत्तम प्रयास करते हैं।

E-विद्यालय स्तर (School-Level Administration):विद्यालय स्तर का प्रशासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत स्कूल के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सह-शैक्षणिक गतिविधियों का प्रबंधन किया जाता है।यह स्कूल की**दैनिक गतिविधियों को संचालित**करने वाला सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण स्तर है।

1-विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC):विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल के प्रबंधन मेंसमुदाय की भागीदारीसुनिश्चित करने के लिए बनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण समिति है।जिसकाउद्देश्य है किअभिभावक, शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि और समुदाय आपस में मिलकर स्कूल के विकास में सहभागिता कर सकें।इसकी मुख्य भूमिका, स्कूल विकास योजना कोतैयार करना,अनुदान के उपयोग की निगरानी व प्रयोग,शिक्षक व छात्रों की उपस्थिति की जाँच करना,अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना,मासिक बैठकें आदि करना है।

2-समूह(क्लस्टर) संसाधन केंद्र(CRC):समूह संसाधन केंद्र शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक इकाई है। जो विद्यालयों के एक समूह के लिए शैक्षणिक सहायता और निगरानी का कार्य सम्पन्न करता है।एक क्लस्टर में लगभग 10–15 विद्यालय आते हैं। इसका कार्य मुख्य रूप से-शिक्षकों को सही मार्गदर्शन देना,कक्षाओं का समय-समय पर निरीक्षण करना, माइक्रो-लेवल ट्रेनिंग देना, शिक्षण समस्याओं का उचित समाधान करना आदि है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न: 3-भारतीय शैक्षिक प्रशासन के तीन स्तर कौन से है?

4-राज्य शिक्षा बोर्ड के कोई दो कार्य बताइए।

5.6 भारतीय शैक्षिक प्रशासन के गुण

भारतीय शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है शिक्षा कीसुलभता, गुणवत्ता और समानता कोसुनिश्चित करना है। इसमें अनेक गुण विद्यमान हैं, जो इसको प्रभावशाली बनाते हैं।

1-व्यापक और संगठित संरचना:भारतीय शैक्षिक प्रशासनकेंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरपर व्यवस्थित है।जो तीन स्तर का ढांचा सुनिश्चित करने का काम करता है जिससे**नीति, योजना और क्रियान्वयन**सभी स्तरों पर संतुलित हो। उदाहरण के लिए,**केंद्रीय स्तर पर**नीति निर्धारण का कार्य, NCERT, UGC,**राज्य स्तर पर:**राज्य शिक्षा विभाग, राज्य बोर्ड,**स्थानीय स्तर:** DEO, BEO, SMC, ग्राम पंचायत।

2-लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत प्रणाली:यह स्थानीय स्तर पर**ग्राम पंचायत समीति, ग्राम पंचायत, नगर निकाय**जैसी संस्थाएँ शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में**अभिभावक और स्थानीय प्रतिनिधियों**की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। जिससे प्रशासन**स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल**बनता है।

3-राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता: राज्य स्तर परNCERT, CBSE, NCTE जैसे संगठन सुनिश्चित करते हैं किपूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता और मानक एक समानहों। तथा पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण में भी समानता से छात्रों को एक **समान अवसर**प्राप्त होते हैं।

4-शिक्षा के अधिकारों पर आधारित: इसके आधार पर RTE Act, 2009 के आधार पर 6–14 वर्ष के बालकों कोनिःशूल्कऔर अनिवार्य शिक्षाका अधिकार प्राप्त हुआ। साथ ही शिक्षा अब केवल सरकारी नीति नहीं रही, बल्कि**कानूनी अधिकार**बन गई।

5**विकासात्मक योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन:** इसके आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण शिक्षा का स्तर और ऊँचा होता है, जिनमें,मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था , समग्र शिक्षा अभियान,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ,छात्रवृत्ति योजनाएँ आदि प्रमुख रूप से कार्य कर रहीहै। ये योजनाएँशिक्षा की सब तक पहुँच और उपयोगी गुणवत्तादोनों में सुधार लाती हैं।

6-सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा: इसके अंतर्गत SC/ST/OBC, विकलांग, बालिकाओं और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान हैं। और यह सुनिश्चित करता है कि**सभी वर्ग केबालकों को समान अवसर तथा शिक्षा का लाभ**प्राप्त हो सके।

7-शिक्षा में निरंतर निगरानी और मूल्यांकन: शिक्षा में उपयुक्त रूप से निरंतर निगरानी और मूल्यांकन हेतुDEO, BEO, DIET, BRC, CRC जैसे संस्थान नियमितरूप से **निरीक्षण और मूल्यांकन**करते हैं। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए**समय-समय पर योजनाओं में संशोधन**किया जाता है।

5.7 भारतीय शैक्षिक प्रशासन के दोष (Limitations / Weaknesses)

भारतीय शिक्षा प्रशासन के ढांचे में अनेक सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन साथ ही इसके कुछमहत्वपूर्ण दोषभी विद्यमान हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता और कार्यान्वयन को प्रभावित भी करते हैं।जिनकी व्याख्या इस प्रकार है-

1-अत्यधिक नौकरशाही और केंद्रीकरण:भारत में शिक्षा के प्रशासन का ढांचाकेंद्र, राज्य और जिला स्तरपर बहुत जटिल है। जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यधिक लंबी और पेचीदा होने के कारणनीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप: स्कूलों में संसाधन समय पर उपलब्ध कराना या नई शिक्षा योजनाओं को लागू करना आदि अक्सर महीनों तक लंबित बना रहता है।

2-संसाधनों की असमान उपलब्धता: शहरी और ग्रामीण विद्यालयों मेंभवनों, शिक्षकों, लैब, पुस्तकालयों और तकनीकी उपकरणोंमें काफी अंतर देखने को मिलता है।कुछ स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जबकि कई ग्रामीण विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। यह असमानता शिक्षा में**गुणवत्ता और अवसर की असमानता को प्रदर्शित करती है**।

3-शिक्षक कमी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी: कई राज्यों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। और जो शिक्षक हैं भी तो उनमेंप्रशिक्षण और नवीन शिक्षण तकनीक का अभाव पाया जाताहै, जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के सीखने की गुणवत्ता पर पड़ता है।

4-भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ:स्कूलों को मिलने वाले अनुदान का दुरुपयोग होता है। "घोस्टटीचर्स" (जो अस्तित्व में नहीं हैं, पर उनकी सैलरी ली जाती है) और फर्जी उपस्थिति जैसी घटनाएँ आम तौर पर देखने को मिलती हैं। इससेशिक्षा में शिक्षण संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पाता।

5-निरीक्षण तंत्र कमजोर: DEO, BEO जैसे एक अधिकारी कई जिलों और ब्लॉकों के स्कूलों का निरीक्षण करते पाए जाते हैं। उनके पास कार्यभार क्षमता से अधिक होने के कारणसमुचित निरीक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप कई स्कूलों में गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर ही रह जाती है।

6-सामुदायिक भागीदारी कमजोर:SMC और अनेक स्थानीय समितियाँ कागज पर तो मौजूद होती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कई जगहप्रभावी रूप से कार्य नहीं करतीं। अभिभावक और समुदाय की सक्रिय भागीदारी न होने से भीस्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता।

7-राजनीतिक हस्तक्षेप: शिक्षा नीतियों और शिक्षक नियुक्तियों में राजनीतिक दबाव अक्सर देखने को मिलता है। जिसके कारणनियत रूप से व समय पर निर्णय नहीं होते और गुणवत्ता प्रभावित होती है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न:

5-भारतीय शैक्षिक प्रशासन के कोई दो गुण बताइए।

6- भारतीय शैक्षिक प्रशासन के कोई दो दोष बताइए।

5.8 सारांश

भारतीय शैक्षिक प्रशासन शिक्षा की वह व्यवस्था है जिसके आधार पर देश में शिक्षा संबंधी नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रमों का निर्माण व लागू किए जाते हैं। इसकी संरचना तीन स्तरों-केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर आधारित है, जहाँ प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। केंद्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, UGC, NCERT, NCTE और CBSE जैसी संस्थाएँ नीति, पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और मानकों को निर्धारित करती हैं, जबकि राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग, राज्य बोर्ड और SCERT इन नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों अनुसार संचालित करते हैं। स्थानीय स्तर पर DEO, BEO, DIET, पंचायत, नगर निकाय और SMC स्कूलों की निगरानी, योजनाओं के क्रियान्वयन और समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रशासन के गुणों में सुव्यवस्थित संरचना, लोकतांत्रिक व विकेंद्रीकृत प्रणाली, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक न्याय आदिसम्मिलत हैं, जबकि इसके दोषों में संसाधनों की असमानता, नौकरशाही, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। निष्कर्षतःभारतीय शैक्षिक प्रशासन एक विस्तृत और महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो सुधार और दक्षता के साथ और अधिक प्रभावी बन सकती है।

5.9 शब्दावली

1-**शैक्षिक प्रशासन** – शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन।

2-**क्रियान्वयन (Implementation)** – किसी योजना को वास्तविक रूप से लागू करना।

3-**विकेंद्रीकरण (Decentralization)** – अधिकारों का केंद्र से विभिन्न स्तरों पर विभाजन।

4-सहयोगात्मक प्रक्रिया (Collaborative Process) – मिलकर काम करने की व्यवस्था।

5- **NCERT** – राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

6-**UGC** – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा से संबंधित संस्था)।

7-**NCTE** – राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (शिक्षक प्रशिक्षण की संस्था)।

8-**अधोसंरचना (Infrastructure)** – भवन, कमरे, बिजली, पानी आदि आवश्यक सुविधाएँ।

9-**सर्व शिक्षा अभियान** – प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की सरकारी योजना।

10**समानता (Equality)** – सभी को समान अवसर देना।

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1- शैक्षिक प्रशासन का अर्थ शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों- जैसे योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रण रखना और समन्वय स्थापित करना आदि का कुशल प्रबंधन करना ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

2-1-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार्। 2-समानता व सर्वसुलभता सुनिश्चित करना।

3-तीन स्तर-1-केन्द्रीय स्तर 2-राज्य स्तर 3-स्थानीय स्तर

4-दो कार्य-1-राज्य स्तर पर स्कूलों को मान्यता देना। 2-पाठ्यक्रम निर्माण।

5-दो गुण-1-व्यापक और संगठित संरचना,2- राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता।

6-दो दोष-1-अत्यधिक नौकरशाही और केंद्रीकरण, 2-संसाधनों की असमान उपलब्धता

5.11: संदर्भ ग्रंथ सूची

1-Aggarwal, J. C. (Year). *Bhartiya Shiksha ka ItihasevamSamasyaen*. Arvind Publishers.

2-Sharma, R. N., & Sharma, R. K. (Year). *Shiksha PrashasanevamPrabandh*. Atlantic Publishers.

3-Gupta, V. (Year). *Bhartiya Shaikshik Prashasan*. Lakshmi Narain Agrawal Publishers.

4-Rao, V. K. R. V. (Year). *Education and Development*. Allied Publishers.

5-NCERT. (Year). *Educational Administration and Management: Training Modules*. National Council of Educational Research and Training.

6-University Grants Commission (UGC). (Year). *Handbook on Higher Education Administration*. UGC Publications.

7-National Council for Teacher Education (NCTE). (Year). *Teacher Education Curriculum Framework*. NCTE Publications.

8-Ministry of Education. (2020). National Education Policy 2020. Government of India.

9-SCERT. (Year). Shiksha Prashasanevam Vidyalaya Prabandhan. State Council of Educational Research and Training.

5.12: निबन्धात्मक प्रश्न

1-भारतीय शैक्षिक प्रशासन की संरचना बताइए एवं उसके प्रमुख घटकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तथा इसके प्रत्येक स्तर (केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर) की भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए।

2-भारतीय शैक्षिक प्रशासन के गुणों एवं दोषों का विवेचन कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ बताइए कि ये गुण शिक्षा के विकास में कैसे सहायक हैं तथा दोष शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

इकाई 6 : भारतीय शैक्षिक प्रशासन और योजना से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों NCERT, UGC, NIEPA, SCERT और DIET के कार्य (Functioning of important organizations related to Indian Educational Administration and Planning NCERT, UGC, NIEPA, SCERT and DIET)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

6.2 उद्देश्य (Objectives)

6.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

6.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

6.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NUEPA/NIEPA)

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

6.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)

6.7 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

6.8 सारांश (Summary)

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)

6.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

6.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक विशाल, विविधतापूर्ण और बहुस्तरीय प्रणाली है, जिसे प्रभावी, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढाँचे और योजनाओं की आवश्यकता होती है। हमारे देश में शिक्षा के विभिन्न स्तरों प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता, समानता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए देश में अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थान अपने-अपने स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों में प्रमुख रूप से NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग),

NIEPA (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान), SCERT (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) तथा DIET (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) का महत्वपूर्ण योगदान हैं, इन शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी सम्पूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था हेतु नीति निर्माण, पाठ्यचर्या विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, मूल्यांकन सुधार तथा शैक्षिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाना है।

ये शैक्षणिक संस्थान न केवल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को निर्देशित करते हैं, बल्कि शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार लाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को सफल बनाने की दिशा में भी निरंतर कार्य करते हैं। NCERT राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री तैयार करता है; UGC उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता, अनुदान और शैक्षणिक मानदंड प्रदान करता है; NIEPA शिक्षा प्रशासन एवं योजना में विशेषज्ञता विकसित करता है; जबकि SCERT और DIET राज्य एवं जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र-

1. छात्र NCERT के कार्यों के बारे में जान सकेंगें।
2. छात्र UGC के महत्व को समझ सकेंगे।
3. छात्र NIEPA के कार्यों के बारे में जान सकेंगें।
4. छात्र SCERT के कार्यों के बारे में जान सकेंगे।
5. छात्र DIET की भूमिका के बारे में जान सकेंगे।
6. छात्र विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकेंगें।

6.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद: (National Council of Educational Research and Training)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा 1 सितम्बर 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, पाठ्यक्रम निर्माण करना,

शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और विभिन्न शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता करना है। यह संगठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और पूरे देश में स्कूली शिक्षा की दिशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NCERT की पाठ्यपुस्तकें विशेष रूप से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और कई अन्य राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा उपयोग की जाती हैं, जिससे यह भारत की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वर्तमान निदेशक **प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी** हैं।

संरचना एवं क्षेत्रीय कार्यालय-

NCERT का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में इसके आठ क्षेत्रीय संस्थान कार्य कर रहें हैं जो निम्नवत हैं-

1. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – अजमेर
2. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – भोपाल
3. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – भुवनेश्वर
4. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – मैसूर
5. केंद्रीय शिक्षा संस्थान – शिलांग
6. CIET (Central Institute of Educational Technology) – नई दिल्ली
7. PSSCIVE (Vocational Education) – भोपाल
8. NERIE (North East Regional Institute of Education) – शिलांग

ये सभी संस्थान स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर शैक्षिक योजनाओं, प्रशिक्षण, और पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग करते हैं।

NCERT के कार्य- NCERT के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं-

1. **पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक निर्माण:**

NCERT देशभर के छात्रों के लिए कक्षा 1 से 12 तक की NCERT पुस्तकें तैयार करता है। ये किताबें सरल, वैज्ञानिक, बालकेंद्रित, और गतिविधि-आधारित होती हैं। CBSE सहित कई राज्य बोर्ड इन पुस्तकों को अपनाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पर आधारित होती हैं। इन पुस्तकों में बच्चों के समग्र विकास, समीक्षा पर आधारित अधिगम, संवेदनशीलता, समाज की विविधता, और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जाता है।

2. **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF):**

NCERT समय-समय पर NCF का निर्माण करता है, जो स्कूल स्तर पर पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन और शैक्षिक उद्देश्यों को तय करता है। अब तक कुल पांच 1975, 1988, 2000, 2005 और 2023 में NCF जारी किए गए हैं। नवीनतम NCF 2023, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिद्रश्य में विकसित किया गया है।

3. **अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

NCERT शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों, मूल्यांकन की नई प्रणालियों, समावेशी शिक्षा, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।

4. **शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा :**

NCERT शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है, जैसे– शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन तकनीक, अधिगम कठिनाइयाँ, बाल विकास, सामाजिक विविधताएँ आदि। इन शैक्षिक अनुसंधानों माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावशाली और प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जाता है।

5. **मूल्यांकन और परीक्षाएँ:**

NCERT ने मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली को बदलने के लिए सतत और समग्र मूल्यांकन जैसी अवधारणाएँ विकसित की हैं। यह केवल अंक देने की प्रणाली से हटकर छात्र के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है।

6. शैक्षिक नवाचार और तकनीकी प्रयोग:

NCERT ने दीक्षा पोर्टल, PM eVIDYA, NISHTHA प्रशिक्षण, e-pathshala, Swayam, और Shagun जैसे डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए हैं, जिससे डिजिटल शिक्षा को बल मिला है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ऑडियो-विज़ुअल सामग्री, ई-बुक्स, प्रश्न बैंक, गतिविधियाँ आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक सशक्त आधार स्तंभ है। यह न केवल विद्यार्थियों के लिए उच्च गुणवत्ता की पाठ्य सामग्री तैयार करता है, बल्कि शिक्षकों के विकास और शिक्षा प्रणाली के सुधार में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। शिक्षा को समावेशी, बालकेंद्रित, अनुसंधान-आधारित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में इसके प्रयास प्रशंसनीय हैं। आने वाले समय में NEP 2020 के क्रियान्वयन में NCERT की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

6.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

सार्जेंट कमीशन 1944, ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इन सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव दिया था और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने सन 1946 में इस समिति का गठन कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने इस समिति को आयोग में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। इस आयोग के सुझावों के आधार पर सन 1953 में केंद्र सरकार द्वारा इसे समिति के स्थान पर आयोग की घोषणा कर दी गयी, तथा बाद में सन 1956 में संसद में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 पास कर इसे संवेधानिक दर्जा प्रदान किया गया और तब से यह एक स्वायत संस्था के रूप में कार्य कर रही हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन, समन्वयन और मानकीकरण के लिए की गई थी। यह आयोग देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय सहायता देता है, और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। UGC, SWAYAM, e-PG Pathshala जैसी डिजिटल पहलों के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, यह आयोग देश भर के फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान कर विद्यार्थियों को सचेत करता है, और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। UGC के वर्तमान अध्यक्ष (Chairperson) **डॉ. विनीत जोशी** जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया हैं जो शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं और उन्होंने अप्रैल 2025 में यह अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य निम्नवत हैं-

1. UGC का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारत में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना हैं।
2. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विकास एवं अनुसंधान कार्यों के लिए अनुदान देना।
3. विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने से सम्बंधित नियमों का निर्धारण करना।
4. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शैक्षिक मानदंडों को निर्धारित करना और उनके पालन की निगरानी करना।

5. केंद्र और राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा नीति एवं योजना बनाने में सलाह देना और विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना।
6. नवीनतम शैक्षणिक और शोध क्षेत्रों में पाठ्यक्रम विकसित करना और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
7. अनुसंधान के लिए छात्रों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों को फेलोशिप और छात्रवृत्तियाँ देना।
8. योग्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करना ताकि वे अपने पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली में नवाचार ला सकें।
9. नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।
10. शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे- Refresher और Orientation Courses आदि का आयोजन कराना।
11. UGC/ NTA परीक्षा का आयोजन कराना जो देशभर में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अनिवार्य है।
12. शिक्षा से जुड़ी नीतियों जैसे कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य करना और उसे लागू करवाना।

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, विश्वविद्यालयों को मान्यता देने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती है।

6.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NUEPA/NIEPA)

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा प्रणाली का कुशल प्रबंधन, नियोजन और प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। भारत में शिक्षा का विस्तार, गुणवत्ता, समावेशिता और समानता तभी संभव है जब उसके पीछे एक सशक्त, शोध-आधारित और दूरदर्शी योजना हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष संस्था की स्थापना की हैं जिसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन

संस्थान हैं। यह संस्थान शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है।

NIEPA की शुरुआत वर्ष 1962 में भारत सरकार और युनेस्को के सहयोग से हुई थी। प्रारंभ में इसे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। वर्ष 1979 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय रखा गया और बाद में इसे 2006 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और फिर वर्ष 2019 में इसका नाम परिवर्तित कर **राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (NIEPA)** कर दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के वर्तमान कुलपति **प्रोफेसर शशिकला वंजारी** हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के कार्य-

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के मुख्य कार्य निम्नवत हैं-

1. शैक्षिक योजना निर्माण और अनुसंधान करना :

- केंद्र और राज्य सरकारों को शैक्षिक योजना बनाने में सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा से संबंधित नीतियों और योजनाओं पर शोध कार्य करना।
- नवीनतम शैक्षिक रुझानों, समस्याओं और समाधानों पर अध्ययन करना।

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना :

- शैक्षिक प्रशासकों, योजना निर्माताओं, और स्कूल प्रमुखों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- क्षमता संवर्धन के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा के प्रबंधन को मजबूत बनाना।

3. आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण करना :

- शिक्षा के क्षेत्र में आँकड़े एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना।
- UDISE+ जैसे डेटा सिस्टम को सहयोग देना।

4. परामर्श सेवा देना :

- विभिन्न राज्यों, केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देना।
- नीति निर्माण और योजना कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता देना।

5. प्रकाशन और दस्तावेज़ीकरण करना :

- शिक्षा, योजना और प्रशासन से संबंधित पुस्तकें, शोधपत्र और रिपोर्ट प्रकाशित करना।
- शैक्षिक प्रशासन से जुड़े ज्ञान का प्रसार करना।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना :

- UNESCO, UNICEF, World Bank आदि संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक योजना और प्रशासन में भारत का प्रतिनिधित्व करना।

NIEPA का योगदान केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों के कार्यान्वयन में भी मार्गदर्शक भूमिका निभा रहा है। शिक्षकों, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को सक्षम बनाकर यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण और उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली की नींव रखता है।

अभ्यास प्रश्न -

प्रश्न.1- NCERT के वर्तमान निदेशक कोंन हैं ?

प्रश्न.2- NCERT की स्थापना कब की गयी?

प्रश्न.3- वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के मुख्या कोंन हैं?

प्रश्न.4- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गयी?

6.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)-

भारत में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की स्थापना का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है। जब 1961 में केंद्र सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की, तब यह शिक्षा के विविध पहलुओं जैसे पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, शैक्षिक नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास हेतु एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्यरत हुआ। NCERT की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों से प्रेरित होकर यह अनुभव किया गया कि राज्यों को भी स्थानीय आवश्यकताओं, भाषाई विविधताओं, सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित शैक्षिक संस्था की आवश्यकता है। इस संस्था का उद्देश्य राज्य की शैक्षिक चुनौतियों और संभावनाओं के अनुरूप कार्य करना होगा। इस दिशा में पहल करते हुए सबसे पहले आंध्रप्रदेश सरकार ने 1967 में NCERT की तर्ज पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की।

बाद में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने राज्यों को यह सुझाव दिया कि वे अपनी-अपनी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना करें, साथ ही इन परिषदों को अधिक स्वायत्तता और विस्तृत कार्यक्षेत्र प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्तमान में ये परिषदें राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन पद्धतियों, शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

SCERT, प्रत्येक राज्य की प्रमुख शैक्षिक संस्था के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास करना, शिक्षकों के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना और राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों को राज्य के विशेष संदर्भ में क्रियान्वित करना रहा है। SCERT की यह भूमिका भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण और राज्यों को अधिक शैक्षिक स्वायत्तता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है, जो राज्य-विशिष्ट शैक्षिक रणनीतियों और नवाचारों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को

प्रशासनिक रूप से राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के अधीन रखा गया है, किंतु कार्यात्मक रूप से इन्हें व्यापक शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इन परिषदों को शैक्षिक नवाचारों को बढ़ावा देने, राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का मार्गदर्शन करने, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (CRC) के साथ सहयोग स्थापित करने तथा विद्यालयों के शैक्षिक पर्यवेक्षण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है।

SCERT की एक विशिष्ट भूमिका प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा, जैसे कार्यक्रमों के संचालन, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा योजना और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त, परिषद राज्य स्तर पर शैक्षिक नवाचारों की पहचान कर उनका दस्तावेजीकरण करती है और सफल नवाचारों को अन्य जिलों और विद्यालयों में प्रसारित करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करती है, जिससे समग्र राज्य में गुणवत्तापूर्ण और नवोन्मेषी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

SCERT की स्थापना के पीछे एक और प्रमुख उद्देश्य यह था कि प्रत्येक राज्य को अपनी भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को ढालने का अधिकार और अवसर मिल सके। जिन राज्यों में जनजातीय आबादी अधिक है, वहां की SCERT ने जनजातीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने हेतु विशेष और सराहनीय पहल की है। इसी प्रकार, देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, मैदानी, रेगिस्तानी और तटीय राज्यों ने अपनी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाल-केंद्रित शिक्षण विधियों, आकलन प्रक्रियाओं और अधिगम संसाधनों का सृजन किया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) केवल राज्य की शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों और अनुकूलनों के माध्यम से शिक्षा को अधिक प्रभावशाली, समावेशी और प्रासंगिक बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार देश के सभी राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने भारत के लगभग सभी राज्यों को अपनी शैक्षिक पहचान और स्वतंत्र कार्यनीति विकसित करने का अवसर प्रदान किया हैं । भविष्य में SCERT की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यह संस्था राज्यों

की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने, और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्य-

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख कार्य राज्य स्तर पर स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और शिक्षक शिक्षा को सशक्त बनाना है। इसके कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तर्ज पर होते हैं, लेकिन राज्य की विशेष आवश्यकताओं तथा राज्य की मूलभूत सुबिधाओं के अनुरूप होते हैं। जो निम्नलिखित हैं:

1. राज्य की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली पाठ्यचर्या का निर्माण कर लागू करना।
2. कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं और शिक्षण सहायक सामग्री का विकास और उनका प्रकाशन करना।
3. समय-समय पर पूर्व-सेवा और सेवाकालीन शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।
4. विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर शोध कार्य करना एवं नीति निर्माण हेतु सरकार को अपनी अनुशंसाएँ देना।
5. विद्यालयी शिक्षा हेतु मूल्यांकन उपकरणों, आकलन पद्धतियों तथा अधिगम स्तर पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना।
6. ऑडियो-विजुअल, डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया सम्बंधी सामग्री का निर्माण कर राज्य भर के शिक्षकों और छात्रों के लिए सहायक सामग्री को उपलब्ध कराना।
7. समग्र शिक्षा अभियान, NIPUN भारत अभियान, FLN मिशन आदि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कर विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को लाभ पहुचाना।
8. नवीन शिक्षण विधियों, ICT आधारित शिक्षण और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना।

9. सतत एवं समग्र मूल्यांकन, योग्यता आधारित मूल्यांकन और नवीन मूल्यांकन प्रणालियों का संवर्धन करना।
10. राज्य के विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से सम्बंधित सभी आंकड़ों को एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित एवं प्रसारित करना।
11. विद्यालयी शिक्षा में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम एवं संसाधन विकसित करना।
12. राज्य के सभी जिलों के जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं सहयोग करना।

अतः राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह परिषद न केवल पाठ्यचर्या निर्माण और शिक्षक प्रशिक्षण में अपनी अहम् भूमिका निभाता हैं, बल्कि राज्य में शिक्षा से जुड़े अनुसंधान, मूल्यांकन सुधार और नीति निर्माण में भी अपना योगदान देती है। NEP 2020 जैसे नवीन शैक्षिक परिवर्तनों को जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू करने में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6.7 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान: (DIET)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भारत में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा शिक्षक शिक्षा को स्थानीय संदर्भों के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू करने हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। ये संस्थान विकेन्द्रीकृत ढांचे के तहत प्रत्येक जिले में कार्यरत होते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना तथा कार्यरत शिक्षकों को विषयवार व नवाचार-आधारित निरंतर प्रशिक्षण देकर उनकी व्यावसायिक दक्षता को अद्यतन बनाए रखना है। DIET स्थानीय भाषा, संस्कृति, संसाधनों और शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं कि वे अपने शैक्षिक क्षेत्र की सामाजिक व शैक्षणिक विविधताओं को समझकर बच्चों की सीखने की

आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। इन्हें शिक्षक शिक्षा का आधारभूत ढांचा माना जाता है, जो शैक्षिक नवाचार, पाठ्यचर्या विकास, समावेशी शिक्षा, शिक्षण-अधिगम सामग्री निर्माण तथा शैक्षिक अनुसंधान जैसे कार्यों में सक्रिय रहते हैं। DIET की सेवाएँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं: एक, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जैसे डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) का संचालन करना और दूसरा, कार्यरत शिक्षकों के लिए विषय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना हैं। ये संस्थान बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बाल मेलों, विज्ञान प्रदर्शनियों, शिक्षक नवाचार प्रतियोगिताओं, तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित शिक्षण पद्धतियों जैसी नवाचारी गतिविधियों का भी संचालन करते हैं।

वर्तमान डिजिटल युग में DIET अब केवल परंपरागत प्रशिक्षण केंद्र न रहकर, नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षकों को उन्नत बनाने का कार्य कर रहे हैं। DIKSHA, NISHTHA, FLN मिशन, समग्र शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत DIET को शिक्षक प्रशिक्षण के डिजिटलीकरण और गुणवत्ता उन्नयन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने DIET को एक बार फिर से शिक्षा प्रणाली के हृदयस्थल में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जहाँ शिक्षक न केवल जानकारी प्राप्तकर्ता बल्कि समाज परिवर्तन के संवाहक भी बन सकें। NEP 2020 में DIET को **"हब ऑफ इनोवेशन"** के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है, जो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और उनकी पेशेवर गरिमा को बढ़ाएंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि DIET को महज एक प्रशिक्षण संस्था न मानकर, बल्कि एक शैक्षिक प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ शिक्षक, प्रशिक्षक, शोधकर्ता और नीति निर्माता मिलकर एक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में योगदान दें सकें। वर्तमान समय में जब शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी के कौशल, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक समावेशिता और बहुभाषिकता की ओर अग्रसर हो रही है, तब DIET की भूमिका और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि DIET भारतीय शिक्षा व्यवस्था का वह मजबूत स्तंभ हैं, जो न केवल वर्तमान शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की नींव भी तैयार कर रहे हैं, और यदि इन्हें

समुचित संसाधन, नीति समर्थन और नवाचार की स्वतंत्रता दी जाए, तो ये संस्थान भारत के शिक्षा सुधार आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकते हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभाग-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न विभाग होते हैं, जो शिक्षक शिक्षा और शैक्षिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करते हैं। इन विभागों का उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, शैक्षिक अनुसंधान, और समुदाय के साथ समन्वय स्थापित करना होता है। जो निम्नवत है-

- **सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग-**

यह विभाग प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए सेवापूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करता हैं, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नाम से चल रहे कार्यक्रम जैसे- डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन, बी.टी.सी, बी.एस.टी.सी आदि जैसे कार्यक्रम संचालित करता है।

- **सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा विभाग-**

यह विभाग कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे उनकी पेशेवर क्षमता में वृद्धि हो सके, जिसमें क्रियात्मक अनुसन्धान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजना एवं नवीन शिक्षण तकनीकिका प्रभावी उपयोग करना भी इस विभाग के कार्यों में शामिल हैं।

- **जिला संसाधन इकाई-**

इस विभाग का कार्यक्षेत्र प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा हैं, यह विभाग जिले जिले में प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का समन्वय एवं संचालन करता हैं तथा इसके लिए पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता हैं।

- **योजना एवं प्रबंधन-**

यह विभाग प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारीयों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता हैं, तथा इसके साथ ही यह विभाग स्कूल मैपिंग एवं सूक्ष्म स्तर योजना में सहयोग प्रदान करता हैं। शैक्षिक आंकड़ों के संकलन एवं पिछड़े क्षेत्रों का शैक्षिक दृष्टि से आकलन करना भी इस विभाग का कार्य हैं।

- **पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग-**

यह विभाग विभिन्न विषयों के लिए तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण कर उसके मूल्यांकन विधियों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो सकें।

- **कार्यानुभव विभाग-**

यह विभाग शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करता हैं, इसके साथ ही कार्यानुभव कार्यक्रमों में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को सहयोग प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता हैं। यह विभाग सामुदायिक सेवा कार्यक्रम भी आयोजित करता हैं तथा यह विभाग शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।

- **शैक्षिक तकनीकी विभाग-**

यह विभाग शिक्षकों को तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर के उपयोग में प्रशिक्षित करता है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सके, तथा विद्यार्थियों था अधिक से अधिक लाभ पहुच सकें।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्य-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं-

1. अध्यापकों के लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना।

2. प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक सुधार हेतु सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरणों का निर्माण करना।
4. शिक्षा से संबंधित समस्याओं की पहचान और उनके समाधान हेतु अनुसंधान कार्य करना।
5. प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
6. दृश्य-श्रव्य सामग्री, कंप्यूटर लैब और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना।
7. जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करऔर उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना।
8. स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं और शिक्षा समितियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
9. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लिए मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास और सामुदायिक सहभागिता जैसे विविध कार्यों के लिए समर्पित है। यह संस्थान शिक्षा की जड़ों को मजबूत करने का कार्य करता है, जिससे न केवल शिक्षक समाज सशक्त होता हैं बल्कि विद्यार्थियों का समग्र विकास भी सुनिश्चित होता है। इस प्रकार, DIET एक ऐसा संस्थान है जो 'शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन' की अवधारणा को जमीनी स्तर पर साकार करता है और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार की दिशा में एक सशक्त माध्यम बनता है।

अभ्यास प्रश्न-

प्रश्न.5- देश की पहली SCERT कहाँ स्थापित की गयी थी?

(अ) दिल्ली (ब) उत्तराखंड (स) झारखण्ड (द) आन्ध्र प्रदेश

प्रश्न.6- भारत में SCERT खोलने का सुझाव सबसे पहले किस आयोग ने दिया था?

(अ) कोठारी आयोग (ब) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (स) ज्ञान आयोग

(द) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

6.8 सारांश (Summary):

अतः राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर स्थापित ये सभी शैक्षणिक संस्थान सम्पूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा पर काम करने वाला संस्थान NCERT विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम बनाना, पुस्तकें तैयार करना तथा अध्यापकों को प्रशिक्षित करता है और विद्यालयी शिक्षा से जुड़े नवीन शोध व नए प्रयोग करता है। UGC उच्च शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को मान्यता देता है, उन्हें अनुदान देता है, और देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखता है और शोध कार्यों को बढ़ावा देता है। NIEPA शिक्षा से जुड़ी योजनाओं, प्रबंधन, नेतृत्व और नीति-निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है और शिक्षा नीतियों के मूल्यांकन व सुधार में मदद करता है। राज्य स्तर पर SCERT विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, शोध, नवाचार और राज्य की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षा योजनाओं को लागू करने का काम करता है। जिला स्तर पर DIET प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है, नई शैक्षिक तकनीकों को बढ़ावा देता है, स्कूलों का निरीक्षण करता है और स्थानीय स्तर पर शिक्षा को बेहतर बनाने में सहायता करता है। ये सभी संगठन मिलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, गुणवत्तापूर्ण और सभी के लिए उपयोगी बनाते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक शिक्षा की योजना, क्रियान्वयन और सुधार की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं।

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर- (Answer of practice questions)

उत्तर 1- प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी

उत्तर 2- 01 सितम्बर 1961,

उत्तर 3- प्रोफेसर शशिकला वंजारी,

उत्तर 4- सन 1953,

उत्तर 5- (द) आन्ध्र प्रदेश,

उत्तर 6- (ब) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

6.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

- तोमर, गजेन्द्र.सिंह. (2017), विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन.मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
- शर्मा, आर.ए. (2006), शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन.
- सुखिया, एस.पी. (2006), विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा. विनोद पुस्तक भंडार.
- भटनागर, आर.पी. एवं अग्रवाल, विद्या. (1998), शैक्षिक प्रशासन, मेरठ, लायल बुक डीपो.
- सिंह,आर.पी. (2010), शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, आगरा. साहित्य प्रकाशन.
- https://www.education.gov.in/hi
- https://ncert.nic.in/
- https://www.ugc.gov.in/
- https://www.niepa.ac.in/

6.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

प्रश्न.1- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सामान्य परिचय दीजिये, और इसके उद्देश्यों एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.2- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय केन्द्रों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.3- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.4- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रमुख विभागों तथा कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

Unit 7.Administrative Structure of primary and Elementary Education of India at: (A) Central level (B) State level (C) District level

यूनिट 7- भारत में प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना : (A) केन्द्रीय स्तर (B) राज्य स्तर (C) जनपद स्तर

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 प्रशासन की आवश्यकता

7.3.1 प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्तर पर प्रशासन की आवश्यकता

7.4 प्रशासनिक सरंचना

7.5 केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक सरंचना

7.5.1. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का केन्द्रीय प्रशासन

7.5.2. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में केन्द्रीय प्रशासन की भूमिका

7. 6 राज्य स्तर पर प्रशासनिक सरंचना

7.6.1. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का राज्य प्रशासन

7.6.2. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में राज्य प्रशासन की भूमिका

7.7 जनपद स्तर पर प्रशासनिक सरंचना

7.7.1. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का स्थानीय प्रशासन

7.7.2. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका

7.8 सारांश

7.9 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

7.10 सन्दर्भ गरंथ सूचि

7.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना:

जिस प्रकार भोजन हमारे शारीरक विकास एवं शारीरिक उर्जा के लिए आवश्यक है उसी प्रकार शिक्षा हमारे मानसिक,सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। भोजन की पूर्ति हेतु हमे

बहुत से चरणों से गुजरना पढता है जैसे खेत तैयार करना, बीज बोना, फसल की देखरेख करना, फसल को काटना, आनाज तैयार करना और पकाना आदि आदि। ये सब तभी संभव हो पाता है जब हम उपरोक्त क्रम में सही समय पर पूर्ण मनोयोग से योजनाबद्द तरीके से कार्य को प्रशासित करें। इसी प्रकार शिक्षा के सञ्चालन हेतु भी हमें योजनाबद्द तरीकों से कार्य को प्रशासित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि शिक्षा के सञ्चालन में बहुत से व्यक्तियों का योगदान होता है उनमे आपसी तालमेल बनाये रखने के लिए योग्य प्रशासकों एवं प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रशासन का अर्थ यह है कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसे सामूहिक रूप से प्राप्त करने की योजना बनाते हैं तब हमें एक संगठन के भीतर होने वाली गतिविधियों, संसाधनों और जिम्मेदारियों का प्रबंधन और आयोजन करना होता है। प्रशासन के अंतर्गत योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन करना और नियंत्रण शामिल होता है इस प्रकार हम संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम शासन करना कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को बाल वाटिका से प्रारंभ कर 5+3+3+4 के पैटर्न में रखा गया है जिसमें 5+3 प्रारम्भिक एवं प्राथमिक शिक्षा को रखा गया है। प्रस्तुत ईकाई में हम प्रथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना का अध्ययन करेंगे प्राथमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा दोनों ही प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है।

7.2 उद्देश्य:

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् हम –

- ✓ प्रशासन को परिभषित कर सकेंगे।
- ✓ प्रशासन की आवशयकता के समझ सकेंगे।
- ✓ प्रशासन की सरचना को समझ सकेंगे।
- ✓ केन्द्रीय स्तर पर प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा की प्रशासनिक संरचना को समझ सकेंगे।
- ✓ राज्य स्तर पर प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा की प्रशासनिक संरचना को समझ सकेंगे।
- ✓ जनपद स्तर पर प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षा के प्रशासनिक सरंचना को समझ सकेंगे।

7.3 प्रशासन की आवश्यकता:

शिक्षा के सञ्चालन में विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों के अतिरिक्त भी कुछ और व्यक्ति कार्यरत होते हैं जो शैक्षणिक संस्थानों में तो बहुत कम दिखाई देते हैं परन्तु उनकी भूमिका शैक्षिक प्रशासन में महत्वपूर्ण होती है। शैक्षिक प्रशासन को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें पहला भाग नीतियाँ दूसरा भाग नियोजन तीसरा प्रशासन और चौथा भाग प्रबंधन है। आज प्रस्तुत इकाई में हम प्रशासन जो कि तीसरा भाग है का अध्ययन करेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग (1964) द्वारा कहा गया है कि "भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है"। जिसका आशय यह है कि भारत को अगर एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना पड़ेगा और यह सब उचित प्रशासन के द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है

प्रशासन जैसा की नाम से ही स्पष्ट है कि यह शासन सम्बन्धी प्रक्रिया से सम्बंधित है। पर यहाँ प्रशासन का अभिप्राय परंपरागत रूप के शासन से नहीं बल्कि किसी व्यवस्था को सुचारू रूप है चलाए जाने के लिए निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा निर्देशन, नीतियों के निर्माण एवं समन्वयन से है। विभिन क्रियाकलापों को प्रभावी ढंग से करने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन एवं प्रशासनिक पदों का होना आवश्यक है। प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों एवं नीतियों के निर्धारण से सम्बंधित होता है। प्रशासन मुख्य रूप से निर्धारण का कार्य करता है। किसी भी उद्यम से सम्बंधित मुख्य निर्णयों को लेने का कार्य इसी का होता है। यह एक उच्च-स्तरीय क्रियाकलाप है चो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है।

प्रशासन के द्वारा किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों का निर्धारण करना एवं क्रियान्वयन करना होता है साथ ही विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय बनाये रखना है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित की गई गतिविधियों को नियंत्रित करना भी प्रशासन का ही कार्य है । इसके साथ ही संशाधनों का उचित प्रयोग करवाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अलग-अलग विद्वानों ने प्रशासन की अलग- अलग परिभाश्स्यें दी हैं –

लेविट (1976) के अनुसार –" प्रशासन को एक प्रक्रिया के रूप में है जो किसी नियम को बनाने के लिए प्रारूप तैयार करने में मदद करती है जबकि प्रबन्धन को विभिन्न स्थितियों के आकलन एवं विभिन्न लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के क्रमबद्ध चयन के मेल के रूप में जाना जाता है।

स्वेबर (2001) ने प्रशासन को निवेश या आगत (input) उन्मुख प्रक्रिया बताया है। इसके आगे अपनी परिभाषा में स्पेयर निवेश या आगत को स्पष्ट करते हुए इसे प्रगति का सूचक बताते हैं जबकि प्रबन्धन को वे उत्पादन उन्मुख बताते हैं जो परिणामों से सम्बंधित है। प्रशासन नियंत्रण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि प्रबन्धन वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है।

शैक्षिक प्रशासन को विद्वानों ने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। फॉक्स तथा अन्य के अनुसार "शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावोत्पादक ढंग से प्राप्त किए जाते हैं।"

अपनी पुस्तक "प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन" में शैक्षिक प्रशासन के विषय में लिखते हुए कहा है कि "शैक्षिक प्रशासन, का उत्तरदायित्व है कि वह जीवन के मौलिक प्रयोजनों को लक्ष्यों में रखकर कार्य करे ।शैक्षिक प्रशासन का कार्य दार्शनिकों के चिंतन तथा सामान्य प्रगति के मध्य सेतु ब बनाने

शैक्षिक प्रशासन मूलतः सामान्य प्रशासन का ही भाग है । बस अंतर मात्र इतना है कि जहाँ प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्धारण, निर्माण, एवं क्रियान्वयन से सम्बंधित है वहीं शैक्षिक प्रशासन शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को निर्धारण, योजनाओं के निर्माण के साथ ही साथ उनको क्रियान्वित करने से है जिससे शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके ।

7.3.1 प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्तर पर प्रशासन की आवश्यकता –

जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में उसकी बुनियाद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उस भवन की बुनियाद पर ही वह भवन टिका रहता है और भविष्य में उसके बुनियाद में बदलाव करना कम ही संभव हो पाता है उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा भी किसी मनुष्य के लिए उसके बुनियाद का ही कार्य करती है । प्राथमिक और प्रारम्भिक स्तर पर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित, सुव्यवस्थित और प्रभावी शिक्षण-अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना है जो कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने-अपने विद्यालय में सुरक्षित, स्वस्थ, एवं प्रेरणादायक वातावरण की आवश्यकता होती है जो कि प्रशासन द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती हैं। विद्यालयों के कुशल सञ्चालन के लिए उचित नियमों और प्रक्रियाओं की आवशयकता होती है जो कि प्रशासन द्वारा ही बनाये जा सकते हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों जैसे कि कक्षा प्रबंधन, शिक्षक प्रबंधन और संसाधनों के आवंटन के मध्य संतुलन बनाये रखना है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के भावी जीवन को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं जो कि प्रशासन द्वारा ही निर्धारित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में अनुशासन को बनाये रखना और उनकी शिक्षा से सम्बंधित दैनिक जरूरतों का ध्यान भी प्रशासन द्वारा रखा जाता है। समय-समय पर विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देना भी शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है।

7.4 प्रशासनिक सरंचना:

तालिका 7.1

प्राथमिक एवं प्रारंभिक स्तर की शिक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशासन

स्तर	कार्यरत संस्थाएं	प्रशासनिक संस्थाएं	तकनीकी अकादमिक संस्थाएं
केंद्र	शिक्षा मत्रालय भारत / सरकार	शिक्षा विभागशिक्षा / मंत्रालय	एन .टी.आर.ई.सी.
राज्य	शिक्षा मंत्रालयराज्य / सरकार	शिक्षा सचिवालय / निदेशालय	एस.टी.आर.ई.सी.
जनपद	जिला पंचायत	जिला शिक्षा कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

7.5 केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक सरंचना:

भारत में केन्द्र तथा राज्य, दोनों सरकार सयुक्त रूप से शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर मान्य खाके के अनुसार ही पाठ्यचर्या का

अथवा शिक्षा का आयोजन करे। राष्ट्र के शैक्षिक नीति पर योजना निर्माण का कार्य मुख्य और एकमात्र रूप से शिक्षा मंत्रालय का है जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग सम्मिलित होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदल के 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया जो कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति (CABE) के द्वारा निर्देशित होता है एक स्तर की सलाहकार समिति है। विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होते हैं जो कि शिक्षा के लिए नीतियों के निर्माण से लेकर नियंत्रण तक अपना सक्रिय योगदान करते हैं और शैक्षिक मुद्दों पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को सहयोग प्रदान करते हैं। केन्द्र के स्तर पर शिक्षा विभाग और इसकी विभिन्न शाखाओं के द्वारा शैक्षिक प्रशासन किया जाता है। शिक्षा विभाग और इससे सम्बद्ध अन्य विभिन्न शाखायें शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती हैं। भारत के शिक्षा मंत्रालय का प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DOEE ।) (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक) प्रारंभिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। शिक्षण की प्रक्रिया को स्वाभाविक और सुचारू रूप में चलाए जाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा, एवं साक्षरता विभाग को दस इकाईयों में विभक्त किया जाता है। ये सभी ईकाइयां प्रारंभिक, माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा से सम्बंधित योजनाओं का निर्माण करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग केन्द्रीय एवं राजकीय संस्थान दोनों को ही शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में सहयोग प्रदान करता है। प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की दस इकाईयों में प्रत्येक इकाई का एक प्रमुख संयुक्त सचिव होता है। संयुक्त सचिव ही प्रत्येक इकाई का मुख्य पदाधिकारी होता है।

7.5.1 प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का केन्द्रीय प्रशासन:

केन्द्रीय प्रशासन संगठन

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रशासकीय कार्य में निम्नलिखित प्रशासकीय संगठनों के द्वारा सहयोग किया जाता है।

शिक्षा मंत्री:

शिक्षा मंत्री का चुनाव संसद के द्वारा होता है। शिक्षा मंत्री का चयन प्रधानमंत्री के द्वारा तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वह भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी होता है तथा मंत्रालय का कार्यकारी प्रधान होता है। यह आवश्यक नहीं कि शिक्षामंत्री मंत्रीमंडल का सदस्य हो। वह मंत्रीमंडल से बाहर का भी हो सकता है। शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी कार्य में उसकी सहायता राज्य मंत्री और दो उप-मंत्रियों के द्वारा की जाती है। शिक्षा से सम्बंधित नीतियों के निर्माण में उसे उपर्युक्त मंत्री तथा शिक्षा सचिव सहायता करते हैं। इन मंत्रियों तथा शिक्षा सचिव की सहायता से वह नीतियों का निर्माण करता है और विभिन्न सलाहकार समितियों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर निर्णय लेता है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के पास वित्तीय अधिकार भी होते हैं। वह विभिन्न विभागों को उनके हेतु निर्धारित बजट के अनुसार अनुदान प्रदान करता है ताकि विभागों के समक्ष वित्तीय संकट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।

शिक्षा सलाहकार:

शिक्षा मंत्री के पश्चात केन्द्र स्तर के अन्य प्रशासकों में शिक्षा सलाहकार आते हैं। ये सलाहकार मंत्रालय के अलग-अलग विभागों का पदभार ग्रहण किए होते हैं। शिक्षा सलाहकारों के पद को सलाहकार संयुक्त सचिव के नाम से जाना जाता है। अपने विभाग में विभिन्न कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के अतिरिक्त ये सलाहकार अन्य विभिन्न समितियों से भी सम्बंधित होते हैं और शिक्षा के सम्बन्ध में सचिव के माध्यम से मंत्री को सम्बंधित मसलों में सलाह देने का कार्य करते हैं। इन सलाहकारों के अधिनस्त कई अन्य अधिकारी जैसे- उप सहायक, अवर सचिव इत्यादि आते हैं जो शैक्षिक कार्यों में शिक्षा सलाहकारों की मदद करते हैं। इसी श्रेणी में उप-शिक्षा सलाहकार भी आते हैं।

शिक्षा सचिवः

शिक्षा सचिव मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। शिक्षा सचिव का मुख्य कार्य मंत्रालय के विभिन्न विभागों एवं गतिविधियों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना है। कोई भी शैक्षिक प्रस्ताव या शिक्षा सम्बन्धी कोई भी विषय मंत्री के पास जाने से पहले शिक्षा सचिव के समक्ष पेश किया जाता है और शिक्षा सचिव से होते हुए ही वह शिक्षा मंत्री के पास पहुँचता है। शिक्षा सचिव को उसके कार्यों में दो संयुक्त सचिव, तीन शिक्षा सलाहकार एवं तीन निदेशक मदद करते हैं। मंत्रालय के विभिन्न विभागों से शिक्षा सम्बन्धी कार्यों को इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों को सुपुर्द किया जाता है। इन अधिकारियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अधिकारियों की यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है।

संलग्नित एवं अधीनस्थ अधिकारी:

अन्य मंत्रालयों की तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ भी अन्य कई संलग्नित एवं अधीनस्थ अधिकारी कार्य किया करते हैं। ये अधिकारी मंत्रालय की नीतियों तथा गतिविधियों को क्रियान्वित करने का कार्य किया करते हैं। नीति को लागू किए जाने के साथ-साथ सरकारी निर्णय एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

7.5.2 प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में केन्द्रीय प्रशासन की भूमिका:

शिक्षा व्यवस्था को उचित रूप में बनाए रखने और सुचारू रूप में चलाए जाने के लिए केंद्र निम्नलिखित कार्यों तथा क्षेत्रों में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता है-

1. राष्ट्र हित से सम्बंधित संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय पुस्तकालय, राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रशासन करना।

ii. भारत सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का प्रशासन।

iii. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का समन्वयन करना।

iv.6-14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में राज्य सरकार तथा निजी संस्थाओं की सहायता करना।

v.विद्यार्थियों को दिए जाने वाले छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में प्रशासन करना।

vi.अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूनेस्को (UNESCO) इत्यादि को सहयोग प्रदान करना।

vii.केन्द्रशासित प्रदेशों में शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ निर्देशन एवं

नियंत्रण करना।

viii.अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु शिक्षा के विशेषाधिकार में सहायता प्रदान करना।

7. 6 राज्य स्तर पर प्रशासनिक सरंचना:

भौगौलिक दृष्टि से भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण है इन्हीं विविधताओं के कारण प्रत्येक राज्य की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं अलग अलग हैं। शिक्षा मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य ने अपने राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना की है और राज्य में एक मंत्री की नियुक्ति भी की है जिसे शिक्षा मंत्री कहा जाता है। कई राज्यों शिक्षा के स्तरों जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु अलग अलग व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है। जो शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा एवं प्रशासन सम्बन्धी तीन मुख्य कार्यो- नियंत्रण, संचालन एवं निर्देश, को करती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में उसके आकार एवं राज्य में अवस्थित संस्थाओं के संख्या के आधार पर कई प्रशासनिक स्तर होते हैं सामान्यतः प्रशासन के स्तरों एवं संस्थाओं के विभिन्न प्रकारों के मध्य एक प्रकार्यात्मक सम्बन्ध होता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक राज्य में यह प्रकार्यात्मक सम्बन्ध एक जैसा ही हो। यह सम्बन्ध प्रत्येक राज्य में उसकी आवश्यकता के अनुरूप होता है और इस आधार पर दूसरे राज्य से भिन्न हो सकता है।

7.6.1 प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का राज्य प्रशासन:

राज्य स्तर पर शिक्षा की सरंचना अलग अलग राज्यों की अलग अलग हो सकती है उत्तराखंड राज्य के सन्दर्भ में प्राथमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा का प्रारूप निम्नलिखित है –

शिक्षा सचिव/ सचिवालय स्तर की सरंचना – विद्यालयी शिक्षा के उन्नयन हेतु उत्तराखंड राज्य में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का एक अधिकारी होता है जो उत्तराखंड राज्य की विद्यालयी शिक्षा का सचिव होता है उसके साथ ही महानिदेशक और राज्य परियोजना निदेशक जैसे अधिकारी भी हैं।

उत्तराखंड की शिक्षा सरंचना विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एक एकीकृत सरंचना जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् इसमें शामिल है जो कि विद्यालयी शिक्षा को पूर्ण रूप से संचालित करती है। प्रशासनिक सरंचना को देखा जाय तो निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) माध्यमिक शिक्षा का सञ्चालन एवं नेत्रत्व करता है तथा निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) प्रारम्भिक शिक्षा का सञ्चालन एवं नेत्रत्व करता है जबकि निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) का नेत्रत्व करता है।

उत्तराखंड राज्य में दो मंडल हैं एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊ मंडल। दोनों मंडलों में एक-एक अपर निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का कार्यरत है। जिला स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक शिक्षा) जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारंभिक शिक्षा)

कार्यरत हैं । और खंड (Block) स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी और उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं।सामान्यत: विकास खंड के बरिष्टतम प्रधानाचार्य को खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व दिया जाता है।

विभाग की प्रशासनिक सरंचना

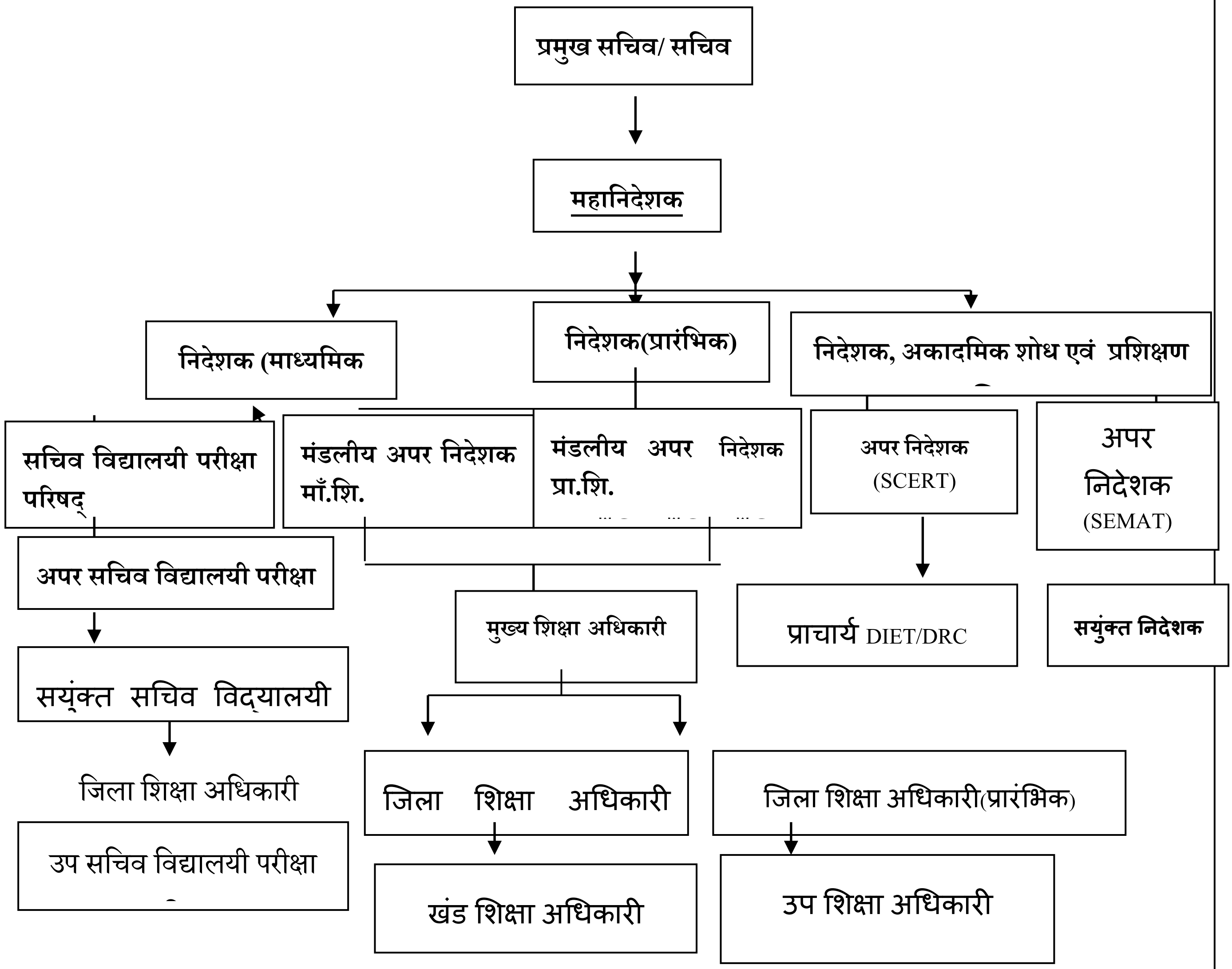

7.6.2 प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में राज्य प्रशासन की भूमिका:

प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में राज्य प्रशासन की निम्नलिखित भूमिका होती है –

नीतियाँ बनाना – राज्य सरकार अपने राज्य की भौगोलिक एवं जनसँख्या को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा से सम्बंधित क़ानून बनाती हैं और विद्यालयों के सञ्चालन के लिए मानक निर्धारित करती हैं इसके साथ ही पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रणाली भी तय करती हैं।

संसाधन जुटाना एवं वित्तपोषण – इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा हेतु वित्त की व्यवस्था करना एवं विद्यालय भवन निर्माण करना विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना एवं विशेष सहायता प्रदान करना आदि आता है।

शिक्षकों की नियुक्ति करना- प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य सरकार जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति कराती है एवं उन्हें सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था करती है।

पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण- राज्य शैक्षिक प्रशासन जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों का निरिक्षण अपने प्रशासनिक अधिकारीयों के माध्यम से कराती है और आवश्यकतानुसार कार्यवाही भी करती है ।

परीक्षाएं आयोजित करना एवं मूल्यांकन करना – राज्य शैक्षिक प्रशासन अपने राज्य में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है एवं परीक्षाओं द्वारा प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाता है जो की विद्यालय शिक्षा परिषद के माध्यम से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक प्रशासन निजी विद्यालयों को मान्यता देता है और उनकी क्रिया पद्दति पर अपनी नजर बनाये रखता है विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर, मंडल स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करता है तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु राज्य शैक्षिक प्रशासन आंगनबाड़ी के माध्यम से शैक्षिक एवं बालविकास के कार्यक्रम संचालित करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस कार्यक्रम को बालवाटिका नाम दिया गया है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न :

1-उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा का जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है

2-SCERT का पूर्ण रूप क्या है ?

3-केन्द्रीय स्तर पर प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या तैयार कौन करता है ?-

4- उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) कहाँ स्थित है?

5- मानव संशाधन मंत्रालय का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है ?

6- DIET का पूरा नाम क्या है ?

7.7 जनपद स्तर पर प्रशासनिक सरंचना:

जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर सर्वप्रमुख अधिकारी होता है। जिले में स्थित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अनुशासन तथा प्रशासन के सन्दर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते है।जहाँ सरकारी विद्यालयों में वह प्रधानाध्यापक के कार्यो का पर्यवेक्षण करता है वहीं गैरसरकारी विद्यालयों के लिए वह मात्र सहायक अनुदान राशि के मूल्यांकन एवं अनुशंसा सम्बन्धी कार्यों को देखता है। इन गैरसरकारी विद्यालयों में प्रशासन का कार्य विद्यालय की प्रबन्धन समिति के द्वारा किया जाता है।जिला शिक्षा अधिकारी को उसके नीचे के कई अधिकारी प्रशासनिक कार्यो में सहयोग प्रदान करते हैं जिन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है।जिला स्तर पर विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक संरचना में अन्तर पाया जाता है। कुछ राज्योंमें कुछ अधिकारी ताल्लुक या अनुमंडल स्तर पर

और प्रखण्ड स्तर पर होते हैं। वहीं कुछ अन्य राज्यों के केवल प्रखण्ड स्तर पर अधिकारी होते हैं जो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा की देखरेख क हैं। संस्थागत स्तर पर भी यह विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। जिला शिक्षा अधिकारी के अतिरिक्त नगरमहापालिका अथवा जिला परिषद स्तर पर कुछ चयनित सदस्यों की एक शिक्षा समिति/विद्यालय परिषद होती है। ये समिति अपने क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्नी सुविधाएं प्रदान करने तथा उनकी देखभाल करने सम्बन्धी कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। इसके लिए बजट का निर्धारण संपूर्ण नगरमहापालिका या जिला परिषद करती है और कुछ मामलों में इसका निर्धारण शिक्षा समिति के द्वारा स्वयं ही किया जाता है । यदि कार्यक्षेत्र बड़ा हो तो कुछ समितियां प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। छोटे क्षेत्रों में यह कार्य समिति के सम्मानित व्यक्तियों की देख-रेख में किया जाता है और ये सभी व्यक्ति गैर-प्रशासक वर्ग से सम्बंधित होते हैं।

कर्मचारियों की नियुक्ति चयन समिति के द्वारा की जाती है जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी भाग लेता है।राज्य सरकार के द्वारा ही शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम का निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण सम्बन्धी कार्यों को किया जाता है पर इन सभी का अनुपालन उचित प्रकार से किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी देख-रेख सम्बन्धी दायित्व स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं के जिम्मे होता है ।राज्य सरकार के द्वारा इन संस्थाओं को वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। नगरमहापालिकाओं की तुलना में जिला परिषद को अधिक वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है । प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण का कार्य शिक्षा हेतु राज्य सरकार के दायित्वों में से एक है और यह राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निरीक्षण कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है देश के कुछ राज्यों में जहाँ बड़ी नगरमहापालिकायें (वृहद् मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश) हैं; वहां निरीक्षण के लिए नगरमहापालिकायें स्वयं ही शिक्षा अधिकारियों एवं निरीक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं। भारत में पंचायती राज के आने और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण नीति लागू होने के फलस्वरूप स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा को बनाए रखने और उसके उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्ययोजना कार्यक्रम (1986) ने देश के प्रत्येक जिले में ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर विचार किया। फलस्वरूप देश में अनेक ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इन संस्थानों का प्रबंध इनके प्रधानाचार्य करते हैं जो अध्यापक वर्ग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय-अध्यापकों के लिए सेवापूर्व और और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिदक्षण संस्थानों के प्रकार्य हैं:

- i- प्राथमिक शिक्षा संबंधी स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं का सर्वेक्षण करना।
- ii- प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।
- iii- विषयों और शिक्षण विधियों में अध्यापक दक्षता में सुधार लाना।
- iv- क्रियात्मक अनुसंधान तथा क्रियात्मक अनुसंधान के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, और
- v- विद्यालयों में अधिगम की गुणवत्ता का संवर्धन करना।

7.7.1 प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा का स्थानीय प्रशासन:

प्राथमिक शिक्षा का जनपद स्तर से ही प्रशासन किया जाता है जिले का सर्वोच्च शिक्षा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है जिनके निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) कार्य करता है और जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों (खंड शिक्षा अधिकारी) से सीधे संपर्क में रहता जबकि खंड शिक्षा अधिकारी अपने सहायक उप खंड शिक्षा अधिकारी से विभिन्न विद्यालयों की रिपोर्ट प्राप्त करता है। उपखंड शिक्षा अधिकारी संकुल एवं सीधे तौर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त करता है इस प्रकार उप खंड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त सूचनाएं मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास जनपद स्तर पर पहुँच जाती हैं और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय होते हुए राज्य शैक्षिक प्रशासन तक पंहुच जाती है । प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति भी जनपद स्तर से होती है।

7.7.2 प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका:

i. अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन करना।

ii. शिक्षा के विषय में पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित प्रस्तावों को अपने क्षेत्र में लाग कराने का प्रयास करना।

iii. विद्यालयों को स्थान, खेल के मैदान एवं शिक्षा से सम्बंधित उपकरणों को उपलब्ध कराना एवं उनकी मरम्मत करवाना।

आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना।

V. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित एवं मान्य नियमों के अंतर्गत अनिवार्य उपस्थिति को सुनिश्चित करना।

vi. शैक्षिक सर्वेक्षण करना एवं सम्बंधित सूचनाओं का संग्रहण।

vii. विद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सम्बंधित क्षेत्र में उससे कार्य करवाना।

VIII. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु आवश्यक प्रचार करना।

वर्तमान समय में देश में अशिक्षा का प्रतिशत देखते हुए शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सभी लोगों तक शिक्षा की पहुँच और निर्धारित न्यूनतम उपलब्धि को प्राप्त करना है। और प्रशासन एवं प्रबन्धन के सहयोगात्मक रवैये के बिना अनुकूलतम परिणाम नहीं प्राप्त किए जा सकते। अतः देश में तीनों स्तरोंपर (केन्द्र, राज्य एवं जिला प्रशासन का कार्य उचित रूप से किया जाना चाहिए। सम्बंधित अधिकारियों के लिए भी आवश्यक है की वे निर्दिष्ट क्षेत्र में अपने कार्य को तत्परता एवं ईमानदारी से करें तथा शिक्षा के निर्धारित परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करें।

7.8 सारांश :

प्रस्तुत इकाई में हमने प्रशासन को जाना, प्रशासन के कार्यो के बारे में अध्ययन किया हमने यह भी जाना कि प्राथमिक एवं प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है हमने यह जाना कि हमारे देशा में प्राथमिक और प्रारम्भिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना त्रिस्तरीय होती है पहला स्तर केन्द्रीय दूसरा राज्य और तीसरा जापद स्तर है। केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय जिसे पूर्व में मानवक शिक्षा मनातारालय के नाम से जाना जाता था, देश की शिक्षा की नीतियों का निर्माण करता है

और उसकी निगरानी करता है। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के क्रियानवयन हेतु केंद्र सरकार धन आवंटित करती है यह आवंटित धन राशि केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी भेजी जाती है। जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र में किसी भी योजना का क्रियान्वयन एक साथ एक जैसा हो सके।

राज्य स्तर पर प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा के सञ्चालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार अपने राज्य में प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा से सम्बंधित कार्यक्रम जैदे शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास और विद्यालय निरिक्षण आदि प्रशाषित करता है साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) केन्द्रीय नीतियों को राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशाषित करती हैं।

उत्तराखंड में जिला स्तर पर शिक्षा प्रशासन और विद्यालयों का निरिक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) के द्वारा की जाती है तथा उनके अधिनस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक कार्य करते है। प्राथमिक शिक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक के अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) एवं उप शिक्षा अधिकारी(ABEO) होते हैं जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा का ब्लॉक स्तर तक प्रशासन एवं निरिक्षण का कार्य करते हैं। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) एवं समूह संशाधन केंद्र (CRC) प्राथमिक शिक्षा के प्रशासं को पोर्नता प्रदान करते हैं।

इस प्रकार तीन स्तरीय प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक सरंचना यह सुनिश्चित कराती है कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा में नीति निर्धारण, संसाधन आवंटन, प्रशिक्षण एवं सञ्चालन एक प्रभावी प्रणाली की तरह कार्य कर्ताते हैं जो शिक्ष्गा की गुणवत्ता और पहुँच दोनों को मजबूत बनता है। इस प्रकार हमने प्रस्तुत इकाई में प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के सम्पूर्ण प्रशासन को समझने का प्रयास किया।

7.9 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर :

1- मुख्य शिक्षा अधिकारी।

2- राज्य शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्।

3- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)।

4- नरेन्द्रनगर में।

5- शिक्षा मंत्रालय।

6- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

7.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि :

कोचर एस.के.(2011) स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड नोयडा उत्तर प्रदेश।

तोमर गजेन्द्र सिंह.(2016) शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन आर.लाल पब्लिकेशन मेरठ उत्तरप्रदेश।

लाल रमन बिहारी कृष्ण कान्त.(2016) समकालीन भारत और शिक्षा आर.लाल पब्लिकेशन मेरठ उत्तरप्रदेश।

https://www-education-gov-in.translate.goog/statistics-new?shs_term_node_tid_depth

https://schooleducation.uk.gov.in

https://www.google.com/search?q

https://thepoliticalblueprint.blogspot.com/2025/05/organization-of-educational-setup-at.html

https://www.questionpurs.com/2024/05/Primary-education.html

7.11 निबंधात्मक प्रश्न :

1. प्रशासन को परिभाषित कीजिए प्रशासन के कार्य एवं प्राथमिक स्तर पर आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

2 . प्राथमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन की सरंचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।

3.शैक्षिक प्रशासन में केन्द्रीय प्रशासन संगठन को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए।

4. शैक्षिक प्रशासन को स्पष्ट कीजिए प्राथमिक एवं उछ प्राथमिक शिक्षा में जनपद स्तर के प्रशासनिक सरंचना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।

5. सामान्य प्रशासन एवं शैक्षिक प्रशासन में आप किस प्रकार अंतर देखते हैं? स्पष्ट कीजिए।

यूनिट 8- भारत की माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना: (A) केन्द्रीय स्तर (B) राज्य स्तर (C) जनपद स्तर

Unit 8.Administrative Structure of Secondary Education of India at: (A) Central level (B) State level (C) District level

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन की आवश्यकता

8.4 माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना

8.5 केन्द्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना

8.5. माध्यमिक शिक्षा शिक्षा का केन्द्रीय प्रशासन

8.5.2 माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय प्रशासन की भूमिका

8. 6 राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना

8.6.1 माध्यमिक शिक्षा में राज्य प्रशासन की भूमिका

8.7 जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना

8.7.1 माध्यमिक शिक्षा का स्थानीय प्रशासन

8.7.2 माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका

8.8 सारांश

8.9 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

8.10 सन्दर्भग्रन्थ सूचि

8.11 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना:

जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में समय-समय पर संविधान में संशोधन होते रहते हैं। शिक्षा से सम्बंधित एक बड़ा संशोधन सन 1976 में हुआ था जो कि 42 वां संविधान संशोधन था। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा को संविधान के राज्य सूचि से निकालकर समवर्ती सूचि में स्थानांतरित कर दिया गया है। संविधान में हुए इस संशोधन से शिक्षा से सम्बंधित क़ानून बनाने का अधिकार अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी है।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है यदि केन्द्र व राज्य द्वारा बनाए गए कानून को लेकर विवाद होता है तो केन्द्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में आपस में सम्न्यव्य बनाये रखती है इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपर्य माना जाता है। उदहारण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ही देखें जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनायीं गयी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसे सम्पूर्ण राष्ट्र में सभी राज्यों ने माना है। अतः शिक्षा प्रणाली के प्रशासन को समझने के लिए हम इसका अध्ययन विकेन्द्रीकरण के विभिन्न स्तरों, जैसे कि केन्द्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर आदि पर करते हैं। प्रस्तुत इकाई में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन का वर्णन किया गया है। जिसे हम विभिन्न स्तरों जैसे केन्द्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर आदि पर अध्ययन करेंगे।

8.2 उद्देश्य:

1.विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के विभिन्न स्तरों को जान पाएँगे।

2.केन्द्र स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन से सम्बंधित सरंचना एवं भूमिका को समझ सकेंगे ।

3. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का वर्णन कर सकेंगे।

4. राज्य स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन से सम्बंधित सरंचना एवं भूमिका को समझ सकेंगे

5.जिला स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन से सम्बंधित सरंचना एवं भूमिका को समझ सकेंगे।

6. केंद्र,राज्य एवं स्थानीय प्रशासन में अंतर को समझ सकेंगे।

8.3 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन की आवश्यकता :

हम सब जानते हैं कि शिक्षा का सञ्चालन विभिन्न संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है इसलिए शिक्षा को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए इसके प्रशासन की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षा का सञ्चालन उचित प्रकार से किया जाता है तो हम शिक्षा हेतु बनाये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्रशासन के कुशल प्रबंधन, संशाधन, नीति एवं नीतियों का क्रियान्वयन के द्वारा ही हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाये रखना है साथ ही शिक्षक-शिक्षार्थियों हेतु एक प्रभावी वातावरण बनाने के साथ शिक्षा को सामाजिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। प्रशासन की आवश्यकता विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन हेतु नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और पाठ्यचर्या कार्यन्वयन का प्रबंधन करता है। शिक्षकों की नियुक्ति एवं समय समय पर उनको अद्यतन कराना सेवारत शिक्षको को प्रशिक्षण देना। प्रशासन की आवश्यक्ता शैक्षणिक संस्थाओं के वित्तीय नीति बनाने में होती है क्योंकि शैक्षिक प्रशासन वित्तीय कार्यों हेतु जिम्मेदार होता है और संसाधनों के सदुपयोग में सहभागिता निभाता है। शैक्षिक प्रशासन की आवशयकता विद्यार्थियों की व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल को बढाने में भी होती है साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करने में भी शैक्षिक प्रशासन अहम भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार

द्वारा शिक्षा से सम्बंधित बनायीं गयी नीतियों का पालन करने एवं कराने में भी शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है।

8.4 माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना:

वर्तमान में केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है । केन्द्रशासित प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रशासन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी के निर्वहन के साथ-साथ वह अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में भी सक्रिय भमिका निभाती है। यह राज्य सरकार को माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। उन्हें वित्तीय सहायता देती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन भी करती है। इसके अलावा केन्द्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रस्तावित करती है। भारत में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी सम्मिलित हैं माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया जाता है पहली निम्न माध्यमिक शिक्षा जिसमें कक्षा 9 और 10 वीं के विद्यार्थी सम्मलित हैं दूसरी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसमे कक्षा 11 एवं कक्षा 12 सम्मिलित हैं। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीर्ण विकास करना एवं उन्हें भावी रोजगार हेतु तैयार करना है जिससे वे अपने भावी जीवन का निर्वहन उचित प्रकार से कर सकें।

8.5 केन्द्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना:

शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों के बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के मामलों में सरकार की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ विशेष संस्थाएँ और संगठन बनाए हैं। जो निम्नलिखित है।

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।
3. नवोदय विद्यालयै समिति, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
6. केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद।
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली।
9. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली।
10. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नई दिल्ली।
11. एजुकेशनल कन्सल्टेन्टस ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।

12 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।

13. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।

14. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

15. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।

16. राष्ट्रीय भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली।

17. राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली।

उपरोक्त में से प्रमुख निकायों को संक्षिप्त में आगे समझने का प्रयास करेंगे-

केन्द्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा का समग्र नियंत्रण और नीति निर्माण का कार्य करता है। केन्द्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की सरंचना में बहुत से निकाय सम्मिलित होते हैं जिनमे भारत का शिक्षा मंत्रालय है जो कि पूर्व में मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वायत्त बोर्ड और समितयाँ प्रमुख हैं। ये संस्थाएं नीतियां बनाते हैं, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का संचालन करते हैं।

i.शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education): भारत में माध्यमिक शिक्षा की देखरेख एवं सञ्चालन हेतु शिक्षा मंत्रालय एक शीर्ष संस्था है जो कि भारत में माध्मिक शिक्षा सहित सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था को संचालित करता है यह मंत्रालय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के नेत्रत्व में विद्यालयी शिक्षा से सम्बंधित राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार कारने एवं लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

ii.केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) : एक राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख प्राधिकरण है जो केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या, परीक्षायें एवं मूल्यांकन का कार्य निष्पादित करता है। यह भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के समग्र पर्यवेक्षण का कार्य करता है।

iii.राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिक्षण परिषद् विद्यालयों के विकास और शिक्षक शिक्षा के लिए एक संशाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है साथ ही यह विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत करने का कार्य भी करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में विद्यालयी शिक्षा से सम्बंधित पाठ्यपुस्तकों का लेखन एवं मुद्रण का कार्य भी किया जाता है।

iv.नवोदय विद्यालय समिति (NVS): नवोदय विद्यालय समिति की घोषणा नई शिक्षा नीति 1984 के अंतर्गत बनायीं गई थी यह समिति प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों जो कि पूर्ण रूप से आवशीय हैं का सञ्चालन करती है। यह समिति केन्द्रीय विद्यालयी संगठन (के.वी.एस.) के साथ मिलकर कार्य करती है के.वी.एस. राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों का प्रबंधन के कार्य कराती है।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त् राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसका लक्ष्य माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ाना एवं विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद:

माध्यमिक शिक्षा संबंधी यह सबसे प्राचीन संस्थान है। इसका गठन सन 1921 ई0 में प्रांतीय सरकार को विशेष स्वरुप के शैक्षिक मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया था। रिट्रॅचमेंट समिति की सिफारिश पर सन 1923 ई0 में इसे समाप्त कर दिया गया था लेकिन हांग समिति की सिफारिश पर इसे पुनः संगठित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस संसथान को सशक्त करने की बात कही गई है इस परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. केन्द्रीय शिक्षा मंत्री- चेयरपर्सन

2. भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार;

3. भारत सरकार द्वारा नामित 15 सदस्य जिनमें से 4 सदस्य महिला होती हैं

4. राज्य सभा के दो एवं लोक सभा के तीन सदस्य

5. अंतर्विश्वविद्यालीय बोर्ड के दो सदस्य, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हो,

6. अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद द्वारा नामित इसी परिषद के दो सदस्य

7. प्रत्येक राज्य के शिक्षा मंत्री

8. केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परिषद के सचिव

(सामान्यतः भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव इस पद पर कार्य करते हैं)। स परिषद के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं।

i. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा रेफर किए गए किसी भी शैक्षिक मुद्दे पर सलाह देना।

ii. देश में हो रहे शैक्षिक प्रगति से संबंधित आँकड़े को संग्रहित करना और इसे केन्द्र एवं राज्य सरकार तक भेजना। इस परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होती है। इस बैठक में यह परिषद देश के मुख्य शैक्षिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा अपने विचारों को प्रस्ताव का रुप देने के बाद इसे अग्रसारित करती है। यह परिषद चार स्थायी स्वरुप की समितियों के द्वारा कार्य करती है। ये समितियाँ निम्नलिखित हैं:

a. प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा समिति

b. सामाजिक शिक्षा समिति

c. माध्यमिक शिक्षा समिति

d. उच्च शिक्षा समिति

8.5.1 माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय प्रशासन की भूमिका:

माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय प्रशासन की निम्नलिखित भूमिकाएं होती हैं-

नीतियों का निर्माण करना- केन्द्रीय प्रशासन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से नीतियों का निर्माण करता है जो राष्ट्रीय आवश्यकता को धयान में रखकर बनायी जाती हैं। इन नीतियों के सफल क्रियान्वयन से ही शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

पाठ्यक्रम निर्माण करना – केन्द्रीय प्रशासन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की सहायता से केन्द्रीय प्रशासन माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम विकसित करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाना, शैक्षिक प्रयोगों और नवाचार को बढ़ावा देना और शिक्षण सामग्री प्रकाशित करता है।

वित्तीय प्रबंधन करना- केन्द्रीय प्रशासन माधामिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न कार्यो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धन का आवंटन करता है तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थानों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहयता प्रदान करता है। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करता है और आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों हेतु उचित वित्तीय समाधान देता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का आकलन करके उनकी उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करता है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न :

1- केंद्र सरकार द्वारा संचालित माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण राष्ट्र में किस संस्था द्वारा चलायी जाती है?
2- केन्द्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्माण किस संस्था द्वारा निर्मित की जाती है?
3- वर्तमान में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं?
4- माध्यमिक स्तर पर मुक्त शिक्षा कौन प्रदान करता है?

8. 6 राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना:

राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का प्रधान उस राज्य विशेष का शिक्षा मंत्री होता है। कुछ राज्यों में इनकी सहायता के लिए एक उप मंत्री या राज्य मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री राज्य के निवासियों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। वह विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होता है एवं राज्य के विधि के प्रति उत्तरदायी होता है। यह मंत्रालय से परामर्श करके शिक्षा सम्बन्धी नीति बनाता है एवं उसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। राज्यों में शिक्षा मंत्री विद्यालयी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा अथवा उच्च शिक्षा आदि में अलग-अलग हो सकते हैं या एक ही मंत्री के पास ये तीनों प्रभार हो सकते हैं उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2022 से एक ही केबिनेट मंत्री के पास ये तीनों विभाग हैं।उत्तराखंड राज्य के माननीय मंत्री के पास वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी भी है। अलग-अलग राज्यों में मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री राज्य की शिक्षा नीति एवं निर्माण एवं राज्य के शैक्षिक कार्यक्रमों को नेत्रत्व प्रदान करता है। एवं विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के मध्य समन्वय स्थापित करता है।

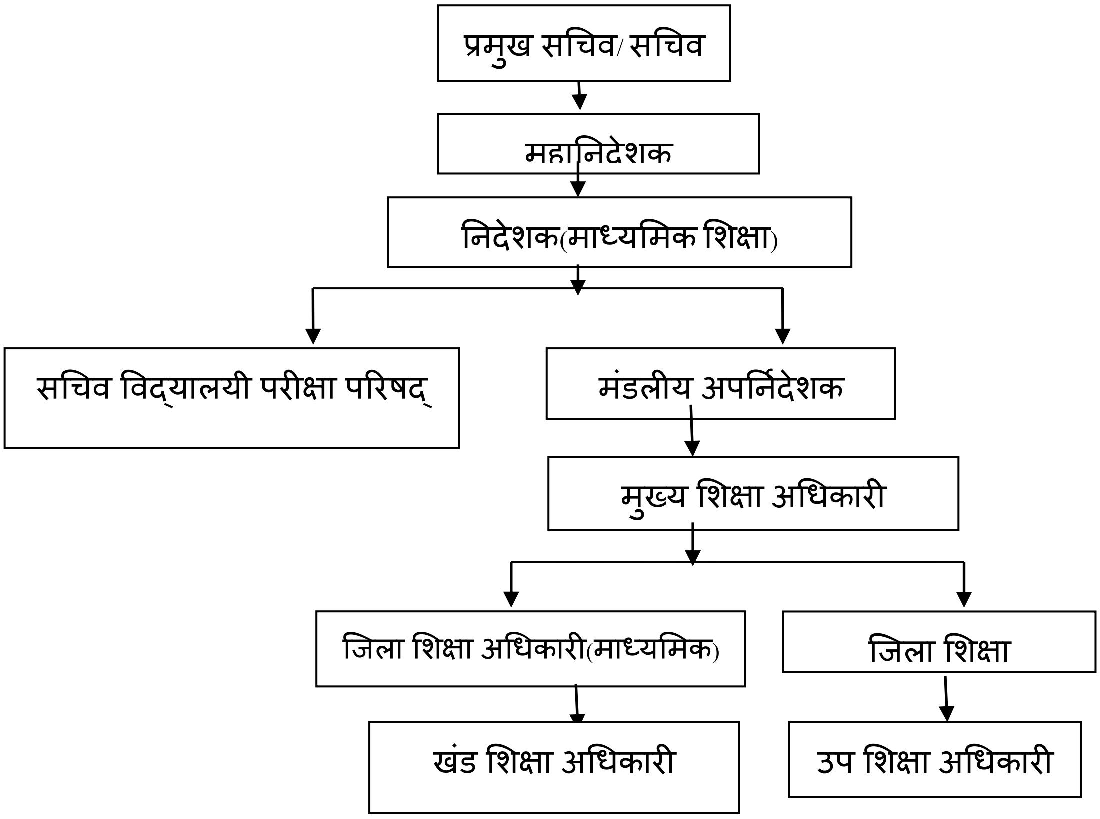

शिक्षा सचिवालय:

सचिवालय मंत्रालय से संबंधित होता है। शिक्षा संबंधी सभी नीतियाँ सचिवालय में हीं बनाई जाती हैं। राज्य के शिक्षा सचिवालय का प्रधान राज्य का शिक्षा सचिव होता है और उसकी सहायता के लिए एक या अधिक डिप्टी सेक्रेटी एवं अंडर सेक्रेटी होते हैं। राज्य शिक्षा सचिव एक वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी होता है। शिक्षा संबंधी सभी सरकारी आदेश शिक्षा सचिव के नाम से ही जारी किए जाते हैं। शिक्षा निदेशक द्वारा तैयार शिक्षा संबंधी कोई भी नीति, शिक्षा सचिव के सामने रखने से पहले सचिवालय के अधिकारियों द्वारा संशोधित (प्रॉशेस्ड) किया जाता है। अंत में शिक्षा सचिव द्वारा इसे मंत्रालय को भेज दिया जाता है।

शिक्षा निदेशालय:

यह एक कार्यकारी निकाय होता है। वास्तव में यह सरकार एवं पूरे राज्य में फैले अनेक शिक्षा संबंधी संस्थाओं के मध्य कड़ी का कार्य करता है। निदेशालय, राज्य सरकार को विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के कार्य-प्रणाली से अवगत कराता है तथा यह भी बताता है कि विभिन्न शैक्षिक नीतियों एवं राज्य के शैक्षिक प्रगति के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? इस संस्था का शीर्षस्थ अधिकारी निदेशक होता है। यह शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है और पूरे राज्य में शैक्षिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य में सरकारी एवं गैर सरकारी बिद्यालयों का कार्य करना, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था आदि इसके कार्य क्षेत्र के अधीन आते हैं। निदेशक, शिक्षा

को उनके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए ज्वॉयण्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, आदि होते हैं। उत्तराखंड राज्य का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में स्थित है।

उत्तराखंड राज्य में दो मंडल गढ़वाल मंडल और कुमाऊँ मंडल है उत्तराखंड राज्य में सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड की नियुक्ति मंडल क्षेत्र के अनुसार होती है जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती है। जबकि कक्षा 11 एवं कक्षा 12 की कक्षाओं की शिक्षण व्यवस्था हेतु प्रवक्ताओं की नियुक्ति राज्य स्तर की होती है जो राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।

8.6.1 माध्यमिक शिक्षा में राज्य प्रशासन की भूमिका:

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राज्य में माध्यमिक शिक्षा सीधे तौर पर शिक्षा निदेशालय से जुड़ी रहती है। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में राज्य प्रशासन की भूमिका निम्नलिखित है –

शिक्षा सम्बंधित नीतियाँ बनाना – राज्य सरकार केन्द्रीय नीतियों को धयान में रखकर राज्य में माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित नीति बनाती है और विभिन्न अधिकारियों एवं निकायों के माध्यम से क्रियान्वयन कराती है।

पाठ्यचर्या निर्धारित करना एवं मूल्यांकन- राज्य सरकार राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) की सहायता से माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या निर्धारित कराती है एवं शैक्षिक गुणवत्ता बनाये रखने के प्रयास करती है और समय-समय पर परीक्षाओं का आयोजन कराती है।

वित्तीय प्रबंधन एवं नियोजन- राज्य सरकार शिक्षा प्रक्रिया से सम्बंधित वित्तीय प्रबंध करती है इसके अंतर्गत विद्यालयों के भवनों का निर्माण,विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराना एवं शिक्षकों का नियोजन करना है। इसके साथ ही सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास करने हेतु वित्त की व्यवस्था करना आदि।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न :

5-राज्य में शिक्षा प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन है?

6-उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा परिषद् का कार्यालय कहाँ स्थित है?

7-वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन हैं?

8-उत्तराखंड राज्य में माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित कितने मंडलीय अपर निदेशक कार्यरत हैं?

8.7 जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक सरंचना:

जनपद स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासक के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है जिनके कुशल नेत्रत्व में माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रशासित की जाती है। मुख्य शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) कार्य करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित समस्त जनपद की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करता है और अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को अवगत करता है। जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ खंड शिक्षा अधिकारी होता है जो ब्लॉक स्तर पर शिक्षा के प्रशासनिक कार्यों

की देखरेख करता है। इसी प्रकार समस्त ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा से सम्बंधित समस्त जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देते हैं । इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन की जानकारी ब्लॉक स्तर से राज्य के शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा सचिव तक पहुँच जाती है ।

स्थानीय प्रशासन शैक्षिक प्रशासन का यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है क्योंकि विद्यालय के स्तर पर किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की सफलता या असफलता के निर्धारण में इस स्तर पर सम्पादित किए जाने वाले कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तराखंड में माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी शीर्षस्थ संस्था विद्यालयी शिक्षा विभाग है। इसके अर्गत प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद आते हैं। इसे हम इकाई संख्या सात में पढ़ चुके हैं उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, निदेशालय, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखंड के अंतर्गत कार्य करती हैं। वर्तमान में माननीय धन सिंह रावत जी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं जिनके नेत्रत्व में विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा का सञ्चालन किया जा रहा है । माध्यमिक शिक्षा के जनपद स्तरीय प्रशासन को निम्नलिखित रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है ।

8.7.1 माध्यमिक शिक्षा का स्थानीय प्रशासन:

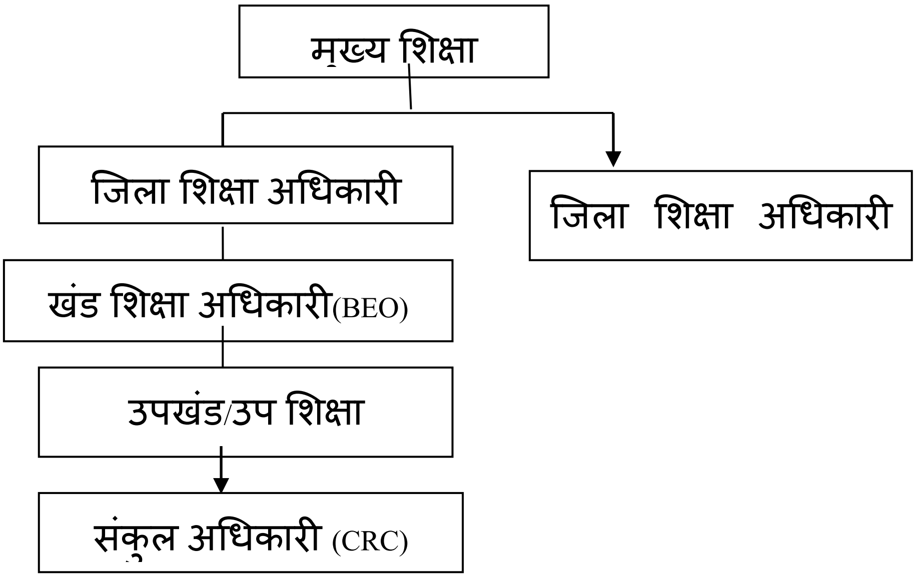

8.7.2 माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका:

माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं का त्वरित निदान स्थानीय प्रशासन ही कर सकता है माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों के प्रबंधन से लेकर नीतियों का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर ही होता है । माध्यमिक शिक्षा में स्थानीय प्रशासन की भूमिका निम्नलखित हैं –

राज्य एवं केंद्रसरकार द्वारा बनायीं गई नीतियों/ योजनाओं का क्रियान्वयन- मधामिक स्तर पर स्थानीय प्रशासन,राज्य/केंद्र सरकार द्वारा बनायीं गयी योजनाओं को क्रियान्वित करके उसकी सफलता अथवा असफलता की जानकारी अपने क्रम से ऊपर की ओर भेजती हैं और योजनाओं की जमीनी स्तर

की जानकारी सरकारों तक पहुँच जाती है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन अपने क्षेत्र की भौगोलिक एवं आर्थिक आवश्कताओं से भी जिला एवं राज्य प्रशासन को अवगत कराती रहती हैं।

स्थानीय स्तर पर आवंटन – सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गए संसाधनों को स्थानीय प्रशासन स्थानीय स्तर पर आवशयकतानुसार वितरित करता है जो कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता, छात्र कल्याण, शिक्षक प्रशिक्षण आदि के उपयोग में लाया जाता है।

निरिक्षण एवं अवलोकन – स्थानीय प्रशासन विद्यालयों एवं शिक्षकों और शैक्षिक कार्यक्रमों का निरिक्षण एवं अवलोकन करता रहता है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता एवं अनुशासन बना रहे इसके साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति भी विद्यालयों में बनी रहे।

विभिन्न परीक्षाओं का निरिक्षण- स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं का निरिक्षण करता है एवं परीक्षाओं की गुणवत्ता बनाये रखने में राज्य प्रशासन की सहायता करता है ।

8.8 सारांश:

प्रस्तुत इकाई में हमने माध्यमिक शिक्षा में केन्द्रीय प्रशासन की सरंचना का अध्ययन किया केन्द्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमने विभिन्न निकायों जैसे सीबीएसई, एन सी ई आर टी, सी ए बी ई एवं एन सी टी ई की भूमिका का संक्षिप्त में अध्ययन किया और यह जाना कि केन्द्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का संचालन किस प्रकार होता है एवं माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है एवं मधामिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है आदि। इसके साथ ही हमने राज्य स्तर पर एवं जनपद स्तर पर मधामिक शिक्षा की सरंचना का अध्ययन किया इसके साथ ही हमें माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में कार्यरत सभी अधिकारियों को उनके पदानुक्रम का भी अध्ययन किया। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में केंद्र, राज्य, एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका का अध्ययन किया और यह जाना कि विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों की क्या भूमिका है।

स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर :

i. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)
ii. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिक्षण परिषद् (NCERT)
iii. माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी
iv. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संसथान (NIOS)
v. शिक्षा सचिव ?
vi. रामनगर (नैनीताल)
vii. माननीय धन सिंह रावत जी ?
viii. दो

8.10 सन्दर्भग्रन्थ सूचि :

कोचर एस.के.(2011) स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड नोयडा उत्तर प्रदेश।

तोमर गजेन्द्र सिंह.(2016) शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन आर.लाल पब्लिकेशन मेरठ उत्तरप्रदेश।

लाल रमन बिहारी कृष्ण कान्त.(2016) समकालीन भारत और शिक्षा आर.लाल पब्लिकेशन मेरठ उत्तरप्रदेश।

https://ebooks.inflibnet.ac.in/edup13/chapter/educational-administration-structurefunctions-and-processes-at-the-central-government-level/

https://www.scribd.com/document/448865338/India-Structure-and-Educational-Administration

https://www.egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/46111/1/Unit-2.pd

8.11 निबंधात्मक प्रश्न :

1- केन्द्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन को विस्तार पूर्वक समझाइए।

2-राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन को स्पष्ट कीजिए।

3- उत्तराखंड राज्य की माध्यमिक शिक्षा की संरचना को स्पष्ट कीजिए।

4-स्थानीय स्तर पर प्रशासन की भूमिका को माध्यमिक शिक्षा के सन्दर्भ में लिखिए।

5-केंद्र, राज्य एवं स्थानीय प्रशासन में अंतर को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 9. भारत में उच्च शिक्षा की प्रशासनिक संचरना : (अ) केन्द्रिय स्तर (ब) राज्य स्तर

Unit 9: Administrative Structure of Higher Education in India at: (A) Central Level (B) State Level

9.1प्रस्तावना (Introduction)

9.2 उद्देश्य (Objectives)

भाग-I

9.3भारत में केन्द्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन

9.4केंद्र स्तर पर उच्च शिक्षा की संगठनात्मक संरचना

9.4.1 शिक्षा मंत्रालय

9.4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

9.4.3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)

9.4.4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)

9.4.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)

9.4.6 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA)

9.4.7 राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न (Questions for Self-Assessment)

9.5 केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान

9.5.1 केंद्रीय विश्वविद्यालय

9.5.2इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU

9.5.3DEB -Distance Education Bureau (UGC)

9.5.4 अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU)

9.5.5 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUPA)

9.5.6 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

9.6 NEP–2020 में केन्द्रीय स्तर का प्रशासनिक दृष्टिकोण

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न (Questions for Self-Assessment)

भाग-II

9.7 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन

9.7.1 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन की संगठनात्मक संरचना

9.7.2 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य-

9.7.3 NEP–2020 के संदर्भ में राज्य स्तर के प्रशासन में परिवर्तन
स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न (Questions for Self-Assessment)
9.8 सारांश (Summary)
9.9शब्दावली Glossary)
स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर
9.10 संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)
9.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Questions)

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में उच्च शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा बहुत संगठित,समन्वितऔर बहुस्तरीयसंरचना पर आधारित है। यह ढांचा न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि शिक्षा के सर्वसुलभ और न्यायसंगत वितरण को भी सुनिश्चित करता है।यह ढांचाकेंद्र और राज्य दोनों स्तरों परकार्य करता है।केन्द्रीय स्तर पर नीतियों, मानकों और वित्तीय सहायता का प्रबंधन होता है, जबकि राज्य स्तर पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित की जाती है। इस अध्याय में इन दोनों स्तरों की संरचना, प्रमुख संस्थाएँ और उनकी भूमिकाएँ विस्तार से समझाई गई हैं।

9.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात शिक्षार्थी–

1. भारत में केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन की संरचना समझ सकेंगे।
2. प्रमुख स्वायत्त निकायों (UGC, AICTE, NAAC, NTA आदि) का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
3. विभिन्न नियामक और वित्तीय एजेंसियों की भूमिकाओं को समझ पाएंगे।
4. केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का वर्णन कर पाएंगे।
5. RUSA और NRF जैसी राष्ट्रीय योजनाओं और संस्थाओं की कार्यप्रणाली को समझने में समर्थ होंगे।
6. NEP–2020 के तहत केंद्रीय स्तर के प्रशासन में प्रस्तावित सुधारों को जान पाएंगे।
7. राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन की संरचना और कार्य समझ पाएंगे।

8. NEP–2020 के संदर्भ में राज्य स्तर पर हुए परिवर्तनों को समझ पाएंगे।

9.3 भारत में केन्द्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन

केन्द्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन**शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education, भारत सरकार)**के माध्यम से संचालित होता है। इसके अंतर्गत कई प्रमुख संस्थाएँ कार्यरत हैं जैसे –- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)AICTE, NAAC, NCTE, BCI, PCI आदि नियामक परिषदें, NTA और NRF जैसी नई संस्थाएँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान एवं IGNOU तथा Distance Education Bureau (DEB) आदि।

जो विभिन्न प्रकार के नियमन, मूल्यांकन और वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।केंद्रीय स्तर का प्रशासनिक दायित्व तीन मुख्य क्षेत्रों में बँटा है—**1.** नीति निर्माण (Policy Formulation)2. नियमन (Regulation) और 3. वित्तपोषण व गुणवत्ता संवर्धन (Funding & Quality Improvement)

9.4 केंद्र स्तर पर उच्च शिक्षा की संगठनात्मक संरचना-

केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा कासंगठनात्मक संरचनाबहुस्तरीय है इस संरचना के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा का संचालन, नियमन, निरीक्षण और सुधार सुनिश्चित किए जाते हैं।केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा कासंगठनात्मक संरचना निम्नलिखित है –

1. भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय)- उच्चशिक्षाविभाग (Department of Higher Education)नीति निर्माण, संसाधन आवंटन, संस्थागत स्थापना।

2. HECI (NEP–2020 द्वारा प्रस्तावित)- NHERC – नियमन, NAC – प्रत्यायन, HEGC – अनुदान,GEC – शैक्षणिक मानक।

3. **Regulatory, Accreditation & Funding Agencies-** UGC,AICTE,NAAC,NCTE,CSIR, ICMR, ICAR, DRDO

4. Specialized Agencies- NTA (National Testing Agency), NRF (National Research Foundation), IGNOU एवं DEB

5. Higher Education Institutions- केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities), राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान (IIT, IIM, IISER, NIT),

6. **राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान**- ISRO संबंधित इंस्टिट्यूट, कृषि विश्वविद्यालय CSIR प्रयोगशालाएँ, DRDO आदि।

9.4 .1 शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)

शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा नीतियों का निर्धारण करता है और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह मंत्रालय उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, योजना और कार्यक्रमों का समन्वय करता है।इस मंत्रालय के अंतर्गतउच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को संचालित करना । उच्च शिक्षा से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना । उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) के माध्यम से नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 लागू करवाना । IIT, IIM, NIT, IIIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासन करना है।

9.4.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC – University Grants Commission)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था का सर्वोच्च वैधानिक और नियामक निकाय है । यहशिक्षा मंत्रालय, भारत सरकारके अंतर्गत कार्य करता है, जो विश्वविद्यालयों की स्थापना, मान्यता, वित्तपोषण और गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़े सभी प्रमुख कार्यों का संचालन करता है । इसकी स्थापना 1953 में की गई थी लेकिन वैधानिक अधिकार 1956 के UGC अधिनियमद्वारा प्रदान किए गए।

मुख्य कार्य:- UGC के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं-

1. उच्च शिक्षा में मानक निर्धारण (Standards & Regulations)-UGC यह निर्धारित करता है कि कौन-सा संस्थान विश्वविद्यालय कहलाने योग्य है (धारा 2(f))। कॉलेज/विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों, शिक्षक-छात्र अनुपात, अवसंरचना, प्रयोगशालाओं आदि के मानक तय करता है । शिक्षण, पाठ्यचर्या, परीक्षा प्रणाली, संकाय योग्यता, अनुशासन, जैसे मानदंड जारी करता है । "Minimum Qualifications for Appointment of Teachers" जैसे नियमों के माध्यम से अध्यापन-मानक सुनिश्चित करता है। पूर्व में UGC NET का संचालनअब यह कार्य NTA द्वारा किया जाता है । NET

योग्यता के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF (Junior Research Fellowship) प्रदान की जाती है। CBCS, Choice Based Credit Framework, Academic Bank of Credits आदि नीतिगत फ्रेमवर्क लागू करने में मार्गदर्शन करता है।

2.विश्वविद्यालयों को मान्यता (Recognition)- देश में कार्यरत किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करने का अधिकार UGC के पास है। 12(B) मान्यता के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने के पात्र संस्थानों की सूची सुनिश्चित करता है। UGC नये विश्वविद्यालयों को मान्यता देने हेतु नियम-प्रक्रियाएँ लागू करता है तथा मानकों का पालन कराता है। Fake universities की सूची जारी कर छात्रों को सचेत करता है।

3.**अनुदान व वित्तपोषण (Funding Functions)-**UGC विश्वविद्यालयों कोविकास अनुदान, शोध अनुदान, अवसंरचना अनुदानप्रदान करता है। केंद्रीय, राज्य एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। शोध परियोजनाओं, नवाचार कार्यों और अवसंरचना विकास में वित्तीय सहयोग देना। विशेष योजनाएँ (उदा. SAP, CAS, STRIDE, Special Assistance) के द्वारा शोध और उच्च गुणवत्ता के प्रोजेक्ट्स फंड करता है। कॉलेजों / विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने पर वित्तीय सहायता देता है (Autonomy grants)।

4. गुणवत्ता संवर्धन (Quality Assurance & Promotion)-NAAC(National Assessment & Accreditation Council) के माध्यम से संस्थानों के प्रत्यायन (accreditation) प्रदान करना। IQAC की स्थापना, शिक्षण–अधिगम की उत्तमता और सतत सुधार के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

5.अनुसंधान का संवर्द्धन (Promotion of Research)- JRF/SRF, UGC-fellowships, Minor & Major Research Projects के जरिए शोध को प्रोत्साहन देना।Canters of Excellence, Research Parks, और शोध इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सहायता करना।Shodh Ganga, शोध डेटाबेस और प्रकाशन प्रोत्साहन पर काम करना।

6. शिक्षक विकास एवं क्षमता निर्माण (Faculty Development)- FDP (Faculty Development Programmes), Orientation/Refresher Courses, CAS (Career

Advancement Scheme) आदि संचालित करना ।शिक्षा के नए अध्यापन–पद्धतियों, शोध-कौशल विषयक क्षमताओं का विकास करना ।

7. छात्र सहायता व छात्रवृत्तियाँ (Student Support & Scholarships) -- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, अनुसूचित वर्गों / पी-एच-डी / UG छात्रवृत्ति योजनाएँ और अनुसंधान फेलोशिप उपलब्ध करना ।छात्रसंख्या, विविधता व समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष योजनाएँ बनाना ।

8. ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा (DEB, Online Learning)- DEB (Distance Education Bureau) के माध्यम से Open & Distance Learning (ODL) और Online Courses के मानक, मान्यता व मार्गदर्शन प्रदान करना ।

SWAYAM, MOOCs और E-learning क्षमताओं को बढ़ावा देना ।

9. नीति निर्माण और परामर्श (Policy Formulation & Advice)- शिक्षा मंत्रालय को उच्च शिक्षा नीतियों (जैसे- NEP-2020) के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी व नीतिगत सलाह देना ।उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय रणनीतियाँ, मानकीकरण व सुधार के सुझाव सरकार को प्रस्तुत करना है । CBCS, SWAYAM, MOOCs, Academic Bank of Credits जैसे सुधार लागू करना।

10. अंतर-विश्वविद्यालय समन्वय- शिक्षा के विविध क्षेत्रों में समन्वय और नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करना । राज्य सरकारों, पेशेवर परिषदों (AICTE, NCTE इत्यादि), अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करना ।

11. राष्ट्रीय पात्रता (NET/JRF) परीक्षा- पूर्व में UGC NET का संचालन; अब यह कार्य NTA द्वारा किया जाता है । NET योग्यता के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF (Junior Research Fellowship) प्रदान की जाती है।UGC का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह आयोग विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, शोध गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखता है।

9.4.3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)All India Council for Technical Education-AICTE तकनीकी शिक्षा का सर्वोच्च नियामक व स्वायत्त निकाय है । 1945 में स्थापित तथा 1987 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ ।AICTE तकनीकी शिक्षा संस्थानों के मानक

और नियमन की देखरेख करता है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों का मानकीकरण शामिल है।

AICTE के प्रमुख कार्य-

1. **तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता (Approval & Recognition)**- B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, B.Pharma, Polytechnic आदि को मान्यता देना। नए तकनीकी कॉलेजों/संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति देना।

2.मानकों व विनियमों का निर्धारण- पाठ्यक्रम संरचना, अवसंरचना, प्रयोगशाला मानक, शिक्षक योग्यता व TPR निर्धारित करना ।"Model Curriculum" तैयार करके संस्थानों को निर्देशित करना।

3.संस्थानों का निरीक्षण (Inspection)- गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु Surprise inspection, annual compliance report आदि की जांच ।

4 **.शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन**- Start-up policy, Quality improvement program, internships, Hackathons का आयोजन । NEAT (National Educational Alliance for Technology) कार्यक्रम ।

5. परीक्षाओं व प्रवेश नीतियों को नियंत्रित करना- GPAT, CMAT जैसी परीक्षाओं का संचालन (अब NTA के माध्यम से) ।

6.स्किल डेवलपमेंट एवं उद्योग–अकादमिक सहयोग- तकनीकी शिक्षा को उद्योग-उन्मुख बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, vocational learning ।

9.4.4 राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC)

NAAC का कार्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रत्यायित करना है। यह संस्था शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए सुझाव और दिशानिर्देश प्रदान करती है।UGC द्वारा 1994 में NAAC की स्थापनाकिया गया था, जोभारत में उच्च शिक्षा संस्थानों कागुणवत्ता मूल्यांकन एवं ग्रेडिंगकरता है ।

NAAC के प्रमुख कार्य

1.मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (Assessment & Accreditation)- विश्वविद्यालय / कॉलेज का 7 मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है -1. Curricular Aspects, 2. Teaching-Learning & Evaluation,

3. Research, Innovations & Extension, 4. Infrastructure, **5.** Student Support, 6. Governance

7. Institutional Values

2. ग्रेड प्रदान करना-A++, A+, B++ जैसे ग्रेड प्रदान करता है। IQAC (Internal Quality Assurance Cell) की स्थापना तथा प्रत्येक संस्थान में निरंतर गुणवत्ता सुधार हेतु IQAC अनिवार्य है।

3. गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम- कार्यशालाएँ, गुणवत्ता मापदंड, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपयोगी प्रकाशन करना।'

4. ऑनलाइन / डेटा आधारित मूल्यांकन-प्रक्रिया के माध्यम से स्वच्छ डेटा आधारित मूल्यांकन करना।

9.4 .5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE)

NCTE शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता और नियमन करता है। यह परिषद शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मानकों को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) भारत में शिक्षक शिक्षा को नियोजित, मानकीकृत और गुणवत्ता-उन्मुख बनाने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। इसे मूलतः 1973 में एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था, परंतु शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि, विविधता और गुणवत्ता की असमानता को देखते हुएवर्ष 1993 में संसद द्वारा पारित NCTE Act, 1993 के माध्यम से इसे पूर्ण वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

9.4.5.1 NCTE का उद्देश्य -NCTE की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:-

1. शिक्षक शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

2. शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता (Recognition) प्रदान करना।

3.शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानक एवं दिशानिर्देश बनाना।

4.शिक्षक शिक्षा में शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना।

5.देशभर में शिक्षक शिक्षा का समन्वयन एवं विकास करना।

9.4.5.2 संगठनात्मक संरचना - NCTE का मुख्यालयनई दिल्लीमें है । इसके साथ चार क्षेत्रीय समितियाँ (Regional Committees) कार्यरत हैं:

- उत्तरी क्षेत्रीय समिति – जयपुर
- दक्षिणी क्षेत्रीय समिति – बेंगलुरु
- पूर्वी क्षेत्रीय समिति – भुवनेश्वर
- पश्चिमी क्षेत्रीय समिति – भोपाल

ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्र में संस्थानों की मान्यता, निरीक्षण, मानदंडों का अनुपालन एवं निर्णय लेने की जिम्मेदारी निभाती हैं।

प्रमुख कार्य

(1) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता (Recognition)

NCTE विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों यथा D.El.Ed., B.Ed., M.Ed.B.P.Ed., M.P.Ed. को मान्यता देने का कार्य करती है। बिना NCTE मान्यता के कोई भी संस्थान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम नहीं चला सकता।

(2) मानदंड एवं मानक निर्धारण- NCTE अवसंरचना, संकाय योग्यता, शिक्षक-छात्र अनुपात, पाठ्यक्रम ढाँचा, शैक्षणिक कैलेंडर, प्रैक्टिकल कार्यक्रम आदि के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है ।

(3) संस्थानों का निरीक्षण (Inspection)- NCTE नियमित अंतराल पर संस्थानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित मानदंडों का पालन कर रहे हैं।

(4) शोध एवं नवाचार का प्रोत्साहन- NCTE शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान, नवोन्मेषी पद्धतियाँ और गुणवत्ता उन्नयन को बढ़ावा देता है।

(5) शिक्षक शिक्षा पर विवरणिका एवं दिशा–निर्देश जारी करना- संस्थान अपनी नीतियाँ NCTE द्वारा जारी Regulations (उदा. NCTE Regulations 2014) के अनुरूप बनाते हैं।

9.4.5.3 शिक्षक शिक्षा में NCTE का योगदान

आज शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में NCTE की भूमिका अत्यंत प्रभावी और अनिवार्य मानी जाती है। NCTE भारत में शिक्षक शिक्षा को व्यवस्थित, मानकीकृत और गुणवत्तापूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के साथ–साथ शिक्षक शिक्षा के समग्र विकास के लिए नीतियाँ, मानक और दिशानिर्देश तैयार करता है। शिक्षक शिक्षा में NCTE का योगदान निम्नलिखित है -

1.देशभरमेंB.Ed., D.El.Ed., M.Ed. आदि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार।

2. शिक्षक-शिक्षण कार्यक्रमों में व्यावसायिक नैतिकता और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास।

3. अनियंत्रित रूप से बढ़ते हुए B.Ed./D.Ed. कॉलेजों पर नियंत्रण।

4. राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता (Uniformity) सुनिश्चित करना।

5. नये पाठ्यक्रम जैसे—4-वर्षीय समेकित B.Ed. कार्यक्रम का विकास (NEP 2020 के अनुरूप)।

9.4.6 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA-National Testing Agency)

NTA उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करती है, जैसे JEE, NEET आदि। इसका उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है।NTA 2017 में स्थापित स्वायत्त निकाय है, जो भारत मेंउच्च-स्तरीय पारदर्शी और डिजिटल परीक्षाओंका संचालन करता है।

NTA के प्रमुख कार्य- 1. राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन- NEET (UG), JEE Main, UGC-NET, CUET (UG/PG), GPAT,CMAT आदि।

2.कंप्यूटर आधारित परीक्षण (CBT)- बड़ी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना।

3.प्रश्न बैंक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण- वैज्ञानिक पद्धति से प्रश्नों का विकास करना।

4.परीक्षा केंद्रों का आधुनिकीकरण एवं स्कोरिंग व नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जिसमें कई शिफ्टों की परीक्षाओं के लिए समान स्कोरिंग प्रणाली बनाना।

9.4.7 राष्ट्रीय शोध कोष (NRF-National Research Foundation)- NRFभारत में शोध व नवाचार को सशक्त बनाने वाला राष्ट्रीय निकाय है जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह संस्था अनुसंधान परियोजनाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

NRF के प्रमुख कार्य

1.शोध हेतु वित्तपोषण (Funding)-विज्ञान, समाजशास्त्र, कला, मानविकी, प्रौद्योगिकी, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में शोध हेतु वित्त अनुदान प्रदान करना।

2. उच्च स्तरीय शोध अवसंरचना-विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

3. स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक Research Culture- छात्रों में inquiry-based learning को बढ़ावा देना।

4. उद्योग—अकादमिक सहयोग-Start-ups, CSR फंडिंग, R&D पार्टनरशिप को बढ़ावा देना।

5. राष्ट्रीय शोध प्राथमिकताओं का निर्धारण- देश की आवश्यकताओं के अनुसार शोध परियोजनाओं का विकास करना।

I-- स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न (Questions for Self-Assessment)

1. भारत में उच्च शिक्षा के प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन है?

2. UGC की स्थापना किस वर्ष हुई?

3. तकनीकी शिक्षा का विनियमन कौन करता है?

4. देश की प्रमुख प्रवेश परीक्षाएँ कौन आयोजित करता है?

9.5 केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान

भारत में कुछ विश्वविद्यालय और संस्थाएँ राष्ट्रीय महत्व की हैं, जिनका प्रशासन और संचालन केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है।ये संस्थान उच्च गुणवत्ता, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्रीय-स्तरीय मानव संसाधन विकास के लिए अग्रणी माने जाते हैं।

9.5.1 केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities)

केंद्रीय विश्वविद्यालयों का प्रबंधन एवं वित्तपोषण सीधे**भारत सरकार**शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।ये उच्च गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। जैसे -दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

मुख्य कार्य

1.उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना–– राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट, नवाचार-आधारित और शोध-उन्मुख शिक्षा देना।

2.समान अवसर उपलब्ध कराना–– देश के सभी राज्यों के विद्यार्थियों को समान प्रवेश अवसर प्रदान करना।

3.राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना –– विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों व शिक्षकों को एक मंच पर लाकर राष्ट्र-निर्माण में योगदान।

4.उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना–– अनुसंधान परियोजनाएँ, नई प्रयोगशालाएँ, शोध अनुदान, शोध प्रकाशन आदि।

5.नए शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करना–– उभरती आवश्यकताओं के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम, CBCS और बहु-विषयक कार्यक्रम शुरू करना।

6.शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता उन्नयन–– FDP, रिसर्च वर्कशॉप, NAAC/NEP आधारित सुधार।

7.राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में सहयोग–– NEP 2020, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप इंडिया आदि।

8.अंतरराष्ट्रीय सहयोग–– विदेशी विश्वविद्यालयों से MoU, छात्र विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त शोध।

9.5.2 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

IGNOU देश में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और सर्वसुलभ बनाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

मुख्य कार्य –

1.भारत मेंओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) का सबसे बड़ा संस्थान।

2.स्कूली, कॉलेज तथा उच्च शिक्षा मेंसुलभ, किफायती और लचीली शिक्षाउपलब्ध कराना।

3.200 से अधिक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और कौशल पाठ्यक्रमों का संचालन।

4.दूरस्थ शिक्षा के लिएई–सामग्री, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मद्वारा शिक्षण।

5.अध्ययन केंद्रों (Regional & Study Centres) के माध्यम सेदेशव्यापी शिक्षा नेटवर्क।

6.रोजगारोन्मुख, कौशल आधारित तथा जन–उन्मुख कार्यक्रमों का संचालन।

7.महामारी/आपदा जैसी परिस्थितियों में भीशिक्षा का निरंतर संचालनसुनिश्चित करना।

विशेषताएँ:-राष्ट्रीय मानक, उच्च गुणवत्ता अनुसंधान एवं नवाचार एवं वैश्विक सहयोग।

9.5.3 डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (DEB, UGC)

DEB, UGC का विशेष निकाय है जो भारत मेंदूरस्थ शिक्षा एवंऑनलाइन शिक्षाको विनियमितकरता है और ऑनलाइन/ODL प्रोग्राम को मान्यता प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा के मानक तय करता है और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।जैसे-IGNOU व State Open Universities का नियमन और ऑनलाइन / ODL प्रोग्राम की मान्यता प्रदान करना आदि।

मुख्य कार्य :

1. **ODL और Online कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना--** दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता-विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित B.A., B.Com., M.A., BCA, MBA, Online Courses आदि की स्वीकृति ।
2. **दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रमगुणवत्ता एवं मानक विकसित करना-** ODL/Online के मानक एवं गुणवत्ता निर्धारण- पाठ्यक्रम, LMS, SLM (Self Learning Material), मूल्यांकन प्रणाली, PCP आदि मानक निर्धारित करना।
3. **विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण करना-** संस्थानों का निरीक्षण- भौतिक व वर्चुअल अवसंरचना की जांच और डीईबी की मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची जारी करना ।
4. **संसाधन और छात्र सहायता सेवाओं का मूल्यांकन करना-** छात्र सहयोग सेवाएँ- e-resources, helpline, counselling प्रणाली की निगरानी और डिग्री की वैधता एवं समकक्षता सुनिश्चित करना ।
5. **डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा-** MOOCs, SWAYAM, Online–Hybrid Learning मॉडल आदि को प्रोत्साहन देना ।

9.5.4अखिलभारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU)Association of Indian Universities: -

AIU विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय करता है।इसकी स्थापना वर्ष 1925 में शैक्षिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से की गई थी । वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर Association of Indian Universities (AIU) कर दिया गया।यह संगठन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समानता और मान्यता को सुनिश्चित करता है।यह भारतीयविश्वविद्यालयों का एक महत्वपूर्ण स्वायत्त संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य देश के सभी विश्वविद्यालयों के बीचशैक्षिक सहयोग, समन्वय, मानकीकरण और समानतास्थापित करना है।

AIU के प्रमुख कार्य

1.विदेशी डिग्रियों की समकक्षता (Equivalence Certificate)- शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

2. अंतर-विश्वविद्यालयसहयोग:- शिक्षण, शोध, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहयोग बढ़ाना।

3.युवा महोत्सव और विश्वविद्यालय खेल- पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण ज़ोनल यूनिवर्सिटी खेलों का आयोजन करना।

4.नीति निर्माण में योगदान- उच्च शिक्षा सुधार हेतु सुझाव तैयार करना।

5.अंतरराष्ट्रीय सहयोग- विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक समझौते करना ।

9.5.5राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवंप्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)(National University of Educational Planning and Administration)

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुखराष्ट्रीय स्तर का स्वायत्त संगठनहै, जिसका मुख्य उद्देश्य देश मेंशैक्षिक योजना, प्रबंधन, प्रशासन, नीति-निर्माण, क्षमता-विकास तथा अनुसंधानको बढ़ावा देना है।NUEPA की स्थापना1960 के दशक मेंराष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NEPA) के रूप में हुई ।1979 में यहस्वायत्त संगठनबना

।2006 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नामराष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) कर दिया गया।

NUEPA के मुख्य कार्य –1. शैक्षिक योजना - NUEPA विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य, जिला, संस्थागत) पर शिक्षा की योजना निर्माण प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।जैसे - शैक्षिकविकासयोजनाएँ, संसाधनप्रबंधनशैक्षिकवित्त,रणनीतिकयोजनानिर्माण आदि।

2.शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन -यह संस्थान प्रशासनिक सुधारों, नेतृत्व विकास एवं संस्थागत प्रबंधन पर प्रशिक्षण और शोध संचालित करता है। जैसे -विद्यालयनेतृत्व, उच्चशिक्षाप्रबंधन, निर्णय–निर्धारण और प्रशासनिकक्षमतानिर्माण आदि।

3. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास - NUEPA शिक्षा अधिकारियों, संस्थागत प्रमुखों एवं विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों को उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। जैसे -MDPs (Management Development Programmes),राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीयप्रशिक्षण,ऑनलाइन/ब्लेंडेडप्रशिक्षणकार्यक्रम आदि।

4. शैक्षिक अनुसंधान (Educational Research)-NUEPAस्कूलशिक्षा, उच्चशिक्षा, शैक्षिकनेतृत्व, शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशासन, समानता, पहुँच और वित्तपोषण से संबंधित शोध करता है।

5. नीति–निर्माण में सहयोग (Policy Support)- NUEPA केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा नीति बनाने, लागू करने और मूल्यांकन में सहयोग देता है।NEP–2020 के निर्माण एवं कार्यान्वयन में भी इसकी प्रमुख भूमिका रही है।

6. प्रकाशन एवं दस्तावेजीकरण- यह संस्थान विभिन्न रिपोर्ट, जर्नल, शोध-पत्र और डेटा-आधारित दस्तावेज प्रकाशित करता है। जैसे -Indian Educational Review,Educational Management Reports एवंवार्षिकसांख्यिकीयरिपोर्टआदि।

7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग-UNESCO, UNICEF, World Bank, UNDP आदि के साथ साझेदारी में शिक्षा विकास परियोजनाओं को संचालित करता है।

9.5.7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

RUSA भारत सरकार (Ministry of Education) की केंद्रीय योजना है।इसे Department of Higher Education, MoEसंचालित करता है।RUSA का उद्देश्य राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विकास के लिए योजना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।RUSA विशेषकर उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर केन्द्रित है जो राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं, क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा का बड़ा भाग राज्य स्तर पर ही संचालित होता है।

उद्देश्य-

1. Quality Improvement:राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नत करना (NAAC/NAC मानकों के अनुरूप)।

2. Access & Equity:उच्चतर शिक्षा में पहुँच और समावेशन बढ़ाना—वंचित, ग्रामीण, और पिछड़े क्षेत्रों में संस्थानों का सुदृढ़ीकरण।

3. Infrastructure Development:शैक्षणिक व प्रयोगशाला अवसंरचना, पुस्तकालय, ICT एवं ई-लर्निंग सुविधाएँ बढ़ाना।

4. Governance Reforms:राज्यस्तरीय नियोजन एवं गवर्नेंस (SHEC) का सृजन/सुदृढ़ीकरण।

5.Academic Reforms: CBCS, OBE, बहुविषयकता, स्वायत्तता व शोध-उन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

6. Faculty & Leadership Development:शिक्षक प्रशिक्षण, Faculty Development Programmes (FDPs) व नेतृत्व क्षमता निर्माण।

7. Research & Innovation:रिसर्च क्लस्टर, इनोवेशन सेंटर व इंडस्ट्री-एकेडेमिया लिंक को बढ़ाना।

3. कार्यक्षेत्र / घटक (Key Components)

RUSA की योजना में कई घटक (Components) सम्मिलित हैं; प्रमुख हैं—

1. State Higher Education Plans (SHEP):प्रत्येक राज्य के लिए एक समग्र उच्च शिक्षा योजना तैयार करवाना जिससे राज्य-स्तरीय प्राथमिकताएँ तय हों।

2. Infrastructure Grants:कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढाँचा (कक्षाएँ, लैब, लाइब्रेरी, आवास) के अनुदान।

3. **Autonomy & Accreditation Support:**संस्थाओं को NAAC प्रमाणन और स्वायत्तता दिलाने हेतु वित्तीय/तकनीकी मदद।

4.**Faculty Development:**शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, पीएच.डी. सहायता, रिसर्च ग्रांट।

5. New Model Degree Colleges / Upgradation:नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाना व मौजूदा कॉलेजों का अपग्रेडेशन।

6. Cluster / Multidisciplinary Universities:छोटे कॉलेजों के विलय/क्लस्टर के जरिये बहुविषयक संस्थाएँ स्थापित करना।

7. ICT & E-Learning: LMS, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल लैब व डिजिटल लाइब्रेरी।

8. Research, Innovation & Start-ups:रिसर्च फ़ंडिंग, इनोवेशन-हब व स्टार्ट-अप सेल।

9. Governance Reforms / SHEC: State Higher Education Council की स्थापना व सुदृढ़ीकरण।

9.6 NEP–2020 में केन्द्रीय स्तर का प्रशासनिक दृष्टिकोण - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और समन्वय को बढ़ावा देती है। NEP–2020 के अनुसार:-

1. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग(Higher Education Commission of India- HECI) की स्थापना- केंद्र स्तर पर उच्च शिक्षा के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोगका गठन कर उसे एकीकृत **नियामक संरचना**का स्वरूप दिया गया है,जिससे शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तीय निगरानी और नियमन एकीकृत रूप से हो सके।इसआयोगके अंतर्गत चार स्वतंत्र, कार्यात्मक निकाय प्रस्तावित हैं— **(a)** NHERC (**b**) NAC,

(c) HEGC**(d) GEC** इनका विवरण निम्नलिखित हैं -

(a) राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (**NHERC – National Higher Education Regulatory Council)**-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषदनियमन (Regulation) हेतु एकल

निकाय है जो सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की पारदर्शी निगरानी रखेगा यह “Light but Tight” नियामक मॉडल पर विकसित होगा इसमें मानकों के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान किया गया है।

(b) राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (**NAC – National Accreditation Council)**-राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद प्रत्यायन (Accreditation) की नई राष्ट्रीय प्रणाली होगी जो डेटा-आधारित, स्वतन्त्र, पारदर्शी मूल्यांकन करेगी और संस्थान-आधारित (Institutional) प्रत्यायन करेगी।

(c) उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (HEGC – Higher Education Grants Council)-उच्च शिक्षा अनुदान परिषदUGCकी फंडिंग भूमिका का स्थान पर लिया गया है जो अनुदान, वित्तीय सहायता, अनुसंधान सहायता और पारदर्शी फंडिंग मॉडल पर विकसित होगा।

(d) सामान्य शिक्षा परिषद / शैक्षणिक मानक परिषद (GEC –General Education Council)-NEP–2020 में इसे Academic Standard-Setting Body भी कहा गया है।GEC के अंतर्गत शिक्षण–अधिगम मानक, पाठ्यचर्या रूपरेखा, NHEQF (National Higher Education Qualification Framework) का विकास तथा सभी कार्यक्रमों के लिए लर्निंग आउटकम तय करना सुनिश्चित किया गया है।

2. मौजूदा निकायों का पुनर्गठन- केंद्र स्तर पर जिन निकायों के कार्य बिखरे हुए थे, NEP–2020 ने उन्हें समेकित करने का सुझाव दिया है। जैसे - UGCकी कई भूमिकाएँ →HEGC, GEC को दी जाएँगी, AICTE का नियामक कार्य →NHERC के पास रहेगा,NCTEका कार्य भी HECI ढाँचे में समाहित होगा और NAC प्रत्यायन के लिए एकमात्र राष्ट्रीय निकाय रहेगी इससे केंद्र स्तर पर एकीकृत शासन स्थापित होगा।

3. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना-NRF के अंतर्गत सभी विषयों (STEM, Humanities, Social Sciences) के अनुसंधान को प्रोत्साहन, अनुसंधान अनुदान, नवाचार, स्टार्ट-अप को सहायता, विश्वविद्यालयों में शोध-संस्कृति का विकास एवं Global Research Excellence मॉडल लागू होगा।

4. शिक्षा मंत्रालय (MoE) की भूमिका को सुदृढ़ करना- केंद्र स्तर पर MoEको— नीति निर्माण, राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण, प्रशासनिक समन्वय, बजट आवंटन एवं e-Governance में अधिक मजबूत भूमिका सौंपी गई है।

5. Academic Bank of Credits (ABC)- केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय तंत्र—बहु-प्रवेश–बहु-निकास प्रणाली, छात्रों की प्राप्त क्रेडिट का डिजिटल रिकॉर्ड किसी भी विश्वविद्यालय में क्रेडिट ट्रांसफर यह व्यवस्था केंद्र द्वारा संचालित National Digital Education Architecture (NDEAR) से जुड़ी है।

6. राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढाँचा - ऑनलाइन, ब्लेंडेड शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब, सीखने के विश्लेषण (Learning Analytics) एवं राष्ट्रीय e-Content Repository ढाँचा प्रस्तुत किया गया है।

7. भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) को बढ़ावा - केंद्र स्तर पर Indian Knowledge Systems (IKS) कोप्रोत्साहित करने हेतु—IKS Division की स्थापना की गई है इसमें संस्कृति, भाषा, साहित्य, योग, दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल और पारंपरिक ज्ञान को मुख्यधारा में स्थान दिया गया है।

8. उच्च शिक्षा में संस्थागत पुनर्गठन - केंद्र सरकार के अनुसार-छोटी Affiliated Colleges प्रणाली समाप्त किये जायेगें और बड़े Multidisciplinary Universities का विकास किया जायेगा और Research Universities, Teaching—ResearchUniversities, Degree-Granting Colleges की अवधारणा विकसित की जाएगी।

9. गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्वायत्तता- NEP–2020 का केंद्रीय प्रशासनिक दृष्टिकोण— HEIs को एकेडमिक, प्रशासनिक, वित्तीय स्वायत्तता, पारदर्शी e-Governance, डेटा आधारित निर्णय और Internal Quality Assurance System (IQAC) है।

10. समावेशी शिक्षा- केंद्र सरकार— दिव्यांग, SC/ST/OBC, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, GER बढ़ाकर 50% (2035 का लक्ष्य) तथा ग्रामीण–दूरदराज़ क्षेत्रों में HEIs का विस्तार का प्रावधान करती है।

II-स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

1.IGNOU किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है?

2. NUEPA का मुख्य कार्य क्या है?

3. NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई?

4. विश्वविद्यालयों की समकक्षता किस संस्था द्वारा निर्धारित की जाती है?

भाग-2

9.7 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन

भारत में उच्च शिक्षा का प्रशासन द्विस्तरीय ढांचे पर आधारित है- केन्द्रीय स्तरतथाराज्य स्तर। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का प्रशासन विश्वविद्यालय अधिनियमों और राज्य शिक्षा नीतियों के तहत संचालित होता है। इस ढांचे के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी और पेशेवर संस्थान आते हैं। राज्य सरकारें वित्तीय सहायता, नियमन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभाग और निकाय स्थापित करती हैं।

9.7.1 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन की संगठनात्मक संरचना—राज्यों में उच्च शिक्षा का प्रशासन निम्न प्रमुख घटकों पर आधारित होता है—

(1) राज्य सरकार (State Government)- राज्य में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियंत्रक तत्व राज्य सरकार है और उच्च शिक्षा मंत्री प्रमुख होता है ।उच्च शिक्षा प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी उच्च शिक्षा सचिव है ।इसके प्रमुख कार्य निम्न है-उच्च शिक्षा से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन,विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए वित्तीय अनुदान जारी करना,शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें एवं वेतनमान निर्धारित करना,नए विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अधिनियम पारित करना तथाविश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (राज्यपाल) से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करना आदि।

(2) राज्यपाल (Governor) – कुलाधिपति (Chancellor)

राज्यपाल विश्वविद्यालय के लिएनिष्पक्ष, तटस्थ तथा सर्वोच्च संरक्षककी भूमिका निभाते हैं। अधिकांश राज्यों में राज्यपाल विश्वविद्यालयों केकुलाधिपति (Chancellor)होते हैं।

मुख्य कार्य:-

- कुलपति (Vice-Chancellor) की नियुक्ति करना
- विश्वविद्यालय अधिनियम के पालन की निगरानी रखना
- प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक निर्णयों पर अंतिम अनुमोदन करना
- विश्वविद्यालयों के विवादों में अंतिम निर्णायक प्राधिकारी की भूमिका निभाना

(3) उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education)- यह राज्य में उच्च शिक्षा काप्रमुख प्रशासनिक विभागहै। इसके अंतर्गत निम्न कार्य हैं-

- विश्वविद्यालयों, सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालयों का प्रशासन
- योजनाओं, परियोजनाओं, बजट, अनुदान और कार्यक्रमों का संचालन
- UGC/AICTE/NAAC आदि संस्थानों से समन्वय बनाना
- शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण एवं सेवा संबंधी नियम बनाना
- निजी एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना

(4) शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education)-उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एककार्यान्वयन एजेंसी है। कई राज्यों में इसेडायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशनभी कहते हैं।

मुख्य कार्य—

- महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी रखना
- विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय एवं रिपोर्टिंग करना
- महाविद्यालयों का निरीक्षण, मान्यता, अधोसंरचना परीक्षण करना
- छात्रवृत्ति योजनाएँ और परीक्षा-संबंधी प्रशासनिक कार्य करवाना
- महाविद्यालयों को अनुदान का वितरण एवं लेखा परीक्षण करना

(5) राज्य विश्वविद्यालय (State Universities)-

राज्यों में विश्वविद्यालयउच्च शिक्षा के मुख्य केंद्रहोते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित विश्वविद्यालय है।

राज्यविश्वविद्यालय में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कुलपति होते हैं।

प्रमुख कार्य–

- पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन
- संबद्ध (Affiliated) महाविद्यालयों का निरीक्षण
- शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देना
- शैक्षिक मानकों की निगरानी

(6) संबद्ध/सरकारी/अनुदानित महाविद्यालय- राज्यों में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा महाविद्यालयों के माध्यम से संचालित होता है। यह तीन प्रकार के हैं -

1. **सरकारी महाविद्यालय**
2. **अनुदानित महाविद्यालय**
3. **स्ववित्तपोषित निजी महाविद्यालय**

भूमिका—

- स्नातक व परास्नातक शिक्षा प्रदान करना
- शिक्षक–विद्यार्थी विकास कार्यक्रम, रिसर्च, आउटरीच
- विश्वविद्यालय के नियमों का पालन

(7) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (State Higher Education Council – SHEC)

NEP–2020 तथा RUSA के तहत राज्यों मेंउच्च शिक्षा नियोजन एवं गुणवत्ताके लिए SHEC की स्थापना महत्वपूर्ण है।

मुख्य कार्य–

- राज्य उच्च शिक्षा की दीर्घकालिक योजना बनाना
- RUSA परियोजना का क्रियान्वयन
- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार
- वित्तीय संसाधनों का समायोजन एवं वितरण
- अकादमिक सुधार, स्वायत्तता एवं संस्थागत क्षमता निर्माण

(8) व्यावसायिक शिक्षा नियामक संस्थाएँ- राज्यों में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेष परिषदें:-

- राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड
- शिक्षक शिक्षा परिषद
- राज्य स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
- कृषि/पशुपालन/प्रबंधन/नर्सिंग बोर्ड

इनका कार्य—मान्यता, नियमन, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम मानक निर्धारण।

(9) राज्य वित्तीय नियंत्रण एवं लेखा तंत्र-यह उच्च शिक्षा संस्थानों की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

राज्य लेखा महानियंत्रक, वित्त विभाग तथा ऑडिट आयोग निम्न कार्य करते हैं—

- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की अनुदान राशि का ऑडिट
- वित्तीय अनियमितताओं की जांच
- आर्थिक व्यवस्थापन के लिए दिशानिर्देश

1.7.2 राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य-राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं –

(1) नीति निर्माण और योजना निर्माण-नई नीतियों एवं सुधार कार्यक्रमों का निर्माण करना,RUSA, NEP–2020 आदि योजनाओं का क्रियान्वयन करना

(2) उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना- नए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति और अधिनियमों/नियमों का निर्माण करना

(3) शिक्षक प्रबंधन- नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर उन्नयन योजनाएँ, सेवा शर्तों व वेतनमान निर्धारण करना

(4) वित्तीय प्रबंधन- बजट, अनुदान, अवसंरचना विकास, शैक्षणिक परियोजनाओं हेतु निधि आवंटन करना

(5) गुणवत्ता संवर्धन- NAAC मानकों का अनुपालन, शिक्षक क्षमता निर्माण, शोध को प्रोत्साहन देना

(6) निरीक्षण एवं निगरानी- विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण, अधिनियमों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना

9.7.3 NEP–2020 के संदर्भ में राज्य स्तर के प्रशासन में परिवर्तन---NEP–2020 राज्यों कोअधिक स्वायत्त, उत्तरदायी और पारदर्शीप्रशासनिक संरचना अपनाने का सुझाव देता है।

मुख्य प्रावधान—राज्य स्तर पर**SHEC**को सशक्त बनाना, सभी कॉलेजों का क्रमिक चरणों मेंबहुविषयक विश्वविद्यालय/स्वायत्त कॉलेजोंमें रूपांतरण, शिक्षक भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण : EMIS, AISHE, NAD एवं शोध और नवाचार के लिए विशेष प्रोत्साहन देना।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न

प्रश्न 1,राज्य उच्च शिक्षा प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है ?

प्रश्न 2. राज्यविश्वविद्यालयों का कुलाधिपतिहोताकौन है?

प्रश्न 3. राज्यविश्वविद्यालय में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौनहोता हैं।

प्रश्न 4. SHEC का पूरा नाम लिखिए।

9.8 सारांश (Summary)

भारत में उच्च शिक्षा का प्रशासन केंद्र और राज्यदोनों स्तरों पर संचालित होता है। केंद्र में UGC, AICTE, NAAC, NTA, NRF, RUSA, NUPA, NCERT, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि प्रमुख निकाय कार्यरत हैं, जो नियमन, मूल्यांकन, मान्यता, अनुसंधान एवं वित्तपोषण का कार्य देखते हैं। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग, निदेशालय, राज्य विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा परिषदें प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाती हैं। NEP-2020 ने उच्च शिक्षा प्रशासन में एकीकृत संरचना, गुणवत्ता सुधार, बहुविषयक पाठ्यक्रम, अनुसंधान संवर्धन और तकनीकी एकीकरण पर विशेष बल दिया है।राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप, राज्य प्रशासन उच्च शिक्षा प्रणाली को स्थानीय आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक संदर्भों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित करता है।

9.9 शब्दावली (Glossary)

- NTA – राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

- NRF – राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
- DEB – Distance Education Bureau

9.10 स्वमूल्यांकित प्रश्नों के उत्तर

I-उत्तर: 1. शिक्षा मंत्रालयउत्तर: 2. 1956उत्तर: 3. AICTEउत्तर: 4. NTA

II- उत्तर 1. मुक्त एवं दूरस्थउत्तर:2-शैक्षिक योजना एवं प्रशासनउत्तर:3- 1961उत्तर: 4. AIU

III-उत्तर: 1. उच्च शिक्षा सचिवउत्तर: 2. राज्यपाल उत्तर: 3. कुलपति उत्तर: 4. राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (State Higher Education Council)

9.11 संदर्भग्रंथसूची (Bibliography)

1.शिक्षामंत्रालय, भारतसरकार।राष्ट्रीयशिक्षानीति (एनईपी) 2020 (Official Document of MoE, GoI).

2.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956) UGC Annual Reports.

3.डॉ. आर.पी. सिंह।शैक्षिकप्रशासनऔरनियोजन

4.जसपालएस. वज़ीर, उच्चशिक्षाप्रशासन

5.https://www.education.gov.in

6. mhrd/files/nep_update/NEP_final_HI_0.pdf

6 . https://ugchindi.ugc.ac.in/

7 . https://presentations.gov.in/hi/logos/

9. https://www.education.gov.in/sites/upload_files…

10. https://www.education.gov.in/sites/upload_files…

9.12 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Questions)

1. भारत में केंद्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्रशासन की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. RUSA की विशेषताएँ एवं कार्यप्रणाली स्पष्ट कीजिए।

3. NEP–2020 द्वारा प्रस्तावित उच्च शिक्षा सुधारों की चर्चा कीजिए।

4. NAAC का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन तंत्र विस्तारपूर्वक समझाइए।

इकाई 10- शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा: अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। Unit 10- The Concept of Educational Supervision: Meaning, Objective, Need and Significance.

10.1 परिचय

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा, अर्थ

अपनी प्रगति जानिये 1.

10.4 शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य

10.5 शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता

अपनी प्रगति जानिये 2 .

10.6 शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व

10.11 अपनी प्रगति जानिये के उत्तर

10.12 सारांश

10.11 शब्दावली

10.12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

10.13 संदर्भ सूची

10.1 परिचय (Introduction)

पर्यवेक्षण एक रचनात्मक और गतिशील (dynamic) प्रक्रिया है। जो शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षा के वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं के साथ-साथ और सिखाने एवं सीखने (teaching & learning) की स्थिति में सुधार के लिए अनुकूल मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है- संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक सर्वव्यापी निर्देशित प्रयास। इसमें मानव और भौतिक दोनों तत्व शामिल हैं। मानवीय तत्व छात्र, माता-पिता, शिक्षक और अन्य कर्मचारी, समुदाय और राज्य के अन्य अधिकारी हैं। भौतिक पक्ष में धन, विधालय भवन, शैक्षिक उपकरण, खेल का मैदान एवं खेल सामग्री आदि शामिल हैं। इनके अतिरिक्त पाठ्यक्रम (curriculum), शिक्षण के तरीके, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (co-curricular activities) और तकनीक भी पर्यवेक्षण के दायरे में आते हैं।

10.2 इकाई के उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के बाद आप;

- शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा,अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे,
- शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कर सकेंगे,
- शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य को वर्गीकृत कर सकेंगे,
- शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता को आत्मसात कर सकेंगे।

10.3 शैक्षिक पर्यवेक्षण की अवधारणा, अर्थ (Concept & Meaning of Educational Supervision)

"पर्यवेक्षण स्कूल प्रशासन का वह चरण है, जो मुख्य रूप से शैक्षिक सेवा की उपयुक्त चयनित अनुदेशात्मक अपेक्षाओं की उपलब्धि से संबंधित है" ।

ए०एस०बर्र के अनुसार "पर्यवेक्षण एक विशेषज्ञ तकनीकी सेवा है, जो मुख्य रूप से सीखने और छात्र विकास के आसपास की स्थितियों का अध्ययन और सुधार करने से संबंधित है"।

टी.एच. ब्रिग्स और जोसेफ जस्टमैन के शब्दों में "सामान्य तौर पर पर्यवेक्षण का अर्थ है शिक्षकों के विकास को समन्वित, प्रोत्साहित और निर्देशित करना ताकि प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित और निर्देशित किया जा सके और उसे उसकी प्रतिभा के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्वक बेहतर एवं सक्रिय भागीदारी हेतु निर्देशित किया जा सके जिसमें वह रहता है"।

जॉन ए बार्टकी के अनुसार "अच्छा पर्यवेक्षण हमेशा शिक्षकों एवं छात्रों के विकास और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया में सुधार से संबंधित होता है" ।

विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते है कि;

- पर्यवेक्षण एक सृजनात्मक और गतिशील विशेषज्ञ तकनीकी सेवा है।
- यह विशेषज्ञ ज्ञान और बेहतर कौशल के साथ नेतृत्व प्रदान करता है। यह शिक्षक की गतिविधियों को समन्वय, दिशा और मार्गदर्शन देता है।
- यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के निरंतर विकास (development) को प्रोत्साहित करता है।
- यह निर्देश और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार करता है।

आधुनिक पर्यवेक्षण एक प्रयोगात्मक सहयोगी एवं सहकारी (cooperative & collaborative) दृष्टिकोण है। जिसका क्षेत्र संपूर्ण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सुधार तक फैला हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि यह विद्यार्थियों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम और सामाजिक-भौतिक वातावरण और उनके सुधार से संबंधित है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा की गुणवत्ता और अन्य स्कूल व्यवस्थाओं की उन्नति के माध्यम से शिक्षा जगत में सुधार करने के बड़े उद्देश्य के साथ शैक्षिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

"शिक्षा की कल्पना अब व्यक्तित्व के विकास और लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों के लिए एक शक्तिशाली सामाजिक शक्ति के रूप में की जाती है”।

लोकतांत्रिक दर्शन शिक्षा के लक्ष्यों और शिक्षाप्रद मूल्यों के पर्यवेक्षण के दायरे को शैक्षिक प्रक्रिया से संबंधित सभी लोगों की भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से निर्धारित करने के लिए विस्तारित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये अधिक सहभागी और सहयोगी पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। हम लोकतांत्रिक दर्शन हर व्यक्ति के महत्व को स्वीकारता है। यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रक्रिया के सभी घटकों के आचरण, व्यवहार और गतिविधियों को जीवन के लोकतांत्रिक दर्शन द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा और शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधार जीवन और जीवन का लोकतांत्रिक दर्शन है।

पर्यवेक्षण एक सहकारी (collaborative) प्रयास है। जिसमें शिक्षकों, प्रशासकों, प्रबंधन सभी को योगदान करने का अधिकार आवश्यक है। लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण का 21 वी सदी की शिक्षा के लिये विशेष महत्व है। यह सभी को सक्रिय प्रतिभागिता का अधिकतम अवसर प्रदान करता है, जो विचारों और विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ ही सभी व्यक्तियों को भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। और शिक्षण-अधिगम की स्थिति और प्रक्रिया में सुधार के लिए उनके योगदान का वातावरण तैयार करता है। और उनका आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उपयोग करता है। इसलिए सभी शैक्षिक कार्यकर्ताओं द्वारा सहकारी रूप से पर्यवेक्षण की योजना बनाई जाती है। इसके कार्यक्रम लचीले और आवश्यकता के अनुसार होते हैं, और इसमें शिक्षा की प्रभावशीलता का विश्लेषण और स्थिति में सुधार शामिल है। पर्यवेक्षण विभिन्न तकनीकों द्वारा नियोजित किया जाता है, जैसे- अवलोकन, प्रदर्शन, मुलाकात, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन, शिक्षक गाइड, सुझावों की पुस्तिकाएं, व्यावसायिक पत्रिकाएं और सेवाकालीन शिक्षा आदि। पर्यवेक्षण विद्यार्थियों और शिक्षकों की मदद और समुदाय की सहायता और सहयोग से उनके काम के माहौल का मूल्यांकन और सुधार करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण आपसी विश्वास, अखंडता, वफादारी, स्वतंत्रता, सद्भावना, जिम्मेदारी और आत्म-दिशा का वातावरण को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

- प्रभुत्ववादी (Autocratic)
- लोकतांत्रिक (Democratic)

प्रभुत्ववादी पर्यवेक्षण (Autocratic supervision)

प्रभुत्ववादी पर्यवेक्षण प्रमुख व्यक्ति केंद्रीकृत होता है, जिसे संगठन (organization) की देखभाल के लिए कानूनी रूप से नियुक्त किया जाता है। स्कूल कार्यक्रम की नीतियों और तकनीकों को उनके द्वारा निर्देशित किया जाता है। संबंधितअधिकार और शक्तियां पर्यवेक्षकों (supervisors) को सौंपी जाती है। जो सीधे बॉस/उच्च अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होते हैं। प्राधिकरण और पर्यवेक्षकों के बीच त्वरित संचार होता है ताकि उनसे आसानी से संपर्क किया जा सके और निश्चित निर्देशों को पूरा करने का आदेश

दिया जा सके। कर्तव्यों और गतिविधियों के सभी सुझाव और कमियाँ एक व्यक्ति से आते हैं और अधीनस्थो को प्रेषित किये जाते हैं, और उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन के आधार पर उसी तरह से ऊपर की ओर मूल्यांकन किया जाता है। पर्यवेक्षकों को संस्थानों में निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। सामान्य तौर पर निरीक्षक अलग-अलग शिक्षकों की कक्षाओं में जाते हैं ओर उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। छात्रों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही रूप से सहायता प्रदान की जाती है।

प्रभुत्ववादी पर्यवेक्षण में संघर्ष, तनाव और विरोध जल्द ही विकसित होता है। व्यक्तिगत क्षमताओं का दमन होता है और पर्यवेक्षकों की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। प्रतिभा और ऊर्जा, दोनों का बहुत बर्बादी होती है। यह इसका मुख्य दोष है।

लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण: लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण अधिकार, ज्ञान, कौशल और क्षमता की श्रेष्ठता पर आधारित है,न कि कानूनी प्रतिबंधों पर। लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण में सत्ता का विकेंद्रीकरण (decentralization of power) होता है। प्रत्येक पर्यवेक्षक को समूह उद्देश्यों और समूह कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना आवश्यक होता है। शिक्षकों, प्रबंधकों की प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जाता है। नीतियों, प्रक्रियाओं और अंतिम मूल्यांकन के निर्धारण में सभी की अधिकतम भागीदारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और सर्वोच्च मूल्य माना जाता है। सभी मामलों में समानता का अभ्यास किया जाता है तथा आपसी संबंधों और एक-दूसरे के प्रति सम्मान पर अधिक जोर दिया जाता है।

शैक्षिक पर्यवेक्षण केवल निगरानी नहीं है यह मेंटरशिप (mentorship),नेतृत्व (leadership) और सुधार (modification) से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल बेहतर कार्य करें और सभी लोग अपनी भूमिका का निर्वहन सार्थक करते हुये उन्नति के रास्तों पर बढ़ें। यह शिक्षकों को बेहतर शिक्षक बनने और छात्रों को सार्थक सीखने के परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं।

पर्यवेक्षण को समग्र शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए एक रचनात्मक और गतिशील विशेषज्ञ तकनीकी सेवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विशेष रूप से प्रक्रिया और सामान्य रूप से समग्र शिक्षा प्रणाली शामिल होती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है संस्थान के सुधार के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कार्यकर्ताओं को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में निर्देशित स्कूल अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास।

शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकारों इस प्रकार भी समझ सकते है-

1. सुधारात्मक पर्यवेक्षण (Corrective Supervision) जिसका उद्देश्य है, शिक्षण प्रक्रिया में जो कमियाँ हैं, उन्हें पहचानकर सुधार करना। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है और शिक्षक अपनी कमजोरियों को दूर कर पाते हैं।

2. रचनात्मक पर्यवेक्षण (Creative Supervision)- शिक्षण में नई विधियाँ, तकनीकें और नवाचार लाना। यह शिक्षा को आधुनिक और समयानुकूल बनाने में सहायक होता है।

3. लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण (Democratic Supervision)- शिक्षक और पर्यवेक्षक मिलकर निर्णय लें। इससे शिक्षकों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना बढ़ती है।

वैज्ञानिक पर्यवेक्षण (Scientific Supervision) का उद्देश्य: शिक्षा का मूल्यांकन वैज्ञानिक तरीकों से करना (जैसे परीक्षण, आँकड़े, अनुसंधान)। शिक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ और प्रमाणिक बनाना।

5. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Cooperative Supervision) जिसमें शिक्षक और पर्यवेक्षक मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सामूहिक बनती है।शैक्षिक पर्यवेक्षण केवल निरीक्षण नहीं है, बल्कि यह मार्गदर्शन, सुधार, नवाचार और सहयोग की प्रक्रिया है। इसका महत्व इस बात में है कि यह शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और समाजोपयोगी बनाता है।

शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति (Nature of educational supervision)

शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति बहुत विशाल और गतिशील है। यह ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो शैक्षिक सुधारों के लिए उत्तरदायी है। पर्यवेक्षण शिक्षकों के बीच अभिव्यक्ति और गरिमा की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। पर्यवेक्षक ऐसी लोकतांत्रिक स्तिथियाँ बनाता है जो शिक्षक, प्रबंधन ओर प्रशासन के मध्य सहयोगी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। पर्यवेक्षण को अधिक सहभागी बनाने के लिए पर्यवेक्षक के पास लोकतांत्रिक आदर्श होने आवश्यक हैं।

यह एक सतत प्रक्रिया है। जो अनवरत चलती रहती है। शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतरता बनाए रखनी आवश्यक है। नियमित पर्यवेक्षण शिक्षक को अद्यतन और प्रभावी बनाता है। यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के निरंतर विकास को प्रोत्साहित करता है। पर्यवेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है क्योंकि यह व्यवस्थित और सुनियोजित है। पर्यवेक्षण के अपने उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यप्रणाली। पर्यवेक्षक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बहुत स्पष्ट होता है।पर्यवेक्षण एक पेशेवर गतिविधि है। जो विशेषज्ञ तकनीकी सेवा पर आधारित है। पर्यवेक्षण केवल तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। पर्यवेक्षण एक रचनात्मक और गतिशील विशेषज्ञ तकनीकी सेवा है। यह विशेषज्ञ ज्ञान के साथ बेहतर कौशल एवं नेतृत्व प्रदान करता है और यह सीखने-सिखाने की गतिविधियों को समन्वय, दिशा और मार्गदर्शन देता है।

प्रेरणा की प्रक्रिया: पर्यवेक्षण एक प्रभावी प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है यह शिक्षकों को प्रेरित कर व्यावसायिकता का विकास करता है। पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रशासन और शिक्षण से संबंधित लोगों के बीच एक समन्वित प्रयास है जो शिक्षण व्यवस्था को उन्नत करता है।

पर्यवेक्षण के लक्षण: पर्यवेक्षण मानवीय अंतरसंबंधों पर आधारित होता है। प्रभावी पर्यवेक्षण में सामंजस्य और लचीला निहित होता है। पर्यवेक्षक के उद्देश्य और तरीके आवश्यकता के अनुसार, विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिये निर्धारित किये जाते हैं। प्रभावी पर्यवेक्षण सहकारी (collaborative) होता है। प्रभावी पर्यवेक्षण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो व्यावसायिक (professional) समस्याओं का वस्तुनिष्ठ और अवैयक्तिक तरीके से समाधान ढूढते हैं।

अपनी प्रगति जानिये 1.

1. पर्यवेक्षण के प्रकार हैं-

a) प्रभुत्ववादी

b) लोकतांत्रिक

c) दोनों

d) इनमें से कोई नहीं

2. शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति बहुत विशाल और…….. है।

a) गतिशील

b) स्थिर

c) तीव्र

d) मंद

10.4 शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य (Aims of Educational Supervision)

शैक्षिक पर्यवेक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवस्था के साथ ही प्रशासन एवं प्रबंधन के सुधार एवं संवर्धन में शैक्षिक पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षकों के शिक्षण कौशल में सुधार करना, शिक्षकों को नवीनतम शैक्षणिक दृष्टिकोणों से परिचित कराना,स्कूल में सीखने के माहौल में सुधार करना, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का निदान करना समस्त हितधारकों के बीच पारस्परिक सकारात्मक संबंध विकसित करना, शैक्षिक प्रणाली के तत्वों को एकीकृत करना,तथा मैत्रीपूर्ण एवं प्रेरक वातावरण के निर्माण में सहयोगी शैक्षिक प्रयास को बढ़ावा देना शैक्षिक पर्यवेक्षण का कार्य है।

शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्यों को इस प्रकार समझ सकते है,

गुणवत्ता सुनिश्चित करना-शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और परिणामकारी बनाना। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसे निरंतर सुधारना।

शिक्षकों का मार्गदर्शन और विकास-शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों और तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। उनकी दक्षता, आत्मविश्वास और पेशेवर कौशल को बढ़ाना।

पाठ्यक्रम और नीतियों का अनुपालन- पाठ्यक्रम का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। शिक्षा को राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखना।

विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास -विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा को जीवनोपयोगी और व्यवहारिक बनाना।

सकारात्मक वातावरण का निर्माण- विद्यालय में सहयोग, विश्वास और प्रेरणा का वातावरण बनाना। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक और प्रेरक बनाना।

नवाचार और सुधार को बढ़ावा- शिक्षा में नई तकनीकों और पद्धतियों को अपनाना। समयानुकूल सुधार और परिवर्तन लाना।

प्रशासनिक दक्षता- विद्यालयों और संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना। संसाधनों का सही उपयोग और कार्यकुशलता बढ़ाना।

10.5 शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता (Need of Educational Supervision)

शैक्षिक पर्यवेक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के लिए है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य शिक्षकों को परामर्श देना, शिक्षण अवस्थाओं में सुधार तथा शैक्षिक वातावरण को सकारात्मक बनाना है। यह शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओ (professional competencies) के विकास के अवसर उपलब्ध करा कर नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। शिक्षकों को शैक्षिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण आवश्यक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण छात्रों के व्यवहार एवं आवश्यकताओ का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। संस्था एवं समाज के वातावरण का शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सीधा प्रभाव पड़ता है। जो शिक्षार्थियों में प्रेम ,सम्मान एवं सहानुभूति /तदनुभूति,सहयोग की भावना के विकास के साथ ही सुरक्षा की भावना एवं आत्मविश्वास पैदा करती है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा का समाज पर तथा समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में जब जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहे है तब शिक्षा उससे अछूती कैसे रह सकती है? 21वी सदी विज्ञान एवं तकनीकी की सदी है। तथा 21 वी सदी के शिक्षार्थियों में तकनीकी समझ,जानकारी एवं पहुँच पूर्ववर्ती पीढ़ियों से कई गुना ज्यादा है ओर यह तीव्र गति से बढ़ रही है। वर्तमान समय में शिक्षा,शिक्षण एवं सीखना सभी प्रक्रियायें पारंपरिक तरीकों से आधुनिक तरीकों की ओर तेजी से जा रही है। इस परिवर्तन के दौर में आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता ओर बढ़ जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक सही पद्धतियों का प्रयोग करें और विद्यार्थियों को अपेक्षित ज्ञान व कौशल प्राप्त हो। शिक्षक केवल निरीक्षण से नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और सहयोग से बेहतर बनते हैं। पर्यवेक्षण उन्हें नई शिक्षण विधियों, तकनीकों और संसाधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। पाठ्यक्रम और शिक्षा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। यह शिक्षा को राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखता है।

जब शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित और प्रभावी होती है, तो विद्यार्थियों का ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास बेहतर होता है। पर्यवेक्षण से शिक्षा केवल परीक्षा-उन्मुख न होकर जीवनोपयोगी बनती है।

शिक्षा में समय-समय पर सुधार और नवाचार लाने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। यह शिक्षा को आधुनिक तकनीक और बदलते सामाजिक संदर्भों के अनुरूप बनाता है। संगठनात्मक दक्षता एवं विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने में पर्यवेक्षण मदद करता है। इससे संसाधनों का सही उपयोग और कार्यकुशलता बढ़ती है।

अपनी प्रगति जानिये 2 .

नीचे अभिकथन एवं तर्क दिये गए है अभिकथन एवं तर्क को ध्यान से पढ़िये तथा सही विकल्प चुनिये;

अभिकथन; पर्यवेक्षण शिक्षकों के बीच अभिव्यक्ति और गरिमा की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है।

तर्क; नियमित पर्यवेक्षण शिक्षक को अद्यतन और प्रभावी बनाता है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन किजिये

a. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है,

b. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है,

c. अभिकथन सही एवं तर्क गलत है,

d. अभिकथन एवं तर्क दोनों गलत है।

4. नीचे अभिकथन एवं तर्क दिये गए है अभिकथन एवं तर्क को ध्यान से पढ़िये तथा सही विकल्प चुनिये;

अभिकथन; शैक्षिक पर्यवेक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जिसकी शिक्षा व्यवस्था के सुधार एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

तर्क; शैक्षिक पर्यवेक्षण शैक्षिक प्रणाली के तत्वों को एकीकृत करना है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन किजिये;

a. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है,

b. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है,

c. अभिकथन सही एवं तर्क गलत है,

d. अभिकथन एवं तर्क दोनों गलत हैं।

10.6 शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व (Importance of Educational supervision)

शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुधारने और विद्यालयों को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सहायक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी बने। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक सही पद्धतियों का प्रयोग करें और विद्यार्थियों को अपेक्षित ज्ञान व कौशल प्राप्त हो तथा शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में सहायक हो। पर्यवेक्षण केवल निरीक्षण नहीं है, बल्कि शिक्षकों को सकारात्मक सुझाव और प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है। इससे शिक्षकों की दक्षता बढ़ती है और वे नई

शिक्षण विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षा नीतियों का सही क्रियान्वयन पर्यवेक्षण से ही संभव होता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप चले। पर्यवेक्षण का प्रभाव सीधे विद्यार्थियों पर पड़ता है। जब शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्थित और प्रभावी होती है, तो विद्यार्थियों का ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास बेहतर होता है। पर्यवेक्षण से शिक्षा में नई तकनीकों, पद्धतियों और संसाधनों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यह शिक्षा को समयानुकूल और आधुनिक बनाता है। पर्यवेक्षण किसी भी प्रणाली के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे अनेक हितकारक जुड़े होते है। जिनके मध्य सामंजस्य,सहयोग और सहकारिता के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण का विशेष महत्व है। समावेशी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए शैक्षिक पर्यवेक्षण की एक सशक्त भूमिका है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से ही शिक्षकों, शिक्षार्थियों ,प्रबंधन ,प्रशासन की समस्याओं का बेहतर तरीकों से समाधान ढूंढा जा सकता है। तथा आवश्यकतानुसार सुधार किये जा सकते है।

10.11 अपनी प्रगति जानिये के उत्तर

1. c, 2.a, 3.b, 4. a

10.12 सारांश-

पर्यवेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। पर्यवेक्षण के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है। पर्यवेक्षक अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बहुत स्पष्ट होता है। पर्यवेक्षण एक पेशेवर (Professional) गतिविधि है। जो विशेषज्ञ तकनीकी सेवा पर आधारित है। यह केवल तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। पर्यवेक्षण एक रचनात्मक और गतिशील विशेषज्ञ तकनीकी सेवा है। यह विशेषज्ञ ज्ञान के साथ बेहतर कौशल एवं नेतृत्व प्रदान करता है और यह सीखने-सिखाने की गतिविधियों को समन्वय, दिशा और मार्गदर्शन देता है। एक पर्यवेक्षक विभिन्न व्यावसायिक विकास के कार्य कर सकता है। वे शिक्षकों के साथ काम कर सकते हैं,तथा नियमित पर्यवेक्षण के आधार पर और शिक्षकों और छात्रों को पुरस्कृत कर सकते है। तथा सुधार के लिए सुझाव प्रदान कर सकते हैं, पर्यवेक्षक शिक्षकों के साथ मिलकर समुदाय के नेताओं, समूहों और संगठनों के साथ सेवा-शिक्षण साझेदारी विकसित कर व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं।

10.11 शब्दावली

वैज्ञानिक -किसी भी कार्य को व्यवस्थित एवं चरणबद्ध तरीके से करना वैज्ञानिक तरीका कहलाता है।

गतिशील -यह किसी व्यक्ति,वस्तु एवं प्रणाली की ऊर्जा ,प्रभावशीलता एवं बदलाव की क्षमता को दर्शाता है। जिसका अर्थ है निरंतर प्रगति करने वाला। जिसमे बदलाव, ऊर्जा एवं आगे बढ़ने की क्षमता है।

संवर्धन- "संवर्धन" का भाव है संतुलित और सतत विकास — ऐसा विकास जो व्यक्ति, समाज और प्रकृति तीनों को साथ लेकर आगे बढ़े।

हितधारक- हितधारक वे व्यक्ति, समूह या संस्थाएँ होती हैं जिनका किसी संगठन, परियोजना, नीति या निर्णय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित जुड़ा होता है।

10.12 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए? शैक्षिक पर्यवेक्षण से आप क्या समझते है स्पष्ट कीजिये ?

2. पर्यवेक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिये?

3. शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिये?

4. शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति स्पष्ट कीजिये?

5. शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकारों की व्याख्या कीजिये?

10.13 संदर्भ सूची

Ministry of Education | Government of India, Ministry of Education

National Education Policy | Government of India, Ministry of Education

Institutions | Government of India, Ministry of Education

National Council for Teacher Education

Supervision, Teaching, and Learning in Successful Schools: A Hall of Mirrors

Microsoft Copilot: Your AI companion

Educational Supervision in India: Meaning, Scope, Nature and Type,

Educational Supervision: Nature, Characteristics, Objectives and Function of Educational Supervision ONLINE NOTE BANK

इकाई-11 : शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिका एवं प्रकार (Types and Role of Educational Supervision)

11.1: प्रस्तावना
11.2: उद्देश्य
11.3: पर्यवेक्षण का अर्थ व परिभाषा
11.4: शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ व परिभाषा
11.5:शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य
11.6:शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार
11.7:शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिकाओं के प्रकार
    11.7.1: निरीक्षणात्मक भूमिका
    11.7.2: मार्गदर्शक भूमिका
    11.7.3: प्रेरक भूमिका
    11.7.4: सलाहकारभूमिका
    11.7.5: मूल्यांकन भूमिका
    11.7.6: नेतृत्वकारी भूमिका
    11.7.7: प्रशिक्षण व विकासात्मक भूमिका
    11.7.8: सुधारात्मक भूमिका
11.8: शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व
11.9: सारांश
11.10: शब्दावली
11.11: अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
11.12: संदर्भ ग्रंथ सूची
11.13:निबंधात्मक प्रश्न

11.1: प्रस्तावना-

शैक्षिक पर्यवेक्षण (Educational Supervision) विद्यालय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, प्रगतिशील और विद्यार्थी-केंद्रित बनाना है। पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षक को मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा प्रदान की जाती है ताकि वह शिक्षण पद्धतियों, कक्षा प्रबंधन और मूल्यांकन तकनीकों में निरंतर सुधार कर सके।समकालीन शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिकाएँ विविध रूपों में विकसित हुई हैं—कुछ भूमिकाएँ प्रशासनिक प्रकृति की होती हैं, कुछ शिक्षण सुधार पर केंद्रित, जबकि कुछ मानवीय संबंधों और पेशेवर विकास को बढ़ावा देती हैं। इन भूमिकाओं को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके माध्यम से पर्यवेक्षण केवल नियंत्रण की प्रक्रिया न रहकर एक रचनात्मक, लोकतांत्रिक और

सहयोगात्मक गतिविधि बन जाता है।इसी संदर्भ में, शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिकाओं के प्रकार हमें यह बताते हैं कि पर्यवेक्षक कैसे विभिन्न स्तरों और स्थितियों में कार्य करता है और शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने में किस प्रकार योगदान देता है।

11.2: उद्देश्य

1-पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ तथा परिभाषाएँ समझ सकेंगे।

2-शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रमुख उद्देश्यों को पहचान सकेंगे।

3-शैक्षिक पर्यवेक्षण के विभिन्न प्रकारों को समझ सकेंगे।

4-पर्यवेक्षक की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे।

5-प्रत्येक भूमिका के कार्य एवं महत्व को वास्तविक शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे।

6-विद्यालय में प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे।

7-पर्यवेक्षण को एक सहयोगात्मक, लोकतांत्रिक और सुधारोन्मुख प्रक्रिया के रूप में समझ सके

11.3:पर्यवेक्षण का अर्थ व परिभाषा

पर्यवेक्षण (Supervision) का अर्थ है किसी कार्य, प्रक्रिया या गतिविधि को सही दिशा में संचालित करने के लिए उसका मार्गदर्शन, निरीक्षण, मूल्यांकन और सुधार करना। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना, शिक्षक को सहयोग देना तथा विद्यालय की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। यह केवल त्रुटियों को ढूँढ़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सुधार और विकास की ओर ले जाने वाला सहकारी प्रयास **है।**

पर्यवेक्षण की परिभाषाएँ: 1-गुड (Good) के अनुसार-पर्यवेक्षण एक ऐसा सतत् एवं रचनात्मक प्रयास है जिसके माध्यम से विद्यालय में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जाता है।"

2-**मॉरिसन (Morrison)**के अनुसार-पर्यवेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को शिक्षण कार्य में सुधार के लिए सहायता, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान की जाती है।"

3-**किम्बलवाइल्स (Kimball Wiles)**के अनुसार-"पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने हेतु योजनाबद्ध सेवाओं और सहयोग से संबंधित गतिविधि है।"

11.4: शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ व परिभाषाएँ

शैक्षिक पर्यवेक्षण (Educational Supervision) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यालय में होने वाली सभी शिक्षण-अधिगम गतिविधियों का मार्गदर्शन, निरीक्षण, मूल्यांकन और सुधार किया जाता है।

इसका उद्देश्य शिक्षक की कार्यक्षमता बढ़ाना, कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाना और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। यह केवल गलतियों को खोजने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सहयोग, सलाह और सुधार पर आधारित एक रचनात्मक गतिविधि है।

1. किम्बल वाइल्स (Kimball Wiles)

"शैक्षिक पर्यवेक्षण एक ऐसी सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाना और विद्यालय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।"

2. गुड (Good)

"शैक्षिक पर्यवेक्षण वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए उचित मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाता है।"

3. मॉरिसन (Morrison)

"शैक्षिक पर्यवेक्षण वह गतिविधि है जिसमें शिक्षक को शिक्षण सुधार के लिए सहायता, प्रेरणा और सुझाव दिए जाते हैं।"

11.5: शैक्षिक पर्यवेक्षण के उद्देश्य

1-**शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार:** शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में होने वाली शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। पर्यवेक्षक नवीनशिक्षण विधियों, शिक्षण-सामग्री, तकनीकी साधनोंऔरकक्षा-प्रबंधन तकनीकोंके उपयोग को प्रोत्साहित करता है। तथा कक्षा अवलोकन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल कर रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की समझ, सोचने की क्षमता और सीखने की गति में सुधार होता है।

2-शिक्षक के पेशेवर विकास को बढ़ावा देना:शिक्षक की दक्षता शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास पर विशेष ध्यान देता है। पर्यवेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, सेमिनार, डेमो टीचिंग, और नियमित फीडबैक के माध्यम से शिक्षक की क्षमता बढ़ाता है।शिक्षक को नई शिक्षण रणनीतियाँ सीखने, कक्षा में प्रयोग करने और अपनी कमजोरियों को पहचानकर सुधार करने का अवसर मिलता है।इससे शिक्षक अधिक आत्मविश्वासी, सक्षम और रचनात्मक बनता है।

3-विद्यालयी वातावरण का उन्नयन:सही वातावरण ही प्रभावी शिक्षण का आधार है। शैक्षिक पर्यवेक्षण इससे जुड़े कई पहलुओं पर कार्य करता है, जैसे-विद्यालय मेंअनुशासनबनाए रखना, समयसारिणीका पालन,संसाधनों काउचित उपयोग, शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के बीच संबंधों में समन्वय।एक अच्छा वातावरण विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियों को बढ़ाता है और शिक्षकों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।

4-विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि करना: शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों कीक्षमताओं, रुचियोंऔरसीखने की गतिके अनुसार समायोजित करें। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए भी उपयुक्त रणनीतियाँ सुझाई जाती हैं।नियमित मूल्यांकन और फीडबैक द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है।

5-सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण: शिक्षा प्रणाली तभी सफल होती है जब सभी लोग एक टीम की तरह काम करें। पर्यवेक्षण शिक्षक-शिक्षक, शिक्षक-विद्यार्थी और शिक्षक-प्रशासन के बीचसकारात्मक संबंधस्थापित करता है। यह सहयोगात्मक माहौल समस्याओं के समाधान और शिक्षण कार्य में समन्वय को आसान बनाता है। तथा शिक्षक अपनी चुनौतियों व अनुभवों को साझा कर बेहतर शिक्षण के लिए मिलकर कार्य करते हैं।

6-पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी: शिक्षा का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब पाठ्यक्रम सही तरीके से लागू हो।पर्यवेक्षक यह देखता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम की उद्देश्यों, इकाइयों और विषय-वस्तु को निर्धारित समय में ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री छात्रों के स्तर के अनुरूप और सीखने के लिए उपयुक्त हो।पाठ्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन, असाइनमेंट और कक्षा-गतिविधियों का आयोजन भी पर्यवेक्षण का हिस्सा है।

7-समस्या-समाधान की सुविधा प्रदान करना: शिक्षण कार्य के दौरान अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं-

कक्षा प्रबंधन, संसाधनों की कमी, कमजोर विद्यार्थी, शिक्षकों के बीच समन्वय की समस्या आदि। पर्यवेक्षक इन समस्याओं का विश्लेषण करके उनके उपयुक्त समाधान प्रदान करता है। शोध-आधारित सुझाव, वैकल्पिक शिक्षण तकनीकें और प्रबंधन रणनीतियाँ प्रदान की जाती हैं। इससे शिक्षकों का बोझ कम होता है और शिक्षण प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती है।

11.6: शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार

1-प्रशासनिक पर्यवेक्षण: यह प्रकार विद्यालय केसंचालन, प्रबंधन और अनुशासनपर केंद्रित होता है।इसमें विद्यालय कीसमय-सारिणी, रिकॉर्ड, उपस्थिति, कार्यालय संबंधी कार्य, संसाधन, भवन व्यवस्था, औरशिक्षक-स्टाफ के संगठनात्मक कार्यशामिल होते हैं।इसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल की व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही हो और सभी गतिविधियाँ नियमों व नीतियों के अनुसार हों। यह प्रकार अधिकतरव्यवस्थापकीय और औपचारिकस्वरूप का होता है।

2-शैक्षणिक पर्यवेक्षण: यह पर्यवेक्षण सीधेकक्षा-शिक्षण और अधिगम प्रक्रियापर केंद्रित होता है। इसमें शिक्षक कीपाठ योजना, शिक्षण पद्धतियाँ, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण-सामग्री, एवंमूल्यांकन तकनीकोंका अवलोकन और मार्गदर्शन किया जाता है। इसका लक्ष्य शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारना और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना होता है।यह प्रकार शिक्षक केव्यावसायिक विकासके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

3-लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण: इस प्रकार में पर्यवेक्षक और शिक्षक मिलकर विचार-विमर्श के साथ निर्णय लेते हैं। यहाँ पर्यवेक्षक अपना निर्णय थोपता नहीं, बल्कि शिक्षकों से राय लेकरसामूहिक नेतृत्वअपनाया जाता है। यह प्रकार शिक्षकों में विश्वास, सहभागिता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाता है। विद्यालय मेंसहयोग, सहानुभूति और टीमवर्कको मजबूत करता है।

4-स्वेच्छा आधारित / एकाधिकार वादी पर्यवेक्षण: इस प्रकार में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह पर्यवेक्षक के पास होता है।शिक्षक को निर्देशों का पालन करना होता है और उनकी राय कम ली जाती है।यह प्रकार तब उपयोगी होता है जब**तुरंत निर्णय**लेने की आवश्यकता हो या अनुशासन की स्थिति गंभीर हो।हालांकि, अत्यधिक उपयोग से शिक्षक में असंतोष और दबाव की भावना पैदा हो सकती है।

5-सहयोगात्मक पर्यवेक्षण: इस प्रकार में पर्यवेक्षक और शिक्षक मिलकरसमस्या समाधान, योजना निर्माण, औरशिक्षण सुधारका कार्य करते हैं। यह टीमवर्क पर आधारित होता है और शिक्षक स्वयं भी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। इससे शिक्षक की आत्मनिर्भरता बढ़ती है और वे पर्यवेक्षण को सहयोग के रूप में महसूस करते हैं, न कि नियंत्रण के रूप में। यह प्रकार आधुनिक विद्यालयों में अत्यधिक प्रभावी माना जाता है।

6-आधुनिक वैज्ञानिक पर्यवेक्षण: यह पर्यवेक्षणडेटा, अनुसंधान, औरवैज्ञानिक विधियोंपर आधारित होता है।इसमें कक्षा-अवलोकन के आंकड़े, विद्यार्थियों के परिणाम, सर्वे, परीक्षण आदि का विश्लेषण करके निर्णय लिए जाते हैं। भावनाओं या अनुमान के बजाय**प्रमाण-आधारित (Evidence-based)**सुझाव दिए जाते हैं। यह प्रकार शिक्षण सुधार को अधिक सटीक, तार्किक और परिणामोन्मुख बनाता है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न:1-पर्यवेक्षण की परिभाषा लिखो।

2-शैक्षिक पर्यवेक्षण से आप क्या समझते है?

3- शैक्षिक पर्यवेक्षण के तीन प्रकार बताओ।

11.7: शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिकाओं के प्रकार

शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय में शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षक के विकास को प्रोत्साहित करने तथा विद्यालय की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि शिक्षक को सहायता, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करके शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। नीचे प्रत्येक भूमिका को विस्तार से समझाया गया है-

11.7.1: निरीक्षणात्मक भूमिका:

निरीक्षणात्मक भूमिका का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित सभी प्रतिक्रियाएं सही व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है। यह विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों को मजबूत बनाती है। इसके कार्य निम्न प्रकार है-

1-**कक्षा-शिक्षण की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण**: पर्यवेक्षक अचानक या निर्धारित समय पर कक्षा में जाकर शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करता है। शिक्षक किस प्रकार बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन-सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, क्या विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं,इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करता है।कक्षा का वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, कक्षा प्रबंधन और संसाधनों का उपयोग भी देखा जाता है।इस निरीक्षण से शिक्षण की वास्तविक गुणवत्ता का पता चलता है।

2-शिक्षक की समयपालन एवं कार्यनिष्ठा की जाँच: इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि शिक्षक समय पर कक्षा में प्रवेश करते हैं या नहीं।क्या वे समय-सारिणी के अनुसार सभी कक्षाएँ नियमित रूप से ले रहे हैं। होमवर्क, परियोजनाएँ, असाइनमेंट आदि समय पर जाँच रहे हैं या नहीं।इस निरीक्षण से शिक्षक की जिम्मेदारी और पेशेवर नैतिकता का आकलन होता है।

3-विद्यालय रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच: इसके अंतर्गत निम्न रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच शामिल है-

a-**उपस्थिति रजिस्टर**: विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति की सत्यता और नियमितता की जाँच।

b-**कक्षा डायरी और पाठ योजना**: क्या शिक्षक सही तरह से पाठ्य सामग्री तैयार कर रहे हैं।

c-**परीक्षा रिकॉर्ड**: परीक्षाओं का संचालन, अंक प्रविष्टि और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता की जाँच।

d-**गृहकार्य और प्रोजेक्ट रिकॉर्ड**: विद्यार्थियों को नियमित कार्य दिया जा रहा है या नहीं।

ये रिकॉर्ड विद्यालय की पारदर्शिता और कार्य प्रणाली का दर्पण होते है।

4-विद्यालय में स्वच्छता, अनुशासन और व्यवस्था का निरीक्षण: निरीक्षणकर्ता का कार्य है कि विद्यालय भवन, शौचालयों, खेल मैदानों और अन्य क्षेत्रों की स्वच्छता की समीक्षा करें। तथा छात्रों के अनुशासन, व्यवहार और स्कूल वातावरण का आकलन करें। क्या विद्यार्थी समय पर आते हैं, क्या विद्यालय में अनुशासनहीनता की घटनाएँ होती है, इन सबकी जाँच की जाती है।इससे विद्यालय का भौतिक और मानसिक वातावरण बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

5-शिक्षण-सामग्री और संसाधनों के उपयोग की जाँच: इसकेअंतर्गत यह देखा जाता है कि ब्लैकबोर्ड, चार्ट, मॉडल, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय और तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। तथा शिक्षक पाठ्य संसाधनों का उपयोग प्रभावी रूप से कर रहे हैं या नहीं। साथ ही उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता और आवश्यकता के अनुसार उनकी उपलब्धता भी देखी जाती है।

6-**विद्यार्थियों की प्रगति की जाँच:** समय- समयपर विद्यार्थियों की प्रगति की जाँच करने के लिए विद्यार्थियों के नोट्स,कॉपियों, प्रोजेक्ट्स, होमवर्क आदि का निरीक्षण किया जाता है। कमजोर विद्यार्थियों की पहचान और उनके लिए की जा रही विशेष व्यवस्थाओं की जाँच की जाती है।रीक्षा परिणामों का विश्लेषण कर शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन भी किया जाता है।

7-कमियों की पहचान और सुधारात्मक सुझाव देना:शिक्षण प्रक्रिया, प्रशासनिक गतिविधियों या विद्यार्थियों के प्रदर्शन में पाई गई कमियों को ध्यानपूर्वक नोट किया जाता है। इसके बाद शिक्षक और प्रशासन दोनों को सुधारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। सुधार के लिए योजनाएँ बनाना और उनके पालन पर निगरानी रखना भी इस कार्य का हिस्सा है।

8-विद्यालय के नियमों और नीतियों के अनुपालन की जाँच: निरीक्षण करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है किनियमों, दिशा-निर्देशों, पाठ्यक्रम, समय-सारिणी और शैक्षणिक नीतियों का सही पालन हो रहा है या नहीं।किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही पर ध्यान आकर्षित करवाई जाती है।

9- सुरक्षा और छात्र कल्याणसंबंधी जाँच: समय-समय पर विद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच,आपातकालीन सुविधाओं, साफ पानी, चिकित्सा सुविधा, और अन्य कल्याण सेवाओं की जाँच तथा यह सुनिश्चित करना कि छात्र सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

निरीक्षणात्मक भूमिका विद्यालय को सुव्यवस्थित रखने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का आधार है। यह केवल कमियाँ निकालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विद्यालय के सतत सुधार, शिक्षक के विकास और विद्यार्थियों की प्रगति के लिए आवश्यक कदम उठाने की संगठित प्रक्रिया है।

11.7.2: मार्गदर्शक भूमिका:

मार्गदर्शक भूमिका में पर्यवेक्षक शिक्षक को केवल दोष बताने वाला नहीं रहता, बल्कि उन्हें पेशेवर रूप से बेहतर बनाने हेतु निर्देश, सहयोग, प्रशिक्षण और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य शिक्षक को सक्षम, आत्मविश्वासी, रचनात्मक और प्रभावी शिक्षण देने में समर्थ बनाना है। मार्गदर्शक भूमिका के निम्न कार्य है-

1-**नवीन शिक्षण विधियों का परिचय और समर्थन:** नवीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत नवोन्मेषी शिक्षण तकनीकें (जैसे सक्रिय शिक्षण, परियोजना-आधारित शिक्षण, संवादात्मक विधियाँ) दिखाना और समझाना। साथ ही डेमो-टीचिंग द्वारा व्यवहारिक उदाहरण देना और शिक्षक से इन विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना आदि कार्य आते है।

2-**पाठ योजना (Lesson Planning) में सहयोग:** पाठ योजनामें लक्ष्य निर्धारण (learning objectives) कैसे लिखें, अवधारणाओं को किस क्रम में पढ़ाएँ, समय का विभाजन कैसे करें,इन पर मार्गदर्शन देना। विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए समायोजित पाठ योजनाएँ (differentiated plans) बनाना सिखाना आदि कार्य आते है।

3-कक्षा प्रबंधन (Classroom Management) की तकनीकें सिखाना: बनाना, व्यवहार नियंत्रण, समय का प्रबंधन, सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के व्यावहारिक उपाय बताना। अनुशासन के साथ सहानुभूति, सकारात्मक पुनर्बलन (positive reinforcement) व गतिविधि-आधारित रणनीतियाँ सुझाना आता है।

4-मूल्यांकन (Assessment) पर सलाह देना: मूल्यांकन के लिएअंक-आधारित परीक्षणों के साथ-साथ पठनीयता, परियोजनाएँ, प्रोजेक्ट और फॉर्मेटिवअसेसमेंट के उपयोग की रणनीतियाँ बताना,और मूल्यांकन-रूब्रिक्स बनाना और फीडबैक देने के प्रभावी तरीके सिखाना ताकि विद्यार्थी आगे सुधार सकें।

5-अंतर-व्यक्तिगत और भावनात्मक समर्थन: इसके अंतर्गत शिक्षक की समस्याएँ सुनना, उनके पेशेवर दबाव को समझना और मनोवैज्ञानिक/प्रेरणात्मक सहायता देना। तथा शिक्षक की समस्याएँ सुनना, उनके पेशेवर दबाव को समझना और मनोवैज्ञानिक/प्रेरणात्मक सहायता देना आदि कार्य आते है।

6-संसाधन उपलब्ध कराना और मार्गदर्शन करना: संसाधन उपलब्ध कराना और मार्गदर्शन करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंतर्गतउपयुक्त शैक्षणिक सामग्री, टेक टूल्स, पाठ्य-पुस्तक विकल्प और प्रशिक्षण संसाधन सुझाना। तथापुस्तकालय, ऑनलाइन स्रोत या सहकर्मी-समूहों का उपयोग करने की तकनीक बताना आदि आता है।

7-फीडबैक देना और फॉलो-अप करना: अवलोकन के बाद ठोस, रचनात्मक और व्यवहारिक फीडबैक देना कि"क्या सुधारें" और "कैसे सुधारें" दोनों बताया जाता है, और सुझाए गए बदलावों पर फॉलो-अप अवलोकन/सहयोग कर आगे की प्रगति देखना भी इसका कार्य है।

11.7.3: प्रेरक भूमिका:

पर्यवेक्षक की प्रेरक भूमिका का लक्ष्य शिक्षक में उत्साह, आत्मविश्वास और कार्यनिष्ठा बनाए रखना है। शिक्षक कभी-कभी व्यावसायिक दबाव, थकान, व्यक्तिगत परेशानियाँ या संसाधनों की कमी के कारण प्रेरणा खो देते हैं। ऐसे में पर्यवेक्षक का सकारात्मक प्रेरक हस्तक्षेप विद्यालय के समग्र प्रदर्शन और शिक्षण गुणवत्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रेरक भूमिका के निम्न कार्य है-

1-सराहना और मान्यता प्रदान करना: प्रेरक का कार्य है कि वो सराहना व मान्यता भी प्रदान करे। अच्छा काम देख कर सार्वजनिक/निजी रूप से शिक्षक की प्रशंसा करना। तथा छोटी-छोटी सफलताओं (जैसे नए प्रयोग, बेहतर विद्यार्थियों की उपलब्धि) को नोट करके मान्यता देना। यह मान्यता शिक्षक के आत्म-सम्मान और प्रेरणा को बढ़ाती है।

2-**प्रोत्साहनदेना**: वह इस प्रकार कार्य करें कि कठिन परिस्थितियों में शिक्षक को आश्वस्त करें कि वे समर्थ हैं और सुधार संभव है। साथ ही सकारात्मक भाषा, एंकरिंग उदाहरण और वास्तविक सलाह के माध्यम से प्रेरित किया जाना चाहिए।

3-**सफलताओं का प्रदर्शन और साझा करना:** सफलताओं का समय-समय पर प्रदर्शन और साझा करना चाहिए। विद्यालय में सफल विधियों और उत्साहजनक परिणामों को साझा-सम्मेलन, समाचार-पट्ट या मीटिंग में दिखाना जिससे छात्रों का मनोबल बढ़े। इससे शिक्षक को समझ मिलता है कि प्रयासों का प्रभाव होता है और वे प्रेरित होते हैं।

4-नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना: नवाचार के माध्यम से नए शिक्षण प्रयोग या तरीकों को अपनाने वाले शिक्षकों की हौसला-अफ़जाई करना। तथापर्यवेक्षक उनके प्रयासों को स्वीकार करता है

और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है। इससे शिक्षक जोखिम लेने और नए विचार लागू करने के लिए प्रेरित होते हैं।

5-सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनाना:इस भूमिका में पर्यवेक्षक विद्यालय में ऐसा माहौल तैयार करता है जहाँ शिक्षक अपने विचार बिना किसी झिझक के व्यक्त कर सकें। वह शिक्षकों के बीच सहयोग, आपसी सहायता और विश्वास को बढ़ावा देता है ताकि वे मानसिक रूप से सुरक्षित और समर्थ महसूस करें। जब विद्यालय का वातावरण सकारात्मक होता है, तो शिक्षक अपने काम कोअधिक उत्साह, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। ऐसा माहौल उनके व्यवहार और प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाता है।

6-टीमवर्क को प्रोत्साहित करना:टीमवर्क को बढ़ावा देने का मतलब है कि शिक्षक अकेले न रहकर एक-दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। पर्यवेक्षक शिक्षकों को समूह में काम करने के महत्व को समझाता है और उन्हें साझा गतिविधियों, बैठकों तथा चर्चाओं में शामिल करता है। इससे टीम भावना विकसित होती है और शिक्षक एक-दूसरे से सीखते और प्रेरित होते हैं। सामूहिक प्रयासों के कारण विद्यालय के कार्य अधिक प्रभावी ढंग से पूरे होते हैं और सकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं।

7-संसाधन और समर्थन प्रदान करना: कई बार शिक्षक नए तरीकों से पढ़ाना चाहते हैं या किसी कठिन पाठ को समझाने में मदद चाहते हैं। इस स्थिति में पर्यवेक्षक उन्हें आवश्यक सामग्री, साधन और उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। यह सहयोग शिक्षक को नई चीज़ें आज़माने की प्रेरणा देता है और उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। पर्यवेक्षक का यह समर्थन शिक्षण को अधिक प्रभावी और नवोन्मेषी बनाता है।

8-**भावनात्मक समर्थन देना:** भावनात्मक समर्थन का अर्थ है शिक्षक की स्थिति को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। यदि कोई शिक्षक तनाव, दबाव या व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहा हो, तो पर्यवेक्षक उसकी बात ध्यान से सुनता है और उसे हिम्मत देता है। वह समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव भी देता है। इस प्रकार का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार शिक्षक के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है।

11.7.4: सलाहकार भूमिका:

शैक्षिक पर्यवेक्षक की सलाहकार भूमिका का अर्थ है-पर्यवेक्षक शिक्षक और विद्यालय प्रशासन दोनों को उपयोगी, व्यवहारिक और व्यावहारिक सुझाव देना ताकि विद्यालय की शिक्षा बेहतर हो सके और व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चलें। नीचे इस भूमिका के मुख्य कार्यों को सरल बिंदुओं के आधार पर समझाया गया है।

1-शिक्षण सुधार के लिए उपयुक्त विधियाँ बताना: पर्यवेक्षक शिक्षक को यह सलाह देता है कि कौन-सी शिक्षण विधियाँ किसी विशिष्ट विषय या कक्षा के लिए अधिक प्रभावी होंगी। यह केवल सामान्य सुझाव नहीं, बल्कि व्यवहारिक तरीके होते हैं जैसे, सक्रिय शिक्षण, समूह-आधारित गतिविधियाँ, परियोजना-आधारित शिक्षण, प्रश्नोत्तरी/डिबेट, या मल्टीमीडिया का उपयोग। वह बताते हैं कि किसी पाठ

को कैसे छोटे-छोटे चरणों में बांटा जाए, विद्यार्थियों की भागीदारी कैसे बढ़े और कठिन अवधारणाकैसे सरल तरीके से समझायी जाए।

2-**संसाधनों के उपयोग, तकनीक, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री पर सुझाव देना:** पर्यवेक्षक यह देखता है कि उपलब्ध संसाधन किस तरह बेहतर उपयोग में लाये जा सकें। वह पाठ्यपुस्तक के विकल्प, संदर्भ सामग्री, चार्ट, मॉडल, प्रयोगशाला उपकरण, ऑडियो-विजुअल सामग्री और डिजिटल टूल्स (यदि उपलब्ध हों) के उपयुक्त प्रयोग के बारे में सलाह देता है। साथ ही, सीमित संसाधन में रचनात्मक विकल्प कैसे अपनाया जाए। यह भी बताता है।

3-कठिन या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को संभालने की रणनीतियाँ बताना: पर्यवेक्षक शिक्षक को मार्गदर्शन देते हैं कि कमजोर या विशेष जरूरत वाले छात्रों (जैसे सीखने में धीमे, ध्यान की समस्या वाले, या भाषा कठिनाई वाले विद्यार्थी) के साथ कैसे व्यवहार करें। यह रणनीतियाँ जैसे-वैयक्तिकृत शिक्षण योजनाएँ (IEP), अतिरिक्त सामुहिक सहायता, सरल (step-by-step) निर्देश, वैकल्पिक मूल्यांकन और सकारात्मक प्रोत्साहन शामिल हो सकती हैं।

4-विद्यालय के विकास कार्य, योजनाएँ और नीतियों पर प्रशासन को सलाह देना: पर्यवेक्षक सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहते है। वे प्रशासन को भी बताते हैं कि विद्यालय की दीर्घकालिक योजनाएँ, समय सारिणी, प्रशिक्षिण नीति, संसाधन आवंटन, सुरक्षा नियम और पाठ्यक्रम से जुड़ी नीतियाँ कैसे हों। इससे नीति-निर्माण और निर्णय अधिक व्यवस्थित, प्रायोगिक और शैक्षिक दृष्टि से समर्थ बनते हैं।

5-गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करना: सलाहकार भूमिका का अंतिम परिणाम यही होता है कि विद्यालय के निर्णय तथ्य, अनुभव और व्यावहारिक सुझाओं पर आधारित हों। पर्यवेक्षक डेटा (परीक्षा परिणाम, अवलोकन रिपोर्ट), फीडबैक और शैक्षिक शोध के आधार पर सुझाव दे कर निर्णय प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाते हैं। इससे नीतियाँ और कार्यक्रम ज्यादा असरदार होते हैं।

6-व्यवहारिक सुझाव और पालन-प्रक्रिया:सलाह देते समय पर्यवेक्षक न केवल समस्या बताते हैं, बल्कि छोटे-छोटे, मापनीय और किए जा सकने वाले कदम भी सुझाते हैं। सुझाव देने के बाद वे फॉलो-अप करते हैं, कुछ समय बाद फिर अवलोकन कर यह देखते हैं कि सुझाए उपाय लागू हुए या नहीं और क्या असर हुआ। हमेशा सलाह को रचनात्मक, सम्मानपूर्वक और शिक्षक की स्थिति समझकर दिया जाता है—ताकि शिक्षक सलाह स्वीकारें और उसे अपनाएँ।

7-चुनौतियाँ और समाधान: कभी-कभी शिक्षक संसाधन या समय की कमी के कारण सलाह लागू नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में पर्यवेक्षक वैकल्पिक तरीके सुझाता है या प्रशासन से सपोर्ट की मांग करता है। यदि कोई सलाह प्रतिरोध का सामना करें, तो पर्यवेक्षक छोटे प्रयोगकराने का प्रस्ताव रखता है ताकि उसका प्रभाव देखा जा सके।

11.7.5:मूल्यांकनात्मक भूमिका:

मूल्यांकनात्मक भूमिका का मतलब है कि पर्यवेक्षक यह जाँचता है कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है। इस भूमिका में पर्यवेक्षक कक्षा में जाकर शिक्षण का

वास्तविक स्तर समझता है, शिक्षक की तैयारियों, शिक्षण शैली और विद्यार्थियों की भागीदारी को ध्यान से देखता है। वह यह भी देखता है कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन कैसा है, उनके परीक्षा परिणाम, असाइनमेंट, गृहकार्य और कक्षा में होने वाली गतिविधियाँ शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर रही हैं या नहीं। विस्तार से इसके कार्य निम्न है-

1-शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन: इस भूमिका में पर्यवेक्षक यह देखता है कि शिक्षक कक्षा में कैसे पढ़ा रहे हैं। वह उनकी तैयारी, समझाने का तरीका, बच्चों से संवाद, कक्षा प्रबंधन और शिक्षण के परिणामों का निरीक्षण करता है। इससे यह पता चलता है कि शिक्षक अपना कार्य कितनी प्रभावी तरीके से कर रहे हैं।

2-विद्यार्थियों की उपलब्धियों का विश्लेषण:पर्यवेक्षक विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, कक्षा कार्य, गृहकार्य और उनकी सीखने की प्रगति को देखकर यह समझता है कि शिक्षण कितना सफल रहा। यदि बच्चे पीछे रह रहे हों, तो कारणों की पहचान की जाती है।

3-शिक्षण योजनाओं और गतिविधियों का आकलन: इस चरण में पाठ योजना, उपयोग किए गए शिक्षण संसाधन, गतिविधियाँ और शिक्षण विधियों को जाँचा जाता है। पर्यवेक्षक यह देखता है कि क्या शिक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा रहे हैं और क्या गतिविधियाँ बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा कर रही हैं।

4-मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना: निरीक्षण और विश्लेषण के बाद पर्यवेक्षक एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें शिक्षक के अच्छे कार्य, कमजोरियाँ और किन क्षेत्रों में सुधार चाहिए, यह सब शामिल होता है। यह रिपोर्ट आगे की कार्यवाही में बहुत मदद करती है।

5-सुधारात्मक सुझाव देना: पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को सलाह देता है कि वे कैसे अपने शिक्षण को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें नई विधियाँ अपनाने, बेहतर संसाधन इस्तेमाल करने या कक्षा प्रबंधन में सुधार के सुझाव हो सकते हैं।

6-गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना: इस भूमिका का उद्देश्य पूरे विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना है। मूल्यांकन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी शिक्षक अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों की सीख हो रही है। इससे विद्यालय की कुल प्रदर्शन क्षमता बढ़ती है।

11.7.6: नेतृत्वकारी भूमिका:

नेतृत्वकारी भूमिका में पर्यवेक्षक विद्यालय में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। वह विद्यालय में होने वाली समस्याओं को पहचानकर उन्हें हल करने के लिए स्वयं आगे आता है। पर्यवेक्षक शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग और टीम भावना विकसित करता है, ताकि सभी मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर काम कर सकें। इसको विस्तार से निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

1-विद्यालय को दिशा प्रदान करना:नेतृत्वकारी भूमिका में पर्यवेक्षक विद्यालय के सुधार और उसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिशा तय करता है। वह यह बताता है कि कौन-सी गतिविधियाँ कैसे चलेंगी और विद्यालय आगे किस दिशा में बढ़ेगा। इससे पूरे विद्यालय को स्पष्ट मार्ग मिलता है।

2-समस्याओं की पहचान करना: पर्यवेक्षक विद्यालय में आने वाली छोटी-बड़ी समस्याओं को पहचानता है। चाहे वह शिक्षण से जुड़ी हों, विद्यार्थियों से संबंधित हों या प्रशासनिक—वह सभी को ध्यान से देखकर समझता है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है।

3-समाधान के लिए पहल करना: केवल समस्या पहचानना ही नहीं, बल्कि उसका समाधान निकालने के लिए कदम उठाना भी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है। वह समाधान सुझाता है, योजना बनाता है और जरूरत पड़ने पर स्वयं भी कार्यवाही करता है।

4-परिवर्तन और सुधार की योजनाएँ बनाना:विद्यालय में सुधार लाने के लिए पर्यवेक्षक बदलावों की योजना बनाता है। इसमें नई शिक्षण विधियाँ लागू करना, नई गतिविधियाँ शुरू करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करना आदि शामिल हो सकते हैं।

5-योजनाओं पर मार्गदर्शन देना:पर्यवेक्षक केवल योजनाएँ बनाता ही नहीं बल्कि यह भी बताता है कि उन्हें कैसे लागू किया जाए। वह शिक्षक और प्रशासन दोनों को जरूरी निर्देश और मार्गदर्शन देता है ताकि योजनाएँ सही ढंग से काम कर सकें।

6-टीमवर्क को बढ़ावा देना:पर्यवेक्षक शिक्षकों को एक टीम की तरह काम करने के लिए प्रेरित करता है। वह सहयोग की भावना पैदा करता है ताकि सभी मिलकर विद्यालय के लक्ष्यों की ओर काम कर सकें और एक-दूसरे की मदद कर सकें।

7-विचार-विमर्श और बैठकें आयोजित करना:नेतृत्व में विचार साझा करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पर्यवेक्षक नियमित मीटिंग बुलाकर समस्याओं पर चर्चा करता है, शिक्षकों की राय सुनता है और मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है।

8-गतिविधियों को उद्देश्यपूर्ण दिशा देना:पर्यवेक्षक सुनिश्चित करता है कि विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ी हो। वह सबके काम को एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ता है ताकि समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग हो सके।

9-विश्वास और सहयोग बनाना:नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं होता। पर्यवेक्षक शिक्षकों के साथ विश्वास का संबंध बनाता है, उनकी समस्याएँ सुनता है और उन्हें सहयोग देता है। इससे शिक्षक प्रेरित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं।

10-आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना:यदि किसी कार्य या सुधार के लिए अतिरिक्त सामग्री या साधन चाहिए होते हैं, तो पर्यवेक्षक उसका प्रबंध करता है। यह शिक्षण-सामग्री, तकनीक, प्रशिक्षण या किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है।

11-विद्यालय के लक्ष्यों के प्रति समर्पण बढ़ाना:अच्छे नेतृत्व के कारण शिक्षक, विद्यार्थी और पूरा विद्यालय अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक समर्पित होते हैं। पर्यवेक्षक सभी को प्रेरित करता है कि वे मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त करें।

11.7.7: प्रशिक्षण एवं विकासात्मक भूमिका:

यह भूमिका शिक्षकों को निरंतर सीखने और सुधारने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ और मार्गदर्शन देकर शिक्षकों की पेशेवर क्षमता बढ़ाता है तथा उन्हें आधुनिक शिक्षण कौशल से परिचित कराता है। इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते है-

1-शिक्षकों को सीखने में सहायता करना: प्रशिक्षण एवं विकास भूमिका का पहला उद्देश्य यह होता है कि पर्यवेक्षक शिक्षकों को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर दे। वह यह पहचानता है कि किस शिक्षक को किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है और फिर उसे यह बताता है कि वह अपने कौशलों को कैसे बेहतर कर सकता है। इससे शिक्षक अपने कार्य में अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं।

2-प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित करना:पर्यवेक्षक विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, सेमिनार और ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह होता है कि शिक्षक नई जानकारी, शिक्षण तकनीक और नवीनतम शैक्षिक रुझानों से परिचित हो सकें। इससे उनकी पेशेवर क्षमता में वृद्धि होती है।

3-नए पाठ्यक्रम और तकनीक से परिचित कराना:समय-समय पर पाठ्यक्रम बदलते हैं और नई तकनीकें शिक्षा में शामिल होती हैं। पर्यवेक्षक शिक्षकों को इन बदलावों के बारे में अवगत कराता है और बताता है कि इन्हें कक्षा में प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग किया जाए। इससे शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाते हैं।

4-डेमो क्लास और मॉडल टीचिंग कराना: नई शिक्षण विधियों को समझने के लिए कभी-कभी केवल शब्दों से समझाना पर्याप्त नहीं होता। इसलिए पर्यवेक्षक डेमो क्लास या मॉडल टीचिंग का आयोजन करवाता है, जहाँ विशेषज्ञ शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाकर दिखाते हैं। इससे शिक्षकों को व्यावहारिक ज्ञान मिलता है और वे नई तकनीकों को आसानी से अपनाते हैं।

5-कठिनाइयों का सामना कर रहे शिक्षकों को विशेष मार्गदर्शन देना:यदि किसी शिक्षक को किसी विषय, पद्धति या तकनीक में परेशानी होती है, तो पर्यवेक्षक उसे व्यक्तिगत रूप से मदद प्रदान करता है। वह आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है, सुझाव देता है या अतिरिक्त प्रशिक्षण दिलवाता है ताकि शिक्षक अपनी कमजोरियों पर काबू पा सके।

6-शिक्षकों के सतत विकास को सुनिश्चित करना:प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल एक बार सीखना नहीं होता, बल्कि लगातार सीखते रहना होता है। इसलिए पर्यवेक्षक शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध करवाता है, ताकि वे समय-समय पर नए कौशल सीखें और अपने कार्य में निरंतर सुधार करते रहें।

7-बदलते समय के अनुरूप शिक्षण कौशल विकसित करना:आज शिक्षा क्षेत्र अत्यधिक गतिशील है। नई तकनीक, डिजिटल साधन, नई पद्धतियाँ लगातार विकसित हो रही हैं। पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक इन सभी परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को अपडेट करें, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक और गुणात्मक शिक्षा मिल सके।

11.7.8: सुधारात्मक भूमिका

सुधारात्मक भूमिका में पर्यवेक्षक निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को पहचानता है, शिक्षक और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और सहायता देता है, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, और विद्यालय में निरंतर सुधार एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते है-

1-कमियों की पहचान करना: इस भूमिका में पर्यवेक्षक सबसे पहले निरीक्षण करता है और शिक्षक, कक्षा या विद्यालय में पाई गई कमियों और कमजोरियों की पहचान करता है। यह जानना जरूरी है कि कौन-सी चीजें सही नहीं हो रही हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है।

2-शिक्षक को मार्गदर्शन देना:पर्यवेक्षक शिक्षक को स्पष्ट रूप से बताता है कि उनकी कौन-सी गलतियाँ हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। यह केवल आलोचना नहीं, बल्कि सुधार और बेहतर परिणाम के लिए सहायक सलाह देना है।

3-कमजोर विद्यार्थियों का समाधान करना: यदि किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन कमजोर है, तो पर्यवेक्षक इसके कारणों का विश्लेषण करता है और सुधार के लिए व्यावहारिक समाधान सुझाता है। इसका उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है।

4-अतिरिक्त सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना: जहाँ जरूरत होती है, पर्यवेक्षक शिक्षक या विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता, मार्गदर्शन या विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। यह कदम सुधार को व्यवहारिक और असरदार बनाता है और शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है।

5-निरंतर सुधार सुनिश्चित करना: इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यालय में लगातार सुधार होता रहे और शिक्षा की गुणवत्ता समय के साथ निरंतर बेहतर बनी रहे। निरंतर सुधार से विद्यालय का वातावरण सकारात्मक और सीखने योग्य बनता है।

11.8:शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व

शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी हो, शिक्षक सही दिशा में काम करें और विद्यार्थियों को उचित सीखने का वातावरण मिले। पर्यवेक्षण की वजह से कक्षा में पढ़ाई का स्तर बेहतर होता है, क्योंकि पर्यवेक्षक शिक्षक के काम को देखकर उन्हें आवश्यक सुझाव और मदद देता है। इससे शिक्षक अपने तरीके सुधारते हैं और बच्चों को अधिक स्पष्ट तथा समझने योग्य शिक्षा प्रदान कर पाते हैं।शैक्षिक पर्यवेक्षण का महत्व के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते है-

1-शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार: शैक्षिक पर्यवेक्षण का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह कक्षा में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। पर्यवेक्षक शिक्षक के पढ़ाने के तरीके को देखकर उन्हें सुझाव देता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है और किस तरह बच्चे को अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। इससे शिक्षक अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा पाते हैं और विद्यार्थियों की सीखने की गति भी बढ़ती है।

2- शिक्षक के व्यावसायिक विकास:पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षक लगातार सीखते और विकसित होते रहते हैं। पर्यवेक्षक उन्हें नई तकनीकों, आधुनिक शिक्षण विधियों और नए पाठ्यक्रमों से परिचित कराता है। प्रशिक्षण, कार्यशाला और सेमिनार की सहायता से शिक्षक अपने कौशल में सुधार कर पाते हैं। इससे उनकी पेशेवर क्षमता बढ़ती है और वे बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं।

3- विद्यालय में अनुशासन और सुव्यवस्था बनाए रखने में सहायक:पर्यवेक्षण विद्यालय की सभी गतिविधियों को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करता है कि समय-सारिणी का पालन हो, रिकॉर्ड सही हों, कक्षा समय पर शुरू हो और विद्यालय का वातावरण साफ-सुथरा तथा अनुशासित हो। इससे पूरा विद्यालय सुचारू रूप से चलता है और शिक्षा का माहौल बेहतर बनता है।

4- विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास:पर्यवेक्षण विद्यार्थियों की प्रगति पर भी विशेष ध्यान देता है। परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि बच्चे कहाँ कमजोर हैं। फिर शिक्षक को ऐसे सुधारात्मक तरीके बताए जाते हैं जो बच्चों की समझ को आसान बनाते हैं। इससे बच्चों के परिणाम और सीखने की क्षमता दोनों में सुधार होता है।

5- समस्याओं की पहचान और समाधान:विद्यालय में कई समस्याएँ धीरे-धीरे सामने आती हैं—चाहे वे शिक्षण से संबंधित हों, संसाधनों से, व्यवहार से या प्रशासन से। पर्यवेक्षण इन समस्याओं को जल्दी पहचानने और उनका समाधान निकालने में मदद करता है। इससे समस्याएँ बढ़ने नहीं पातीं और विद्यालय का वातावरण बेहतर बना रहता है।

6- सकारात्मक और प्रेरक वातावरण: पर्यवेक्षण शिक्षक को केवल सुधार के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी देता है। जब शिक्षक की मेहनत की सराहना होती है और उनकी समस्याओं को समझा जाता है, तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। विद्यालय में सहयोग, विश्वास और टीमवर्क का माहौल बनता है, जो बच्चों के सीखने पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

7- निरंतर सुधार की प्रक्रिया में सुधार:शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय को लगातार विकास की ओर ले जाता है। कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने के उपाय सुझाए जाते हैं। यह प्रक्रिया एक बार नहीं, बल्कि लगातार चलती रहती है। इसी वजह से विद्यालय धीरे-धीरे बेहतर होता जाता है और शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा ऊँचे स्तर पर बनी रहती है।

स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न: 4-सराहना व मान्यता प्रदान करना पर्यवेक्षक की किस भूमिका को दर्शाता है?

5-मूल्यांकनात्मक भूमिका से क्या अभिप्राय है?

11.9: सारांश

शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की एक सतत, सहयोगात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल निरीक्षण करना नहीं, बल्कि शिक्षक को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, उनकी समस्याओं को समझना और शिक्षण में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना है। इस इकाई में पर्यवेक्षण के अर्थ, परिभाषाएँ और इसके प्रमुख उद्देश्यों—जैसे शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षक की पेशेवर दक्षता का विकास, विद्यालय में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि—का वर्णन किया गया है। पर्यवेक्षण के प्रकार जैसे प्रशासनिक, शैक्षणिक, लोकतांत्रिक, सहयोगात्मक और वैज्ञानिक पर्यवेक्षण विभिन्न परिस्थितियों में विद्यालय को समर्थ बनाते हैं। पर्यवेक्षक की भूमिकाएँ—निरीक्षणात्मक, मार्गदर्शक, प्रेरक, सलाहकार, मूल्यांकनात्मक, नेतृत्वकारी, प्रशिक्षण प्रदायक और सुधारात्मक—विद्यालय में शिक्षण के सभी पहलुओं को बेहतर दिशा प्रदान करती हैं। इन भूमिकाओं द्वारा पर्यवेक्षक शिक्षक को सहायता, सुझाव, प्रेरणा, प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन प्रदान करता है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है और विद्यालय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता रहता है। समग्र रूप से, शैक्षिक पर्यवेक्षण विद्यालय की उन्नति, शिक्षक के विकास और विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियों का महत्वपूर्ण आधार है।

11.10: शब्दावली

1-**पर्यवेक्षण (Supervision)**-शिक्षण कार्य का मार्गदर्शन, निरीक्षण, मूल्यांकन और सुधार करने की प्रक्रिया।

2-**शैक्षिक पर्यवेक्षण (Educational Supervision)**-विद्यालय में शिक्षण-अधिगम तथा संबंधित गतिविधियों को बेहतर बनाने हेतु सहयोग, मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया।

3-**निरीक्षण (Inspection)**-कक्षा, रिकॉर्ड, अनुशासन, संसाधनों आदि की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन।

4-**निरीक्षण (Inspection)**-कक्षा, रिकॉर्ड, अनुशासन, संसाधनों आदि की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन।

5-**मूल्यांकन (Evaluation)**-शिक्षक के कार्य, विद्यार्थियों की प्रगति और गतिविधियों के परिणामों का आकलन।

6-**प्रशासनिक पर्यवेक्षण (Administrative Supervision)**-रिकॉर्ड, समय-सारिणी, अनुशासन और प्रबंधकीय कार्यों की देखरेख।

7-**शैक्षणिक पर्यवेक्षण (Instructional Supervision)**-शिक्षण विधियों, पाठ योजना, संसाधन और मूल्यांकन पर केंद्रित पर्यवेक्षण।

8-**सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (Cooperative Supervision)**-टीमवर्क आधारित पर्यवेक्षण जिसमें शिक्षक सुधार प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं।

9-**वैज्ञानिक पर्यवेक्षण (Scientific Supervision)**-डेटा, शोध और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने वाला पर्यवेक्षण।

10-**संसाधन (Resources)**-शिक्षण सामग्री, उपकरण, पुस्तकें, तकनीकी साधन आदि जो शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं।

11.11: अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1- **1-गुड (Good) के अनुसार**-पर्यवेक्षण एक ऐसा सतत् एवं रचनात्मक प्रयास है जिसके माध्यम से विद्यालय में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयत्न किया जाता है।"

2- **शैक्षिक पर्यवेक्षण** (Educational Supervision) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यालय में होने वाली सभी शिक्षण-अधिगम गतिविधियों का मार्गदर्शन, निरीक्षण, मूल्यांकन और सुधार किया जाता है।

3-तीन प्रकार- 1-प्रशासनिक पर्यवेक्षण, 2-शैक्षणिक पर्यवेक्षण, 3-लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण्।

4-प्रेरक भूमिका।

5- मूल्यांकनात्मक भूमिका का मतलब है कि पर्यवेक्षक यह जाँचता है कि शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी है।

11.12: संदर्भ ग्रंथ सूची

1-**किम्बलवाइल्स(Kimball Wiles).** Supervision forBetter Schools. New York: Prentice Hall.

2-**गुड.टी.&ब्रॉफी, जे.**Educational Psychology: A Realistic Approach.

3-**मॉरिसन,जी.एस.**Teaching in America: The Profession and the Practice.

4-**निरंजन,एस.**शैक्षिक प्रशासन एवं पर्यवेक्षण.नई दिल्ली: अरविंद प्रकाशन।

5- **अग्रवाल, जे.सी.** Theory and Principles of Education. वikas Publishing House, New Delhi.

6-**मिश्रा, बी.के.**स्कूल प्रशासन एवं गुणवत्ता प्रबंधन.

7-गुलाटी, सरोज।शैक्षिक प्रबंधन और पर्यवेक्षण.

8-**NCERT.** School Education and Supervision Modules.राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।

9-**पांडे, रमाशंकर.**आधुनिक शिक्षा के सिद्धांत और प्रबंधन.

10-**कौशिक, वी.** Education Administration and Supervision.

11.13: निबंधात्मक प्रश्न

1- शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ, उद्देश्यों एवं प्रकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

2- शैक्षिक पर्यवेक्षक की विभिन्न भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए।

3- विद्यालय की गुणवत्ता सुधार में शैक्षिक पर्यवेक्षण की भूमिका और महत्व को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 12- शैक्षिक पर्यवेक्षण के साथ-साथ शैक्षिक निरीक्षण
Unit 12- Educational Inspection vis-à-vis Educational Supervision.

12.1 परिचय

12.2 इकाई के उद्देश्य

12.3 शैक्षिक पर्यवेक्षण

12.3 शैक्षिक निरीक्षण अर्थ ,अवधारणा एवं विशेषतायें

अपनी प्रगति जानिये 1

12.4 शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक निरीक्षण में संबंध

12.5 शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक निरीक्षण में अंतर

अपनी प्रगति जानिये 2

12.6 शब्दावली

12.7 सारांश

12.8 अपनी प्रगति जानिये के उत्तर

12.9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

12.10 संदर्भ सूची

12.1 परिचय (Introduction)

शैक्षिक निरीक्षण शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने तथा सुधार करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों, शिक्षार्थियों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित होती है। यह गुणवत्ता नियंत्रण,शिक्षण विधियों के मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति के आँकलन जैसे- छात्रों की उपलब्धि तथा सीखने की क्षमता के परीक्षण, संसाधन पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा तकनीकी संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं से संबंधित होता है। कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए मार्गदर्शन देना शैक्षिक निरीक्षण का महत्वपूर्ण कार्य है। शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण एक दूसरे के पूरक हैं।

12.2 इकाई के उद्देश्य (Objectives of unit)

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के बाद आप;

- शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक निरीक्षण में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे,
- शैक्षिक निरीक्षण के महत्व को आत्मसात कर सकेंगे,
- शैक्षिक निरीक्षण की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे,
- शैक्षिक निरीक्षण के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे.

12.3 शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण (Educational Supervision & Inspection)

शैक्षिक पर्यवेक्षण तथा शैक्षिक निरीक्षण शिक्षा व्यवस्था के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है। यह शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा शिक्षकों को नई पद्यतियों को अपनाने तथा शिक्षार्थियों के बहुआयामी विकास को दिशा देने का कार्य करते हैं। तथा आवश्यकताओं ओर चुनौतियों का पता लगा कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक प्रयास को बढ़ावा देते हैं। आज जब शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है तब शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण भी इससे अछूता नहीं रहा। आधुनिक समय में शिक्षा प्रणालियाँ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था (face to face) के साथ ही ऑन लाइन (online) तथा मिश्रित प्रणाली (blended mode) द्वारा संचालित होने लगी हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणालियाँ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए इस क्षेत्र में भी परिवर्तन आवश्यक है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' ने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिशें की है। आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (early childhood care and education) को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया गया है। स्कूली शिक्षा (school education) से उच्च शिक्षा (higher education) तक नवाचार एवं लचीलापन समाहित किया गया है। शिक्षा को केवल सूचना एवं ज्ञान तक सीमित करने के बजाय कौशल विकास एवं जीवनोपयोगी बनाना सुनिश्चित करना आवश्यक है। 21वीं सदी के शिक्षार्थी अपनी विशिष्टता का विकास एवं संवर्धन कर सकें इसका विशेष प्रयास किया जाना महत्वपूर्ण है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' की सिफारिशों को सफलतापूर्वक धरातल पर लागू किया जाने हेतु भी गुणवत्तापरक शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का विशेष महत्व है। ऐसा शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण आवश्यक है जो शिक्षा की गुणवत्ता एवं व्यावहारिकता सुनिश्चित करने सहायक हो,शैक्षिक प्रशासन में पारदर्शिता एवं जबाबदेही सुनिश्चित करे,शिक्षकों को प्रेरित करे तथा शिक्षार्थियों सकारात्मक सीखने का वातावरण उपलब्ध कराये। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कई हितधारक (stakeholders) शामिल होते है जिनके बीच सामंजस्य एवं अंतरसंबंध स्थापित करने में शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण एक महत्वपूर्ण संयोजन कड़ी का कार्य करते है। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण एक दूसरे के पूरक (complementary) हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की सहायता से ही शैक्षिक उपलब्धियों,आवश्यकताओं का पता लगाकर बाधाओं एवं चुनौतियों का त्वरित व्यावहारिक समाधान किया जा सकता है।

12.4 शैक्षिक निरीक्षण अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of Educational Inspection)

शैक्षिक निरीक्षण का अर्थ है शिक्षण, सीखने-सिखाने ,शैक्षिक प्रशासन और संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए स्कूलों का दौरा (visit) करने की व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मानकों को बनाये रखा जाये और सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिये जायें। निरीक्षण में निपुणता एवं प्रभावशीलता होना आवश्यक है। निरीक्षण की प्रभावशीलता (effectiveness) के महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं-

सामान्य विकास का सिद्धांत-निरीक्षण के लिये संस्था की सामान्य दक्षता और शिक्षक के व्यावसायिक विकास की समझ आवश्यक है। निरीक्षण सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत-निरीक्षण का तात्पर्य तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन (observation) से है। निरीक्षक का वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण निरीक्षण की सफलता के लिये आवश्यक है। उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आवश्यक है।

संपूर्णता का सिद्धांत-निरीक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक (broad) है। यह केवल स्कूल प्रबंधन और प्रशासनिक विवरण के वित्तीय पहलू से संबंधित नहीं है बल्कि संस्था से संबंधित सभी पक्षों को इसमें समाहित होते है। निरीक्षण शिक्षण कार्य के अलावा एक स्कूल की भावना का आकलन करने का प्रयास होता है। स्कूल की भावना का अंदाजा स्टाफ की बैठकों, सह-पाठयक्रम गतिविधियों और शैक्षिक विधियों में किये गये किसी भी प्रयोगात्मक कार्य के रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है। खेल के मैदान और कक्षा के बाहर अनुशासन का मानक को अवश्य शामिल किया जाना चाहिये। शिक्षक की पद्धति एवं व्यक्तित्व का सम्मान किया जाना आवश्यक है। निरीक्षक को 'घातक एकरूपता' पर जोर नहीं देना चाहिए। उसे शिक्षकों द्वारा नियोजित तरीकों को समझने की कोशि और उनमें शामिल अच्छे बिंदुओं की सराहना आवश्यक है। निरीक्षकों को शिक्षकों के कार्य की आलोचना करने में विवेकपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक के अच्छे प्रयासों की सराहना, शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाता है। जब यह योग्य शिक्षकों तथा नवाचारी प्रयासों को प्रशंसा अवश्य मिलनी चाहिये।

सर्वांगीण विकास का सिद्धांत-निरीक्षण सतही (superficial) स्तर पर नहीं होना चाहिये। सतही निरीक्षण के नकारात्मक प्रभाव होते हैं। एक बार निरीक्षण के लिये कम से कम दो या तीन दिन दिये जाने आवश्यक है। शिक्षक के कार्य का आँकलन अल्प समय में नहीं किया जा सकता है। इसके लिये अधिक सावधान और लंबी निगरानी आवश्यक है। करना (action) हमेशा बताने से बेहतर होता है। एक निरीक्षक द्वारा प्रदर्शन (demonstration), पाठ सुझावों की तुलना में अधिक प्रभावी एवं उपयोगी होते हैं। जब एक निरीक्षक किसी विषय में एक कक्षा को कमजोर पाता है या शिक्षक द्वारा उपयोग किए जा रहे असंतोषजनक तरीकों के सुधार के लिये ये महत्वपूर्ण है।

वास्तविकता का सिद्धांत-निरीक्षण में स्थानीय परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझना तथा उसके अनुरूप क्या अपेक्षित प्रगति क्या हो सकती है, इसका ध्यान रखना अतिआवश्यक है। छात्रों के लिखित कार्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन एवं निरीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण होता है। तथा व्यावहारिक विषयों का निरीक्षण व्यावहारिक गतिविधियों के आधार पर होना चाहिये। जैसे- विज्ञान,कृषि,कला-ड्राइंग,योग,शारीरिक शिक्षा आदि,

संबंध का सिद्धांत-निरीक्षण स्कूल की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। स्कूल समुदाय की सेवा करने के लिए है और इसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए निरीक्षक को स्कूल को समुदाय के साथ उचित संपर्क विकसित करने और लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए।

योजना का सिद्धांत-निरीक्षण की योजना पहले से बनाई जानी चाहिए। उन्हें हिट-या-मिस अफेयर नहीं होना चाहिए। एक अच्छी योजना वाले निरीक्षण में स्पष्ट रूप से बताए गए उद्देश्यों का एक सेट होगा और इसमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, साधनों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा होगी। इसमें मानदंडों, जांचों या परीक्षणों की एक स्पष्ट रूपरेखा भी शामिल होगी जिनका उपयोग कार्यक्रमों की सफलता या विफलता को निर्धारित करने के लिए निरीक्षण के परिणामों के लिए किया जाना है।

सहकारिता का सिद्धांत-स्कूल के शैक्षणिक कार्य की विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, जिसमें निरीक्षकों को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। निरीक्षण की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि सभी संबंधितों का सहयोग आसानी से उपलब्ध हो।

अच्छे निरीक्षण के लिए एक निरीक्षक के अंदर अनेक गुण होने चाहिये। एक अच्छा निरीक्षक शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करना,प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और उन पर भरोसा करना अच्छे निरीक्षक के गुण हैं। उसे शिक्षा में नए रुझानों, शिक्षा में नवीनतम तकनीकों और क्षेत्र में वर्तमान समस्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसे न केवल स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन करना चाहिए, बल्कि स्कूल की सर्वांगीण प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए।

निरीक्षक एवं निरीक्षण की विश्वासनीयता होना आवश्यक है। विकास और सुधार में हमेशा समय लगता है। निरीक्षक के पास एक दूरगामी कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके अनुसार उसे कार्य संपादित करने चाहिये। निरीक्षक को व्यावहारिक होना चाहिए। एक सक्षम निरीक्षक को उन स्कूलों का चयन करता है जहां शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के पास शिक्षा के प्रति एक प्रगतिशील दृष्टिकोण है और वे प्रयोग की भावना से ओत-प्रोत हैं। और इन स्कूलों को रोल मॉडल के रूप में विकसित कर अन्य स्कूलों तक संदेश को आसानी से पहुंचाया जाता है।अच्छा निरीक्षक को अपने काम की पूरी तरह से योजना बनाकर करता है। सहानुभूति ,रचनात्मकता निरीक्षक के विशेष गुण हैं।

निरीक्षण का अर्थ परीक्षण देना है जिसे इन्स्पेक्शन (Inspection) भी कहते है। जिसका आशय है - आसान और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ जांच करना। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तरह का निरीक्षण शिक्षा व्यवस्थाओं, शैक्षिक ,प्रशासन तथा हितधारकों से संबंधित गतिविधियों का होता है। शिक्षण संस्थानों के निरीक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। वह कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों का परीक्षण करता है। तथा प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से प्रश्न पूछकर और निरीक्षण करके कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करता है। आलोचनात्मक दृष्टि से कार्यालय, वित्तीय मामलों के संबंध में प्राप्त जानकारी और आत्म-अवलोकन के आधार पर, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, और अपने उच्च

अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और प्रत्येक अधिकारी इस पर अपनी टिप्पणी देता है और इसे उच्च स्तर पर भेजता है। इस तरह टिप्पणियां दर्ज की जाती हैं। निरीक्षण की प्रक्रिया जिस प्रकार चलती है उसकी prasangiktaनतीजतन, जब यह प्रिंसिपल तक पहुंचता है, तो स्थिति बहुत बदल गई है, जिसकी रिपोर्ट में आलोचना की गई थी। इस प्रकार, निरीक्षण का परिणाम काफी हद तक स्वचालित रूप से अर्थहीन हो जाता है।

उसे 'शिक्षकों के शिक्षक' के रूप में सेवा करनी है। उसके पास पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, बैठकें, सेमिनार और चर्चाएं आयोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। एक निरीक्षक को कई भाषाओं और विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए। यह हमारे स्कूलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां शिक्षा के विभिन्न माध्यमों का पालन किया जाता है। एक निरीक्षक को विभाग और क्षेत्र के कार्मिकों के बीच एक दोस्ताना संपर्क अधिकारी होना चाहिए, जो बिखरे हुए शैक्षिक अनुभवों और प्रयोगों को जोड़ने वाला मध्यस्थ हो। कार्मिक प्रशासन नियुक्ति, शिक्षण, गैर-शिक्षण और निरीक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति और स्थानांतरण, उनके प्रदर्शन, मूल्यांकन और अनुशासनात्मक नियंत्रण निरीक्षक का कार्यक्षेत्र है। इसके अलावा वित्तीय प्रशासन, सहायता अनुदान की स्वीकृति और संवितरण, शिक्षकों के वेतन का संवितरण, लेखा परीक्षा और लेखाओं का निरीक्षण, शिक्षकों और प्रबंधन के बीच विवादों से निपटना और अर्ध-न्यायिक मामलों को निपटाना निरीक्षक की जिम्मेदारियाँ हैं।

अपनी प्रगति जानिये

1. शैक्षिक निरीक्षण का मुख्य कार्य है-

a) गुणवत्ता नियंत्रण

b) शिक्षण

c) अधिगम

d) सूचना सम्प्रेषण

2. शैक्षिक निरीक्षण के सिद्धांत हैं-

a) योजना सिद्धांत

b) एकीकरण का सिद्धांत

c) संबंध का सिद्धांत

d) उपरोक्त सभी

12.5 शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक निरीक्षण में संबंध

शैक्षिक निरीक्षण और शैक्षिक पर्यवेक्षण दोनों शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनका उद्देश्य विद्यालयों और शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। दोनों का अंतिम उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना और सुधारना है। निरीक्षण अक्सर पहला चरण होता है, जिसमें विद्यालय की

गतिविधियों, नियमों और प्रक्रियाओं की जाँच की जाती है। पर्यवेक्षण अगला चरण है, जिसमें निरीक्षण से मिली जानकारी के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। निरीक्षण बिना पर्यवेक्षण के अधूरा है, क्योंकि केवल कमियाँ बताने से शिक्षा सुधरती नहीं। पर्यवेक्षण निरीक्षण को सार्थक बनाता है, क्योंकि वह शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहयोग देकर सुधार करता है। निरीक्षण नियंत्रण और अनुशासन पर बल देता है। पर्यवेक्षण सहयोग, प्रेरणा और विकास पर बल देता है।दोनों मिलकर शिक्षा व्यवस्था को संतुलित रखते हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण निकटता से संबंधित हैं: निरीक्षण मानकों के मूल्यांकन और लागू करने पर केंद्रित है, जबकि पर्यवेक्षण मार्गदर्शन, समर्थन और व्यावसायिक विकास पर जोर देता है। साथ में, वे शिक्षा में जवाबदेही और निरंतर सुधार सुनिश्चित करते हैं।

निरीक्षण (Inspection) - यह अधिकतर जाँच-पड़ताल (enquiry) की प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य है, यह देखना कि विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसमें त्रुटियों को पहचानने और नियमों के अनुपालन पर ध्यान दिया जाता है।

पर्यवेक्षण (Supervision)- यह मार्गदर्शन (guidance) और सुधार (reform) की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को सहयोग देना, उनकी दक्षता बढ़ाना और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना है। इसमें सकारात्मक सुझाव, प्रशिक्षण और नवाचार पर बल दिया जाता है।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। निरीक्षण से कमियाँ पता चलती हैं, और पर्यवेक्षण से उन कमियों को दूर करने के उपाय किए जाते हैं। निरीक्षण शिक्षा की स्थिति का आकलन करता है, जबकि पर्यवेक्षण उसे सुधारने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार ये गुणवत्ता सुधार में सहायक होते हैं। निरीक्षण नियंत्रण का साधन है, पर्यवेक्षण सहयोग का। दोनों मिलकर शिक्षा को संतुलित और प्रभावी बनाते हैं। निरीक्षण बिना पर्यवेक्षण के अधूरा है, और पर्यवेक्षण बिना निरीक्षण के दिशा-हीन। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एक दूसरे के पूरक है। निरीक्षण और पर्यवेक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निरीक्षण शिक्षा की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है, जबकि पर्यवेक्षण उसे बेहतर बनाने का मार्ग दिखाता है। दोनों मिलकर शिक्षा प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और समाजोपयोगी बनाते हैं।

एक निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए अकादमिक नेतृत्व और तकनीकी सलाह प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। उसे अभिविन्यास कार्यक्रमों, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नए विचारों के प्रसार और परीक्षण की गई अच्छी प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने, प्रयोगों और अन्य नवाचारों को प्रोत्साहित करने में विशेषज्ञ होना चाहिए। एक निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक को जिले की समग्र विकास योजना में अन्य विभागों के साथ सहयोग और सहयोग करने, जिले में शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वयन करने और मूल्यांकन करने में पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता से होना आवश्यक है। एक निरीक्षक तथा पर्यवेक्षक को क्षेत्रीय स्तर, संस्थागत स्तर पर कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और प्रचार करना आवश्यक है।

शैक्षिक निरीक्षण एवं शैक्षिक पर्यवेक्षण में अंतर

शैक्षिक निरीक्षण- जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य नियमों, मानकों और अनुशासन का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसकी प्रकृति नियंत्रणात्मक (Control-oriented) होती

है। शैक्षिक निरीक्षण का कार्य कमियों और त्रुटियों को पहचानना,स्थिति का आकलन और रिपोर्टिंग है। तथा निरीक्षक (Inspector) अधिक अधिकारपूर्ण होता है। जो भय एवं अनुशासन की भावना पैदा करता है।

शैक्षिक पर्यवेक्षण- शैक्षिक पर्यवेक्षण मार्गदर्शन, सहयोग और सुधार की प्रक्रिया है। शिक्षण-अधिगम (teaching -learning) की गुणवत्ता बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण सहयोगात्मक (Support-oriented) होता है। कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना और सुधार करना शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। शिक्षकों का विकास, विद्यार्थियों का सर्वांगीण संवर्धन शैक्षिक पर्यवेक्षण के अपेक्षित परिणाम हैं। पर्यवेक्षक (Supervisor) मार्गदर्शक और सहयोगी होता है,जो शिक्षा व्यवस्था में विश्वास, प्रेरणा और सहयोग का वातावरण बनाने में सहयोग करता है।

निरीक्षण शिक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है। तथा पर्यवेक्षण शिक्षा को सुधारने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। दोनों प्रक्रियाएँ परस्पर पूरक हैं, निरीक्षण से कमियाँ पता चलती हैं और पर्यवेक्षण उन्हें दूर करने में मदद करता है। निरीक्षण केवल कमियाँ खोजने तक सीमित है, जबकि पर्यवेक्षण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों को प्रेरित करने की प्रक्रिया है। इसलिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पर्यवेक्षण को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि यह विद्यालय और शिक्षक दोनों के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार समझ सकते है

अपनी प्रगति जानिये 2 .

3. नीचे अभिकथन एवं तर्क दिये गए है अभिकथन एवं तर्क को ध्यान से पढ़िये तथा सही विकल्प चुनिये;

अभिकथन; शैक्षिक निरीक्षण का कार्य कमियों और त्रुटियों को पहचानना,स्थिति का आकलन और रिपोर्टिंग है।

तर्क; इसकी प्रकृति नियंत्रणात्मक होती है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन किजिये

a. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है,

b. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है,

c. अभिकथन सही एवं तर्क गलत है,

d. अभिकथन एवं तर्क दोनों गलत है।

4. नीचे अभिकथन एवं तर्क दिये गए है अभिकथन एवं तर्क को ध्यान से पढ़िये तथा सही विकल्प चुनिये;

अभिकथन; निरीक्षण से कमियाँ पता चलती हैं और पर्यवेक्षण उन्हें दूर करने में मदद करता है।

तर्क; शैक्षिक पर्यवेक्षण मार्गदर्शन, सहयोग और सुधार की प्रक्रिया है।

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन किजिये;

a. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या है,

b. अभिकथन एवं तर्क दोनों सही है,तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है,

c. अभिकथन सही एवं तर्क गलत है,

d. अभिकथन एवं तर्क दोनों गलत हैं।

12.6 शब्दावली

विश्वसनीयता - विश्वसनीयता का अर्थ है — ऐसा गुण या स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, विचार या वस्तु पर भरोसा किया जा सके और वह अपेक्षित मानकों पर खरी उतरे।

अपेक्षित परिणाम - अपेक्षित परिणाम वह उपलब्धि है जिसकी कल्पना या योजना पहले से की जाती है और जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यह किसी भी कार्य या योजना की सफलता का मानक होता है।

जाँच-पड़ताल- जाँच-पड़ताल केवल त्रुटियाँ खोजने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सत्य की पुष्टि, गुणवत्ता सुधार और पारदर्शिता बनाए रखने का साधन है।

नियंत्रणात्मक- नियंत्रणात्मक दृष्टिकोण शिक्षा में अनुशासन और मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन यदि केवल नियंत्रण पर ही ध्यान दिया जाए तो यह कठोर हो सकता है। इसलिए इसे सहयोगात्मक और मार्गदर्शक पर्यवेक्षण के साथ संतुलित करना ज़रूरी है।

12.7 सारांश-

शैक्षिक निरीक्षण (Inspection) जाँच-पड़ताल की एक प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य, विद्यालय,शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा नियमों, मानकों और पाठ्यक्रम का पालन सुनिश्चित करना है। इसका दृष्टिकोण नियंत्रणात्मक और मूल्यांकन-प्रधान होता है। तथा अपेक्षित परिणाम कमियों और त्रुटियों की पहचान करना है। जबकि शैक्षिक पर्यवेक्षण (Supervision) मार्गदर्शन और सुधार की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाना, शिक्षकों को सहयोग देना और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का दृष्टिकोण सहयोगात्मक और प्रेरणात्मक होता है। तथा अपेक्षित परिणाम शैक्षिक सुधार, नवाचार और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है। शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण एक दूसरे के पूरक है। निरीक्षण नियंत्रण का साधन है, पर्यवेक्षण सहयोग का। दोनों मिलकर शिक्षा व्यवस्था को संतुलित और प्रभावी बनाने का कार्य करते हैं।

12.8 अपनी प्रगति जानिये के उत्तर

1. a ,2. D, 3. a ,4. b

12.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. शैक्षिक निरीक्षण के अर्थ एवं अवधारणा का वर्णन कीजिये।

Describe the meaning and concept of educational inspection.

2. शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में क्या संबंध है?

What is the relationship between educational Inspection and supervision

3. शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिये।

Clarify the difference between educational Inspection and supervision.

4. शैक्षिक निरीक्षक की विशेषताओं की व्याख्या कीजिये।

Explain the characteristics of an educational inspector.

12.11 संदर्भ सूची

Ministry of Education | Government of India, Ministry of Education

National Education Policy | Government of India, Ministry of Education

Institutions | Government of India, Ministry of Education

National Council for Teacher Education

Supervision, Teaching, and Learning in Successful Schools: A Hall of Mirrors

Microsoft Copilot: Your AI companion

Educational Supervision in India: Meaning, Scope, Nature and Type,

Educational Supervision: Nature, Characteristics, Objectives and Function of Educational Supervision ONLINE NOTE BANK

इकाई 13: केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत योजना का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता व महत्व (Centralized and De-centralized Planning: Meaning, Objectives, Need and Significance)

13.1 प्रस्तावना (Introduction)
13.2 उद्देश्य (Objectives)
13.3 केंद्रीयकृत योजना (Centralized Planning)
13.3.1 केंद्रीयकृत योजना का उद्देश्य
13.3.2 केंद्रीयकृत योजना की आवश्यकता
13.3.3 केंद्रीयकृत योजना का महत्व
13.4 विकेंद्रीयकृत योजना (De-Centralized Planning)
13.4.1 विकेंद्रीयकृत योजना का उद्देश्य
13.4.2 विकेंद्रीयकृत योजना की आवश्यकता
13.4.3 विकेंद्रीयकृत योजना का महत्व
13.5 अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)
13.6 सारांश (Summary)
13.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Practice Questions)
13.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)
13.9 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

13.1 प्रस्तावना (Introduction) -

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास की आधारशिला है, और इसके प्रभावी संचालन के लिए सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक योजना अत्यंत आवश्यक होती है। भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण एवं जनसंख्या बहुल देश में शैक्षिक प्रशासन एवं योजना का स्वरूप अत्यंत जटिल है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं, आर्थिक असमानताओं तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक जरूरतें भिन्न-भिन्न रूप में उभरती हैं। इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा में दो प्रमुख प्रकार की योजनाएँ अपनाई जाती हैं केंद्रीकृत योजना और विकेंद्रीकृत योजना। केंद्रीकृत शिक्षा योजना वह प्रणाली है जिसमें शैक्षिक नीतियों, उद्देश्यों, बजट, संसाधनों और कार्यक्रमों

का निर्धारण शीर्ष स्तर पर जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उच्च प्रशासनिक निकायों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की योजना का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर समानता, गुणवत्ता, एकरूपता और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना होता है। वही दूसरी ओर, शिक्षा की विकेंद्रीकृत योजना वह प्रक्रिया है जिसमें योजना निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन जैसे सभी कार्य स्थानीय निकायों, विद्यालयों, शिक्षकों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों अभिभावक समितियों तथा अन्य संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से किए जाते हैं, ताकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं और स्थानीय समस्याओं के अनुसार शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, प्रासंगिक और प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षा के संदर्भ में दोनों प्रकार की योजनाओं का महत्त्व अत्यंत महत्वपूर्ण है केंद्रीकृत योजना शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों, राष्ट्रीय नीतियों, मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करती है, वहीं विकेंद्रीकृत योजना प्रणाली शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक, सहभागी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) जैसे दस्तावेज भी इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा का विकास तभी संभव है जब केंद्रीय स्तर की दूरदृष्टि तथा स्थानीय स्तर की वास्तविक आवश्यकताओं का संतुलित समन्वय हो। अतः शिक्षा में केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत योजनायें, दोनों ही एक-दूसरे के परस्पर पूरक हैं; इनमें कोई विरोध नहीं बल्कि समन्वित रूप से मिलकर यह प्रणाली शिक्षा को अधिक सुगठित, समावेशी, सुदृढ़ तथा परिणाममुखी बनाने में सहायक होती है। यही कारण है कि आधुनिक शैक्षिक प्रशासन में दोनों प्रकार की योजनाओं का सामंजस्यपूर्ण उपयोग न केवल शैक्षिक समानता और गुणवत्ता को बढ़ाता है बल्कि शिक्षा को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिक सक्षम और उत्तरदायी भी बनाता है।

13.2 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् –

- ✓ छात्र केन्द्रीकृत योजना के अर्थ को समझ सकेंगे।
- ✓ छात्र केन्द्रीकृत योजना के उद्देश्यों के बारे में जन सकेंगे।
- ✓ छात्र केन्द्रीकृत योजना के महत्व को समझ सकेंगे।

- ✓ छात्र केन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- ✓ छात्र विकेन्द्रीकृत योजना के बारे में जानकारी ले सकेंगे।
- ✓ छात्र विकेन्द्रीकृत योजना के उद्देश्यों तथा महत्व को समझ सकेंगे।
- ✓ छात्र विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

13.3 केंद्रीयकृत योजना-

शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीकृत योजना (Centralized Planning) वह व्यवस्था है जिसमें शैक्षिक नीतियों, शैक्षिक कार्यक्रमों, लक्ष्यों, संसाधनों के आवंटन तथा निर्णय-प्रक्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से एक केन्द्रीय अथवा शीर्ष स्तर की प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की योजना में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है, जिससे पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था एकरूप, सुव्यवस्थित और नियोजित रूप से विकसित की जा सके। केन्द्रीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर पर एकरूपता, गुणवत्ता, समान अवसर तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप शैक्षिक विकास सुनिश्चित करना होता है। इस प्रकार की योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बजट, पाठ्यचर्या, शैक्षिक मानकों, शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित निर्णय केंद्र स्तर पर लिए जाते हैं तथा राज्यों और स्थानीय संस्थाओं को उनके अनुरूप कार्य करना होता है।

13.3.1 केन्द्रीकृत योजना के उद्देश्य-

केन्द्रीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को एक सुव्यवस्थित, संगठित और राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप बनाने का होता है। जब शिक्षा नीतियों, कार्यक्रमों व संसाधनों का संचालन शीर्ष (केंद्र/राष्ट्रीय) स्तर से किया जाता है, तो सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप चलती है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-

1. **शिक्षा में समानता स्थापित करना-** देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक मानकों तथा शिक्षण स्तरों में समानता सुनिश्चित करना केंद्रीकृत योजना का

महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि सम्पूर्ण देश में सभी शिक्षार्थियों को एक समान गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके।

2. **राष्ट्रीय शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति-** केंद्रीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता और समाज में समरसता को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा शिक्षा को संविधान में निहित मूल्यों लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

3. **संसाधनों का समुचित एवं न्यायसंगत वितरण-** शैक्षिक प्रशासन के तहत केंद्रीकृत योजना के माध्यम से वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों का नियोजित तथा संतुलित वितरण किया जाता है, जिससे संसाधन-विहीन क्षेत्रों को भी पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सके, तथा समुचित विकास हो सकें।

4. **शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना-** केंद्रीयकृत योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार की सभी शैक्षिक योजनाओं द्वारा बनाये गए सभी मानकों, दिशानिर्देशों और मूल्यांकन प्रणाली के प्रभावी समावेशन से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना हैं।

5. **शिक्षा प्रणाली में एकरूपता-** भारत जैसे बहु-भाषी, बहु-सांस्कृतिक और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा में एकरूपता लाना एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीकृत योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है-
    - पूरे देश में समान शिक्षण-स्तर और मानक विकसित करना।
    - एक ही कक्षा और विषय के लिए पूरे देश में एक समान पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक रूपरेखा उपलब्ध कराना।
    - मूल्यांकन, परीक्षा पैटर्न, अधिगम परिणाम आदि में राष्ट्रीय मानकीकरण लाना।

6. **राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन-** केंद्रीयकृत योजना में NEP, NCF-SE, NCF-FS जैसे दस्तावेज राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब-

- नीति-निर्माण और मार्गदर्शन केंद्र स्तर पर हो।
- राज्यों और विद्यालयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश समय-समय पर मिलते रहें।
- राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकताओं को पूरे देश में लागू किया जा सके।

13.3.2 केंद्रीयकृत योजना की आवश्यकता-

भारत जैसे विशाल, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और सामाजिक–आर्थिक विविधताओं वाले देश में शिक्षा व्यवस्था को समन्वित और गुणवत्तापूर्ण बनाना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती का समाधान एक सुनियोजित, नियंत्रण-आधारित और लक्ष्य-उन्मुख प्रणाली से ही संभव है, जिसे केंद्रीयकृत योजना कहा जाता है। केंद्रीयकृत योजना के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में नीतियों, पाठ्यचर्या, संसाधनों, मूल्यांकन, प्रशासन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक एकीकृत दिशा और संगठित नेतृत्व उपलब्ध होता है।

1. **शैक्षिक असमानताओं को कम करने की आवश्यकता-** समाज में वर्ग, जाति, क्षेत्र और आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा में गंभीर असमानताएँ देखने को मिलती हैं, जिन्हें कम करने के लिए केंद्रीयकृत योजना अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय स्तर पर बनाई गई योजनाएँ पिछड़े, दूरदराज़ और वंचित क्षेत्रों में विशेष सहायता पहुँचाकर शिक्षा के अवसरों को संतुलित करती हैं। साथ ही गरीब बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तथा बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनकी शैक्षिक पहुँच को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय योजना शिक्षा में बराबरी, न्याय और सामाजिक संतुलन का वातावरण तैयार करती है। यदि केंद्रीय स्तर से हस्तक्षेप और मार्गदर्शन न मिले, तो शिक्षा में यह असमानताएँ और अधिक बढ़ सकती थीं, जिससे समाज में विभाजन और गहराई से स्थापित हो जाता।

2. **राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करने की आवश्यकता-** भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा प्रणाली, पाठ्यचर्या, भाषा और प्रबंधन की दृष्टि से काफी अंतर है। केंद्रीयकृत योजना से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता सुनिश्चित की जा सकती हैं जैसे -

- देशभर में शिक्षा का स्तर एक समान किया जा सकता है।
- सभी छात्रों के लिए समान अवसर और समान अधिगम मानक सुनिश्चित होते हैं।
- राष्ट्रीय पहचान और एकता को बढ़ावा मिलता है।

3. **संसाधनों के समुचित आवंटन और उपयोग की आवश्यकता-** हमारे देश में वित्तीय और भौतिक संसाधनों का वितरण असमान है। केंद्रीयकृत योजना के अंतर्गत मुख्यत-

- बजट आवंटन को वैज्ञानिक, डेटा-आधारित और प्राथमिकताओं के अनुसार तय करती है।
- संसाधनों के दुरुपयोग, पुनरावृत्ति और असमान वितरण को रोकती है।
- मानव संसाधन (शिक्षक, प्रशिक्षण, स्टाफ) को व्यवस्थित ढंग से तैनात करने में सहायक होती है।

4. **राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता-** केंद्रीयकृत योजना के तहत NEP 2020, NCF, डिजिटल शिक्षा नीति, मूल्यांकन सुधार, कौशल विकास आदि राष्ट्रीय शिक्षा में सुधार प्रभावी होते हैं, केंद्रीयकृत योजना इन नीतियों को देशभर में समान रूप से लागू करने का आधार प्रदान करती है।
5. **वित्तीय सहायता के लिए केंद्रीकृत प्रणाली-** राष्ट्र के शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का समान वितरण केवल केंद्रीय स्तर से संभव होता है। कई राज्य वित्तीय रूप से कमजोर होते हैं जिनके लिए केंद्रीय सहायता बेहद आवश्यक है।
6. **विशाल और विविधतापूर्ण देश में समन्वय की आवश्यकता-** भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक है। केंद्रीयकृत योजना सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाला "समन्वय का सेतु" बनती है।
7. **शिक्षा सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन-** सम्पूर्ण देश में नवीन शिक्षा नीति, तकनीकी सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण आदि का त्वरित और समान क्रियान्वयन केंद्रीकृत योजना द्वारा संभव है।
8. **संकट अथवा आपदा की स्थिति में एकीकृत व्यवस्था-** वैश्विक स्तर पर संकट वैश्विक महामारी जैसे (COVID-19) के दौरान सम्पूर्ण विश्व में ऑनलाइन शिक्षा की तैयारी, दिशा-निर्देश, डिजिटल प्लेटफॉर्म (DIKSHA) इत्यादि का उपलब्ध कराना केंद्रीयकृत योजना के माध्यम से ही संभव हो सकता हैं।

13.3.3 केंद्रीयकृत योजना का महत्व -

केंद्रीयकृत योजना वह व्यवस्था है जिसमें शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, कार्यक्रम, संसाधन, पाठ्यचर्या और प्रशासनिक निर्णय एक केंद्रीय अथॉरिटी द्वारा संचालित होते हैं। भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण देश एक ऐसी शैक्षणिक प्रणाली की मांग करता है जो एकरूपता, समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। ऐसे में केंद्रीयकृत योजना शिक्षा को एक संगठित, दिशाबद्ध और लक्ष्य-उन्मुख रूप प्रदान करती है।

1. **शिक्षा की गुणवत्ता में स्थिरता**- केंद्रीय स्तर से शिक्षा से सम्बंधित मानकों के निर्धारण एकसमान रूप से किया जाता हैं, जिससे शिक्षा में एकरूपता आने से शिक्षा की गुणवत्ता की समानता बनी रहती है।

2. **राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास**- केंद्रीयकृत योजना शिक्षा को राष्ट्रीय विकास तथा राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से देखती हैं, तथा शिक्षा की भूमिका केवल ज्ञान ग्रहण तक ही सीमित नही रहती हैं बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में भी अपना अमूल्य योगदान देती हैं।

3. **शिक्षा में नवाचार एवं अनुसन्धान को बढ़ावा-** केंद्रीय संस्थाएँ जैसे (NCERT, NIEPA, UGC) शोध आधारित नीतियाँ विकसित करती हैं जिससे सम्पूर्ण देश की शिक्षा को और अधिक वैज्ञानिक, आधुनिक और व्यवहारिक बनाया जाता है।

4. **पिछड़े क्षेत्रों का विकास-** केंद्रीय योजना के तहत विशेषकर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है जहाँ शिक्षा का विकास अपेक्षाकृत धीमा है, जैसे आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र।

5. **शिक्षकों का पेशेवर विकास-** केंद्रीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं जो देशभर के शिक्षकों को समकालीन परिवर्तन के अनुरूप सक्षम बनाते हैं।

6. **राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति-** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तथा संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने में केंद्रीयकृत योजना सहायक होती है। यह शिक्षा को राष्ट्र निर्माण से जोड़ती है और दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है।

7. **शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय-** केंद्रीयकृत योजना गरीब, वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा बालिकाओं के लिए विशेष योजनाएँ बनाकर शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराती है। इससे सामाजिक न्याय की भावना को बल मिलता है।

8. **गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण-** शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्रीय स्तर पर मानक निर्धारित किए जाते हैं जैसे शिक्षक योग्यता, पाठ्यचर्या ढाँचा, मूल्यांकन प्रणाली आदि। इससे शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण संभव होता है।

9. **प्रभावी प्रशासन एवं समन्वय-** केंद्रीयकृत योजना से विभिन्न राज्यों, संस्थानों और शैक्षिक निकायों के बीच समन्वय स्थापित होता है। इससे नीतियों के क्रियान्वयन में स्पष्टता, एकरूपता और प्रभावशीलता आती है।

10. **गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानकीकरण-** शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्रीय स्तर पर मानक निर्धारित किए जाते हैं जैसे शिक्षक योग्यता, पाठ्यचर्या ढाँचा, मूल्यांकन प्रणाली आदि। इससे शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण संभव होता है।

13.4 विकेंद्रीकृत योजना-

विकेंद्रीकृत योजना वह योजना प्रणाली है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति, नियोजन प्रक्रिया और संसाधनों के उपयोग का अधिकार केंद्रीय स्तर से हटाकर राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, नगर निकाय तथा शैक्षिक संस्थानों जैसे स्थानीय स्तरों को सौंपा जाता है। इस प्रकार की योजना में नीचे से ऊपर (Bottom-up Approach) की अवधारणा पर आधारित नियोजन किया जाता है।

विकेंद्रीकृत योजना का मूल सिद्धांत यह है कि इस व्यवस्था में स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को स्थानीय लोग ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अतः शिक्षा से संबंधित सभी योजनाएँ स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक स्थिति और संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में यह विद्यालय, समुदाय, पंचायत, नगर पालिका और जिला स्तर पर सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करती है।

विकेन्द्रीकृत योजना का अर्थ-

विकेन्द्रीकृत योजना वह व्यवस्था है जिसमें शिक्षा से सम्बंधित समस्त योजना निर्माण, निर्णय-निर्माण और क्रियान्वयन की शक्ति केंद्रीय स्तर से हटाकर राज्य, जिला, स्थानीय निकाय, पंचायत, विद्यालय तथा समुदाय स्तर को प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षा व्यवस्था में स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों, समस्याओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनाई जाती हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण का अर्थ है- "शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना वह प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक नियोजन की शक्ति और उत्तरदायित्व स्थानीय स्तर को सौंपे जाते हैं, ताकि शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाया जा सके।"

13.4.1 विकेन्द्रीकृत योजना के उद्देश्य-

शिक्षा जैसे व्यापक और विविधता-पूर्ण क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी, सहभागी और उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजना निर्माण-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा से सम्बंधित सभी प्रकार की योजनाएँ स्थानीय सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाई जा सकें। क्योंकी प्रत्येक क्षेत्र की शैक्षिक समस्याएँ अलग होती हैं कहीं शिक्षकों की कमी, कहीं विद्यालयों की दूरी, तो कहीं बालिकाओं की शिक्षा की समस्या। स्थानीय स्तर पर योजना बनने से इन विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान संभव होता है।

2. **समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना का उद्देश्य अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायतों, स्थानीय निकायों तथा समुदाय को योजना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना है। इससे योजनाओं के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित होती है और उनके सफल क्रियान्वयन की संभावना बढ़ती है।

3. **लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है। निर्णय लेने की शक्ति जब नीचे के स्तरों तक पहुँचती है, तो यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाती है।

4. **त्वरित निर्णय एवं प्रभावी क्रियान्वयन-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना में स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने से प्रशासनिक विलंब कम होता है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जा सकता है, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी एवं समयबद्ध बनता है।

5. **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को अपनाने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस प्रणाली में शिक्षक भी नवाचार एवं प्रयोग के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं।

6. **समानता एवं समावेशन को प्रोत्साहन-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना का उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों, बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष योजनाएँ बनाना है।

7. **नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा देना-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना में स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण से शिक्षा व्यवस्था में नवाचार, प्रयोग एवं लचीलापन बढ़ता है। जिससे विद्यालय और शिक्षक अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई शिक्षण रणनीतियाँ अपना सकते हैं।

8. **केंद्र, राज्य तथा स्थानीय समन्वय को सुदृढ़ करना-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों केंद्र, राज्य, जिला और विद्यालय के बीच उचित एवं प्रभावी समन्वय एवं सहयोग को मजबूत बनाना है।

9. **जवाबदेही एवं पारदर्शिता में वृद्धि-** शिक्षा की विकेन्द्रीकृत प्रणाली में जब योजना निर्माण और क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर होता है, तो जवाबदेही बढ़ती है। स्थानीय समुदाय सीधे निगरानी करता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

अतः शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा को जन-आधारित, आवश्यकता-आधारित और गुणवत्ता-केंद्रित बनाना है। यह योजना स्थानीय स्वशासन, सामाजिक सहभागिता और समावेशी विकास को सशक्त बनाकर शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं टिकाऊ बनाती है।

13.4.2 शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता-

भारत जैसे विशाल, विविधताओं से भरे देश में एक समान केंद्रीय योजना सभी क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। हमारे देश में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण शिक्षा के क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. **क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखने हेतु आवश्यक-** भारत में प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। पहाड़ी, आदिवासी और दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी, शिक्षकों की कमी और आधारभूत सुविधाओं की समस्याए अलग-अलग प्रकार की होती है, जबकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं। विकेन्द्रीकृत योजना स्थानीय निकायों और विद्यालयों को स्वतंत्रता देती है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण, संसाधन वितरण और विशेष योजनाएँ लागू करें। इससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक, प्रभावी और समावेशी बनती है तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सही समाधान संभव होता है।

2. **स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक-** स्थानीय स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ जैसे शिक्षक अनुपस्थिति, विद्यालय भवन की मरम्मत, छात्र नामांकन में कमी या ड्रॉपआउट, केंद्रीय स्तर से तुरंत हल नहीं हो पातीं। विकेन्द्रीकृत योजना से निर्णय लेने और संसाधन आवंटन की शक्ति स्थानीय निकायों को मिलने से इन समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होता है। स्थानीय अधिकारी और विद्यालय प्रबंधन तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे शिक्षा प्रक्रिया बाधारहित चलती है। यह प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता, उत्तरदायित्व और प्रभावशीलता बढ़ाती है और समय पर समस्या समाधान सुनिश्चित करती है।

3. **जन-सहभागिता और सामुदायिक सहयोग हेतु आवश्यक-** शिक्षा की सफलता में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से माता-पिता, स्थानीय प्रतिनिधि, शिक्षक और स्वयंसेवी संगठन योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल होते हैं। इससे शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक स्वीकृति सुनिश्चित होती है। समुदाय की भागीदारी से विद्यालयों की समस्याओं को पहचानना और उनका समाधान करना सरल हो जाता है। इसके अलावा, स्थानीय सहयोग से छात्र नामांकन बढ़ता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है और योजना अधिक सहभागी, उत्तरदायी और प्रभावी बनती है।

4. **संसाधनों के प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग हेतु आवश्यक-** विकेन्द्रीकृत योजना से मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का स्थानीय स्तर पर सही और न्यायसंगत उपयोग संभव होता है। स्थानीय निकाय और विद्यालय प्रबंधन बेहतर जानते हैं कि किस क्षेत्र या विद्यालय को अधिक शिक्षक, कक्षा-कक्ष या शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है और उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है। आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय करने से पिछड़े और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों तक संसाधन पहुँच पाते हैं। इस प्रकार, विकेन्द्रीकृत योजना से शिक्षा प्रणाली अधिक उत्तम, संतुलित और परिणाममुखी बनती है।

5. **विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा की गुणवत्ता हेतु आवश्यक-** विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय स्तर पर निगरानी और नियंत्रण से शिक्षक अपनी जिम्मेदारी और कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। यह योजना विद्यार्थियों की वास्तविक सीखने की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण-प्रक्रिया को ढालने की सुविधा देती है। स्थानीय निकाय और विद्यालय प्रबंधन विशेष पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और अतिरिक्त कार्यक्रम लागू कर सकते हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। इस तरह, विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा प्रणाली को अधिक उत्तरदायी, गुणवत्ता-केंद्रित और समावेशी बनाती है।

6. **पिछड़े और वंचित वर्गों की शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक-** भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, बालिकाएँ और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में असमानताएँ हैं। विकेन्द्रीकृत योजना से स्थानीय निकाय और विद्यालय प्रबंधन इन वर्गों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम और संसाधन लागू कर सकते हैं। इससे शिक्षा में समावेशिता, समान अवसर और न्याय सुनिश्चित होता है। स्थानीय स्तर पर निगरानी और सहभागिता के कारण पिछड़े और वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुँच बढ़ती है और उनका शैक्षिक विकास प्रभावी रूप से होता है।

इस प्रकार शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता इसलिए है ताकि शिक्षा व्यवस्था लचीली, सहभागी, उत्तरदायी और आवश्यकता-आधारित बन सके। यह न केवल प्रशासनिक सुधार लाती है, बल्कि शिक्षा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुँचाने का सशक्त माध्यम है।

13.4.3 शिक्षा की विकेन्द्रीकृत योजना का महत्व-

विकेन्द्रीकृत योजना स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है। शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारत के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा की समस्याएँ अलग-अलग हैं। आदिवासी और दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी, शिक्षक-संकट और आधारभूत संरचनाओं की कमी जैसी समस्याएँ होती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में छात्रसंख्या

अधिक होने और संसाधनों की असमानता जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह कुछ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग योजनाएँ आवश्यक होती हैं। स्थानीय निकाय और विद्यालय प्रबंधन इन विशेष आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार योजनाओं का निर्माण किया जाता हैं। विकेन्द्रीकृत योजना स्थानीय निकायों को यह स्वतंत्रता देती है कि वे अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों को अनुकूलित कर सकें।

- विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से शिक्षा से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होता है। केंद्रीय स्तर से सभी समस्याओं का समाधान समय-साध्य और जटिल होता है, जिससे कार्यों में विलंब होता है। शिक्षक अनुपस्थिति, विद्यालय भवन की मरम्मत, छात्र नामांकन में कमी या ड्रॉपआउट जैसी समस्याओं का शीघ्र समाधान स्थानीय निकाय और विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया जा सकता है। यह न केवल शिक्षा प्रक्रिया को निरंतर और बाधारहित बनाता है बल्कि स्थानीय अधिकारियों और शिक्षकों में जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ाता है।

- विकेन्द्रीकृत योजना का एक अन्य प्रमुख महत्व यह है कि यह सामुदायिक सहभागिता को सशक्त बनाती है। शिक्षा केवल सरकार का कार्य नहीं है; इसे सफल बनाने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी का होना अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के माध्यम से माता-पिता, शिक्षक, स्थानीय प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन योजना निर्माण और क्रियान्वयन में शामिल होते हैं। इससे न केवल विद्यालयों की समस्याओं की पहचान और उनका समाधान आसान होता है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, सामाजिक स्वीकृति और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। सामुदायिक सहभागिता से छात्र नामांकन बढ़ता है, विद्यालयों की निगरानी अधिक प्रभावी होती है और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होता है।

- विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से संसाधनों का प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग भी सुनिश्चित होता है। स्थानीय निकाय और विद्यालय प्रबंधन बेहतर जानते हैं कि किस क्षेत्र या विद्यालय को कितने शिक्षक, कक्षा-कक्ष या शिक्षण सामग्री की आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय होने से संसाधनों की बर्बादी कम होती है और उनकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित होती है। विशेष रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के बच्चों तक संसाधनों की पहुँच बढ़ती है। इस प्रकार, योजना शिक्षा को अधिक संतुलित और परिणाममुखी बनाती है।

- विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता में सुधार लाती है। स्थानीय नियंत्रण और निगरानी से शिक्षकों की कार्यक्षमता और जिम्मेदारी बढ़ती है। विद्यार्थी की वास्तविक सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ तैयार की जा सकती हैं। इसके साथ ही पिछड़े और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम लागू कर शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। यह योजना शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, गुणवत्ता-केंद्रित और समावेशी बनाती है।

- विकेन्द्रीकृत योजना नवाचार और लचीलापन भी सुनिश्चित करती है। स्थानीय निकायों को योजना बनाने और क्रियान्वयन में स्वतंत्रता मिलने से वे स्थानीय आवश्यकताओं, भाषा और संस्कृति के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और कार्यक्रम अनुकूलित कर सकते हैं। इससे शिक्षा प्रणाली में नवीनता आती है और सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।

- विकेन्द्रीकृत योजना लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदारी के विकास में भी सहायक है। स्थानीय निर्णय प्रक्रिया नागरिकों में सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सामाजिक जागरूकता बढ़ाती है। यह स्वशासन और लोकतांत्रिक चेतना का विकास करती है।

- विकेन्द्रीकृत योजना राष्ट्रीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक होती है। NEP 2020 जैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का सफल कार्यान्वयन तभी संभव है जब उनका स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुपालन हो। विकेन्द्रीकृत योजना इन्हें अधिक प्रभावशील और परिणाममुखी बनाती है।

अतः विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा प्रणाली को उत्तरदायी, सहभागी, गुणवत्ता-केंद्रित और समावेशी बनाती है। यह शिक्षा में स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान, संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, नवाचार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास को सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, विकेन्द्रीकृत योजना शिक्षा के सतत विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

13.5 अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

प्रश्न सं1- **केन्द्रीकृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

(a) स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना (b) शिक्षा में एकरूपता और समानता स्थापित करना

(c) विद्यालयों को पूर्ण स्वतंत्रता देना (d) समुदाय को योजना से बाहर रखना

प्रश्न सं.2- **'Bottom-up approach' किस योजना से संबंधित है?**

(a) केन्द्रीकृत योजना (b) विकेन्द्रीकृत योजना

(c) मिश्रित योजना (d) निजी योजना

सही गलत का चयन करें-

प्रश्न सं.3- केंद्रीकृत योजना शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने में सहायक होती है।

प्रश्न सं.4- केन्द्रीकृत योजना में शैक्षिक निर्णय केंद्रीय अथवा शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं।

13.6 सारांश (Summary)

शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में योजना निर्माण का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा को समान, प्रभावी और गुणवत्ता केंद्रित रूप में पहुँचाना होता है। इस संदर्भ में दो प्रकार की योजनाएँ प्रमुख रूप से प्रचलित हैं केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत योजना। केन्द्रीकृत योजना वह प्रक्रिया है जिसमें सभी

निर्णय, योजना निर्माण, संसाधनों का वितरण और क्रियान्वयन केवल केंद्रीय या उच्च प्रशासनिक स्तर पर किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में एकरूपता, समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। यह योजना विशेष रूप से पिछड़े और दूरदराज़ क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि केंद्रीय स्तर से अतिरिक्त संसाधन, शिक्षक और वित्तीय सहायता प्रदान करके असमानताओं को कम किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षा में मानक स्थापित करना, नीति और कार्यक्रमों का समग्र नियंत्रण और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का सामंजस्य सुनिश्चित करना संभव होता है। इसके महत्व में यह शामिल है कि यह योजना देशभर में शिक्षा की समान दिशा तय करती है, दूरदराज़ क्षेत्रों तक संसाधन पहुँचाती है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, बालिकाओं और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएँ लागू कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है।

तथा वहीँ विकेन्द्रीकृत योजना में निर्णय लेने और योजना क्रियान्वयन की शक्ति स्थानीय स्तर जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और विद्यालय तक सौंपी जाती है। इसका उद्देश्य शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रभावी, सहभागी और उत्तरदायी बनाना है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में यह योजना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। विकेन्द्रीकृत योजना स्थानीय समस्याओं जैसे शिक्षक अनुपस्थिति, विद्यालय भवन की मरम्मत, छात्र नामांकन में कमी और ड्रॉपआउट का त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से स्थानीय निकाय, विद्यालय प्रबंधन और समुदाय शिक्षा प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, नवाचार और लचीलापन लाने, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निर्णय प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वशासन और जिम्मेदारी के विकास में योगदान देती है।

6.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर- (Answer of practice questions)

उत्तर.1- (b) शिक्षा में एकरूपता और समानता स्थापित करना

उत्तर.2- (b) विकेन्द्रीकृत योजना

उत्तर.3- सही

उत्तर.4- सही

6.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (References)

- तोमर, गजेन्द्र.सिंह. (2017), विद्यालय संगठन एवं प्रबंधन.मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
- शर्मा, आर.ए. (2006), शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन.
- सुखिया, एस.पी. (2006), विद्यालय प्रशासन एवं संगठन, आगरा. विनोद पुस्तक भंडार.
- भटनागर, आर.पी. एवं अग्रवाल, विद्या. (1998), शैक्षिक प्रशासन, मेरठ, लायल बुक डीपो.
- सिंह,आर.पी. (2010), शैक्षिक प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन, आगरा. साहित्य प्रकाशन.

6.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Question)

प्रश्न.1- केंद्रीकृत योजना से आप क्या समझते हैं? केंद्रीकृत योजना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिये।

प्रश्न.2- केंद्रीकृत योजना की आवश्यकता एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

प्रश्न.3- विकेन्द्रीकृत योजना क्या हैं? विकेन्द्रीकृत योजना के महत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिये

प्रश्न.4- विकेन्द्रीकृत योजना के उद्देश्यों एवं आवश्यकता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।

इकाई 14. भारत में केन्द्रिय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा संस्थागत स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया

Unit 14. Process of Educational planning in India at Center, state, District and Institution level

14. प्रस्तावना-

14.1 उद्देश्य-

14.2 शैक्षिक नियोजन

- **14.2.1 शैक्षिक नियोजन की मुख्य विशेषताएँ**
- **14.2.2 भारत में शैक्षिक नियोजन के स्तर**

14.3 केन्द्रिय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना

- **14.3.1 शैक्षिक प्रशासन में केंद्र के प्रमुख कार्य**

14.4 राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया

14.5 अभ्यास प्रश्न

14.6 जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन

14.7 जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन की संस्थागत संरचना

- **14.7.1 जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)**
- **14.7.2 जिला परियोजना समन्वयक (Samagra Shiksha)**
- **14.7.3 खंड / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO)**
- **14.7.4 सर्व शिक्षा/समग्र शिक्षा अभियान का संचालन DMC (District Mission Coordinator)**
- **14.7.5 DIETs की संरचना, कार्य और प्रक्रियाएँ**
- **14.7.6 DIETs निम्नलिखित माध्यम से स्कूल सुधार का कार्य करते हैं**
- **14.7.7 बीआरसी और सीआरसी की संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं**
- **14.7.8 बीआरसी और सीआरसी के प्रमुख अकादमिक कार्य**

14.8 संस्थागत स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया

- **14.8.1 संस्थागत नियोजन : अर्थ और परिभाषाएँ**
- **14.8.2 संस्थागत योजना के उद्देश्य**

14.9 साराशं

14.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

14.11 संदर्भ सूची

14.12 निबन्धात्मक प्रश्न

14. प्रस्तावना-

भारत में शैक्षिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, संभावनाओं, आवश्यकताओं और नीतिगत दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समग्र शैक्षिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण, संचालन एवं मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक नियोजन का मूल उद्देश्य शिक्षा के अधिकार एवं अवसरों का लोकतांत्रिक विस्तार करना, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, संसाधनों का समुचित वितरण करना तथा शिक्षा प्रणाली को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनशीलता के अनुरूप बनाना है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शैक्षिक नियोजन बहु-स्तरीय ढाँचे पर आधारित है, जिसमें केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर तथा संस्थागत स्तर सभी की अपनी विशिष्ट भूमिका एवं प्रक्रिया होती है।
शैक्षिक प्रशासन संसाधनों, कार्यों और संचार के प्रबंधन का अध्ययन और अभ्यास है। इक्कीसवीं सदी प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा शैक्षिक प्रशासन के परिष्कार का युग है। भारत में, शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए पिछले एक दशक में जिला स्तर और विद्यालयों के बीच कई संस्थागत ढाँचे स्थापित किए गए हैं। केंद्र स्तर पर 26 सितंबर, 1985 को एक सुझावात्मक नाम, अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के अंतर्गत एक नया मंत्रालय बनाया गया। प्रशासन से संबंधित प्रमुख संस्थागत ढाँचे क्लस्टर संसाधन केंद्र, ब्लॉक संसाधन केंद्र और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं।

समग्र राष्ट्र को शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए संसाधन जुटाने चाहिए और इस कार्य में केंद्र और राज्यों को पूरक भूमिकाएँ निभानी चाहिए और वास्तविक रूप से समझदार साझेदार बनना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सच्ची साझेदारी की भावना के साथ घनिष्ठ और निरंतर परामर्श हो। केंद्र और राज्यों के सहयोग के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री) ने कहा था कि, "शिक्षा निश्चित रूप से राज्य का विषय है और केंद्र कभी भी इसमें हस्तक्षेप करने में विश्वास नहीं करता। लेकिन केंद्र यह कहकर चुप भी नहीं बैठ सकता कि उसकी ज़िम्मेदारी खत्म हो गई। केंद्र सलाह दे सकता है, मदद कर सकता है और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रयास कर सकता है।" समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार और योजनाओं की पूर्ति का लक्ष्य पूरे देश में शिक्षा के समान उच्च स्तर को सुनिश्चित करना है।

14.1 उद्देश्य-

इस इकाई के अध्ययन के बाद शिक्षार्थी –

- भारत में शैक्षिक नियोजन की विभिन्न स्तरों की संरचना तथा शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- भारत में केन्द्रिय स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया का बोध कर सकेंगे।
- भारत में राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया का अध्ययन कर सकेंगे।

- जिला स्तर तथा संस्थागत स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- डायड, बीआरसी, सीआरसी के कार्यो से परिचित हो सकेंगे।

14.2 शैक्षिक नियोजन

भारत में शैक्षिक नियोजन की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध आर्थिक विकास की आवश्यकता से हुई। पंचवर्षीय योजनाओं, कोठारी आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986 तथा 2020) और विभिन्न संशोधनों ने शैक्षिक नियोजन को व्यवस्थित रूप दिया। शैक्षिक नियोजन का दार्शनिक आधार यह मानता है कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नयन का साधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का मुख्य उपकरण है। इसलिए शिक्षा में निवेश को सामाजिक पूँजी निर्माण के रूप में देखा जाता है।

14.2.1 शैक्षिक नियोजन की मुख्य विशेषताएँ —

1. लक्ष्य केंद्रित एवं नीतिनिष्ठ प्रक्रिया।
2. संसाधनों एवं आवश्यकताओं का विश्लेषण आधार।
3. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों प्रकार की योजनाएँ।
4. विकेंद्रीकरण एवं सहभागिता आधारित व्यवस्था।
5. सतत मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आधारित सुधार।
6. आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं का समायोजन।

इसके अंतर्गत नियोजन केवल व्यवस्था-निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि कार्यान्वयन, निरीक्षण, गुणवत्ता सुधार, नवाचार प्रोत्साहन और परिणाम समीक्षा भी इसके अभिन्न घटक हैं।

14.2.2 भारत में शैक्षिक नियोजन के स्तर

भारत में शैक्षिक नियोजन का ढाँचा चार मुख्य स्तरों में विभाजित है :

1. **केंद्रीय स्तर** – नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन, राष्ट्रीय योजनाएँ।
2. **राज्य स्तर** – राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार योजना विस्तार।
3. **जिला स्तर** – स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्वयन।
4. **संस्थागत स्तर** – विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर योजना क्रियान्वयन।

इन सभी स्तरों के बीच समन्वय जितना प्रभावी होता है, शैक्षिक विकास उतना अधिक सफल रूप लेता है।

14.3 केन्द्रिय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना-

भारत में शिक्षा-प्रशासन का केन्द्रीय संगठन शिक्षा मंत्रालय है। भारत सरकार की शासन-व्यवस्था अर्ध-संघीय स्वरूप की होने के कारण, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें संयुक्त रूप से देश में शिक्षा के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इसी कारण विभिन्न विभागों एवं उपविभागों के प्रभावी संचालन हेतु पृथक मंत्रालयों एवं शैक्षिक इकाइयों की स्थापना की गई है।

शैक्षिक नीतियों के निर्माण एवं नियोजन की सर्वोच्च जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग सम्मिलित हैं। इस मंत्रालय को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जो एक राष्ट्रीय स्तर की उच्च-स्तरीय सलाहकार संस्था है। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इस बोर्ड के सदस्य होते हैं, जिससे राष्ट्रीय शैक्षिक निर्णयों में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।

मंत्रालय के अधीन दो प्रमुख विभाग क्रियाशील हैं—

1. **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**
2. **उच्च शिक्षा विभाग**

1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

इस विभाग के अंतर्गत निम्न प्रमुख उप-विभाग आते हैं—

1. प्रारंभिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा

क. प्रारंभिक शिक्षा

पूर्व-प्राथमिक स्तर (0–6 वर्ष) के अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) तथा एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसे कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालवाड़ी, आंगनवाड़ी तथा डे-केयर केंद्रों का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा विविध गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन में विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को सुदृढ़ करते हुए देश के अनेक क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियाँ (VECs) गठित की गई हैं। ये समितियाँ विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करने, विद्यालयीय कार्यप्रणाली की निगरानी करने, शिक्षकों की उपस्थिति पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के संकलन हेतु उत्तरदायी हैं। इस प्रकार शिक्षा-प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

ख. माध्यमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS), नई दिल्ली केंद्रीय विद्यालयों का संचालन करता है, जबकि नवोदय विद्यालय समिति (NVS), नई दिल्ली जवाहर नवोदय विद्यालयों का संचालन करती है। माध्यमिक स्तर की परीक्षा एवं संबद्धन संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली द्वारा किया जाता है, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। यह बोर्ड संबद्धन, पाठ्यचर्या निर्माण, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने हेतु नवाचारों एवं सुधारों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है।

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छह उप श्रेणियां हैं-

1. विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा
2. तकनीकी शिक्षा
3. पुस्तक प्रचार और कॉपीराइट
4. छात्रवृत्ति
5. भाषाएँ
6. अल्पसंख्यक शिक्षा

निम्नलिखित निकाय राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण बनाए रखते हैं और मानक निर्धारित करते हैं।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
- भारतीय चिकित्सा परिषद
- भारतीय कृषि अनुसंधान और विकास परिषद
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

14.3.1 शैक्षिक प्रशासन में केंद्र के प्रमुख कार्य-

शैक्षिक प्रशासन को एक समग्र प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक सभी उत्तरदायित्व एवं दायित्वपूर्ण गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं। यह शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के विविध घटकों—जैसे शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम एवं सामाजिक-भौतिक परिवेश—का समुचित प्रबंधन एवं सुव्यवस्था सुनिश्चित करता है। इन क्रियाओं के अभाव में विद्यालय की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। प्रस्तुत कार्यों का संक्षिप्त विश्लेषण निम्नानुसार है—

1. **कार्यान्वयन/योजना**: कार्यान्वयन किसी भी संस्थान की आधारशिला का निर्माण करता है। यह न केवल आवश्यक संसाधनों की पहचान करता है, बल्कि उनके स्रोतों का भी निर्धारण करता है। इन संसाधनों में भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ जैसे भौतिक संसाधन;

कार्मिक जैसे मानव संसाधन; तथा छात्र–अभिभावक जैसे हितधारक सम्मिलित होते हैं। साथ ही दृष्टि, मिशन-वक्तव्य, विचारधारा एवं मूल्य जैसे अमूर्त संसाधन भी इस श्रेणी में आते हैं।

2. **संगठन**: संगठन उत्तम प्रशासन का एक अनिवार्य अंग है। विद्यालय की प्रभावशीलता एवं दक्षता संगठनात्मक संरचना की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। संगठन के मूल तत्वों में मानवबल, उनके कार्य, कार्य-वितरण तथा परस्पर समन्वित कार्यप्रणालियाँ शामिल हैं।
3. **निर्देशन**: शैक्षिक प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम निर्माण एवं शैक्षणिक योजना के अनुरूप निर्देशों का पालन हो। निर्देशन प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें निर्देश एवं आदेशों के माध्यम से कार्य-संपादन कराया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण, प्रेरणा, संचार, नेतृत्व, जवाबदेही निर्धारण तथा कार्य हेतु उपयुक्त दिशानिर्देशों का विकास शामिल है।
4. **नियंत्रण**: नियंत्रण में कार्य-निष्पादन का मापन एवं पर्यवेक्षण, परिणामों की योजनाओं से तुलना तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई सम्मिलित है। इससे लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा एवं योजनाओं से विचलन की स्पष्ट पहचान होती है।
5. **पर्यवेक्षण**: पर्यवेक्षण इस बात का आश्वासन देता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित निर्देशों के अनुरूप हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप कार्य की गुणवत्ता तथा उपलब्धियों के स्तर में सुधार होता है।
6. **सलाह/प्रोत्साहन**: शैक्षिक प्रशासन कार्य तथा उसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण करता है। यह उन कार्ययोजनाओं पर बल देता है जो कमियों को दूर करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर सकें।
7. **नेतृत्व/सहायता**: शैक्षिक प्रशासन केवल निर्देश प्रदान नहीं करता, बल्कि उद्देश्यों के कुशल एवं प्रभावी निष्पादन हेतु आवश्यक सहयोग एवं संसाधन-सहायता भी उपलब्ध कराता है।

अतः, प्रशासन का मूल दायित्व संसाधनों का प्रबंधन, कार्य-वितरण, निर्णय-निर्माण तथा समस्याओं का समाधान करते हुए शिक्षा-परक प्रक्रियाओं हेतु अनुकूल स्थितियाँ निर्मित और संरक्षित करना है।

14.4 राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया-

राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन इस अवधारणा पर आधारित है कि शिक्षा राज्य का बुनियादी दायित्व है तथा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 21-A तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना राज्यों की अनिवार्य जिम्मेदारी है। इसी के आधार पर राज्य सरकारें उपलब्ध संसाधनों, वित्तीय क्षमता एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करती हैं।

राज्य-स्तरीय नियोजन, केंद्र द्वारा निर्धारित नीतियों को स्थानीय परिस्थितियों—जैसे भाषाई विविधता, जनजातीय क्षेत्रों की विशेष स्थितियाँ, भौगोलिक विशिष्टताएँ, शहरी–ग्रामीण अंतर आदि—के अनुरूप पुनर्संरचित करता है। राज्य स्तर को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग इसलिए माना जाता है क्योंकि यहीं पर राष्ट्रीय नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है। केंद्र की नीतियाँ तभी सफल हो

सकती हैं जब राज्य सरकारें उन्हें क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं समाज–आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप लागू करें।

राज्य स्तरीय शैक्षिक नियोजन का संचालन राज्य शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा निदेशालय, राज्य उच्च शिक्षा आयोग, पाठ्यचर्या समितियाँ, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा विभिन्न परियोजना प्रकोष्ठों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर योजनाएँ बनाता एवं लागू करता है।

राज्य स्तर पर नियोजन एक संगठित, बहु-स्तरीय एवं बहुआयामी प्रशासनिक ढाँचे पर आधारित होता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँ परस्पर समन्वय स्थापित कर शैक्षिक नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन, संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा पाठ्यचर्या विकास का वास्तविक संचालन करती हैं। यह ढाँचा एक सहभागितामूलक एवं विकेन्द्रीकृत प्रणाली का निर्माण करता है, जिसके अंतर्गत नीति-निर्माण, बजट स्वीकृति, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं प्रशासनिक प्रबंधन स्पष्ट अधिकार-क्षेत्रों में संचालित होते हैं।
राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन के प्रमुख घटक-

(1) **राज्य शिक्षा मंत्रालय एवं मंत्री**- राज्य शिक्षा मंत्री शैक्षिक नीतिनिर्माण एवं राजकीय निर्णयों का - सर्वोच्च कार्यकारी अंग होता है। यह विभाग शैक्षिक अधिनियम, अधिसूचनाएँ, बजट प्रस्ताव, नवीन कार्यक्रम एवं योजनाओं के अनुमोदन का दायित्व निभाता है। मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठकों में शिक्षा सुधार, शिक्षक भर्ती, विद्यालय उन्नयन, डिजिटल शिक्षण तथा पाठ्यचर्या विकास जैसे विषयों पर विचारविमर्श किया जाता है।-

(2) **मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव**- राज्य प्रशासन का दायित्व मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव द्वारा वहन किया जाता है। शिक्षा सचिव नीतियों की व्याख्या, बजट आवंटन, नियमावली निर्माण एवं शासकीय आदेश जारी करने हेतु उत्तरदायी होता है। मुख्य सचिव नीतिगत समीक्षा, दीर्घकालिक योजना एवं अंतर-विभागीय समन्वय का संचालन करता है।

(3) **शिक्षा निदेशालय**- राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक, संस्कृत, अल्पसंख्यक एवं उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न निदेशालय कार्यरत होते हैं। निदेशक शिक्षक स्थानांतरण, विद्यालय स्थापना, निरीक्षण व्यवस्था, परीक्षा संचालन, गुणवत्तोन्नयन एवं प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करते हैं। यह स्तर राज्य नीतियों को जिला एवं उपजिला स्तर तक पहुँचाने का प्रमुख सेतु है।-

(4) SCERT: SCERT राज्य का प्रमुख शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। इसकी मुख्य भूमिकाएँ हैं—

- पाठ्यचर्या निर्माण एवं संशोधन
- शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास
- शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार
- शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं का उन्नयन
- पाठ्यपुस्तक एवं अध्ययन सामग्री का प्रकाशन

(5) राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड- यह बोर्ड माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन पद्धति, प्रमाणपत्र निर्गमन तथा पाठ्यचर्या निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

(6) राज्य विश्वविद्यालय आयोग- यह आयोग विश्वविद्यालयों की मान्यता, अनुदान, संकाय विकास, अनुसंधान संवर्धन तथा शैक्षिक मानकों के उन्नयन का प्रबंधन करता है।

(7) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- DIET, CTE, IASE एवं B.Ed. महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री विकास तथा ICT-आधारित प्रशिक्षण का संचालन करते हैं।

(8) परियोजना प्रकोष्ठ एवं विशेष मिशन- समग्र शिक्षा अभियान, बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ, आदिवासी विकास मिशन, डिजिटल शिक्षा इकाई इत्यादि विशेष लक्ष्यों हेतु योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते हैं।

14.5 अभ्यास प्रश्न-

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

प्रश्न 1. भारत में शैक्षिक नियोजन का मूल उद्देश्य शिक्षा के अधिकार एवं अवसरों का __________ विस्तार करना है।

प्रश्न 2. राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का प्रमुख संगठन __________ कहलाता है।

प्रश्न3. केंद्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा से संबंधित दो विभाग हैं—स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा __________ विभाग।

सत्य/असत्य बताइये।

प्रश्न 4. भारत में शिक्षा का प्रशासन केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है।

प्रश्न 5. राज्य शिक्षा विभाग राष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक रूप प्रदान करता है।

14.6 जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन-

14.7 जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन की संस्थागत संरचना-

जिला स्तर पर निम्न एजेंसियाँ एवं अधिकारी योजना निर्माण व क्रियान्वयन में भूमिका निभाते हैं तथा इन संस्थाओं के सहयोग से जिला शिक्षा प्रणाली संचालित होती है —

संस्था पद /	मुख्य कार्य
जिला शिक्षा अधिकारी)DEO)	जिला शिक्षा प्रशासन का नेतृत्व
जिला परियोजना समन्वयक)Samagra Shiksha)	योजनाओं का क्रियान्वयन, फंड प्रबंधन
खंड) ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /BEO)	ब्लॉक स्तर निगरानी
DMC (District Mission Coordinator)	सर्व शिक्षासमग्र शिक्षा अभियान का संचालन/
DIET	शिक्षक प्रशिक्षण एवं शोध कार्य
SMC/SDMC	विद्यालय स्तरीय-प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता

14.7.1 जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)-

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) जिले में संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था का प्रमुख प्रशासक होता है। वह शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए शिक्षकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों तथा आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान, मार्गदर्शन और सुनवाई सुनिश्चित करता है। जिले में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के सभी प्रशासनिक दायित्व डीईओ के कार्यालय से संबद्ध होते हैं। प्रत्येक जिले में सामान्यतः तीन जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें माध्यमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक स्तर के बालक/बालिका विद्यालयों के लिए पृथक डीईओ होते हैं। डीईओ का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और वे जिला स्तर के सबसे सक्रिय एवं व्यापक रूप से नियुक्त अधिकारी माने जाते हैं।

डीईओ को यह सुनिश्चित करने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार जिले के प्रत्येक विद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें जिले के सभी प्रधानाध्यापकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करनी होती हैं, ताकि विद्यालयों की प्रगति से अवगत रहने के साथ-साथ वे प्रधानाध्यापकों को उनके उत्तरदायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु प्रेरित व मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। इसके

अलावा, डीईओ निजी विद्यालयों के पंजीकरण एवं निरीक्षण, वित्तीय भुगतानों से संबंधित बिलों की जाँच, बजट प्रस्ताव तैयार करने, जिला स्तरीय विकास कार्यक्रमों का निर्माण, विद्यालय भवनों के रखरखाव की निगरानी, निर्धारित पाठ्यक्रम के समयबद्ध पूर्ण होने की सुनिश्चितता तथा विधानसभा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।

14.7.2 जिला परियोजना समन्वयक (Samagra Shiksha)-

समग्र शिक्षा अभियान भारत सरकार की एकीकृत शैक्षिक योजना है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक से लेकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता, समानता तथा उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के जिला स्तरीय संचालन, समन्वय, वित्तीय प्रबंधन, निरीक्षण, निगरानी और प्रगति-रिपोर्टिंग की प्रमुख जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक (District Project Coordinator–DPC) को सौंपे गई है। DPC जिले में संचालित सभी शैक्षिक कार्यक्रमों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा शिक्षा विभाग, राज्य परियोजना कार्यालय और केंद्र सरकार के मध्य सुदृढ़ संपर्क-स्रोत के रूप में कार्य करता है।

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा प्रशासन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। वह राज्य परियोजना कार्यालय तथा ब्लॉक/क्लस्टर स्तर की संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ विद्यालयी संसाधनों, शिक्षक-प्रशिक्षण, छात्र-नामांकन, अधिगम स्तर, आधारभूत संरचना और नवाचारों की व्यापक निगरानी भी करता है। जिले में शिक्षा की गुणवत्ता तथा कवरेज में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया का नेतृत्व करना उसकी प्राथमिक भूमिका है।

समग्र शिक्षा अभियान के सफल संचालन हेतु जिला परियोजना समन्वयक योजनागत, प्रशासनिक तथा शैक्षणिक—तीनों स्तरों पर सक्रिय दायित्व निभाता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि योजना के सभी घटक, प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक, जिले के प्रत्येक विद्यालय में प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। इस संदर्भ में उसका एक महत्वपूर्ण कार्य वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) का निर्माण है। DPC ब्लॉक और क्लस्टर स्तर से प्राप्त तथ्यों के आधार पर जिले की आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है, प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है तथा एक व्यावहारिक और क्रियाशील कार्ययोजना तैयार कर राज्य स्तर पर प्रस्तुत करता है।

14.7.3 खंड / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO)-

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) जिला शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। यह अधिकारी जिले के अंतर्गत आने वाले किसी निर्धारित खंड या ब्लॉक की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों का निर्देशन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करता है। BEO एक ओर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) तथा जिला परियोजना समन्वयक (DPC–Samagra Shiksha) के निर्देशों को अमल में लाता है, तो दूसरी ओर स्कूलों, शिक्षकों और समुदाय के साथ समन्वय स्थापित कर ब्लॉक में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर

बनाने का कार्य करता है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ब्लॉक स्तर की शिक्षा प्रणाली का केन्द्रीय संचालनकर्ता माना जाता है। उसके नेतृत्व में स्कूलों की शिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ संचालित होती हैं। शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षक-समर्थन, विद्यालय निरीक्षण और गुणवत्ता उन्नयन जैसे कार्यों के माध्यम से वह सुनिश्चित करता है कि ब्लॉक के प्रत्येक छात्र को सुरक्षित, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो।

प्रशासनिक दृष्टि से, BEO विद्यालयों में शिक्षक-उपस्थिति, कार्य-वितरण, अनुशासन, सेवा-संबंधी प्रक्रियाओं और शासनादेशों के अनुपालन पर निगरानी रखता है। शैक्षिक स्तर पर वह कक्षा शिक्षण का अवलोकन करता है, शिक्षकों को शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है और लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षा को लागू करने के लिए BRC तथा CRC के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करवाता है। विद्यालय निरीक्षण उसकी नियमित जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान वह उपस्थिति रजिस्टर, मध्याह्न भोजन, शिक्षण-सामग्री, अवसंरचना, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करता है तथा सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है। सरकारी योजनाओं—जैसे समग्र शिक्षा अभियान, छात्रवृत्तियाँ, DBT, RTE, KGBV, नामांकन अभियान आदि—का सुचारु क्रियान्वयन भी उसी के निर्देशन में होता है।

सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना BEO की एक अन्य प्रमुख भूमिका है। वह SMC/SDMC के प्रशिक्षण, अभिभावक–शिक्षक बैठकों को सक्रिय बनाने तथा स्कूल विकास योजना तैयार करने में समुदाय को शामिल करने का कार्य करता है। साथ ही, UDISE+ सहित अन्य शैक्षणिक डेटा का संकलन, सत्यापन और रिपोर्टिंग भी उसके प्रशासनिक दायित्वों का महत्वपूर्ण भाग है।

14.7.4 सर्व शिक्षा/समग्र शिक्षा अभियान का संचालन DMC (District Mission Coordinator)

समग्र शिक्षा अभियान का संचालन केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचे के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा से जुड़े सभी कार्यों का समन्वित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है।

- जिला स्तर पर अभियान का संचालन जिला परियोजना कार्यालय (DPO) करता है।
- जिला शिक्षा समिति तथा जिला कार्यबल शैक्षिक गतिविधियों, सर्वेक्षण, निगरानी और संसाधन वितरण का कार्य संभालते हैं।
- विद्यालयों तक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी इसी स्तर की होती है।

14.7.5 DIETs की संरचना, कार्य और प्रक्रियाएँ

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या जिन्हें आमतौर पर DIET के नाम से जाना जाता है: इन्हें पूरे जिले में शैक्षणिक गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर एक नोडल एजेंसी माना जाता है। DIET के कुछ प्रमुख कार्य हैं:

- यह शिक्षकों की आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद जिले के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाता है।
- यह शिक्षकों, बीआरसी एवं सीआरसी समन्वयकों और स्कूल निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- यह कार्रवाई अनुसंधान अध्ययन आयोजित करता है और सुधारात्मक उपाय करता है।
- यह स्कूलों में बीआरसी और सीआरसी समन्वयकों और शिक्षकों को संसाधन सहायता प्रदान करता है।
- यह शिक्षकों और संसाधन समन्वयकों के ब्लॉक और क्लस्टर स्तर के प्रदर्शन की समीक्षा करता है।
- यह जिले में शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करता है और सभी स्तरों पर गुणात्मक हस्तक्षेप की योजना बनाता है।

14.7.6 DIETs निम्नलिखित माध्यम से स्कूल सुधार का कार्य करते हैं :

- **विद्यालय सुधार योजना का अवलोकन और समन्वय** - DIET ब्लॉक और संकुल कर्मियों के कार्य-निष्पादन का पर्यवेक्षण करेगा और अपने जिले में चुने गए विशिष्ट दृष्टिकोणों का मार्गदर्शन करेगा। वे चुने गए दृष्टिकोण के अनुसार विद्यालय सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए BRC को सहयोग प्रदान करेंगे।
- **प्रशिक्षण की रूपरेखा और वितरण** - DIET को BRC-CRC के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाएगा ताकि प्रशिक्षण की रूपरेखा और वितरण शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप हो। इस आवश्यकता को DIET, BRC प्रशिक्षण समन्वय इकाई, CRP, विशेषज्ञ समूहों और शिक्षकों द्वारा सहयोगात्मक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षक को राज्य द्वारा पूरी तरह से तय किए गए एक-आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण के बजाय प्रशिक्षण की खोज, चिंतन और मांग करने की आवश्यकता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक (BRCC) और क्लस्टर संसाधन व्यक्ति (CRP) प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और मास्टर संसाधन व्यक्तियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ सत्रों को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण स्थल अलग-अलग हो सकते हैं। प्रशिक्षण DIET या ब्लॉक या क्लस्टर या स्कूल के भीतर हो सकता है। यह DIET और ब्लॉक के बीच मजबूत संबंध बनाएगा और दोतरफा संचार भी सुनिश्चित करेगा।
- **विशेषज्ञों का डेटाबेस** - DIET एक नोडल केंद्र बन सकता है जो ज़िला, ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर उपलब्ध विशेषज्ञों का डेटाबेस बनाए रखता है, जिन्हें समय-समय पर बुलाया जा सकता है। इसलिए, DIET स्तर पर एक प्रशासनिक समन्वयक की आवश्यकता है जो BRC के साथ मिलकर विभिन्न स्थलों पर प्रशिक्षणों के समन्वय और संचालन में मदद करेगा और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ नेटवर्क भी बनाएगा।
- **मास्टर रिसोर्स पर्सन (एमआरपी) पूल का विकास** - विषय विशेषज्ञता, शैक्षणिक विचारों और कार्य-संबंधी कौशल के प्रशिक्षण के माध्यम से एमआरपी पूल को पोषित करने की आवश्यकता है। डीआईईटी जिला स्तर पर ऐसे एमआरपी पूल को मजबूत करने में भूमिका निभा सकते हैं।

- **जिले के लिए संसाधन केंद्र** - बीआरसी के समान, ब्लॉक में ज्ञान संसाधन केंद्र बनकर, डीआईईटी में पूरे जिले के लिए शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, छात्रों, संसाधन व्यक्तियों और संसाधन समूहों के लिए सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है।
- **मानव प्रबंधन प्रशिक्षण** - DIET मानव प्रबंधन पेशेवरों (HMs) के लिए डिज़ाइन किए गए प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। ये प्रशिक्षण शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षणों से अलग होंगे।

14.7.7 बीआरसी और सीआरसी की संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं-

प्रत्येक ब्लॉक में कई क्लस्टर संसाधन केंद्र (CRC) स्थापित होते हैं, और प्रत्येक CRC अपने आसपास के सुगम पहुँच वाले विद्यालयों के एक समूह को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करता है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) का संचालन BRC सह-समन्वयक करते हैं, जबकि क्लस्टर स्तर पर CRC का नेतृत्व क्लस्टर संसाधन केंद्र सह-समन्वयक (CRCC) के हाथों में होता है। BRC सह-समन्वयक ब्लॉक स्तर के प्रमुख शैक्षणिक समन्वयक होते हैं। वे शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रबंधन करते हैं और CRCC को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे ग्राम शिक्षा समिति (VEC) तथा स्कूल विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के सदस्यों के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। BRC समन्वयक जिला परियोजना कार्यालय से शिक्षण सामग्री प्राप्त कर CRC के माध्यम से इसे शिक्षकों और SDMC सदस्यों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। साथ ही, विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रमों और अन्य हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हुए शिक्षकों को निरंतर शैक्षणिक सहायता भी प्रदान करते हैं।

CRC समन्वयकों की भूमिका शिक्षकों को नियमित सहयोग प्रदान करने, उनके कार्य का मूल्यांकन करने, विद्यालयों और वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों की आवश्यकताओं की पहचान करने तथा SDMC, समुदाय और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय बनाए रखने पर केंद्रित होती है। शिक्षकों के प्रदर्शन की नियमित निगरानी तथा शैक्षणिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, CRCC समय-समय पर विद्यालयों का भ्रमण भी करते हैं। संक्षेप में, BRC और CRC की भूमिकाएँ केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें शैक्षणिक मार्गदर्शन, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक समर्थन, सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करना, संसाधन उपलब्ध कराना तथा क्रियात्मक अनुसंधान जैसे विविध दायित्व शामिल हैं। यह संरचना विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने और शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

14.7.8 बीआरसी और सीआरसी के प्रमुख अकादमिक कार्य- ब्लॉक संसाधन केंद्र और क्लस्टर संसाधन केंद्र कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य करते हैं:

• शिक्षकों के लिए प्रचुर संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराते हुए केंद्र को एक समृद्ध शैक्षणिक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करना।

• निकटवर्ती शिक्षक शिक्षा संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों तथा अन्य संसाधन-संपन्न व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक सक्षम मानव संसाधन पूल तैयार करना, तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट संसाधन समूहों का गठन करना।

• विद्यालयों में उभरते विकासात्मक तथा शैक्षणिक मुद्दों की पहचान और समाधान हेतु नियमित स्कूल निरीक्षण करना।

• शैक्षणिक विषयों पर संवाद स्थापित करने तथा विद्यालय प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीतियाँ विकसित करने हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं मासिक बैठकों का आयोजन करना।

• विद्यालयों के कार्यप्रदर्शन की सतत निगरानी और उन्नयन के उद्देश्य से प्रभावी प्रदर्शन संकेतकों की स्थापना करना।

• विद्यालय सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए समुदाय के सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के साथ नियमित परामर्श और समन्वय स्थापित करना।

• समग्र शिक्षा (SSA) के लक्ष्यों के अनुरूप ब्लॉक/क्लस्टर स्तर पर गुणवत्ता सुधार योजनाओं का निर्माण करना और उन्हें निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने के लिए प्रयासरत रहना।

• जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के सहयोग से गुणवत्ता निगरानी उपकरणों का उपयोग करते हुए शैक्षिक गुणवत्ता की प्रगति का नियमित मूल्यांकन करना।

14.8 संस्थागत स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया-

किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, उसकी प्रगति और समृद्धि के बीच गहरा और अविभाज्य संबंध होता है। किसी देश का व्यापक विकास मूलतः उसकी शैक्षिक स्थिति पर आधारित रहता है। आज के युग में यह सर्वमान्य सत्य है कि बिना सुव्यवस्थित शैक्षिक नियोजन के कोई भी राष्ट्र सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं कर सकता। विश्व के अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि जो देश शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं, वे सामाजिक और आर्थिक विकास के मामले में भी कहीं अधिक सुदृढ़ व सशक्त स्थिति में दिखाई देते हैं। यह प्रगति आकस्मिक नहीं होती, बल्कि सुविचारित और प्रभावी योजनाओं के परिणामस्वरूप संभव होती है। इसलिए, किसी राष्ट्र को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा-नियोजन एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में उभरकर सामने आता है, और इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ तैयार की जाती हैं।

इस संदर्भ में महान शिक्षाविद् कन्फ्यूशियस का विचार विशेष रूप से प्रासंगिक है—"जो व्यक्ति दूरदृष्टि के साथ योजनाएँ नहीं बनाता, वह कठिनाइयों को अपने द्वार पर खड़ा पाता है।" वास्तव में नियोजन एक ऐसी सार्थक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके केंद्र में राष्ट्र और उसके नागरिकों की समग्र भलाई निहित होती है। नियोजन स्पष्ट, निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता को अधिक समुन्नत और संतुलित जीवन के अवसर प्रदान करना है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक स्वरूप लिए हुए है। यद्यपि इसका कुछ भाग केंद्रीकृत है, फिर भी इसकी आधारभूत भावना ग्राम स्तर पर

विकेंद्रीकरण और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने पर टिकी हुई है। यही सिद्धांत शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं में भी प्रतिबिंबित होता है।

14.8.1 संस्थागत नियोजन : अर्थ और परिभाषाएँ

भारत में आज अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि प्रभावी शैक्षिक योजना-निर्माण का प्रारम्भ निचले स्तर से होना चाहिए और यह प्रक्रिया क्रमशः ऊपर की ओर आगे बढ़नी चाहिए। यद्यपि उच्च स्तर पर कुछ हद तक केंद्रीकृत नियोजन की आवश्यकता बनी रहती है, परन्तु संपूर्ण योजना-प्रक्रिया का द्वि-दिशात्मक (bottom–up तथा top–down) स्वरूप होना अनिवार्य माना गया है। इसी कारण योजना का आधार स्तर—अर्थात् संस्थागत नियोजन—विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को अपनी विशेष परिस्थिति, आवश्यकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी योजना तैयार करनी चाहिए। यही प्रक्रिया संस्थागत नियोजन कहलाती है और व्यापक शैक्षिक नियोजन की प्राथमिक इकाई मानी जाती है।

एम.बी. बुच के शब्दों में— "संस्थागत नियोजन वह विकास एवं सुधार कार्यक्रम है, जिसे कोई शैक्षणिक संस्था अपनी आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और संभावित क्षमताओं के आधार पर तैयार करती है, ताकि विद्यालय के कार्यक्रमों और उसके संचालन में सुधार लाया जा सके। यह प्रक्रिया विद्यालय तथा समुदाय में उपलब्ध संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है।"

भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66) का भी मत है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपने संसाधनों की सीमाओं के भीतर रहते हुए, प्रभावी योजना-निर्माण और निरंतर परिश्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार कर सकता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, अधिकांश योजनाओं का निर्माण विद्यालय स्तर पर ही किया जाना अधिक उपयुक्त माना गया है। संस्थागत योजनाओं का निर्माण संबंधित संस्थान द्वारा शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में एक योजना बोर्ड का गठन आवश्यक है, जिसमें वे शिक्षक शामिल हों जिन्हें नियोजन का प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, विद्यालय के कर्मचारी, अभिभावक, विद्यार्थी, निरीक्षण अधिकारी और स्थानीय शिक्षाविद् भी इस बोर्ड में सम्मिलित किए जा सकते हैं, ताकि योजना-निर्माण की प्रक्रिया अधिक व्यापक, सहभागी और प्रभावी बन सके।

14.8.2 संस्थागत योजना के उद्देश्य

शिक्षा के विविध आयामों के संतुलित और व्यापक विकास के लिए योजनाबद्ध दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी शैक्षिक योजनाकार का दायित्व है कि वह निर्धारित समयावधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की सफल प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

संस्थागत योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा तक पहुँच और अवसरों में समानता सुनिश्चित करना।
2. संस्थान के विकास को राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं के अनुरूप दिशा प्रदान करना।
3. विद्यालय के सर्वांगीण विकास तथा निरंतर सुधार की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना।
4. शिक्षा को अधिक उत्पादक और उपयोगी बनाना, जिससे शैक्षिक प्रगति के साथ आर्थिक उन्नति भी संभव हो।
5. संस्थान में उपलब्ध मानव संसाधन का अधिकतम, प्रभावी और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना।
6. स्थानीय समुदाय, विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थियों और शिक्षकों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करना।
7. संस्थागत नियोजन के लिए व्यवहारिक, यथार्थवादी और क्रियान्वयन योग्य विचारों का सृजन करना।

इस प्रकार, संस्थागत नियोजन पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए और इससे सम्बद्ध सभी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्यरत रहनी चाहिए। संस्थागत योजना का दायरा जिला स्तरीय शैक्षिक योजनाओं से सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। संस्थान की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार यह योजना अल्पकालिक या दीर्घकालिक—दोनों रूपों में तैयार की जा सकती है।

यदि चाहें तो मैं इसे सरल भाषा में, अत्यधिक औपचारिक शैली में, या संक्षिप्त बिंदुवार रूप में भी परिवर्तित कर सकता हूँ।

14.9 सारांश-

भारत में शैक्षिक नियोजन एक संगठित प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, आवश्यकताओं तथा नीतिगत दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए समग्र शैक्षिक विकास की योजनाएँ तैयार और लागू की जाती हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा शिक्षा प्रणाली को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बनाना है। भारत में यह नियोजन बहु-स्तरीय ढाँचे—केंद्रीय, राज्य, जिला और संस्थागत—पर आधारित है। केंद्र सरकार नीति-निर्माण, वित्तपोषण और राष्ट्रीय स्तर की योजना का निर्देशन करती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन नीतियों को व्यावहारिक स्वरूप देती हैं। राज्य स्तर की संरचना में शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय, निदेशालय, SCERT, शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय आयोग तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला स्तर वह कार्यात्मक मंच है जहाँ योजनाएँ वास्तविक रूप से क्रियान्वित होती हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, सीआरसी तथा DIET इस स्तर पर कार्यान्वयन, निरीक्षण और मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं। ग्राम स्तर की समितियाँ सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाती हैं। इस प्रकार, शैक्षिक नियोजन एक विकेंद्रीकृत, सहभागी और सतत प्रक्रिया है, जो राष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू कर शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुंच को सुदृढ़ बनाती है।

14.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर-

1. लोकतांत्रिक 2. SCERT 3. उच्च शिक्षा 4. असत्य 5. सत्य

14.11 संदर्भ सूची-

1. **कुलकर्णी, पी.जी.** भारतीय शिक्षा प्रणाली और नियोजन. मुंबई: विद्याभवन प्रकाशन।
2. **त्यागी, आर.एस.** शिक्षा प्रबंधन और संस्थागत योजना. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
3. **शर्मा, एस.के.** शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन. नई दिल्ली: अटलांटिक प्रकाशन।
4. **पांडे, पी.एल.** विद्यालय प्रबंधन और विकास योजना. लखनऊ: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान।
5. **Passi, B. K. (2006).** Educational Planning in India. New Delhi: National Publishing House.
6. **Agarwal, J. C. (2010).** Development and Planning of Modern Education. New Delhi: Vikas Publishing House.
7. **Ministry of Education, Government of India. (2020).** National Education Policy 2020. New Delhi.
8. **Ministry of Human Resource Development (MHRD). (1986/1992).** National Policy on Education. New Delhi.
9. **NCERT. (2005).** National Curriculum Framework. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
10. https://www.yourarticlelibrary.com/education/institutional-planning-in-india-meaning-definition-objectives-and-scope/45252#google_vignette
11. https://ebooks.inflibnet.ac.in/edup13/chapter/educational-administration-structure-functions-and-processes-at-the-district-and-sub-district-level/

14.12 निबन्धात्मक प्रश्न-

प्रश्न 1. भारत में शैक्षिक नियोजन की अवधारणा, उसके उद्देश्य, विशेषताएँ तथा विकासक्रम पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

प्रश्न 2.केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन की संरचना का वर्णन कीजिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया और संरचना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 4. SCERT, राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड और परियोजना प्रकोष्ठों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्न 5. शैक्षिक प्रशासन के मुख्य कार्यों—कार्यान्वयन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, सलाह एवं नेतृत्व—का विस्तृत विवेचन कीजिए।

Unit 15 शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के संदर्भ में नेतृत्व की अवधारणा
Unit 15 Concept of leadership in relation to Educational Planning and Administration.

15. प्रस्तावना

15.1 शैक्षिक योजना : अर्थ एवं परिभाषा

15.2 शैक्षिक नेतृत्व : अर्थ एवं स्वरूप

15. 3 शैक्षिक प्रशासन : अर्थ एवं परिभाषा

15.3.1 शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत

15.4 अभ्यास प्रश्न

15.5 शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व

15.5.1 प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ

15.5.2 प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएँ

15.6 साराशं

15.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

15.8 संदर्भ ग्रन्थ

15.9 निबंधात्मक प्रश्न

15. प्रस्तावना-

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का मूल आधार है। शिक्षा का प्रभाव तभी सार्थक और व्यापक हो पाता है जब उसे सुविचारित योजना, कुशल प्रशासन और सशक्त नेतृत्व प्राप्त होता है। आधुनिक युग में शैक्षिक व्यवस्था केवल औपचारिक शिक्षण-प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों का प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण, शिक्षक-प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सामुदायिक भागीदारी और सतत सुधारात्मक कदमों के समन्वय जैसी अनेक जटिल प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का केन्द्रबिंदु एक प्रभावी नेतृत्व है, जो शैक्षणिक संगठन को दिशा, दृष्टि और उद्देश्य प्रदान करता है।शैक्षिक नेतृत्व केवल आदेश देने का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, नवाचार, मानवीय संवेदनाओं और संगठनात्मक कौशलों का बहुआयामी सम्मिश्रण है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के संदर्भ में नेतृत्व की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शैक्षिक योजनाओं का निर्माण, उनका उचित क्रियान्वयन, मूल्यांकन और पुनरीक्षण तभी सफल हो पाता है जब नेतृत्व दूरदर्शी, सक्रिय, संवेदनशील तथा परिवर्तन-उन्मुख हो।

यह निबंध शैक्षिक योजना, प्रशासन और नेतृत्व के अन्तर्सम्बन्धों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें नेतृत्व के सिद्धान्त, प्रकार, शैक्षिक योजना में नेतृत्व की भूमिका, प्रशासनिक संरचनाएँ, नेतृत्व कौशल, चुनौतियाँ तथा भारतीय संदर्भ में नेतृत्व की प्रासंगिकता पर विस्तृत विवेचना दी गई है।

15.1 शैक्षिक योजना : अर्थ एवं परिभाषा

आधुनिक युग में शिक्षा एक जटिल, बहुआयामी तथा दीर्घकालिक प्रक्रिया का स्वरूप ग्रहण कर चुकी है, जिसके प्रभावी संचालन हेतु सुविचारित एवं वैज्ञानिक योजना अनिवार्य हो गई है। बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी प्रगति, सामाजिक अपेक्षाएँ, संसाधनों की सीमितता तथा शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में निरंतर हो रहे परिवर्तनों ने शैक्षिक प्रणाली को अधिक संगठित, वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता को और भी प्रबल किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक योजना (Educational Planning) एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उभरती है, जिसका मूल उद्देश्य शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना, सुव्यवस्थित नीति-निर्माण को दिशा देना तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी और न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करना है।

सामान्यतः "योजना" का तात्पर्य भविष्य की संभावित आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर, वर्तमान में की जाने वाली ऐसी संगठित और वैज्ञानिक तैयारी से है जो पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। जब इस अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है, तब यह अधिक व्यापक, गतिशील तथा दीर्घकालिक प्रक्रिया का रूप ले लेती है। शैक्षिक योजना से अभिप्राय ऐसी सतत प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण, तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कार्यक्रमों की संरचना और क्रियान्वयन सम्मिलित होता है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशी तथा संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। शैक्षिक योजना का दायरा केवल विद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक वित्त, अनुसंधान, मूल्यांकन प्रणाली, छात्र सहायता सेवाओं और प्रशासनिक ढाँचे जैसे विविध आयामों को भी प्रभावित करता है।

अर्थात्, शैक्षिक योजना एक वैज्ञानिक, प्रणालीबद्ध एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच, उपयोगिता और प्रभावशीलता का अधिकतम संवर्धन करना है।

शैक्षिक योजना की परिभाषाएँ

विविध विद्वानों, संगठनों तथा शिक्षाशास्त्रियों ने शैक्षिक योजना को अपने-अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं—

1. **आइजैक (Isaac)** के अनुसार— "शैक्षिक योजना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भविष्य में निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध साधनों और संसाधनों का तार्किक, सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है।"

2. **कोफमैन (Kaufman)** का मत है— "शैक्षिक योजना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा को समाज के वर्तमान एवं भावी लक्ष्यों के अनुरूप दिशा प्रदान की जाती है।" उनके अनुसार शैक्षिक योजना राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होती है।
3. **यूनेस्को (UNESCO)** के अनुसार— "शैक्षिक योजना शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति के व्यवस्थित विश्लेषण तथा भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन कर, शिक्षा सुधार हेतु ठोस एवं व्यवहारिक कार्यक्रमों के निर्माण की प्रक्रिया है।"
4. **डॉ. एम. के. पाठक** लिखते हैं— "शैक्षिक योजना एक संगठित प्रणाली है जिसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, उनकी प्राप्ति हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों का चयन तथा उनके क्रियान्वयन की रणनीति का निर्माण किया जाता है।"
5. **एडम्स एवं डिक्सन (Adams & Dickson)** के अनुसार— "शैक्षिक योजना एक सतत प्रक्रिया है, जो शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु विश्लेषण, निर्णय-निर्माण और कार्यान्वयन को संयुक्त रूप से एकीकृत करती है।"

सारत: शैक्षिक योजना शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। यह न केवल शिक्षा को व्यवस्थित, संतुलित और समतामूलक बनाती है, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में उभर रही विविध चुनौतियों—जैसे प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव, सीमित संसाधन, भिन्न-भिन्न शिक्षार्थी समूह, आर्थिक विषमताएँ तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा—का सामना करने का सशक्त माध्यम भी प्रदान करती है। शैक्षिक योजना शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है और वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी एक शिक्षित, प्रगतिशील एवं समृद्ध समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

15.2 शैक्षिक नेतृत्व : अर्थ एवं स्वरूप

आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा समाज की उन्नति, व्यक्तिगत विकास तथा राष्ट्रीय प्रगति का आधारभूत स्तंभ है। निरंतर परिवर्तित हो रहे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एवं प्रशासनिक परिदृश्य के कारण शिक्षा-क्षेत्र में बहुआयामी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। ऐसे में शैक्षिक संस्थानों का सुचारु एवं प्रभावी संचालन, उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण–अधिगम की सुनिश्चितता तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण तभी संभव है, जब संस्थान में सक्षम, दूरदर्शी, उत्तरदायी एवं संवेदनशील नेतृत्व विद्यमान हो। इसी परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक नेतृत्व (Educational Leadership) की प्रासंगिकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ- सामान्यतः नेतृत्व वह क्षमता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समूह को प्रेरित कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करता है। जब यह नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में लागू होता है, तो इसका स्वरूप अधिक मानवीय, संवेदनशील, उत्तरदायी तथा उद्देश्यपरक हो जाता है। शैक्षिक नेतृत्व से तात्पर्य उस संगठित प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत शिक्षा-संस्था का प्रमुख—चाहे वह प्रधानाचार्य, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, समन्वयक अथवा अन्य शैक्षिक प्रशासक हो—शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय को प्रेरित करता है, संस्थान के लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उन्हें प्राप्त करने हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है।

शैक्षिक नेतृत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

- यह शिक्षा संस्थान का मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन है।
- यह मानव-सहयोग, प्रेरणा, सहभागिता एवं संचार पर आधारित प्रक्रिया है।
- इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय एवं प्रशासन सभी की सहभागिता शामिल होती है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं दक्षता को उन्नत करना है।
- यह केवल प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि व्यक्तित्व-निर्माण, मूल्य-संवर्धन एवं नवाचार का प्रमुख माध्यम है।

इस प्रकार, शैक्षिक नेतृत्व वह प्रेरक शक्ति है जो शिक्षा संस्थान को उद्देश्यों की ओर गतिशील बनाती है तथा उसे एक जीवंत, सृजनात्मक एवं प्रगतिशील संगठन के रूप में विकसित करती है।

शैक्षिक नेतृत्व परिभाषाएँ :

(1) कूले (Cooley) के अनुसार— "शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें नेता अपने अनुयायियों को शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है तथा संगठन में संतुलित एवं स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है।"

(2) टी. बेल (T. Bell) के अनुसार—"शैक्षिक नेतृत्व वह क्षमता है जिसके माध्यम से शिक्षा संस्थान का प्रमुख अपने अधीनस्थों के व्यवहार एवं कार्यों का समन्वय कर संस्थान की गुणवत्ता में उन्नयन करता है।"

(3) मैकग्रेगर (McGregor) के शब्दों में—"शैक्षिक नेतृत्व वह कला है जो सहयोग, संचार एवं विश्वास के आधार पर संगठन के सभी सदस्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्रिय रूप से संलग्न करती है।"

इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शैक्षिक नेतृत्व केवल अधिकार-प्रयोग का माध्यम नहीं, बल्कि सहयोग, प्रेरणा, मानवीय संवेदनाओं तथा संस्थागत विकास का समन्वित प्रयास है।

शैक्षिक नेतृत्व का स्वरूप)Nature of Educational Leadership)

शैक्षिक नेतृत्व का स्वरूप बहुआयामी, गतिशील एवं सृजनशील होता है। इसका विवरण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है—

(1) मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया- शैक्षिक नेतृत्व पूर्णतः मानव-केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय तथा कर्मचारियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं भावनाओं को समझते हुए सकारात्मक संबंधों का निर्माण किया जाता है।

(2) उद्देश्यपरक एवं परिणामोन्मुख- नेतृत्व शिक्षण की गुणवत्ता, छात्र-विकास, अनुसंधान, नवाचार एवं मूल्य-शिक्षा जैसे संस्थागत उद्देश्यों के प्रति सदैव संलग्न रहता है। सभी गतिविधियाँ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप संचालित की जाती हैं।

(3) लोकतांत्रिक एवं सहभागी स्वरूप- आधुनिक शैक्षिक नेतृत्व सहभागिता-आधारित है। इसमें—
• निर्णय-निर्माण में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय की सहभागिता,
• खुला एवं पारदर्शी संचार,
• सुझावों का स्वागत,
• सहयोगात्मक वातावरण

(4) परिवर्तनकारी स्वरूप (Transformational Nature)- तेजी से बदलते तकनीकी एवं सामाजिक परिवेश में शैक्षिक नेता परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है—
• नवीन विचारों को प्रोत्साहित करता है,
• नवाचार का वातावरण बनाता है,
• रूढ़िगत ढाँचों को चुनौती देता है,
• शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में उत्साह एवं ऊर्जा संचारित करता है।

(5) प्रेरणात्मक स्वरूप- शैक्षिक नेतृत्व प्रेरणा पर आधारित होता है। नेता—
• प्रोत्साहित करता है,
• उपलब्धियों की सराहना करता है,
• व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करता है।

(6) नैतिक एवं मूल्याधारित स्वरूप- चूँकि शिक्षा मूल्य-आधारित प्रक्रिया है, अतः नेतृत्व का स्वरूप भी नैतिक होना आवश्यक है। नेता—
• सत्यनिष्ठा,
• पारदर्शिता,
• न्याय,
• करुणा,

• जिम्मेदारी—

(7) प्रबंधकीय स्वरूप- शैक्षिक नेतृत्व में समय-सारिणी निर्माण, वित्त प्रबंधन, शिक्षक-नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, संसाधन प्रबंधन, मूल्यांकन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण जैसी प्रशासनिक गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं।

(8) समस्या-समाधान एवं निर्णय-निर्माण- नेता शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा तकनीकी समस्याओं का विश्लेषण कर, विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए तार्किक एवं न्यायोचित निर्णय लेता है।

(9) सामुदायिक एवं सामाजिक स्वरूप- शैक्षिक संस्थान समाज का महत्वपूर्ण अंग है। अतः
नेतृत्व—
• समुदाय की अपेक्षाओं को समझता है,
• अभिभावकों से संवाद स्थापित करता है,
• समुदाय को शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी हेतु प्रेरित करता है।

(10) नवाचारी स्वरूप (Innovative Nature) डिजिटल युग में शैक्षिक नेता—
• नई तकनीकों,
• स्मार्ट कक्षाओं,
• ई-लर्निंग,
• कौशल-आधारित शिक्षण
• तथा डिजिटल प्रशासन—

15. 3 शैक्षिक प्रशासन : अर्थ एवं परिभाषा

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। शिक्षण–अधिगम से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ तभी प्रभावी रूप से संपादित हो सकती हैं, जब वे सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध तथा समन्वित ढंग से संचालित की जाएँ। शिक्षा की जटिलताओं में निरंतर वृद्धि, उपलब्ध संसाधनों की सीमितता, प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार, शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताएँ तथा समाज की बढ़ती अपेक्षाएँ शिक्षा-संस्थानों के संचालन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ऐसी स्थिति में शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

शैक्षिक प्रशासन वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षा-संस्था के लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है, संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है तथा शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु दिशा, सहयोग एवं प्रेरणा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा-

व्यवस्था की रीढ़ के समान है, जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को संगठित, प्रभावी एवं उत्पादक रूप प्रदान करती है।

शैक्षिक प्रशासन का आशय शिक्षा प्रणाली के सुव्यवस्थित संचालन एवं कुशल प्रबंधन से है। शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए 'प्रशासन' शब्द की मूल भावना का ज्ञान आवश्यक है। प्रशासन वह क्षमता है, जिसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक शक्तियों एवं परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का समुचित समन्वय कर उन्हें एक सुव्यवस्थित एवं संगठित इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाया जाता है। प्रशासन अपने-आप में कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत्, गतिशील प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत किसी संस्था या संगठन की स्थापना के साथ होती है और जो संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ निरंतर उन्नति की दिशा में अग्रसर रहती है।

'Administration' शब्द अंग्रेज़ी भाषा का है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द minister से हुई है, जिसका मूल अर्थ है—"अन्य जनों की सेवा करना।" ब्रिटानिका विश्वकोश के अनुसार—"The performance or management of affairs"—अर्थात् कार्यों का प्रभावी निष्पादन एवं प्रबंधन ही प्रशासन का वास्तविक सार है।

शैक्षिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन के व्यापक क्षेत्र का एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण अंग है। शिक्षा-क्षेत्र में उपलब्ध सीमित संसाधनों और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिगम एवं अध्यापन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुख एवं शिक्षार्थी-केंद्रित बनाना ही शैक्षिक प्रशासन का मूल उद्देश्य है। समाज शिक्षा के महत्त्व से पूर्णतः परिचित है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र और समाज के सर्वांगीण विकास का मूल दायित्व शिक्षा पर आधारित होता है। शासन-व्यवस्था का स्वरूप चाहे विकसित हो, विकासोन्मुख हो अथवा किसी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या दार्शनिक विचारधारा पर आधारित हो—शिक्षा की भूमिका सर्वत्र केंद्रीय एवं अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। शैक्षिक नीतियों का निर्माण, शैक्षिक संस्थाओं का संगठन, नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वयन—ये सभी प्रक्रियाएँ प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से ही संपादित होती हैं। अतः शैक्षिक प्रशासन शिक्षा-संबंधी उद्देश्यों की सफल प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

Encyclopedia of Educational Research के अनुसार—"शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों तथा आवश्यक शैक्षिक सामग्रियों का इस प्रकार संयोजन एवं संगठन किया जाता है कि मानवीय क्षमताओं का पूर्ण विकास संभव हो सके।"

ग्राम बैफ़ूलर के शब्दों में—"शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सक्षम विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों के माध्यम से, उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के भीतर रहते हुए, उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो तथा वे अधिकतम लाभान्वित हो सकें।"

ब्रुक एडम्स के अनुसार— "शैक्षिक प्रशासन में विभिन्न तत्वों एवं शक्तियों को एक सूत्र में पिरोने की अद्वितीय क्षमता निहित होती है। यह सामाजिक शक्तियों तथा विरोधाभासी प्रवृत्तियों का ऐसा समन्वय करता है कि वे समष्टि के रूप में एकीकृत होकर कार्य करने लगती हैं।"

15.3.1 शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत-

1. **उत्तरदायित्व-वितरण का सिद्धांत** – जॉन डेवी के अनुसार लोकतंत्र अनुभवों के आदान-प्रदान पर आधारित है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में जिम्मेदारियों का सुविचारित एवं विवेकपूर्ण वितरण किया जाता है, जिससे नेतृत्व एवं अनुयायियों दोनों का मानसिक संतुलन एवं कार्यक्षमता सुदृढ़ होती है।
2. **समानता का सिद्धांत** – लोकतांत्रिक प्रणाली समान अवसर प्रदान करने पर विशेष बल देती है। एक लोकतांत्रिक प्रशासक स्वयं को अन्य सदस्यों से पृथक नहीं मानता, बल्कि समाजिक संरचना का अविभाज्य एवं सहअस्तित्वशील अंग समझता है।
3. **स्वतंत्रता का सिद्धांत** – लोकतांत्रिक प्रशासन का प्रमुख आधार कर्मचारियों को स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं एवं विशेषज्ञता के अनुरूप कार्य कर सकें तथा नवाचार प्रस्तुत कर सकें।
4. **सहयोग का सिद्धांत** – विद्यालय का संचालन सामूहिक प्रयासों पर आधारित होता है। प्रत्येक सदस्य को सहकर्मियों एवं संस्थान प्रमुख के साथ पूर्ण सहयोगात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है।
5. **न्याय का सिद्धांत** – प्रभावी लोकतांत्रिक प्रशासन तभी संभव है जब प्रधानाध्यापक सभी सदस्यों के प्रति निष्पक्ष एवं न्यायसंगत व्यवहार सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त महत्व प्रदान किया जाए।
6. **व्यक्तिगत मूल्य-मान्यता का सिद्धांत** – लोकतांत्रिक प्रशासक प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत क्षमताओं और विशेषताओं का मूल्यांकन करता है तथा कार्यों का वितरण उनके अनुरूप करता है।
7. **नेतृत्व का सिद्धांत** – प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर प्रभावी नेतृत्व अनिवार्य है। प्रशासक में प्रेरणा, मार्गदर्शन, निर्देशन और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता सम्मिलित होनी चाहिए।
8. **लोकतांत्रिक दर्शन का सिद्धांत** – किसी भी संस्थान के सफल संचालन हेतु उसके पीछे एक सुदृढ़ और सुविचारित दर्शन आवश्यक है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण संस्था को संगठित, पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन की दिशा प्रदान करता है।
9. **लचीलेपन का सिद्धांत** – लोकतांत्रिक प्रशासक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला दृष्टिकोण अपनाता है तथा संस्था के व्यापक हित में आवश्यक समायोजन करने के लिए तत्पर रहता है।
10. **दक्षता का सिद्धांत** – सभी व्यक्ति समान दक्षता एवं कौशल नहीं रखते, अतः कार्यों का आवंटन योग्यता और दक्षता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे श्रेष्ठतम परिणाम सुनिश्चित हों।
11. **व्यावसायिक विकास का सिद्धांत** – प्रशासक की सफलता उसके अधीनस्थ कर्मचारियों एवं सहकर्मियों की कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। अतः कर्मचारियों के व्यावसायिक एवं शैक्षणिक विकास के अवसर सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

12. **सापेक्ष मूल्य का सिद्धांत** – सभी निर्णय संस्थान, विद्यार्थियों एवं शिक्षा प्रक्रिया के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए। शैक्षिक हित प्रत्येक निर्णय में सर्वोपरि होने चाहिए।

15.4 अभ्यास प्रश्न-

प्रश्न 1. शैक्षिक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
(A) केवल विद्यालय भवन का निर्माण
(B) शिक्षा के लक्ष्यों को व्यवहार में परिवर्तित करना
(C) विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना
(D) केवल शिक्षक प्रशिक्षण करना

प्रश्न 2. यूनेस्को)UNESCO) के अनुसार शैक्षिक योजना किस पर आधारित होती है?
(A) शिक्षकों की नियुक्ति
(B) शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुमान पर
(C) विद्यार्थियों की परीक्षा प्रणाली पर
(D) खेलकूद कार्यक्रमों पर

प्रश्न 3. शैक्षिक नेतृत्व की प्रमुख विशेषता कौनसी है-?
(A) केवल प्रशासनिक नियंत्रण
(B) भय उत्पन्न कर कार्य कराना
(C) प्रेरणा, संचार और सहयोग पर आधारित प्रक्रिया
(D) केवल अनुशासन बनाए रखना

प्रश्न 4. निम्न में से कौनसा सिद्धांत लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन का अंग नहीं है-?
(A) समानता का सिद्धांत
(B) सहयोग का सिद्धांत
(C) स्वतंत्रता का सिद्धांत
(D) एकाधिकार)Autocracy) का सिद्धांत

प्रश्न 5. ग्राम बैफ़ूलर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है—
(A) अधिकतम शुल्क वसूल करना
(B) सीमित संसाधनों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना
(C) केवल परीक्षा आयोजित करना
(D) विद्यालय का विस्तार करना

15.5 शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व-

शिक्षा-प्रणाली किसी भी राष्ट्र की समग्र विकास-यात्रा का आधारभूत स्तंभ है। आधुनिक युग में शिक्षा के क्षेत्र की संरचना अत्यंत विस्तृत, बहुआयामी तथा गतिशील हो गई है। बढ़ती जनसंख्या, प्रौद्योगिकी में

निरंतर परिवर्तन, विविधतापूर्ण शिक्षार्थी समूह, सामाजिक अपेक्षाएँ और सीमित संसाधनों की उपलब्धता के कारण शिक्षा-संस्थाओं के संचालन में जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल तभी संभव है, जब शिक्षा-संस्थाओं में सक्षम प्रशासन (Administration) और प्रेरणादायी नेतृत्व (Leadership) उपलब्ध हों। शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व आपस में पूरक तत्व हैं—प्रशासन संस्थागत व्यवस्था को व्यवस्थित करता है, जबकि नेतृत्व उसे उद्देश्यपूर्ण दिशा और प्राण प्रदान करता है। इनके सम्मिलित प्रयास से ही शिक्षा प्रणाली गुणवत्तापूर्ण, मानव-केंद्रित और परिणामोन्मुख बनती है।

सामान्य अर्थों में प्रशासन किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधनों, गतिविधियों और व्यक्तियों का सुव्यवस्थित प्रबंधन है। जब इसे शिक्षा के संदर्भ में लागू किया जाता है, तो यह प्रक्रिया अधिक मानवीय, मूल्य-आधारित और संवेदनशील हो जाती है। शैक्षिक प्रशासन उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है, जिसके माध्यम से शिक्षा-संस्था के सभी कार्य—शैक्षिक, सह-शैक्षिक, प्रशासनिक और विकासात्मक—सुसंगठित एवं प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं। यह छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, संसाधनों, भौतिक संरचनाओं, समय-सारिणी, वित्तीय प्रबंधन, परीक्षा-व्यवस्था, अनुशासन, समुदाय और नीति-निर्माण जैसे विविध घटकों को समग्र दृष्टि से समाहित करता है।

15.5.1 प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ

नेतृत्व वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति समूह को प्रेरित, निर्देशित और संगठित कर, निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगतिशील रूप से अग्रसर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षमता का दायरा और अधिक व्यापक एवं जटिल हो जाता है। शैक्षिक नेतृत्व से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत शिक्षा-संस्था का प्रमुख—चाहे वह प्रधानाचार्य, प्राचार्य या अन्य शैक्षिक प्रशासक हो—अपने सहयोगियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और समुदाय को प्रेरित, मार्गदर्शित एवं सुव्यवस्थित करता है, ताकि शिक्षा संस्थान का समग्र और सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके। शैक्षिक नेतृत्व में केवल प्रशासनिक कुशलता पर्याप्त नहीं होती; इसके लिए प्रेरणा, नैतिक मूल्यों की पालना, नवाचार, प्रभावी संचार-कौशल, समस्या-समाधान की क्षमता, निर्णायक योग्यता और मानवीय गुणों का संतुलित समन्वय आवश्यक है।

15.5.2 प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएँ-

प्रशासनिक नेतृत्व किसी भी संगठन की सफलता का केंद्रीय आधार माना जाता है। यह केवल आदेश देने या प्रबंधन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्तियों, संसाधनों, नीतियों और प्रक्रियाओं का ऐसा समन्वय है, जो संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। एक सक्षम प्रशासनिक नेता न केवल कार्यों का निर्देशन करता है, बल्कि टीम को प्रेरित करता है, सहयोग को प्रोत्साहित करता है, तथा संस्थान के समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करता है। नीचे प्रशासनिक नेतृत्व की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत है।

1. लक्ष्य-उन्मुखता (Goal Orientation)- किसी भी संगठन का कार्य तभी सार्थक हो सकता है, जब उसकी दिशा और उद्देश्य स्पष्ट एवं सुसंगत हों। प्रशासनिक नेता प्रथमतया संगठन के दीर्घकालिक एवं

अल्पकालिक लक्ष्यों की पहचान करता है। वह सुनिश्चित करता है कि ये लक्ष्य यथार्थपरक, मापनीय और संगठन के मिशन के अनुरूप हों। लक्ष्य-उन्मुख नेतृत्व में नेता अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश देता है कि किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है और किन कारणों से। यह स्पष्टता कर्मचारियों में उद्देश्य की भावना उत्पन्न करती है एवं उन्हें अपने प्रयासों को सुव्यवस्थित दिशा में लगाना प्रेरित करती है। उदाहरणार्थ, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वार्षिक शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ाने हेतु लक्ष्यों का निर्धारण शिक्षकों को सुधार की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करता है। लक्ष्य-उन्मुख नेता प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करता है और आवश्यकतानुसार रणनीतियों में समायोजन करता है।

2. योजनाबद्ध कार्यप्रणाली (Planned Functioning)- प्रशासनिक नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि यह संयोग या आकस्मिकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि सुविचारित योजनाओं पर आधारित रहता है। योजनाएँ संसाधनों की आवश्यकताओं, कार्यों के वितरण और मूल्यांकन की समय-सीमा निर्धारित करती हैं। योजनाबद्ध नेता संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान करता है और समाधान हेतु पूर्व-तैयारी करता है। शैक्षिक प्रशासन में यह विशेषता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वार्षिक पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, सहशैक्षिक गतिविधियाँ और संसाधन प्रबंधन विस्तृत योजनाओं पर आधारित होते हैं। योजनाबद्ध कार्यप्रणाली न केवल संस्था को सुव्यवस्थित रखती है, बल्कि उसकी दक्षता एवं विश्वसनीयता में भी वृद्धि करती है।

3. निर्णय क्षमता (Decision-Making Ability)- प्रशासनिक नेता को अनेक परिस्थितियों में त्वरित, तार्किक और संतुलित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। एक सक्षम नेता उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण करता है, संभावित परिणामों का मूल्यांकन करता है और तदनुसार निर्णय लेता है। निर्णय क्षमता में दो प्रमुख पहलू सम्मिलित होते हैं—

1. समय पर निर्णय लेना
2. सटीक एवं न्यायसंगत निर्णय लेना

शैक्षिक संस्थानों में निम्नलिखित समस्याएँ आमतौर पर उत्पन्न होती हैं—

- छात्र अनुशासन संबंधी समस्याएँ
- शिक्षकों के मध्य कार्य-वितरण
- संसाधनों का आवंटन
- आकस्मिक परिस्थितियाँ

ऐसे समय में निर्णयहीनता संस्थान के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अतः निर्णय क्षमता प्रशासनिक नेतृत्व की अनिवार्य विशेषता है।

4. मानवीय संबंधों का ज्ञान (Understanding of Human Relations)- नेतृत्व का मूल तत्व मानव संबंधों की समझ है। प्रशासनिक नेता तभी सफल हो सकता है, जब वह अपने अधीनस्थों के मनोविज्ञान, भावनाओं, आवश्यकताओं और संघर्षों को समझ सके। उत्कृष्ट मानवीय संबंध निम्नलिखित गुणों पर आधारित होते हैं—

- सहानुभूति
- धैर्य
- सम्मान
- सहयोग

मानवीय संबंधों की गहरी समझ रखने वाला नेता कर्मचारियों की क्षमताओं को पहचानता है, उनके कार्य अनुभव का मूल्यांकन करता है, और सकारात्मक कार्य वातावरण का निर्माण करता है। शैक्षिक संस्थानों में प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समुदाय के बीच प्रभावशाली संबंध बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

5. संचार कौशल (Communication Skills)- प्रभावी संप्रेषण प्रशासनिक नेतृत्व की एक प्रमुख विशेषता है। संचार केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनना, समझना और सूचनाओं को स्पष्ट, संक्षिप्त एवं सुसंगत रूप से साझा करना सम्मिलित है। सशक्त संचार नेतृत्व को निम्नलिखित रूपों से सुदृढ़ करता है—

- निर्णय स्पष्टता में वृद्धि
- गलतफहमियों का निवारण
- अधीनस्थों में विश्वास का विकास
- टीमवर्क को सुदृढ़ बनाना

शैक्षिक प्रशासन में प्रधानाचार्य का शिक्षकों से संवाद, अभिभावकों से संपर्क और छात्रों को प्रेरित करने की शैली विद्यालय के वातावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

6. प्रेरणा देने की क्षमता (Ability to Motivate)- प्रेरणा किसी भी संगठन की ऊर्जा है। केवल आदेश देकर कार्य कराना नेतृत्व नहीं है; कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह, समर्पण और विश्वास उत्पन्न करना वास्तविक नेतृत्व की पहचान है। प्रेरणा देने वाला नेता—

- टीम के प्रयासों की सराहना करता है
- उत्कृष्ट कार्य पर पुरस्कार प्रदान करता है
- सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है
- कर्मचारियों की समस्याओं को समझता है

प्रेरित कर्मचारियों का प्रदर्शन श्रेष्ठ होता है और संगठन की उत्पादकता में वृद्धि होती है। शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे सकते हैं, जब उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए।

7. समन्वयन क्षमता (Coordination Ability)- प्रशासनिक नेतृत्व का एक मूलभूत कार्य समन्वय है। किसी भी संस्थान में अनेक विभाग, व्यक्तित्व और गतिविधियाँ होती हैं। यदि इनके बीच तालमेल न हो, तो कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। समन्वित नेतृत्व—

- विभागों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है
- समय, संसाधन और ऊर्जा का प्रभावी उपयोग करता है
- विवादों को न्यूनतम करता है

विद्यालय में पाठ्यक्रम संचालन, परीक्षा प्रबंधन, सहशैक्षिक कार्यक्रम, वित्तीय गतिविधियाँ, अभिभावक-शिक्षक संवाद आदि सभी क्षेत्रों में समन्वय आवश्यक है।

8. नैतिकता और पारदर्शिता (Ethics and Transparency)- सशक्त नेतृत्व का आधार नैतिक मूल्यों पर टिका होता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और न्यायप्रियता प्रशासनिक नेता की मुख्य पहचान होती है। पारदर्शिता से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ता है और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं। शैक्षिक संस्थानों में यह विशेषता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षा मूलतः मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है।

9. परिवर्तन प्रबंधन (Change Management)- वर्तमान युग तीव्र परिवर्तन का युग है। नई तकनीक, नीतियाँ और आवश्यकताएँ संस्थानों के संचालन को प्रभावित करती हैं। प्रभावी प्रशासनिक नेता—

- परिवर्तनों को स्वीकार करता है
- टीम को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है
- नवाचारों को प्रोत्साहित करता है
- बाधाओं को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है

शैक्षिक क्षेत्र में स्मार्ट कक्षाओं का उपयोग, नई शिक्षा नीति (NEP), डिजिटल मूल्यांकन आदि परिवर्तन-उन्मुख नेतृत्व की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

10. जवाबदेही (Accountability)- जवाबदेही वह गुण है जो नेता को प्रत्येक निर्णय, कार्य और परिणाम के प्रति उत्तरदायी बनाता है। जवाबदेह नेता—

- कार्य का उचित मूल्यांकन करता है
- अपनी त्रुटियों को स्वीकार करता है
- अधीनस्थों के प्रति जिम्मेदार रहता है
- संगठन के प्रति निष्ठावान रहता है

शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानाचार्य की जवाबदेही केवल संस्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह छात्रों, अभिभावकों और समाज के प्रति भी होती है। अतः इसे प्रशासनिक नेतृत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है।

15.6 साराशं-

प्रशासनिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नेता संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध, समन्वित और प्रेरक तरीके से कार्य करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में **लक्ष्य-उन्मुखता** सर्वप्रथम आती है, जिसमें नेता स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर टीम को दिशा देता है। इसके साथ ही **योजनाबद्ध कार्यप्रणाली** यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो तथा कार्य सुचारु रूप से आगे बढ़ें। एक सक्षम नेता में **निर्णय क्षमता** होती है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी सही व समय पर निर्णय ले पाता है। प्रशासनिक नेतृत्व का आधार **मानवीय संबंधों की समझ** है, जो कर्मचारियों में सहयोग, विश्वास और संतुष्टि उत्पन्न करती है। **प्रभावी संचार कौशल** टीम के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान सुचारु बनाता है। नेता कर्मचारियों को प्रेरित कर **प्रेरणा देने की क्षमता** दर्शाता है, जिससे संगठन में उत्साह और प्रतिबद्धता बढ़ती है।

समन्वय प्रशासन का मुख्य स्तंभ है, जो विभिन्न विभागों व व्यक्तियों को एक दिशा में जोड़ता है। इसके अतिरिक्त, नैतिकता और पारदर्शिता नेतृत्व को विश्वसनीय बनाती है। आधुनिक प्रशासन में **परिवर्तन प्रबंधन** भी आवश्यक है, जिससे संगठन नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को विकसित कर सके। अंततः, **जवाबदेही** नेता को अपने निर्णयों व कार्यों के प्रति उत्तरदायी बनाती है। इन सभी विशेषताओं का समन्वय प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व की पहचान है।

15.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर-

प्र1. उत्तर) :B) शिक्षा के लक्ष्यों को व्यवहार में परिवर्तित करना
प्र2. उत्तर) :B) शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुमान पर
प्र3. उत्तर) :C) प्रेरणा, संचार और सहयोग पर आधारित प्रक्रिया
प्र4. उत्तर) :D) एकाधिकार)Autocracy) का सिद्धांत
प्र5. उत्तर) :B) सीमित संसाधनों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना

15.8 संदर्भ ग्रन्थ-

1. **अग्रवाल, जे. सी.** (2014). *शैक्षिक प्रशासन, प्रबन्ध एवं पर्यवेक्षण*. नई दिल्ली: आर. एल. पब्लिशिंग हाउस.
2. **सिंह, एस. एस.** (2017). *शैक्षिक योजना एवं प्रशासन*. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर.
3. **गुप्ता, वी. के.** (2015). *शैक्षिक प्रबन्धन एवं नेतृत्व. मेरठ*: आर. लाल बुक डिपो.
4. **शर्मा, रामनाथ.** (2013). *शिक्षा मनोविज्ञान एवं प्रशासन*. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स.
5. **गुलाटी, ओ. पी.** (2011). *स्कूल प्रशासन एवं प्रबन्धन*. नई दिल्ली: आर्य पुस्तक भवन.
6. **तिवारी, आर. के.** (2018). *शिक्षा एवं शैक्षिक प्रबंधन*. लखनऊ: भारती प्रकाशन.
7. **मिश्रा, विद्यानंद.** (2019). *शैक्षिक नेतृत्व: सिद्धांत और व्यवहार*. इलाहाबाद: किशोरीलाल एंड संस.

8. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT).** (2005–2020). *शैक्षिक प्रशासन, गुणवत्ता सुधार तथा नेतृत्व विकास पर विभिन्न रिपोर्टें. नई दिल्ली.*
9. **Safaya, R. N., & Shaida, B. D.** (2005). *Principles and techniques of education.* Dhanpat Rai Publishing.
10. **Kochar, S. K.** (2000). *School administration and management.* Sterling Publishers.
11. **Tayal, R. M.** (2010). *Shiksha manovigyan aur prabandh* (हिंदी). हिंदी माध्यम पुस्तकें।
12. **Bell, T.** (1988). *The principal as leader.* Routledge.
13. **Koontz, H., & O'Donnell, C.** (1990). *Principles of management.* McGraw-Hill.
14. **Lunenburg, F. C., & Ornstein, A.** (2008). *Educational administration: Concepts and practices.* Wadsworth Publishing.

15.9 निबंधात्मक प्रश्न-

1. शैक्षिक योजना का अर्थ, आवश्यकता तथा आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था में इसके महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई शैक्षिक योजना की परिभाषाओं की समीक्षा करते हुए इसके प्रमुख घटकों तथा विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
3. शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके स्वरूप (Nature) के विविध पहलुओं का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए।
4. शैक्षिक प्रशासन की संकल्पना का विस्तार से वर्णन करते हुए इसके महत्व एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
5. शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों (Principles) का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए तथा आधुनिक विद्यालय संचालन में इनकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए।